खण्ड ६—अंक २१
१३ अगस्त, १९५६ (सोमवार)

# लोक-सभा
# वा द - वि वा द

(भाग १—प्रश्नोत्तर)

1st Lok Sabha
(XIII Session)

(खण्ड ६ में अंक २१ से अंक ४० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

चार आने (देश में) एक शिलिंग (विदेश में)

189 L.S. 56

# विषयसूचि

**(भाग १—खंड ६—अंक २१ से ४०—१३ अगस्त से ८ सितम्बर, १९५६)**


पृष्ठ

**अंक २१—सोमवार, १३ अगस्त, १९५६**

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९९४ से १००४, १००६ से १००८, १०१० से १०१२ १०१५, १०१६, १०१८, १०१९, १०२१, १०२२, १०२५ और १०२६ . . . . . ६०१–२२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १००५, १००९, १०१३, १०१४, १०१७, १०२०, १०२३, १०२४, १०२७ से १०२९ और १०३१ से १०४९ ९२३–३४

अतारांकित प्रश्न संख्या ६०४ से ६११ और ६१३ से ६५२ . . ९३४–४९

दैनिक संक्षेपिका . . . . . ९५०–५३

**अंक २२—मंगलवार, १४ अगस्त, १९५६**

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०५०, १०५१, १०५३, १०५४, १०५६ से १०५८, १०६०, १०६१, १०६४, १०६५, १०६७, १०६८, १०७१ से १०७५ १०७७ से १०७९ और १०८१ . . . . ९५५–७५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०५२, १०५५, १०५९, १०६२, १०६३, १०६६, १०६९, १०७०, १०७६, १०८०, १०८२ से १११३ और ७७७ . . . . . ९७५–९१

अतारांकित प्रश्न संख्या ६५३ से ६७९ . . . ९९१–१००

प्रश्नों के उत्तरों की शुद्धि . . . . १०००

दैनिक संक्षेपिका . . . . . १००१–०४

**अंक २३—गुरूवार, १६ अगस्त, १९५६**

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १११४, १११६ से ११२० ११२२ से ११२८, ११३२ से ११३८, ११४०, ११४२ से ११४४ और ११४७ . . १००५–२५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १११५, ११२१, ११२७, ११२९, से ११३१, ११३९ ११४१, ११४५, ११४६ और ११४८ से ११६१ . . १०२५–३४

अतारांकित प्रश्न संख्या ६८० से ७३० . . . . १०३४–६०

दैनिक संक्षेपिका . . . . . १०६१–६४

पृष्ठ

**अंक २४—शुक्रवार, १७ अगस्त, १९५६**

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११६३ से ११६९, ११७१, ११७२ और ११७४ से ११८४ . . . . . १०६५–८६

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ९ और १० . . . . १०८६–८८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११६२, ११७०, ११७३, ११८५ से ११९१ और ११९३ से १२०३ . . . . . १०८८–९४

अतारांकित प्रश्न संख्या ७३१ से ७३९ और ७४१ से ७६९ . . १०९५–११०६

दैनिक संक्षेपिका . . . . . ११०७–०९

**अंक २५—सोमवार, २० अगस्त, १९५६**

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२०८, १२११, १२१४, १२१६, १२१७, १२१९, १२२४, १२२५, १२२८ से १२३४, १२३७ से १२४० और १२४४ . ११११–३२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२०४ से १२०७, १२०९, १२१०, १२१२, १२१३ १२१५, १२१८, १२२० से १२२३, १२२६, १२४२, १२४३ और १२४५ से १२५३ . . . . . ११३२–४०

अतारांकित प्रश्न संख्या ७७० से ८०५ और ८०७ . . ११४०–५३

दैनिक संक्षेपिका . . . . . ११५४–५७

**अंक २६—बुधवार, २२ अगस्त, १९५६**

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२५४ से १२५६, १२५८ से १२६०, १२६२, १२६३ १२६५, १२६७, १२६९ से १२७२, १२७४, १२७५ और १२७८ से १२८० . . . . . ११५९–७९

अल्प सूचना प्रश्नसंख्या ११ . . . . ११८०–८२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२५७, १२६१, १२६४, १२६६, १२६८, १२७३, १२७६, १२७७, १२८१ से १२९१, १२९३ से १३०० और ११९२ . . . . . ११८२–९०

अतारांकित प्रश्न संख्या ८०८ से ८२० और ८२२ से ८५५ . ११९०–१२०४

दैनिक संक्षेपिका . . . . . १२०५–०७

पृष्ठ

**अंक २७—गुरूवार, २३ अगस्त, १९५६**

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३०१ से १३०५, १३०७, १३११, १३१२, १३१६, १३१३, १३१९, १३२२ से १३२५, १३२७, १३४० और १३२९ से १३३२ . . . . . १२०९–२८

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १२ . . . १२२९–३१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३०६, १३०९, १३१०, १३१४, १३१५, १३१७ १३१८, १३२०, १३२१, १३२६, १३२८, १३३३, से १३३८, १३४१ और १३४२ . . . . . १२३१–३७

अतारांकित प्रश्न संख्या ८५६ से ८८४ . . १२३७–४९

दैनिक संक्षेपिका . . . . . १२५०–५२

**अंक २८—शुक्रवार, २४ अगस्त, १९५६**

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३४३ से १३४८, १३५० से १३५२, १३५५, १३५७, १३६०, १३६१, १३६४, १३६५, १३६८, से १३७२ और १३७४ से १३७७ . . . . . १२५३–७५

कुछ आपत्तिजनक बातों के बारे में अध्यक्ष के विचार . १२७५–७७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३४९, १३५३, १३५४, १३५६, १३५८, १३५९ १३६२, १३६३, १३६६, १३६७, १३७३ और १३७८ से १३९७ . १२७७–८६

अतारांकित प्रश्न संख्या ८८५ से ८८९ और ८९१ से ९३३ . . १२८६–१३०३

दैनिक संक्षेपिका . . . . . १३०४–०७

**अंक २९—शनिवार, २५ अगस्त, १९५६**

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३९८, १४००, १४०१, १४२८, १४०२ से १४०५ १४०७, १४०९ से १४१२, १४१५, १४१८ और १४१९ १३०९–२८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३९९, १४०६, १४०८, १४१३, १४१४, १४१६ १४१७, १४२० से १४२७ और १४२९ से १४४९ . १३२८–३९

अतारांकित प्रश्न संख्या ९३४ से १०१२ . . . १३३९–७०

दैनिक संक्षेपिका . . . . . १३७१–७५

पृष्ठ

**अंक ३०—सोमवार, २७ अगस्त, १९५६**

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४५२, १४५४ से १४५९, १४६१ से १४६५, १४७०, १४७१, १४७३, १४७५ से १४७७, १४७९ और १४८० . १३७७–९९

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १३ और १४ . . १३९९–१४०३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४५०, १४५१, १४५३, १४६०, १४६६ से १४६९ १४७२, १४७४, १४७८ और १४८१ से १४८९ . . . १४०३–१०

अतारांकित प्रश्न संख्या १०१३ से १०३३ और १०३५ से १०६१ . १४१०–२७

दैनिक संक्षेपिका . . . . . १४२८–३०

**अंक ३१—मंगलवार, २८ अगस्त, १९५६**

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४९०, १४९२, १४९१, १४९३, १४९४, १४९६ से १५००, १५०२, १५०७ से १५०९, १५१२ और १५१३ . . १४३१–५१

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १५ . . . . . १४५१–५३

अल्प सूचना प्रश्न के उत्तर में सभा-पटल पर रखे गये विवरण के बारे में १४५३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४९५, १५०१, १५०३ से १५०६, १५१०, १५११ १५१४ से १५२० और १५२२ से १५३२ . १४५३–६२

अतारांकित प्रश्न संख्या १०६२, १०६३, १०६५ से १०६९, १०७१ से १०७३ और १०७५, से १०८५ . . . . १४६२–६९

दैनिक संक्षेपिका . . . . १४७०–७३

**अंक ३२—गुरुवार, ३० अगस्त, १९५६**

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १५३४, १५३६, १५३७, १५३९ से १५४५, १५५२ १५५३, १५५८ से १५६१, १५६३, १५६४ और १५६६ से १५६८ १४७५–९६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १५३३ १५३५, १५३८, १५४६ से १५५१, १५५४ से १५५७, १५६५, १५६९ से १५८१ और १५८३ से १५८५ . १४९७–१५०७

अतारांकित प्रश्न संख्या १०८६ से ११७४ . . . १५०७–३९

दैनिक संक्षेपिका . . . . . १५४०–४५

पृष्ठ

**अंक ३३—शुक्रवार, ३१ अगस्त, १९५६**

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १५८६ से १५९२, १५९४ से १६०१, १६०३, १६०४, १६०६ १६०८, १६०९ और १६१२ . . . १५४७–६९

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १६ . . . . १५६९–७१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १५९३, १६०२, १६०५, १६०७, १६१०, १६११ और १६१३ से १६२९ . . . . १५७१–७९

अतारांकित प्रश्न संख्या ११७५ से १२११ . . . १५७९–९३

दैनिक संक्षेपिका . . . . . १५९५–९७

**अंक ३४—शनिवार, १ सितम्बर, १९५६**

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १६३० से १६३९, १६४३, १६४४, १६४६ से १६४८ १६५०, १६५३, १६५४, १६५६, १६५७ और १६६०से १६६२ १५९९–१६२१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १६४० से १६४२, १६४५, १६४९, १६५१, १६५२ १६५५, १६५८, १६५९ और १६६३ से १६८१ . . १६२१–३०

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १७ . . . . १६३०–३१

अतारांकित प्रश्न संख्या १२१२ से १२५० . . . १६३१–४३

दैनिक संक्षेपिका— . . . . . १६४४–४६

**अंक ३५—सोमवार, ३ सितम्बर, १९५६**

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १६८२ से १६८७, १६८९ से १६९४, १६९६, १६९८ से १७०१ और १७०३ से १७०७ . . . १६४७–६९

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १८ और १९ . . . . १६६९–७२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १६८८, १६९५, १६९७, १७०२, १७०८ से १७२१ १६७३–७८

अतारांकित प्रश्न संख्या १२५१ से १२८७ . . . १६ ८–९

दैनिक संक्षेपिका . . . . . १६९४–९६

पृष्ठ

**अंक ३६ —मंगलवार, ४ सितम्बर, १९५६**


प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १७२२ से १७३०, १७५२, १७३३ से १७३५, १७३७ से १७४० और १७४२ से १७४४ . . . १६९७–१७२०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १७३२, १७३६, १६४१, १७४५ से १७४७, १७४९ से १७५१, १७५३ से १७६१ और १७६३ से १७६८ . . १७२०–२९

अतारांकित प्रश्न संख्या १२८८ से १३२९ . . . १७२९–४१

दैनिक संक्षेपिका . . . . . १७४२–४५


**अंक ३७—बुधवार, ५ सितम्बर, १९५६**


प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १७६९ से १७७८, १७८० से १७८३, १७८५, १७८६ और १७८८ से १७९१ . . . १७४७–६९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १७७९, १७८४, १७८७, १७९२ से १७९७ और १७९९ से १८१४ . . . . . १७६९–७८

अतारांकित प्रश्न संख्या १३३० से १३६७ . . . १७७८–९५

दैनिक संक्षेपिका— . . . . . १७९६–९९


**अंक ३८—गुरुवार, ६ सितम्बर, १९५६**


प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १८१५ से १८२१, १८२५, १८२६, १८२९, १८३० और १८३२ से १८३६ . . . . १८०१–२०

अल्प सूचना प्रश्न संख्या २० . . . . १८२०–२१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १८२२ से १८२४, १८२७, १८२८, १८३१, १८३७ से १८६३ और १८६५ से १८६९ . . . १८२२–३३

अतारांकित प्रश्न संख्या १३६८ से १४१९ . . . १८३३–५२

दैनिक संक्षेपिका . . . . . १८५३–५६

पृष्ठ

**अंक ३९—शुक्रवार, ७ सितम्बर, १९५६**

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १८७०, १८७२ से १८७९, १८८२ से १८८६ और १८८८ से १८९३ . . . १८५७–७८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १८७१, १८८०, १८८७ और १८९४ से १९०३ . १८७९–८३

अतारांकित प्रश्न संख्या १४२० से १४४९ . . १८८३–९३

दैनिक संक्षेपिका — . . . १८९४–९६

**अंक ४०—शनिवार, ८ सितम्बर, १९५६**

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १९०४, १९०९ से १९१२, १९१४ १९१६, १९१८ १९१९ १९२१, १९२४ से १९२७ और १९३० से १९३४ . १८९७–१९१८

प्रश्नों के लिखित उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या १९०५ से १९०८, १९१३, १९१५, १९२०, १९२२ १९२३, १९२८, १९३५ से १९४१, १९४३ और १९४४ . १९१८–२४

अतारांकित प्रश्न संख्या १४५० से १४७९ और १४८१ से १४८८ . १९२४–३८

दैनिक संक्षेपिका . . . . . १९३९–४१

---

भा० स० मु० ना० —वि०३—२४२ लोक सभा ५६—२३-४-५८—१९०

## लोक-सभा

**सोमवार, १३ अगस्त, १९५६**

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुये]

## प्रश्नों के मौखिक उत्तर

### भारतीय नौ सेना

†*९९४. **श्री भागवत झा आज़ाद** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १९५६ में भारतीय बेड़े ने ग्रीष्म ऋतु कालीन अभ्यास किया था;

(ख) यदि हां, तो यह अभ्यास किस प्रकार का था; और

(ग) किन देशों को हमारा बेड़ा सद्भावना पर्यटन के लिये गया था;

†**प्रतिरक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी)** : (क) जी हां ।

(ख) सैन्य संचालन, अग्न्यास्त्र, पनडुब्बी विरोधी तथा अन्य प्रकार के व्यूह कौशल के अभ्यास ।

(ग) लंका, बर्मा तथा मलाया ।

†**श्री भागवत झा आज़ाद** : अभी बताये गये देशों के पर्यटन के समय क्या हमारे बेड़े ने उनको सद्भावना पर्यटन के लिये आमंत्रित किया है, तथा यदि हां, तो क्या उन्होंने यह आमंत्रण स्वीकार कर लिया है ?

†**श्री त्यागी** : इस प्रश्न के लिये मुझे पूर्व सूचना चाहिये ।

†**श्री भागवत झा आज़ाद** : ये अभ्यास प्रति वर्ष होने वाले सामान्य अभ्यास थे अथवा इनके लिये कोई विशेष प्रबंन्ध किये गये थे ?

†**श्री त्यागी** : ये प्रति वर्ष होने वाले सामान्य अभ्यास थे ।

†**श्री भागवत झा आज़ाद** : क्या इन अभ्यासों में इंगलैंड अथवा अन्य देशों के बेड़ों ने भी भाग लिया था ?

†**श्री त्यागी** : जी हां ।

†मूल अंग्रेज़ी में ।

†**श्री जोकीम आल्वा** : यह अभ्यास स्वतन्त्र रूप से किया जाता है अथवा पाकिस्तान के समुद्र में पाकिस्तान के साथ अमरीका और इंगलैण्ड की नौ सेना के अभ्यासों को देखते हुए किया जाता है ?

†**श्री त्यागी** : कभी कभी हम ये अभ्यास इंगलैण्ड तथा अन्य राष्ट्रमंडलीय देशों के साथ करते हैं और कभी अन्य देशों से पृथक् स्वतन्त्र रूप से करते हैं।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या १९५६ में हुये अभ्यास, रायल नेवी के अभ्यास के भाग थे और हमारे बेड़े ने उनके बेड़े के एक भाग के रूप में काम किया था ?

†**श्री त्यागी** : इस प्रश्न के लिये मुझे पूर्व सूचना चाहिये।

†**पंडित कृ० चं० शर्मा** : क्या यह हमारी सेनाओं द्वारा अपेक्षित मापदंड प्रदर्शित करता है ?

†**श्री त्यागी** : सामान्य अभ्यास के अतिरिक्त वह और कुछ नहीं प्रदर्शित करता है।

**श्री विभूति मिश्र** : इन नैवल एक्सरसाइजों (नौसैनिक अभ्यासों) में अपने देश के फ्लीट (बेड़े) के काम की देख-भाल करने और सर्टिफिकेट आदि देने के बारे में सरकार की तरफ से क्या इन्तजाम है ?

**श्री त्यागी** : इस बारे में हर एक शिप (पोत) की अलग अलग रिपोर्ट आती है और इन एक्सरसाइजिज के लिये अलग अलग नम्बर दिये जाते हैं।

†**श्री भागवत झा आज़ाद** : अभ्यास में किन देशों ने भाग लिया था ?

†**श्री त्यागी** : मैंने कहा कि मैं विस्तृत जानकारी देने वाले प्रश्नों का उत्तर देने के लिये पूर्व सूचना चाहूंगा।

## शैशव शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रीय समिति

***९९५. श्री श्रीनारायण दास** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शैशव शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रीय समिति ने अब तक कौन-कौन से महत्वपूर्ण कार्य अपने हाथ में लिये हैं और उनके सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है;

(ख) क्या समिति ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित करने के लिये कोई योजना बनाई है ;

(ग) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं; और

(घ) १९५६-५७ में इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक मद के लिये कितनी-कितनी धनराशि नियत की गई है ?

**शिक्षा उपमंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है। [**देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या २३**]

(ख) नहीं।

(ग) तथा (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

†**श्री श्रीनारायण दास**: इस विवरण से पता चलता है कि इस कमेटी ने सन् १९५३ में कुछ सिफारिशें की थीं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उन सिफारिशों के बारे में विभिन्न राज्य सरकारों ने कोई कदम उठाया और क्या उसके बाद इस कमेटी की बैठक नहीं हुई है और क्या उसने कोई काम नहीं किया है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

**डा० का० ला० श्रीमाली** : कमेटी ने जो सिफारिशें की थीं, उनको राज्य सरकारों के सामने पेश कर दिया गया था और राज्य सरकारों ने इस सम्बन्ध में कुछ कदम उठाये हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य भारत, मैसूर, पैप्सू, सौराष्ट्र, ट्रावनकोर-कोचीन, कुर्ग, पांडीचेरी और त्रिपुरा ने अगली पंचवर्षीय योजना में २७·८ लाख रूपया छोटे बच्चों की शिक्षा के लिये रखा है। इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार ने भी राज्य सरकारों को कुछ सहायता दी है।

**श्री श्रीनारायण दास** : क्या केन्द्रीय सरकार ने आदर्श के तौर पर इस तरह की किसी संस्था का निर्माण विशेष कर उन प्रदेशों में किया है, जहां उसका सीधा शासन है? अगर किया है, तो किस योजना के अधीन ?

**डा० का० ला० श्रीमाली** : जहां तक मुझको मालूम है, इस तरह की कोई आदर्श संस्था स्थापित नहीं की गई है, क्योंकि केवल एक आदर्श संस्था से ही काम नहीं चलता है। इस सम्बन्ध में भिन्न-भिन्न स्कीमों के अन्तर्गत राज्य सरकारों को सहायता दी गई है।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या शैशव शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रीय समिति, अन्य इस प्रकार की समितियों, जैसे बेसिक शिक्षा समिति, स्कूल-पूर्व शिक्षा समिति, तथा सेकेन्डरी शिक्षा समिति के सहयोग से बच्चों की समस्त स्कूल अवधि के लिये शिक्षा की एकीकृत पद्धति बनायेगी ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : जी नहीं। यह शिक्षा के केन्द्रीय परामर्शदाता बोर्ड की स्थाई समितियों में से एक है जो मंत्रणा तथा परामर्श के लिये समय समय पर शिक्षा मंत्रालय द्वारा बुलाई जाती है। अप्रैल, १९५३ में इसकी पहली बैठक हुई थी तथा इस समिति ने कुछ सिफारिशें की थीं। सिफारिशें राज्य सरकारों को भेजी गई हैं तथा आवश्यक कार्य किया जा रहा है।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : इस विश्व में शैशव शिक्षा सम्बन्धी कितनी ही योजनायें हैं। क्या भारत सरकार ने शैशव शिक्षा सम्बन्धी योजना पर निर्णय कर लिया है क्योंकि देश की दशा के लिये यह पूर्णतः उपयुक्त है तथा यदि हां, तो इस योजना का क्या नाम है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : यह एक विशद योजना है। समस्त विश्व में स्कूल-पूर्व शिक्षा की कई सौ योजनायें हो सकती हैं। इसलिये यह राष्ट्रीय समिति ऐसी योजना बनायेगी जो राष्ट्रीय आवश्यकताओं को पूरा करेगी।

## पाकिस्तान में सेवा कर्मचारियों के प्रतिभूति निक्षेप

†*९९६. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कितने ही सेना कर्मचारियों के प्रतिभूति निक्षेप जो विभाजन से पूर्व, वर्तमान पाकिस्तानी क्षेत्रों में काम कर रहे थे, उनको दिये जाने बकाया हैं ?

(ख) यदि हां, तो यह धनराशि कितनी है;

(ग) सरकार सम्बन्धित व्यक्तियों को इन निक्षेपों का भुगतान करने के लिये क्या कार्य करने का विचार कर रही है; और

(घ) विलम्ब के क्या कारण हैं ?

†**प्रतिरक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी)** : (क) सेना कर्मचारियों को चाहे वह पदाधिकारी हों अथवा पदाधिकारी पद से नीचे हों, ऐसे पद पर कार्य करने में कोई धनराशि प्रतिभूति के रूप में जमा करने की आवश्यकता नहीं होती जिनमें वित्तीय लेन-देन करना पड़ता है। इसलिये इस प्रकार के बकाया निक्षेपों को भुगतान करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

(ख) से (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : मैं यह बताना चाहती हूं कि भारतीय वायु सेना के असैनिक भांडारियों को जिनको १९४२ से १९४९ तक रखा गया था, प्रायः प्रतिभूति निक्षेप देना पड़ता था, तथा इस प्रकार के कितने मामले हैं और मंत्रालय को, क्या इन कर्मचारियों के प्रतिभूति निक्षेपों की वापसी के लिए प्रतिनिधान भी भेजे गये हैं ? ऐसे मामलों में क्या भारत सरकार, प्रतिभूति निक्षेप वापस करने की जिम्मेदारी लेगी ?

†**श्री त्यागी** : संभवतया माननीय सदस्या को मालूम नहीं है कि प्रतिरक्षा मंत्रालय में 'सेवा कर्मचारी' शब्द सशस्त्र सेना कर्मचारियों के लिये ही प्रयुक्त होता है तथा इसमें असैनिक कर्मचारी नहीं आते । इसलिये मैंने सेना कर्मचारियों के सम्बन्ध में सूचना एकत्रित की थी । यदि माननीय सदस्या प्रतिरक्षा मंत्रालय में नियुक्त असनिक कर्मचारियों के सम्बन्ध में जानना चाहती हैं तो उसके लिये मुझे पूर्व सूचना चाहिये ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती**: सामान्यतः सेवा में आने से पूर्व सरकार को दिये गये प्रतिभूति निक्षेपों के मामलों में क्या सरकार का उत्तरदायित्व नहीं होता था कि उसको वापस करे ?

†**श्री त्यागी** : मैं मानता हूं कि यदि वापस न हो तो यह भारस्वरूप होता है ।जब तक सरकार के पास उसको रखने के कुछ कारण होते हैं हम तब तक उसे अपने पास रखते हैं ।

## न्युजीलण्ड से सहायता

†९९७. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५६-५७ में न्यूजीलैण्ड द्वारा भारत को दी जाने वाली सहायता के सम्बन्ध में कोई सूचना प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो कितनी; और

(ग) विभिन्न परियोजनाओं में यह किस प्रकार वितरित होगी ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : १९५५–५६में न्यूजीलैण्ड सरकार से भारत सरकार को किस प्रकार की सहायता मिली थी ?

†**श्री ब० रा० भगत**: १९५५-५६ में न्यूजीलैण्ड ने दिल्ली दुग्ध योजना में सहायता के लिये राशि निर्धारित की थी । यह योजना परीक्षात्मक अथवा अस्थाई योजना है । उसने इसके लिये लगभग ५३ लाख रुपया स्वीकृत किया था ।

†**श्री० दी० चं० शर्मा** : कोलंम्बो योजना के अन्तर्गत दी जाने वाली सहायता के सम्बन्ध में क्या न्यूजीलैण्ड से कोई सूचना भारत सरकार को प्राप्त हुई है ?

†**श्री ब० रा० भगत** : इस वर्ष के लिये ?

†**श्री दी० चं० शर्मा** : जी हां ।

†**श्री ब० रा० भगत** : इसमें लगभग एक मास अथवा दो मास लगेंगे क्योकि उन्हें, संसद् में प्रस्तुत करना होगा तथा अन्य संविधानिक तथा विधि प्रक्रिया आदि पूर्ण करनी होगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

## बुद्ध परिनिर्वाण जयन्ती

*९९८. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **शिक्षा** मंत्री १६ मई, १९५६ के तारांकित प्रश्न संख्या २२७२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महात्मा बुद्ध के २,५००वें परिनिर्वाण जयन्ती समारोह के लिये प्रतिष्ठित विदेशियों को आमंत्रित करने का जो प्रश्न विचाराधीन था, क्या उस सम्बन्ध में तब से कोई अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या आमंत्रित अथवा आमंत्रित किये जाने वाले व्यक्तियों के नामों व पदों का एक विवरण सभा-पटल पर रखा जायेगा;

(ग) यदि नहीं, तो अन्तिम निर्णय कब तक हो जायेगा; और

(घ) अभी तक निर्णय न किये जाने के कारण क्या है ?

**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास)**: (क) यह विषय अभी विचाराधीन है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) अक्टूबर, १९५६ तक निर्णीत किये जाने की संभावना है ।

(घ) क्योंकि बौद्धिक धर्म सम्बन्धी गोष्ठी तथा समारोह नवम्बर में होगा, इसी कारण इस विषय में कोई जल्दी नहीं है ।

**श्री भक्त दर्शन** : क्या यह सत्य है कि इन निमंत्रणों को देने में देरी इस कारण हो रही है कि बहुत से विदेशी विद्वानों ने, जिनको कि अनौपचारिक ढंग से यानी इनफार्मली पूछा गया था, इन्कार कर दिया था ? क्या इस तरह की अड़चनें पड़ीं हैं ?

†**डा० म० मो० दास** : जी नहीं ।

**श्री भक्त दर्शन** : क्या मैं जान सकता हूं कि इस समारोह पर, जो कि आगामी अक्टूबर-नवम्बर में होने वाला है, कुल कितने खर्चे का अनुमान किया गया है, और उसकी मोटी रूपरेखा क्या है ?

†**डा० म० मो० दास** : गोष्ठी 'बुद्ध की हमको देन––साहित्य तथा दर्शन' के सम्बन्ध में होगी । इस गोष्ठी की समाप्ति के पश्चात् इन प्रतिनिधियों को भारत सरकार विशेष गाड़ी द्वारा प्रसिद्ध बौद्धिक स्थानों को दिखाने के लिये ले जायेगी ।

**श्री ब० द० पांडे** : मैं सरकार से अदब के साथ यह पूछना चाहता हूं कि बुद्ध जयन्ती पर यह इतनी दौड़ धूप क्यों हो रही है ? जीसस क्राइस्ट जयन्ती, मुहम्मद जयन्ती, कृष्ण जयन्ती, राम जयन्ती, शंकराचार्य जयन्ती, अरविंद जयन्ती क्यों नहीं मनायी जातीं ? मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि सिर्फ इसी के लिये इतनी दौड़ धूप क्यों की जा रही है ।

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी** : यह बड़ा संगत प्रश्न है ।

†**डा० म० मो० दास:** बुद्ध एशिया के महानतम पुरुष माने जाते हैं । समस्त भारत को गर्व है कि उनकी जैसी महत्ता के मानव का इस देश में जन्म हुआ । इसलिये उनके परिनिर्वाण के २५००वें समारोह पर यह वास्तविक तथा उचित है कि भारत सरकार इस महान अवसर को स्मरण करने के लिये कुछ करे ।

**सेठ गोविन्द दास** : माननीय मंत्री जी ने यह तो बिल्कुल ठीक कहा कि बुद्ध भगवान का एशिया में इतना बड़ा स्थान है । पर उसी के साथ भगवान राम का और कृष्ण का भी हमारे देश में बहुत ऊंचा स्थान है । क्या इस बात पर भी विचार किया जा रहा है कि इसी प्रकार के समारोह राम और कृष्ण के सम्बन्ध में भी मनाये जायें ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**डा० म० मो० दास**: यदि माननीय सदस्य श्री रामचन्द्र के जन्म की अथवा जिस दिन वह सरयू में घुसे थे उस दिन की निश्चित तिथि बता सकें तब हम कुछ कर सकते हैं तथा मामले पर विचार कर सकते हैं।

†**श्री ब० स० मूर्त्ति** : यदि मुझे ठीक याद है तो कुछ समय पूर्व प्रधान मंत्री ने कहा था कि परिनिर्वाण के शताब्दी समारोहों में भाग लेने के लिये निमंत्रण, भारत सरकार ने न भेज कर, महाबोधि समाज ने भेजे थे। क्या यही स्थिति अब भी है अथवा सरकार भी किसी विदेशी प्रख्यात पुरुष को आमंत्रित कर रही है ?

†**डा० म० मो० दास**: जहां तक हम जानते हैं यह आमंत्रित जन भारत सरकार के अतिथि होंगे।

## हैडमास्टरों तथा निरीक्षक पदाधिकारियों की गोष्ठीयां

†***९९९. **पंडित द्वा० ना० तिवारी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हैडमास्टरों, निरीक्षक पदाधिकारियों आदि की आठ प्रादेशिक गोष्ठियों के अतिरिक्त दो विशेष गोष्ठी करने के क्या कारण है,

(ख) इन गोष्ठियों में किस प्रकार के सरकारी तथा गैर-सरकारी व्यक्तियों ने भाग लिया है; और

(ग) आठ हैडमास्टरों की गोष्टियों तथा दो विशेष गोष्ठियों की मुख्य सिफारिशें क्या थीं ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: (क) स्कूलों में सामान्य विज्ञान पढ़ाने तथा शिक्षा प्रशासन की समस्या की जांच।

(ख) पहले में प्रशिक्षण कालिजों के चुने हुये विज्ञान प्राध्यापकों तथा दूसरे में राज्य शिक्षा सचिव, डी० पी० आई०/डी० ई० ने भाग लिया था।

(ग) प्रतिवेदन अभी प्राप्त नहीं हुये हैं।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी** : क्या गोष्ठियों में शिक्षा के स्तर के नीचे गिरने के प्रश्न पर भी विचार किया गया था ?

†**डा० का०ला० श्रीमाली** : इन गोष्ठियों में विभिन्न समस्याओं पर चर्चा हुई थी; वे लगभग २६ थीं। हैडमास्टरों, निरीक्षकों तथा शिक्षा प्रशासन की गोष्ठियों में की गयी चर्चा से शिक्षा का स्तर बढ़ने में अवश्य सहायता मिलेगी। अन्त में यही परिणाम होगा।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी** : क्या विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता रोकने तथा शिक्षा के स्तर को न गिरने देने आदि बातों पर कोई निर्णय लिये गये थे ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाने के विभिन्न तरीके हैं और मेरा निवेदन है कि हैडमास्टरों, निरीक्षकों तथा शिक्षा प्रशासकों की गोष्ठियां, शिक्षा का स्तर उठाने का एक तरीका है।

†**श्री ब० स० मूर्त्ति** : क्या महत्त्वपूर्ण प्रश्न जैसे स्तर का गिरना तथा अनुशासनहीनता आदि के सम्बन्ध में निर्णय किये गये हैं तथा यदि हां, तो वे क्या हैं ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली**: यह प्रश्न अलग है। मुख्य प्रश्न गोष्ठियों के सम्बन्ध में है। मैं माननीय सदस्य के प्रश्न का उत्तर दे सकता हूं परन्तु यह इस प्रश्न से अलग है।

---

† मूल अंग्रेजी में।

**श्री भागवत झा आजाद** : क्या इस सेमीनार गोष्ठी में शिक्षा के स्तर एवं तत्सम्बन्धी विषयों पर सरकार के सामने सम्मतियां पेश की गयी हैं और यदि हां, तो क्या सरकार ने उन पर विचार किया है ?

**डा० का० ला० श्रीमाली**: मैं निवेदन कर चुका हूं कि यह जो सेमीनार बने हैं, वे कई विषयों पर हुये हैं, मसलन एग्जामिनेशन्स (परीक्षाओं) के बारे में, एजूकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन (शिक्षा प्रशासन) के बारे में और अन्य विभिन्न विषयों के बारे में ये सेमीनार हुये हैं। इनका विशेष कर सम्बन्ध सैकिंडरी एजूकेशन (माध्यमिक शिक्षा) से है।

†**श्री ब० स० मूर्त्ति** : एक औचित्य प्रश्न है, प्रश्न इन गोष्ठीयों को करने तथा इनकी मुख्य सिफारिशों के सम्बन्ध में है। मैं जानना चाहता हूं कि सिफारिशें क्या हैं। इसलिये मेरा प्रश्न मुख्य प्रश्न से असंबद्ध नहीं है।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या सिफारिशों की सूची मंत्री जी के पास है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : इन गोष्ठियों का प्रतिवेदन अभी नहीं मिला है। परन्तु मुख्य उद्देश्य विभिन्न समस्याओं, तथा सैकन्डरी शिक्षा के ढांचे के सम्बन्ध में अनुभवों, विचारों तथा सुझावों, का है।

†**अध्यक्ष महोदय** : जहां तक संकल्प अथवा प्रतिवेदन का सम्बन्ध है, प्राप्य होने पर इसकी प्रतिलिपि पुस्तकालय में रख दी जायेगी।

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : जी हां।

## मंत्रीयों को भत्ते

†***१०००. श्री राम कृष्ण**: क्या **गृह-कार्य** मंत्री ३ मई, १९५६ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या १७१५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रियों के भत्तों के नियमों को अन्तिम रूप दिया जा चुका है; और

(ख) यदि हां, तो उसका विवरण ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) और (ख). नियम बनाये जा चुके हैं तथा उनकी अन्तिम जांच की जा रही है। यह आशा है कि सरकारी गजट में वह शीघ्र प्रकाशित होंगे तथा तब उनकी प्रतियां संसद् के समक्ष रख दी जायेंगी।

## भारत का राज्य बैंक

†***१००१. श्री झूलन सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत के राज्य बैंक ने ग्रामीण ऋण प्रदान किये जाने की सुविधा के लिये अब तक क्या क्या कदम उठाये हैं ?

†**राजस्व और प्रतिरक्षा व्यय मंत्री (श्री अ० चं० गुह)** : भारत के राज्य बैंक अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार ग्रामीण ऋण की सुविधाओं के सम्बन्ध में राज्य बैंक का कार्य तभी प्रारम्भ हो सकेगा जब कि सहकारी भण्डारों के कार्य में संसद् द्वारा अभी हाल ही में पारित कृषि उत्पाद विकास और भण्डार निगम अधिनियम के अनुसार कुछ प्रगति हो जायेगी। राज्य बैंक को इन भंडारों को ग्रामीण ऋण के लिये प्राधिकृत प्रतिभूतियों पर उधार रुपाया देना है अतः जब तक ये भंडार सुचारू रूप से व्यवस्थित होकर कार्य करना नहीं शुरू कर देते हैं तब तक राज्य बैंक अपना कर्तव्य ठीक प्रकार से नहीं निभा सकता है। इसके अतिरिक्त, राज्य बैंक ने जो अपनी शाखाओं का विस्तार करने का प्रोगाम शुरू किया है उससे भी ग्रामीण ऋण को सहायता मिलेगी क्योंकि इस

---

† मूल अंग्रेजी में।

प्रकार बैंकिग सुविधायें ग्रामीण क्षेत्रों के अधिक समीप पहुंच जायेंगी और वे शाखाएं उनको रुपये आदि भेजने की सुविधाएं भी अधिक दे सकेंगी तथा वे कृषि ऋण से सम्बन्धित सहकारी संस्थाओं को भी अधिक सहायता प्रदान कर सकेंगी। राज्य बैंक ने परीक्षात्मक दृष्टि से कुछ चुने हुए केन्द्रों में छोटे पैमाने के उद्योगों को भी ऋण देने की एक अग्रिम योजना प्रारम्भ की है। इससे भी ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण की उपलब्धि में अधिक सुविधाएं मिल सकेंगी।

†**श्री झूलन सिंह** : क्या सरकार को ग्रामीण जनता के कंधों पर पड़े हुए ऋणों के भारी बोझ का ज्ञान है और क्या वह इसे जल्दी ही कम करने के लिये ग्रामों में ऋण प्रदायता को बढ़ाने के लिये कुछ कदम उठा रही है ?

†**श्री अ० चं० गुह**: सरकार को उनकी स्थिति का भली भांति ज्ञान है। इसी कारण ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण समिति की स्थापना की गई थी। किन्तु सब से बड़ी कठिनाई यह है कि जब तक इन सहकारी संस्थाओं का विकास नहीं हो जाता है तब तक सरकार अथवा स्टेट बैंक के लिये उधार बांटना बड़ा कठिन है। दूसरे, केवल स्टेट बैंक ही रुपया उधार नहीं बांटता है, रिजर्व बैंक तथा अन्य संस्थायें भी ग्रामों में उधार रुपया बांटती हैं।

†**श्री मात्तन** : शायद माननीय मंत्री महोदय को ज्ञात होगा कि इम्पीरियल बैंक का केवल इसीलिये राष्ट्रीयकरण किया गया था कि ग्रामीण ऋण दिया जा सके और उसका विस्तार किया जा सके। क्या सरकार ने इस कार्य के लिये कोई योजना बनाई है ? मंत्री महोदय ने यह बात कही है कि रिजर्व बैंक कुछ शाखायें खोल रहा है। किन्तु मेरे विचार में वे ग्रामीण बैंक नहीं हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य कोई प्रश्न पूछें, उत्तर नहीं दें।

†**श्री मात्तन** : क्या बैंक के पास इस कार्य के लिये कोई योजना है ?

†**श्री अ० चं० गुह** : मैं पहले ही कह चुका हूं कि इस दिशा में स्टेट बैंक का कार्य भंडार निगम के कार्य से सम्बद्ध है। जब तक ये निगम कार्य करना शुरू नहीं कर देते हैं तब तक राज्य बैंक के लिये भी कार्य करना कठिन है। सभा ने अभी हाल ही में भंडार निगम अधिनियम पारित किया है। और मेरे विचार में अभी भंडार बनने में कुछ और समय लगेगा। इससे खाद्य और कृषि मंत्रालय का सम्बन्ध है। मुझे विश्वास है कि वह इस सम्बन्ध में अवश्य कुछ न कुछ कर रहे हैं। इस सम्बन्ध में राज्य बैंक की योजना और भंडार निगम की योजना एक साथ मिलकर ही चल सकती हैं।

†**श्री मात्तन**: क्या जनता का यह ख्याल ठीक है कि राज्य बैंक वास्तव में ग्रामीण बैंकिंग में कोई रुचि नहीं रखता है ?

†**श्री अ० चं० गुह** : मेरे विचार में ऐसा ख्याल बनाना गलत है।

†**अध्यक्ष महोदय** : इसका उत्तर देने की कोई आवश्यकता नहीं है।

†**श्री बंसल** : जब इम्पीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था तो यह वचन दिया गया था कि यह दो वर्ष के भीतर ८०० शाखाएं खोलेगा। अब तक राज्य बैंक ने ग्रामीण क्षेत्र में कितनी शाखाएं खोली हैं ?

†**श्री अ० चं० गुह** : मेरे विचार में आपने इस संख्या को दुगना कर दिया है और समय को आधा। उस समय यह निश्चय किया गया था कि ४०० शाखाएं खोली जायेंगी और यह ५ वर्ष के लगभग समय के भीतर जिसका कि बैंक निश्चय करेगा खोली जायेंगी। इस सम्बन्ध में स्टेट बैंक का कार्य कुछ संतोषजनक नहीं रहा है। अभी तक केवल ३५ शाखायें खोली गई हैं। किन्तु सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि हमें इसके लिये उपयुक्त स्थान तथा पक्के कमरे नहीं मिल रहे हैं। मुझे आशा है कि अब राज्य बैंक अवश्यमेव इस ओर अपनी गति बढ़ाने की कोशिश करेगा।

---

† मूल अंग्रेजी में।

†**श्री ल० ना० मिश्र** : राज्य बैंक द्वारा ऋण की सुविधायें दी जाने के अतिरिक्त क्या सरकार ने कभी इस बात का भी अनुमान लगाया है कि रिजर्व बैंक अधिनियम के संशोधित होने के पश्चात् जिन राज्यों के सहकारी बैंकों को रुपया दिया गया था उन्होंने कौन सी ऋण की सुविधाएं दी हैं ?

†**श्री अ० चं० गुह**: रिजर्व बैंक ने राज्यों के सहकारी बैंकों को रुपया दे दिया है। मेरा ख्याल है पिछले वर्ष २९·६४ लाख रुपया स्वीकार किया गया था, उससे पहले वर्ष २१·२१ करोड़ रुपये। प्रति वर्ष यह राशि पर्याप्त मात्रा में बढ़ाई जा रही है।

†**सरदार इकबाल सिंह** : मंत्री महोदय ने कहा है कि बैंक निश्चित कार्यक्रम के अनुसार शाखाएं नहीं खोल रहा है। एतदर्थ क्या सरकार ने ग्रामीण लोगों को ऋण देने के लिये कोई अन्य योजना बनाई है ?

†**श्री अ० चं० गुह** : यह समझना सर्वथा गलत है कि सरकार अथवा रिजर्व बैंक ने इस योजना को बिल्कुल त्याग दिया है। यह योजना अभी कार्यान्वित की जा रही है। अभी इस प्रकार का निष्कर्ष निकालना शीघ्रता होगी। मुझे विश्वास है कि राज्य बैंक तथा रिजर्व बैंक इस विषय में शीघ्रता करने के लिये शीघ्र ही आवश्यक कदम उठायेंगे।

## बाल-कल्याण निधि

†*१००२. **डा० सत्यवादी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५५–५६ के दौरान में बाल-कल्याण निधि में से प्रत्येक राज्य को कितनी सहायता दी गई है ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : भारत सरकार के पास ऐसी कोई निधि नहीं है।

## विदेशी पत्रिकायें

*१००३. **श्री रघुनाथ सिंह** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस समय पाकिस्तान तथा अन्य देशों की कितनी पत्र-पत्रिकाओं का भारत में आना वाजत है ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)**: दो।

**श्री रघुनाथ सिंह** : मैं पूछना चाहता हूं कि जो पेपर्स बैन्ड (पत्रिकायें वाजत) हैं वे अमरीका के हैं या पाकिस्तान के हैं ?

**श्री दातार** : एक पेपर 'पाकिस्तान आकुपाइड कश्मीर' का था और दूसरा लंदन का था।

†**श्री जोकीम आल्वा** : क्या विदेशी पत्रिकाओं पर प्रतिबन्ध लगाने की दृष्टि से गृह-मंत्रालय ने भारत की भिन्न बुक स्टालों पर पड़े यौन सम्बन्धी तथा अन्य प्रकार की विदेशी पत्रिकाओं का कोई सर्वेक्षण किया है ?

†**श्री दातार** : हमारे लिये सर्वेक्षण करना जरूरी नहीं है। हमारे कई मित्र हैं जो ऐसी वस्तुएं हमारे पास लाते रहते हैं।

## समुद्रपार यात्रा

†*१००४. **श्री जयपाल सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने ऐसे आई० सी० एस० तथा अन्य अधिकारी हैं जिन्हें समुद्रपार यात्रा भाड़ा दिया जाता है;

---

† मूल अंग्रेजी में।

(ख) इस सम्बन्ध में कुल कितनी राशि व्यय होती है; और

(ग) यदि इस संम्बन्ध में नियमों में कोई परिवर्तन किये गये हों तो वे परिवर्तन क्या हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)**: (क) से (ग). भारतीय अधिकारियों को अब समुद्रपार यात्रा की यह रियायत नहीं दी जाती है। यह रियायत अब केवल योरुप के रहने वाले ८ अधिकारियों को ही मिलती है इनपर व्यय होने वालीं राशि ७९४६ पौं० ६ शि० ७ पैं० है।

†**श्री जयपाल सिंह** : संविधान के समय यह पवित्र प्रतिज्ञा की गई थी कि भारत में किसी से भेदभाव का बर्ताव नहीं किया जायेगा, तब भला भारतीय और योरूपीयन अधिकारियों में ऐसा भेदभाव क्यों किया गया है ?

†**श्री दातार** : यह सोचा गया कि वर्तमान स्थिति में इस प्रकार के कंसेशन की कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार की रियायत की सिफारिश 'ली आयोग' ने की थी। यह रियायत प्राय: उन्हीं लोगों को दी जाती थी जो विदेशों के रहने वाले होते थे। जहां तक भारतीय अधिकारियों का तालुक है यह रियायत केवल उन्हीं आई० सी० एस० अधिकारियों अथवा सेक्रेटरी आफ स्टेट कार्यालय के अधिकारियों को मिलती थी जो १९२४ से पहले सेवा में आये थे। स्वतन्त्रता के पश्चात् इस प्रकार का समुद्र पार का भत्ता देना राष्ट्रीय प्रतिष्ठा के सर्वथा प्रतिकूल था, अत: इसे समाप्त कर दिया गया है।

†**श्री जयपाल सिंह** : क्या इंडियन सिविल सर्विस एसोसीयेशन ने इसका कोई विरोध किया है ?

†**श्री दातार** : मुझे कोई ऐसी खबर नहीं है। मेरे विचार में यह फैसला उनको बता दिया गया है और शायद इस विषय पर अनौपचारिक रूप से उनसे पहले परामर्श भी कर लिया गया था।

†**श्री क० कु० बसु** : क्या इन विदेशी अधिकारियों का कार्यकाल समाप्त होने वाला है अथवा वे दीर्घ समय तक इस रियायत का लाभ उठाते रहेंगे ?

†**श्री दातार** : जब तक वे सेवा में हैं वे इसका लाभ उठाते रहेंगे।

†**श्री क० कु० बसु** : क्या उनका कार्यकाल समाप्त होने वाला है अथवा वे अभी दीर्घ काल तक बने रहेंगे ?

†**श्री दातार** : उनकी संख्या बड़ी कम है। हमें इसकी अधिक चिंता नहीं करनी चाहिये।

†**श्री क० कु० बसु** : आप विदेशियों के लिये बहुत उदार हैं, यही तो मुख्य कठिनाई है।

†**श्री जयपाल सिंह** : क्या वे भारतीय नागरिक जो अब भी भारतीय सेवा में हैं और जो इसके अधिकारी थे, और जो मेरे विचार में अब भी इसके अधिकारी हैं, उनको इसके स्थान पर कोई अन्य रियायत दी जा रही है ?

†**श्री दातार** : नहीं। इसकी पूर्ति का प्रश्न ही नहीं उठता है। हम उनको एक रियायत दे रहे थे अब उसको हमने वापिस ले लिया है, क्योंकि वर्तमान स्थितियों में उसका कोई औचित्य नहीं दीखता था।

---

† मूल अंग्रेजी में।

## नये विश्वविद्यालय

†*१००६. **श्री मादिया गौडा** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कोई नये विश्वविद्यालय खोले जायंगे;

(ख) इनमें से प्रत्येक में केन्द्रीय सरकार का कितना भाग रहेगा और राज्य सरकार का कितना; और

(ग) क्या प्रस्तावित विश्वविद्यालयों की कुछ विशेष विशेषताएं होंगी ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी हां ।

(ख) नये विश्वविद्यालयों द्वारा विकास के लिये मांगे गये अनुदानों पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विचार करेगा जैसा कि वह अन्य विश्वविद्यालयों की दशा में करता है । वह यह देख कर विचार करता है कि उसके पास कितनी निधि उपलब्ध है ।

(ग) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या २४**]

†**श्री मादिया गौडा** : मैं कुरुक्षेत्र तथा बनारस संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की बात तो समझ सकता हूं मगर अन्य सामान्य विश्वविद्यालय बनाने की क्या आवश्यकता है जब कि अभी प्रारम्भिक और माध्यमिक शिक्षा की कमी ही पूरी नहीं हो पा रही है और अभी रुपये की कमी के कारण इसका ही विस्तार नहीं हो पा रहा है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : इन विश्वविद्यालयों के सम्बन्ध में वर्किंग ग्रुपों ने योजना आयोग से कुछ सिफारिशें की थीं । अतः इनकी योजनाएं द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित कर ली गई हैं । अभी तक इनके सम्बन्ध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से कोई परामर्श नहीं किया गया है––हां एक दो विश्वविद्यालयों के सम्बन्ध में जरूर उससे परामर्श लिया गया है ।

†**श्री मादिया गौडा** : क्या सरकार को यह परामर्श नहीं दिया गया है कि जब प्रारम्भिक शिक्षा ही.....

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं वह तो परामर्श देने लगे हैं ।

†**श्री बंसल** : क्या मैं इन विश्वविद्यालयों के नाम जान सकता हूं ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : विवरण में इनके नाम दे दिये गये हैं । वे ये हैं : कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, गोरखपुर विश्वविद्यालय, वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय, बनारस, जबलपुर विश्वविद्यालय, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन और रांची विश्वविद्यालय ।

†**सरदार इकबाल सिंह** : क्या यह सत्य है कि पेप्सू सरकार ने पटियाला में एक विश्वविद्यालय बनाने के लिये कहा है और क्या सरकार ने उस प्रस्ताव पर विचार किया है, यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : इसके लिये मुझे पूर्व सूचना चाहिये ।

†**श्री ति० सु० अ० चेट्टियार** : उपमंत्री महोदय ने उन विश्वविद्यालयों के नाम बताये हैं जिनके बारे में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को निर्देश किया जा चुका है, किन्तु क्या इनमें से किसी विश्वविद्यालय के बारे में आयोग से भी कोई उत्तर प्राप्त हुआ है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के बारे में आयोग की यह निश्चित राय थी कि पंजाब में कोई नया विश्वविद्यालय नहीं बनाया जाना चाहिये । किन्तु वह विश्वविद्यालय पहले ही शुरू किया जा चुका था । जहां तक अन्य विश्वविद्यालयों का सम्बन्ध है, उनके बारे में

---

† मूल अंग्रेजी में ।

अभी तक आयोग को कोई निर्देश नहीं किया गया है। आयोग उन पर तभी विचार करेगा जब उनके बारे में उसके पास कोई प्रस्ताव जायेंगे।

## सामान्य निर्वाचन

†*१००७. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अगले सामान्य निर्वाचनों के प्रश्न पर विचार कर लिया गया है और उसके लिये कोई कार्यक्रम तैयार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो वह कार्यक्रम क्या है ;

(ग) क्या अगले सामान्य निर्वाचनों के पूर्व लोक-सभा विघटित कर दी जायेगी;

(घ) यदि हां, तो कब; और

(ङ) क्या ऐसा करने में कोई वैधानिक या रूढ़िगत कठिनाई होगी ?

†**विधि-कार्य मंत्री (श्री पाटस्कर)** : (क) जी नहीं।

(ख) से (ङ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

†**सरदार इकबाल सिंह**: क्या अगले सामान्य निर्वाचन के लिये सरकार ने कोई योजना तैयार नहीं की जिसके आधार पर सरकार के महत्वपूर्ण सदस्य और निर्वाचन आयुक्त वक्तव्य दे रहे हैं ?

†**श्री पाटस्कर** : जैसा कि प्रधान मंत्री ने ११ मई को बताया था, जब कि वही प्रश्न पूछा गया था, हम आशा करते हैं कि अगले वर्ष के प्रारम्भ में सामान्य निर्वाचन होंगे और उस आधार पर निर्वाचन आयोग सभी संभव तैयारियां कर रहा है।

†**श्री क० कु० बसु** : क्या यह सच नहीं है कि निर्वाचन आयुक्त ने एक निश्चित वक्तव्य दिया है कि निर्वाचन १ से १५ फरवरी, १९५७ के बीच होने जा रहा है ?

†**श्री पाटस्कर** : मैंने आज ही सुबह पूछताछ की थी और आयोग यह कहता है कि उसने ऐसा कोई वक्तव्य नहीं दिया है।

†**श्री भागवत झा आजाद** : मूल कार्यक्रम के अनुसार नये प्रदेश २ अक्टूबर को बनने वाले थे। चूंकि उनके अब १ नवम्बर को बनाये जाने की संभावना है, क्या सरकार या निर्वाचन आयोग का यह विचार है कि कार्यक्रम में कुछ विलम्ब हो जायेगा ?

†**श्री पाटस्कर**: फिलहाल स्थिति यह है कि राज्य पुनर्गठन विधेयक पारित हो जाने के बाद निर्वाचन आयोग निर्वाचन क्षेत्रों में किये जाने वाले परिवर्तनों पर विचार करेगा। इसमें कुछ समय लगना स्वाभाविक है। उसके बाद ही सरकार के लिये इस विषय में कोई निर्णय करना उचित होगा।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या सरकार ने निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन और मतदाताओं की सूचियां प्रकाशित करने के लिये कोई अस्थायी कार्यक्रम बना लिया है ?

†**श्री पाटस्कर** : अभी जब कि विधेयक पूर्ण रूप से पारित नहीं हुआ है, सरकार निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के लिये कैसे योजना बना सकती है ? हम नहीं कह सकते कि दूसरे सदन में इस विधेयक में कोई परिवर्तन होगा या नहीं। मैंने कहा था कि विधेयक के अन्तिम रूप में पारित किये जाने के बाद कार्यवाही की जायेगी।

†**श्री रामचन्द्र रेड्डी** : अगले सामान्य निर्वाचनों के प्रारंभिक कार्य के रूप में, एक परिसीमन आयोग हाल में नियुक्त किया गया है। इस आयोग का क्या कार्य क्षेत्र है और वह कब तक काम करेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

**श्री पाटस्कर** : जब तक काम समाप्त न हो जाये तब तक आयोग काम करेगा।

†**श्री राघवाचारी** : क्या हम यह समझें कि सरकार ने फरवरी या मार्च में चुनाव कराने का कोई फसला नहीं किया है ?

†**श्री पाटस्कर** : माननीय सदस्य को मालूम है और जैसा कि मैंने कई बार बताया है, संविधान के अनुसार सामान्य चुनाव अगले वर्ष के प्रारंभ में होने चाहिये। इस बीच. अनेक महत्वपूर्ण घटनाएं हो रही हैं या होंगी। हम उन पर दृष्टि रखेंगे और जहां तक संभव होगा सरकार कार्यक्रम पर कायम रहेगी।

**श्री बंसल** : क्या निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन, जहां कहीं वह आवश्यक हो, राज्य पुनर्गठन विधेयक पारित हो जाने के बाद या नये राज्यों के गठन के बाद प्रारंभ किया जायगा, क्योंकि माननीय मंत्री ने बताया है कि परिसीमन कार्य विधेयक के पारित हो जाने के बाद प्रारंभ होगा ?

†**श्री पाटस्कर** : विधेयक पारित हो जाने के बाद काम उचित रूप से प्रारंभ हो सकता है। नये राज्यों के गठन तक रुकने की कोई आवश्यकता नहीं है।

†**श्री गाडगील** : क्या यह कहना ठीक है कि सरकार की अब भी यही नीति है कि चुनाव यथा संभव शीघ्र से शीघ्र किये जायें ?

**श्री पाटस्कर** : सरकार की यही इच्छा है।

**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या सरकार ने निर्वाचन आयोग से यह पूछ लिया है कि फरवरी के प्रथम सप्ताह में सामान्य चुनाव कराने के लिये किस तारीख तक राज्य पुनर्गठन विधेयक पारित हो जाना चाहिये ?

†**श्री पाटस्कर** : इसका उत्तर कैसे दिया जा सकता है ? मैं माननीय सदस्या का अभिप्राय नहीं समझ पाया।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : मैंने यह पूछा था कि.....

†**अध्यक्ष महोदय** : ये सब कल्पनात्मक प्रश्न हैं।

## मिस्त्र को सैनिक मिशन

†*१००८. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मिस्र ने भारत से एक सद्भावना सैनिक मिशन आमंत्रित किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या आयोग ने मिस्र का दौरा किया है; और

(ग) क्या उसने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ?

†**प्रतिरक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी)**: जी हां।

†**श्री कृष्णाचार्य जोशी**: सैनिक शिष्टमंडल भेजने का क्या उद्देश्य है ?

†**श्री त्यागी** : शिष्टमंडल दोनों देशों के बीच टेकनिकल ज्ञान के बारे में विचार विनिमय करने के लिये वहां जाता है। जब वे बाहर जाते हैं तो दूसरी सेनाओं को वहां देखते हैं और बहुत सी नयी बातें सीखते हैं।

†**श्री कृष्णाचार्य जोशी**: क्या ऐसे शिष्टमंडल दूसरे देशों को भी भेजे जाते हैं ?

---

† मूल अंग्रेजी में।

†**श्री त्यागी** : जी हां, कभी कभी ।

†**श्री कृष्णाचार्य जोशी**: इस शिष्टमंडल के सदस्यों के नाम क्या हैं ?

†**श्री त्यागी** : दस सदस्य भेजे गये थे । यदि माननीय सदस्य नाम जानना चाहते हों तो . . .

†**अध्यक्ष महोदय** : सब नाम मालूम करने का क्या उद्देश्य है ?

†**श्री त्यागी** : वे मेजर-जनरल विक्रम सिंह के नेतृत्व में गये थे । सशस्त्र बलों के १० सदस्यों का एक शिष्टमंडल भेजा गया था ।

## कोलंबो योजना

†***१०१०. श्री वोडयार** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तुंगभद्रा परियोजना के सिंचाई कार्यों के लिये आस्ट्रेलिया ने मिट्टी हटाने की भारी मशीनें भेजी हैं;

(ख) यदि हां, तो इन मशीनों की लागत क्या हैं;

(ग) क्या ये कोलंबो योजना के अन्तर्गत भेजी गई हैं; और

(घ) ये मशीनें हैदराबाद क्यों भेजी गई हैं ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) जी हां ।

(ख) ५६·५९ लाख रुपये ।

(ग) जी हां ।

(घ) आस्ट्रेलिया की सरकार ने यह सहायता तुंगभद्रा परियोजना के उस भाग के लिए दी थी जो हैदराबाद में ह और भारत सरकार ने राज्य सरकार से परामर्श करने के बाद इसे स्वीकार किया था ।

†**श्री वोडयार** : क्या तुंगभद्रा नियंत्रण बोर्ड की सलाह से ये मशीनें हैदराबाद की ओर भेजी गई हैं ?

†**श्री ब० रा० भगत** : मैं नहीं जानता, किन्तु उनके विचारों को ध्यान में रखा गया होगा ।

†**श्री वोडयार** : क्या सरकार ने परियोजना के मैसूर वाले भाग में मशीनें भेजने के प्रश्न पर विचार किया है ?

†**श्री ब० रा० भगत** : हमें उस ओर से कोई ब्योरा प्राप्त नहीं हुआ है । जब हैदराबाद में मशीनें भेजने के प्रश्न पर विचार किया गया था तब मैसूर के पक्ष पर जो उस समय अविभाजित मद्रास राज्य में था, विचार नहीं किया गया था क्योंकि राज्य सरकार ने कोई प्रार्थना नहीं की थी । किन्तु यदि माननीय सदस्य का यह अभिप्राय है कि वहां भी आवश्यकता है और मैसूर सरकार हम से कहे, तब हम उस विषय पर विचार करने के लिये तैयार हैं ।

†**श्री रामचन्द्र रेड्डी** : क्या यह सच है कि इस मशीनरी के साथ खुले पुर्जे पर्याप्त मात्रा में नहीं भेजे गये हैं ?

†**श्री ब० रा० भगत** : खुले पुर्जों के सम्बन्ध में, मुझे मालूम नहीं है । वे सम्बन्धित मंत्रालय से पूछें ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**श्री ब० स० मूर्ति** : वह मशीनरी किस प्रकार की है और क्या वह बांध का निर्माण करने के लिये पर्याप्त है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : वह मिट्टी हटाने की भारी मशीनरी है। यह प्रश्न में कहा गया है।

†**श्री ब० रा० भगत** : मशीनरी में ट्रैक्टर्स, रोड रोलर्स, एक्स्कैवेटर्स आदि हैं जिसे मिट्टी हटाने वाली भारी मशीनरी कहा जाता है। अनुमान है कि तुंगभद्रा के लिये ७० लाख रुपये की होगी। और रामगुंडम परियोजना के लिये ५० लाख रुपये की होगी। उनमें एक दो को छोड़ कर सब मशीनें पहुंच गई हैं।

†**श्री ला० ना० मिश्र** : तुंगभद्रा परियोजना के लिये इस सहायता के अतिरिक्त, क्या आस्ट्रेलिया की सरकार ने भूमि संरक्षण, मिट्टी का कटाव और सिंचाई के लिये भी कुछ सहायता देने का प्रस्ताव किया है और यदि हां, तो वह प्रस्ताव क्या है ?

†**श्री ब० रा० भगत** : इस समय मुझे विदित नहीं है किन्तु मैं माननीय सदस्य को उन परियोजनाओं की सूची दे सकता हूं जिनके लिये हमें आस्ट्रेलिया सरकार की सहायता मिलती है।

**टेक्नीकल जनशक्ति**

†**१०११. श्री रा० प्र० गर्ग** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदित है कि इस देश में यंत्र विशेषज्ञों की बहुत मांग है और दूसरी पंचवर्षीय योजना में इस मांग के बढ़ जाने की संभावना है ;

(ख) क्या यह सच है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में यंत्र विशेषज्ञों की बढ़ती हुई मांग को वर्तमान प्रौद्योगीकीय संस्थाएं अंशतः भी पूरी नहीं कर सकतीं;

(ग) देश में स्थापित विभिन्न प्रौद्योगिकीय संस्थाओं को अधिक छात्रों को प्रशिक्षण देने के लिये अपनी वर्तमान क्षमता बढ़ाने में किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है;

(घ) केन्द्र या सम्बन्धित राज्य सरकारों का विभिन्न राज्यों में कितनी प्रौद्योगीकीय संस्थायें खोलने का विचार है और क्या देश की आवश्यकता के लिये वे पर्याप्त होंगी; और

(ङ) आयोजन के इस महत्वपूर्ण पहलू के लिये देश को आत्म निर्भर बनाने के लिये कितने समय, धन और टेक्नीकल ज्ञान की जरूरत होगी ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : आवश्यक जानकारी का विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या २५**]

†**श्री रा० प्र० गर्ग** : विवरण से यह स्पष्ट होता है कि वर्तमान संस्थाओं में पर्याप्त कर्मचारी और साधन सामग्री नहीं है और उनमें सुधार करना सरकार बहुत कठिन समझती है। सरकार १८ नये इंजीनियरिंग कालेज और ६२ पोलीटेकनिक खोलने के लिये इंजीनियरिंग कर्मचारी वृन्द समिति की सिफारिशें किस प्रकार कार्यान्वित करेगी ?

†**डा० म० मो० दास** : अपने प्रौद्योगिकीय संस्थाओं में सुधार करना, उनका विकास और विस्तार करना सरकार के लिये असंभव नहीं है। जहां तक इंजीनियरिंग कर्मचारी वृन्द समिति की सिफारिशों का सम्बन्ध है, वे अभी सरकार के विचाराधीन हैं।

†**श्री रा० प्र० गर्ग** : यदि इंजीनियरिंग कर्मचारी वृन्द समिति की सिफारिशें कार्यान्वित न की गईं, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**डा० म० मो० दास** : कल्पनात्मक प्रश्न का उत्तर देना कठिन है ।

†**श्री च० रा० नरसिंहन्** : क्या प्रथम पंचवर्षीय योजना में प्रौद्योगिकीय संस्थाओं के विकास के लिये कोई योजनाएं थीं और यदि हां तो क्या उनमें से कोई ऐसी थी जो पूरी नहीं हो सकी; और यदि हां, तो क्या मंत्रालय इसके कारण बता सकता है और असफल योजनाओं के नाम भी ?

†**अध्यक्ष महोदय** : चार प्रश्न एक ही प्रश्न में ।

†**डा० म० मो० दास** : देश में अपने प्रौद्योगिकीय संस्थाओं के विकास और विस्तार तथा नयी संस्थाओं की स्थापना के लिये एक विस्तृत योजना थी । १९५१-५२ अर्थात् पहली पंचवर्षीय योजना के प्रारंभ और १९५५-५६ अर्थात् पहली योजना के अन्त के बीच जो वार्षिक भरती और निकासी हुई है उससे यह मालूम किया जा सकता है कि क्या सुधार किया गया है । पहली योजना के प्रारंभ में उपाधि तथा स्नातकोत्तर शिक्षा सम्बन्धी संस्थायें ५८ थीं और अब वह ६१ हैं । उन में सालाना भरती ४,९११ थी और अब वह ६,०२० है जो लगभग २५ प्रतिशत बढ़ गई है । वर्ष १९५१–५२ में उनकी सालाना निकासी २,७६८ थी और अब वह ४,२०७ हो गयी है ।

## बुनियादी शिक्षा आकलन समिति

***१०१२. श्री नवल प्रभाकर** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या बुनियादी शिक्षा आकलन समिति की सिफारिश को कार्यान्वित किया जा रहा है ?

**शिक्षा उपमंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : उनका परिक्षण कार्यान्वित करने के लिये किया जा रहा है ।

**श्री नवल प्रभाकर** : वे सिफारिशें क्या है ?

**डा० का० ला० श्रीमाली** : इस समिति की सिफारिशें बहुत लंबी चौड़ी हैं । मैं माननीय सदस्य को सूचित कर दूं कि समिति की रिपोर्ट अगस्त मास में ही प्रकाशित हो जायगी और उसकी एक कापी पार्लियामेंट लाइब्रेरी में रख दी जायगी ।

## त्रिपुरा में खाद्य स्थिति

† ***१०१५. श्री दशरथ देब** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा खाद्य समन्वय समिति और त्रिपुरा बाढ़ सहायता समिति ने हाल में सरकार को त्रिपुरा की कुछ अत्यावश्यक समस्याओं के बारे में कोई नोट भेजे हैं;

(ख) यदि हां, तो उसमें कौन सी समस्याओं का उल्लेख किया गया है और तुरंत उनके हल के लिये क्या सुझाव दिये गये हैं; और

(ग) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी हां ।

(ख) त्रिपुरा खाद्य समन्वय समिति और त्रिपुरा बाढ़ सहायता समिति ने अपने नोटों में क्रमशः राज्य की खाद्य समस्याओं और राज्य में हाल की बाढ़ से उत्पन्न होने वाली स्थिति का उल्लेख किया है । इन समस्याओं के हल के लिये इन दो समितियों ने विभिन्न सुझाव दिये हैं ।

(ग) राज्य में खाद्य स्थिति के सम्बन्ध में और बाढ़ के कारण उत्पन्न कष्ट दूर करने के लिये सरकार ने सब संभव पग उठाये हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**श्री दशरथ देब** : क्या यह सच है कि त्रिपुरा सरकार ने चुने हुये १२ व्यापारियों और प्रसिद्ध जमाखोरों की एक चावल व्यापारी सिंडिकेट बनाया है और ग्रामीण क्षेत्रों में जो भी खाद्यान्न उपलब्ध था सिंडिकेट ने उस पर एकाधिकार जमा लिया है, उसे बाहर भेज दिया है और जमा कर लिया है जिसके कारण यह संकट पैदा हुआ है ?

†**श्री दातार** : मेरे पास कोई जानकारी नहीं है ।

†**श्री दशरथ देब** : क्या सरकार जानती है कि दम्बरू क्षेत्र में सात आदमी, भद्रा प्रसन्न रुआजा पाडा में तीन आदमी, बिन्दजय चौधरी पाडा में एक और अमरपुर डिवीजन के शरत्चन्द्र रूआजापाडा में एक आदमी की जुलाई में भूख से मृत्यु हुई हैं ?

†**श्री दातार** : मेरी माननीय सदस्य से प्रार्थना है कि वे जानकारी मेरे पास भेज दें और तब मै पूछताछ करूंगा ।

†**श्री दशरथ देब** : क्या आत्महत्या करने वाले व्यक्तियों के कोई शव अगरताला अस्पताल में परीक्षण के लिये लाये गये थे और आखिरी में डाक्टर ने यह शंका प्रकट की कि उन व्यक्तियों नें लंबी भूखमरी के कारण आत्म हत्या की है ?

†**श्री दातार** : मेरा उत्तर वही है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : विस्तार के ये सब विषय पहले मंत्री के पास भेजने चाहियें । यह परीक्षा का स्थान नहीं है । माननीय सदस्य पूरी और पर्याप्त जानकारी चाहते हैं । सामान्य प्रश्न यह था कि त्रिपुरा खाद्य समन्वय समिति और त्रिपुरा खाद्य सहायता समिति ने अभी हाल में सरकार की त्रिपुरा की कुछ अत्यावश्यक समस्याओं के सम्बन्ध में कोई नोट भेजे हैं, कौन सी समस्यायें बताई गई हैं और तुरंत हल के लिये क्या सुझाव दिये गये हैं और सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है । इसमें विस्तृत जानकारी नहीं दी जा सकती । यदि माननीय सदस्य इन विषयों के सम्बन्ध म जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो वह अपना प्रश्न मंत्री महोदय को दे दें ताकि वे तैयार होकर यहां उत्तर दे सकें ।

†**श्री बीरेन दत्त** : क्या उस नोट में खाद्य समाहार विभाग के बारे में जांच करने की मांग की गयी है या नहीं ?

†**श्री दातार** : सुझाव प्राप्त होने पर अधिकतर सुझाव कार्यान्वित किये गये हैं और चावल भेजने तथा कम दरों पर चावल बेचने का प्रबन्ध किया गया है ।

†**श्री क० कु० बसु** : प्रश्न यह था कि उस नोट में ऐसा कोई सुझाव था कि समाहार विभाग के बारे में जांच की जाये, किन्तु मंत्री ने उसका जवाब नहीं दिया है ।

†**श्री दातार** : उस पर ध्यान दिया जा रहा है । मैंने बताया है कि सभी सुझाव कार्यान्वित किये गये हैं जिनमें यह भी शामिल है ।

## डाक और तार और अंचल विभाग

†***१०१६. श्री मैथ्यू** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटिश भारत में १९३८ से पहले के डाक और तार विभाग के कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति की आयु और उस देशी राज्य के अंचल विभाग के जो अब संघ सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है, १९३८ से पहले के कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति की आयु में कोई अंतर है; और

---

†मूल अंग्रेजी में ।

(ख) यदि हां, तो देशी राज्यों के उन कर्मचारियों के साथ विभेद करने के क्या कारण हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)**: (क) और (ख).एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या २६**]

†**श्री मथ्यू** : क्या त्रावनकोर-कोचीन राज्य सरकार और संघ सरकार में ऐसा कोई समझौता हुआ था कि अंचल विभाग के कर्मचारियों को उससे कम लाभ की शर्तों पर नहीं रखा जायेगा जो उन्हें त्रावनकोर-कोचीन में उपलब्ध थीं ?

†**श्री दातार** : मुझे ऐसे किसी समझौते का पता नहीं है किन्तु मुझे यह अवश्य मालूम है कि २० अगस्त, १९५० को एक अन्तःविभागीय बैठक हुई थी और जो प्रबन्ध अब लागू है, वह उस समय किया गया था।

†**श्री मथ्यू** : क्या इन दो बातों पर माननीय मंत्री ने ध्यान दिया है कि त्रावनकोर-कोचीन सरकार सेवा विनियमों के अनुसार, उन लोगों को २५ वर्ष की सेवा के बाद पूरा निवृत्ति वेतन अर्थात् वेतन का ५० प्रतिशत मिलना था, किन्तु संघ सरकार के नियमों के अनुसार, ३० वर्ष की सेवा के बाद उन्हें अपने वेतन का ३/८ भाग निवृत्ति वेतन के रूप में दिया जायेगा ?

†**श्री दातार** : इस आशय के कुछ अभ्यावेदन हमें प्राप्त हुए हैं। सरकार ने इसका निश्चय १९५० में कर लिया था और अब हम इन नियमों में संशोधन करने की आवश्यकता पर विचार कर रहे हैं।

†**श्री मात्तन** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि भूतपूर्व राज्य के कर्मचारियों को विलयत के सात वर्ष बाद भी पदोन्नति नहीं दी जा रही है और उनकी परस्पर वरिष्ठता भी निश्चित नहीं की गई है, क्या सरकार उनकी सेवा निवृत्ति की अवधि वही रखेगी, जिसके डाक और तार विभाग के कर्मचारी अधिकारी हैं ?

†**श्री दातार** : मैं माननीय सदस्य की इस पूर्व धारणा से सहमत नहीं कि उन्हें पदोन्नति नहीं दी जाती है।

†**श्री वे० प० नायर** : क्या अंचल के भूतपूर्व कर्मचारियों की ओर से ऐसे कोई अभ्यावेदन गृह कार्य मंत्रालय में प्राप्त हुए हैं कि पदों को श्रेणी बद्ध करने, पदों का दर्जा बराबर करने और पिछली सेवा के लिये गुरुभार महत्त्व देने के बारे में जिनकी व्यवस्था त्रावनकोर-कोचीन राज्य के प्रवेश संलेख में की गई है, एक रूप नीति अपनाई जाये ?

†**श्री दातार** : मैंने अभी कहा है कि हमें अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और हम उन पर विचार कर रहे हैं।

## जिप्सम

†*१०१८. **श्री च० रा० नरसिंहन्** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिप्सम के बारे में सर्वेक्षण और विस्तृत जांच का नवीनतम कार्यक्रम क्या है; और

(ख) क्या देश में अच्छी किस्म का जिप्सम पर्याप्त मात्रा में मिलता है ?

†**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के०दे० मालवीय)**: (क) और (ख). मांगी गई सूचना का एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या २७**]

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री च० रा० नरसिंहन्** : भाग (ख) के उत्तर में कही गई इस बात को ध्यान में रखते हुए कि देश के विभिन्न भागों में अच्छी किस्म का जिप्सम पाया जाता है और कुल परिमाण अनुमानतया लगभग ६ करोड़ ७१ लाख टन है, क्या सिन्दरी उर्वरक कारखाने ने, पाकिस्तान से कई लाख रुपयों का जिप्सम खरीदने से पहले, जैसा कि हाल में सभा में बताया गया है, मंत्रालय से परामर्श किया था ?

†**श्री के०दे० मालवीय** : राज्य व्यापार निगम ने लगभग १५०,०००टन जिप्सम के आयात के लिये पाकिस्तान सरकार से एक करार किया है। करार इसलिये किया गया था कि यह जिप्सम अच्छी किस्म का था और बीकानेर में जिप्सम पैदा करने का काम रुक गया था । इससे अधिक मुझे कुछ पता नहीं । माननीय सदस्य उत्पादन मंत्रालय से एक पृथक् प्रश्न पूछ सकते हैं ।

†**श्री च० रा० नरसिंहन्** : भविष्य की आवश्यकताओं के बारे में सरकार की क्या नीति होगी ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : जैसा कि विवरण में कहा गया है, हमारे पास अच्छे किस्म का जिप्सम काफी मात्रा में है । यदि उत्पादन मंत्रालय अथवा अन्य किसी मंत्रालय से कोई मांग की गई तो हम उनकी सहायता कर सकेंगे ।

†**श्री रामचन्द्र रेड्डी** : जिप्सम के लिये विस्तृत सर्वेक्षण कार्यक्रम में क्या आंध्र को, विशेषतया नेल्लूर को सम्मिलित किया गया है ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : जी हां श्रीमान् । हमें पता है कि वहां काफी जिप्सम पाया जाता हैं । किन्तु हम यह नहीं कह सकते कि वह किस प्रकार का है हमारे कुछ जिप्सम उद्योगों में उसकी खपत होने की संभावना है ।

**श्री भक्त दर्शन** : इस विवरण से ज्ञात होता है कि गढ़वाल जिले के पनाई नगरासू क्षेत्र में जिप्सम पाया गया है । क्या मैं जान सकता हूं कि इस बारे में आगे क्या कारवाई की जायेगी और कब तक यह जिप्सम काम में आ सकेगा ?

**श्री के० दे० मालवीय** : हम लोगों ने उसे तलाश करके निकाला है । अब अगर स्टेट गवर्नमेन्ट को जरूरत होगी और वह हमारी मदद चाहेगी तो उसके उत्पादन में हम मदद कर सकते हैं ।

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी** : हम पाकिस्तान से कब तक जिप्सम आयात करते रहेंगे ।

†**श्री के० दे० मालवीय** : मैं नहीं कह सकता । यह तो उत्पादन मंत्रालय से पूछा जा सकता है । पाकिस्तान से लगभग १५०,००० टन जिप्सम मंगवाया गया है । शायद बीकानेर में काम फिर आरम्भ हो जायेगा । ऐसा होने पर हमें जिप्सम आयात करने की आवश्यकता नहीं रहेगी ।

†**श्री च० रा० नरसिंहन्** : क्या देश में विशेषतया त्रिचनापल्ली में उपलब्ध जिप्सम को साफ करने के लिये कोई गवेषणा अथवा अन्य योजनायें हैं ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : इस प्रयोजन के लिये कोई विशेष योजना नहीं है, क्योंकि हमारे यहां हीं अच्छी किस्म का जिप्सम पाया जाता है जो कि ९० से लेकर ९६ प्रतिशत तक शुद्ध होता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

## शारीरिक शिक्षा का केन्द्रीय मंत्रणा बोर्ड

†*१०१९. **बाबू राम नारायण सिंह** : क्या **शिक्षा** मंत्री २२ अगस्त, १९५५ के तारांकित प्रश्न संख्या १०१० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शारीरिक शिक्षा के केन्द्रीय मंत्रणा बोर्ड का मंतव्य प्राप्त हो चुका है;

(ख) यदि हां, तो वह किस प्रकार का है; और

(ग) उसके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी हां श्रीमान् ।

(ख) और (ग) विश्वविद्यालयों में योग शिक्षा के लिये चेयर स्थापित करने के लिये बोर्ड ने कोई सिफारिशें नहीं की ।

**बाबू राम नारायण सिंह** : सेन्ट्रल आफ बोर्ड फिजिकल एजूकेशन से इस विषय पर राय मांगी गयी थी । तो क्या उन लोगों ने इस विषय पर कुछ भी राय नहीं दी यह मैं जानना चाहता हूं ?

**डा० का० ला० श्रीमाली** : जी नहीं, फिजिकल एजूकेशन कल्चर की चेअर्स के मुताल्लिक कोई राय नहीं दी है, लेकिन योगिक एक्सरसाइजेज स्कूलों में होनी चाहिये इसके मुताल्लिक कुछ राय दी है ।

**बाबू राम नारायण सिंह** : पहले प्रश्न के उत्तर में सरकार की तरफ से कहा गया था कि इस विषय पर सेंट्रल बोर्ड आफ फिजिकल एजूकेशन विचार कर रहा है और उसकी राय नहीं आई है । लेकिन आज यह कहा जा रहा है कि कोई राय नही है ।

**शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आजाद)** : नहीं, उन्होंने कहा कि इस बारे में उसने सिफारिश नहीं की है ।

**बाबू राम नारायण सिंह** : उन्होंने सिफारिश नहीं की, क्या इसका यह मतलब है कि उनका यह कहना है कि इस विषय को विश्वविद्यालयों में न रखा जाये ?

**मौलाना आजाद** : शायद उनका यह ख्याल है कि यूनिवर्सिटीज में इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन यह कहना मुश्किल है । बोर्ड ने इस बारे में कोई राय नहीं दी है ।

†**श्री ति० सु० अ० चेट्टियार** : माननीय मंत्री ने जो कुछ हिन्दी में कहा है उसे यदि मैं ठीक समझा हूं तो उससे यही पता चलता है कि सरकार ने योगाभ्यास और शारीरिक शिक्षा के महत्त्व को स्वीकार किया है । शारीरिक शिक्षा विद्यालयों में इन दोनों को समन्वय के लिये क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : पिछले तीन वर्षों में सरकार लोनावाला, पूना की योग गवेषण संस्था को अनुदान दे रही है और १,०४,५०० रुपये दिये जा चुके हैं । जहां तक गवेषणा का प्रश्न है सरकार इसी मुख्य संस्था पर ही सारा ध्यान दे रही है । यौगिक क्रियाओं और यौगिक शिक्षा के बारे में बोर्ड ने कुछ सिफारिशें की हैं । उसने सुझाव दिया है कि शारीरिक शिक्षा के साथ यौगिक क्रियामें भी कार्यक्रमों में सम्मिलित की जायें । इस सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है ।

---

†मूल अंग्रजी में ।

## युद्ध सामग्री कारखाने

†*१०२१. **श्री हेमराज** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) युद्ध सामग्री कारखानों में जो अप्रेन्टिस भर्ती किये जाते हैं उन्हें किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है;

(ख) प्रशिक्षण समाप्त होने के बाद क्या उन्हें कोई प्रमाण पत्र दिये जाते हैं;

(ग) यदि हां, तो विद्या की दृष्टि से ऐसे प्रमाण पत्रों का महत्त्व क्या है; और

(घ) क्या सरकार का ऐसे प्रशिक्षणार्थियों को पश्चिमी जर्मनी भेजने का विचार है ?

†**प्रतिरक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी)** : युद्धसामग्री कारखानों के अप्रेन्टिसों को निम्नलिखित कार्यों में सैद्धान्तिक और व्यावहारिक प्रशिक्षण दोनों दिये जाते हैं :–

१. जनरल मैकनीकल इंजीनियरिंग, मैकनीकल इंजीनियरिंग ।

२. धातुकर्म ।

३. रासायनिक इंजीनियरिंग ।

४. चमड़ा प्रौद्योगिकी ।

५. दर्जी का काम ।

६. फिलिंग (रासायनिक)

७. काम्पुटर्स (संगणन कार्य)

८. प्लम्बिंग ।

(ख) जी हां ।

(ग) निर्धारित परीक्षायें पास करने के बाद अप्रेन्टिसों को दिये गये प्रमाण पत्रों के विद्या-सम्बन्धी महत्त्व को आंकने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता क्योंकि समस्त उत्तीर्ण छात्र युद्धोपकरण कारखानों में ही नियुक्त कर दिये जाते हैं ।

(घ) नहीं श्रीमान् ।

**श्री हेमराज** : अभी हाल ही में जब हमारे प्रधान मंत्री मगरबी जर्मनी गये थे तो वहां की गवर्नमेंट ने उनको यह पेशकश दी थी कि वे हमारे यहां के लड़कों को मिकेनिकल इंजिनियरिंग की ट्रेनिंग देने के लिये तैयार हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए, आर्डनेन्स फैक्टरीज में जिन्होंने मिकेनिकल इंजीनियरिंग की ट्रेनिंग हासिल कर ली है, उनको सरकार द्वारा बेहतर ट्रेनिंग देने के लिए मगरबी जर्मनी भेजा जायेगा ?

**श्री त्यागी** : अभी वहां किसने वजीफे किउने की बात हुई है इसकी जांच हो रही है । जब गवर्नमेन्ट अपनी स्कीम मुकम्मल कर लेगी तो इस बात पर विचार किया जायगा कि आर्डनेन्स फैक्टरीज के इंजिनियर्स को भेजने की जरूरत है या नहीं ।

**श्री हेमराज** : अभी हाल ही में एजूकेशन मिनिस्ट्री की तरफ से एक विज्ञप्ति जारी की गयी है जिसमें लिखा है कि ऐसे लड़कों को ८० छात्रवृत्तियां दी जायेंगी जो कि व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहया आर्डनेंस फैक्टरीज के इंजिनियर्स को ये छात्रवृत्तियां दी जायेंगी ।

**श्री त्यागी** : ये जो वजीफे दिये जायंगे ये विद्यार्थियों के लिए हैं और यह सवाल जो है वह उन लोगों के मुताल्लिक ह जो कि सर्विस में आ गये ह और उन्होंने ट्रेनिंग हासिल कर ली है ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

## सरकारी सेवा (अर्हतायें और भर्ती) समिति

†*१०२२. **श्री साधन गुप्त** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी सेवा (अर्हतायें और भर्ती) समिति के प्रतिवेदन की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ख) सरकार ने उसकी सिफारिशें किस हद तक स्वीकार की हैं ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) और (ख). प्रतिवेदन की प्रतियां टिपणी लिये राज्य सरकारों तथा कुछ सम्बन्धित मंत्रालयों को भेजी गई हैं। इन टिप्पणियों के प्राप्त होने और उन पर विचार किये जाने के बाद सरकार द्वारा निर्णय किये जायेंगे। रिपोर्ट की एक प्रति तब सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

†**श्री साधन गुप्त** : यह रिपोर्ट राज्य सरकारों को कब भेजी गई थी और उनकी टिप्पणियां कब तक प्राप्त होने की आशा है ? क्या किसी राज्य ने अभी तक कोई टिप्पणियां भेजी हैं ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : रिपोर्ट अप्रैल १९५६ के प्रारम्भ में प्रस्तुत की गई थी। हमने राज्य सरकारों को ८–१८ जून के बीच में उसे भेजा था और उनसे कहा है कि वे अपनी सिफारिशें २० जुलाई, १९५६ तक भेज दें। २१ जुलाई को हमने राज्य सरकारों को अनुस्मारक भेजे और भारत सरकार के मंत्रालयों को २४ जुलाई को। हमें कुछ राज्य सरकारों से टिप्पणियां प्राप्त हुई हैं। उन राज्यों की संख्या अधिक नहीं है। वे हैं भोपाल, अजमेर, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, सौराष्ट्र और कुर्ग। अन्य राज्यों के उत्तरों की प्रतीक्षा की जा रही है।

†**श्री गिडवानी** : क्या समिति ने यह सिफारिश की है कि छोटे अफसरों के पदों तथा क्लर्कों की भर्ती के लिये विश्वविद्यालय की डिग्री आवश्यक नहीं है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : मैं उस प्रतिवेदन को सभा-पटल पर रख दूंगा। मैं इस अवस्था में समिति की सिफारिशें सभा के सामने नहीं रख सकता।

## नागा

†*१०२५. **श्री गिडवानी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि २७ जुलाई, १९५६ को करीमगंज से लगभग ५ मील दूर, माहीशाह-शाम के पास भारत–पाकिस्तान सीमा पर करीमगंज पुलिस द्वारा कुछ नागा लोग गिरफ्तार किये गये थे ; और

(ख) क्या यह भी सच है कि वे परीपत्र और वीसा के बिना ही ढाका से लौटे थे और लाटू नामक पाकिस्तान सीमान्त रेलवे स्टेशन से भारतीय सीमा से घुस आये थे ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) २६ जुलाई, १९५६को लाटू सीमा चौकी के एक पुलिस दल द्वारा लाटू के पास, जो करीमगंज से लगभग पांच मील दूर है, दो नागा गिरफ्तार किये गये थे।

(ख) जी हां।

†**श्री गिडवानी** क्या सरकार ने इस बात की कोई व्यवस्था की है कि ये लोग भविष्य में उस क्षेत्र से प्रवेश न कर सकें ? वे वहां कैसे घुस आये ?

†**श्री दातार** : सरकार इसकी व्यवस्था कर रही है।

---

†मूल अंग्रेज़ी में।

### इंडिया आफिस लाइब्रेरी

†*१०२६. **श्री दी० चं० शर्मा**: क्या शिक्षा मंत्री २० फरवरी, १९५६ के तारांकित प्रश्न संख्या ८७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडिया आफिस लाइब्रेरी के सम्बन्ध में भारत सरकार और ब्रिटेन की सरकार के बीच आगे कोई पत्र व्यवहार हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : इस महत्त्वपूर्ण प्रश्न पर भारत सरकार और ब्रिटेन की सरकार के बीच समझौता होने में कितना समय लगेगा ?

†**डा० म० मो० दास** : इस प्रश्न का सम्बन्ध केवल ब्रिटेन और भारत की सरकारों से ही नहीं बल्कि पाकिस्तान सरकार से भी है ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : इस बीच में समझौता करने की दिशा में क्या प्रयत्न किये गये हैं ?

†**डा० म० मो० दास** : यह प्रश्न सभा में अनेक बार किया जा चुका है और इस विषय में भारत सरकार द्वारा जो कुछ किया गया है वह माननीय सदस्य को विदित है ।

†**सरदार अ० सिं० सहगल** : जो मोगल राज्यों की तवारीखें थीं वह क्या इंडिया आफिस लाइब्रेरी में हैं और अगर नही हैं तो उनका क्या हुआ ?

†**डा० म०मो० दास** : दिल्ली के मुगल बादशाहों के पुस्तकालय की अवशेष पुस्तकें ही वहां नहीं है बल्कि टीपू सुल्तान का पुस्तकालय भी वहां मौजूद है । श्रीरंगपत्तन् की पराजय के बाद अंग्रेजी सेना ने टीपू सुल्तान के पुस्तकालय पर कब्जा कर लिया था । बाद में वह इंगलैण्ड भेजा गया था और अब वहां है ।

## प्रश्नों के लिखित उत्तर

### मनीपुर सरकार की गाड़ियां

†*१००५. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सचिवालय के कर्मचारियों द्वारा प्रयोग के लिये मनीपुर सरकार की लैंडरोवर गाड़ियों की संख्या कितनी है ;

(ख) क्या यह सच है कि सचिवालय के कुछ पदाधिकारी ऐसी गाड़ियों को निजी कारों के रूप में प्रयोग करते हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार उनके लिये पेट्रोल का खर्च देती है; और

(घ) सरकारी धन और सरकारी गाड़ियों के दुरुपयोग के कारण क्या किसी पदाधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) मनीपुर प्रशासन की ४ स्टाफ कारों में से २ लैंडरोवर हैं किन्तु वे केवल सरकारी कर्मचारियों के इस्तेमाल के लिये नहीं हैं ।

(ख) नहीं ।

(ग) और (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

## रिजर्व सैनिक

†*१००९. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या **प्रति रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दस बारह वर्ष की सक्रिय सेवा के बाद बहुत से सैनिकों को रिजर्व सेवा में भेजा जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो रिजर्व सेवा में उन्हें कितना भत्ता मिलेगा;

(ग) रिजर्व सैनिकों को रोजगार दिलाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(घ) क्या सरकार को, रोजगार प्राप्त करने में उनकी इस कठिनाई का पता है कि नियोजक उन्हें इसलिये रखने को तैयार नहीं होते क्योंकि उनके सेना में वापस बुला लिये जाने की संभावना रहती है ?

†**प्रतिरक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी)** : (क) से (ग). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या २८]**

(घ) सरकार को इस सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।

## प्राद्योगिकीय प्रशिक्षण संस्था

†*१०१३. **डा० राम सुभग सिंह**
**श्री अनिरुद्ध सिंह**:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिमी जर्मनी ने भारत में प्रोद्योगिकी प्रशिक्षण संस्था स्थापित करने का प्रस्ताव किया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इसे स्वीकार कर लिया है ?

†**शिक्षा मंत्री तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेशणा मंत्री (मौलाना आजाद)** : (क) और (ख). जी हां ।

## शिक्षा के लिये विदेशों में भेजे जाने वाले विद्यार्थि

†*१०१४. **श्री वीर स्वामी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १९५६-५७ में शिक्षा मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत शिक्षा के लिये विदेशों में भेजे जाने वाले विद्यार्थियों का एक चुनाव हाल ही में किया गया है ?

(ख) यदि हां, तो कितने विद्यार्थी चुने गये हैं और उन्हें किन किन देशों में भेजा जायेगा;

(ग) क्या अनुसूचित जाति के कोई विद्यार्थी चुने गये हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आजाद)** : जी, हां ।

(ख) सात; चीन, फ्रांस, ईरान, पश्चिमी जर्मनी और स्पेन ।

(ग) कोई नहीं ।

(घ) चुनाव गुणों के आधार पर किया जाता है । अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिये कोई स्थान रक्षित नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

## उड़ीसा में खनिज सर्वेक्षण

†*१०१७. **श्री संगण्णा** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री उड़ीसा में खनिज सर्वेक्षण के बारे में २० मार्च, १९५६ के तारांकित प्रश्न संख्या ८१८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोई अन्तिम निष्कर्ष निकाले गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो वे क्या हैं ?

†**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) और (ख). उपलब्ध जानकारी देने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या २९**]

## शिक्षा तथा व्यावसायिक मार्ग दर्शन ब्युरो

†*१०२०. **श्री मु० इस्लामुद्दीन** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन राज्यों में शिक्षा तथा व्यावसायिक मार्ग दर्शन ब्यूरो स्थापित किये गये हैं;

(ख) उक्त विभाग किस वर्ष में स्थापित किये गये थे;

(ग) उनके कार्य में सामान्यतया क्या प्रगति हुई है; और

(घ) स्कूल छोड़ने वाले विद्यार्थियों और पेशा चुनने वाले लोगों में उन्हें लोकप्रिय बनाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आजाद)** : (क) शिक्षा तथा व्यावसायिक मार्ग दर्शन विभाग निम्न राज्यों में स्थापित किये गये हैं:—

१. बिहार ।

२. बम्बई ।

३. मध्य प्रदेश ।

४. मध्य भारत ।

५. उड़ीसा ।

६. सौराष्ट्र ।

७. उत्तर प्रदेश ।

८. पश्चिमी बंगाल ।

(ख) से (घ). सम्बन्धित राज्यों से जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर शिघ्रातिशीघ्र रख दी जायेगी ।

## चोरी छिपे माल ले जाना

†*१०२३. **डा० लंका सुन्दरम्** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोआ में केवल भूसीमाओं को पार करके ही नहीं वरन् नावों द्वारा भी विशेष कर बम्बई–मंगलौर मार्ग पर, चोरी छिपे माल को ले जाने का काम जारी है और माल को उतारने की जगह बेतूल (क्वेपेम महाल में) है; और

(ख) यदि हां, तो इसे रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**राजस्व और प्रतिरक्षा व्यय मंत्री (श्री अ०चं० गुह)** : (क) ऐसा मालूम होता है कि भारत के पश्चिमी तट और गोआ के बीच नावों की सहायता से समुद्र के जरिये कुछ माल चोरी छिपे ले जाया जा रहा है ।

(ख) भारत के पश्चिमी तट पर नावों द्वारा गोआ में और गोआ से चोरी छिपे माल के लाने ले जाने के काम को रोकने के लिये भारत सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की और उत्तरोत्तर कडी कार्यवाही निरन्तर की जा रही है ।

## त्रावनकोर-कोचिन में बिक्री-कर

†***१०२४. श्री अ० म० थामस** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या त्रावनकोर-कोचीन बिक्री-कर अधिनियम की जांच करने के लिये राज्य सरकार ने जो समिति नियुक्त की थी उसने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य सिफारिशें क्या है;

(ग) क्या प्रतिवेदन की एक प्रति पटल पर रखी जायेगी; और

(घ) क्या सरकार ने इन सिफारिशों के बारे में कोई निर्णय किया है ?

†**राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री म० चं० शाह)** : (क) से (घ). इस विषय पर राज्य सरकार से जानकारी एकत्रित की जा रही है ।

## छावनियों का पुनर्गठन

***१०२७. श्री भक्त दर्शन** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री ३ मई, १९५६ के तारांकित प्रश्न संख्या १८९९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच लंढौर, नैनीताल, पंचमढ़ी और बनारस की छावनियों के पुनर्गठन के बारे में अन्तिम निर्णय कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रत्येक छावनी से सम्बन्धित निर्णय की प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी ;

(ग) यदि कोई निर्णय नहीं किया गया है तो प्रत्येक छावनी के बारे में कब तक अन्तिम निर्णय कर लिया जायेगा; और

(घ) निर्णय होने में देरी के क्या कारण हैं ?

†**प्रतिरक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी)** : (क) तथा (ख). जी हां । स्थिति इस प्रकार है

(१) नैनीताल और पंचमढ़ी छावनियों को जारी रखने का फैसला किया गया है ।

(२) लंढौर छावनी को तोड़ने के सम्बन्ध का प्रस्ताव अभी विचाराधीन है ।

(३) बनारस छावनी को न छोड़ने का फैसला किया गया है । इस छावनी में से एक भाग निकाला जा रहा है । गज़ैट नोटिफिकेशन अभी तक नहीं निकाला गया है क्योंकि भूमि की हदबन्दी और सीमा के स्तम्भ लगाने का काम पूरा नहीं हुआ है और राज्य सरकार की मंजूरी का भी इंतजार है ।

(ग) आशा की जाती है कि लंढौर छावनी के सम्बन्ध में आखिरी फैसला ३ या ४ महीनों में कर लिया जायगा ।

(घ) लंढौर छावनी से छावनी अधिनियम १९२४ को वापिस लेने का प्रस्ताव एक और प्रस्ताव के साथ मिला हुआ है जिसका सम्बन्ध कुछ वर्तमान भवनों को सैनिक अस्पताल के काम में लाने से है ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

## मुल्यों को बढ़ने से रोकना

†*१०२८. **पंडित द्वा० ना० तिवारी :**
**श्री झूलन सिंह :**

क्या **वित्त** मंत्री २१ मई, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २३६७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) धान और चावल के स्टाक के सम्बन्ध में ऋणों को सीमित करने के लिये रिजर्व बैंक द्वारा अनुसूचित बैंकों को जो निदेश जारी किया गया था उसके परिणामस्वरूप धान और चावल के मूल्यों में होने वाली वृद्धि को किस हद तक रोका गया है; और

(ख) क्या किन्हीं बैंकों ने उक्त निदेश का उल्लंघन किया है ?

†**राजस्व और प्रतिरक्षा व्यय मंत्री (श्री अ० चं० गुह)**: (क) रिजर्व बक द्वारा जारी किये गये निदेश के परिणामस्वरूप, चावल और धान के सम्बन्ध में बैंकों द्वारा दिये जाने वाले ऋणों में उल्लेखनीय कमी हुई है किन्तु उसका प्रभाव मूल्यों पर किस हद तक पड़ा है यह कहना कठिन है। मूल्य स्तर, वस्तु के कुल संभरण और उसकी प्रभावी मांग जैसी कई बातों पर निर्भर होता है और संभव है कि बैंक के ऋणों की इस कमी के कारण मूल्यों पर जो प्रभाव पड़ा हो उसे इन बातों ने समतुलित कर दिया हो । धान और चावल के बारे में व्यापारियों को बैंक द्वारा जो धन दिया जाता है वह विक्रेय आधिक्य (स्थूलमान से कुल अनुमानित उत्पादन का एक तिहाई) के मूल्य के ५ प्रतिशत से भी कम होता है।

(ख) सामान्यतया बैंकों ने निदेश के अनुसार तुरंत कार्यवाही की है। निदेश के उपबन्धों के बारे में गलतफहमी अथवा उन के गलत निर्वचन के कुछ मामलों को छोड़ कर, रिजर्व बैंक के ध्यान में अब तक कोई ऐसा उदाहरण नहीं आया है, जिसम किसी बैंक ने निदेश के उपबन्धों का जानबूझ कर उल्लंघन किया हो।

## जेट फाइटर

†*१०२९. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :**
**श्री बोगावत :**
**श्री रघुनाथ सिंह :**
**श्री कृष्णाचार्य जोशी :**
**सरदार इकबाल सिंह :**
**सरदार अकरपुरी :**

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने फ्रांस से ११० "मिस्टीर फोर" जेट फाइटर खरीदने के लिये ठेका कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक विमान का मूल्य कितना है; और

(ग) अन्य देशों के वैसे ही विमानों के मूल्य की तुलना में यह मूल्य किस प्रकार बैठता है ?

†**प्रतिरक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी)**: (क) से (ग). जी हां; फ्रांस से कुछ "मिस्टीर" विमान खरीदने के लिए एक संविदा किया गया है। इस मामले के सम्बन्ध में अग्रेसर जानकारी बताना लोक हित में नहीं होगा।

---

†मूल अंग्रेजी में।

## भारत के नक्शे

†*१०३१. **सरदार इक़बाल सिंह** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५३ से १९५६ के दौरान में भारतीय भू परिमाप द्वारा भारत के कितने और किस किस्म के नक्शे तैयार किये गये हैं; और

(ख) क्या शिक्षा संस्थाओं को सस्ते दरों पर नक्शों का संभरण करने की कोई प्रस्थापना है ?

†**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) अपेक्षित जानकारी देनेवाला एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ३०**]

(ख) शिक्षा संस्थाओं को नक्शों का संभरण आधे मूल्य पर किया जाता है ।

## बालोपयोगी पुस्तकें

†*१०३२. **चौ० रघुबीर सिंह** : क्या **शिक्षा** मंत्री १२ मार्च, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ६२२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सभी भारतीय भाषाओं की सर्वोत्तम बालोपयोगी पुस्तकों के लेखकों को ५०० रुपये का पुरस्कार प्रदान करने के लिये भारत सरकार ने राज्य सरकारों से सिफारिशें करने के लिये कहा है;

(ख) यदि हां, तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जिन लेखकों की सिफारिश की गई थी उन्हें पुरस्कारों में से कितने दिये गये हैं; और

(ग) इन पुरस्कारों को प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के नाम क्या हैं ?

†**शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आजाद)** : (क) जी, हां ।

(ख) एक ।

(ग) श्री संतोष नारायण नौटियाला ।

## युद्धोतर सेवा पुनर्निर्माण निधि

†*१०३३. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि युद्धोत्तर सेवा पुनर्निर्माण निधि के अन्तर्गत सैनिकों तथा भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों को दी जाने वाली शिक्षा सम्बन्धी रियायतें कुछ राज्य सरकारों ने बन्द कर दी है;

(ख) यदि हां तो यह रियायतें किन राज्य सरकारों ने बन्द की है;

(ग) इसके क्या कारण है; और

(घ) क्या रियायतों को पुनः जारी करने के लिये सरकार कार्यवाही करेगी ?

†**प्रतिरक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी)** : (क) जी, हां ।

(ख) बम्बई, मद्रास और मैसूर सरकार ।

(ग) यह रियायतें युद्धोत्तर सेवा पुनर्निर्माण निधि के राज्यों के अंश से दी जाती थी जो कि प्रति वर्ष कम हो रहे हैं । मद्रास, बम्बई और मैसूर के राज्यों में यह निधि अत्यल्प रह गई है जिसका परिणाम यह हुआ है कि शिक्षा सम्बन्धी जो रियायतें इस निधि में से दी जाती थीं उन्हें आंशिक रूप से अथवा पूर्णतः समाप्त कर दिया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

(घ) युद्धोत्तर सेवा पुनर्निर्माण निधि में विभिन्न राज्य सरकारों के जो अंश थे उनमें से वे उक्त रियायतें दे रही थी। इसलिये रियायतें पुनः देने के लिये भारत सरकार द्वारा कार्यवाही करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

**पुस्तकालय विकास**

†*१०३४. **श्री रामकृष्ण** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में पुस्तकालय सेवा के विस्तार के बारे में परामर्श देने के लिये एक समिति नियुक्त की गई है; और

(ख) यदि हां, तो नियुक्त किये गये सदस्यों के नाम क्या हैं ?

†**शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आजाद)** : (क) जी हां।

(ख) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ३१**]

**अन्तर्राष्ट्रीय बैंक से ऋण**

†*१०३५. **श्री रा० प्र० गर्ग** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५२ में इंडियन आयरन एन्ड स्टील कंपनी लिमिटेड को १५ करोड़ रुपये का जो ऋण दिया गया था उसमें से कितनी राशि पुनर्निर्माण और विकास सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय बैंक को ब्याज सहित है, वापस की गई है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : १५-४-५६ तक इंडियन आयरन एंड स्टील कम्पनी ने अन्तर्राष्ट्रीय बैंक को वचनदान और ब्याज के बतौर ४०.३० लाख रुपये का भुगतान किया है। मूलधन को लौटाना १५ अप्रैल, १९५९ को प्रारम्भ होगा।

**भारत का प्रामाणिक इतिहास**

†*१०३६. **श्री मादिया गौडा** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत का एक प्रमाणिक इतिहास लिखने के लिये एक समिति नियुक्त की है ताकि विभिन्न भाषाओं के लेखकों द्वारा, शिक्षा की विभिन्न श्रेणियों के लिये इतिहास की पाठ्य पुस्तकें लिखने के लिये उक्त इतिहास को काम में लाया जा सके; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार निकट भविष्य में एक समिति नियुक्त करने का इरादा रखती है ?

†**शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक, गवेषणा मंत्री (मौलाना अजाद)** : (क) और (ख). जी नहीं।

**चिरांदी में खुदाई**

†*१०३७. { **डा० राम सुभग सिंह** :
**श्री राधारमण** :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि;

(क) क्या सरकार को विदित है कि गंगा के मैदान में पहली बार छपरा (बिहार) से लगभग ७ मील की दूरी पर चिरांदी नामक ग्राम में गुप्त काल के बाद की अवधि की पार्वती की एक मूर्ति खोद निकाली गयी है;

---

† मूल अंग्रेजी में।

(ख ) यदि हां, तो वहां कौन से अन्य अवशेष पाये गये हैं; और

(ग) क्या उक्त स्थान पर भविष्य में और खुदाई की जायेगी ?

†**शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आजाद)** : (क) से (ग). जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथा समय में सभा-पटल पर रखी जायेगी।

**आदिम जातियों के छात्र**

†***१०३८. श्री दशरथ देव** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैट्रिक की पिछली परीक्षा में आदिम जाति के जो छात्र उत्तीर्ण नहीं हुए थे उन्हें इस वर्ष फिर त्रिपुरा के स्कूलों में प्रवेश नहीं करने दिया गया, और

(ख) यदि हां, तो आदिम जाति के इन छात्रों को मैट्रिक की परीक्षा में पुनः बैठने की सुविधा प्रदान करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

†**शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आजाद)** : (क) और (ख). जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथा समय में सभा-पटल पर रखी जायेगी।

**केन्द्रीय शारीरिक शिक्षा मंत्रणा बोर्ड**

†***१०३९.** { **बाबू रामनारायण सिंह :**
**ठाकुर युगल किशोर सिंह :**
**श्री अस्थाना :**

क्या **शिक्षा** मंत्री २२ अगस्त, १९५५ के तारांकित प्रश्न संख्या १००८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय शारीरिक शिक्षा मंत्रणा बोर्ड की उपसमिति के सदस्यों के नाम तथा अभिधान क्या हैं;

(ख) काम करने के लिये उन्हें किस आधार पर चुना गया था;

(ग) उपसमिति के सदस्यों का प्राक्चरित क्या है; और

(घ) उन विश्वविद्यालयों के नाम क्या हैं जिन्होंने उनकी सिफारिशों को अब तक स्वीकार कर लिया है ?

†**शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आजाद)** : (क) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ३२**]

(ख) लड़कों के लिये पाठ्यक्रम तैयार करने के लिये उपसमिति के सदस्य बोर्ड ने अपने सदस्यों में से चुने और लड़कियों के पाठ्यक्रम के लिये शारीरिक शिक्षा सम्बंधी महिला विशेषज्ञों को नामजद किया गया था।

(ग) प्रत्येक सदस्य या सदस्या को शिक्षा के क्षेत्र में कई वर्षों का अनुभव प्राप्त है।

(घ) इस समय प्राथमिक से उच्च माध्यमिक स्तर के लिये पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है। इसलिये इस अवस्था में विश्वविद्यालयों को निर्देश करना आवश्यक नहीं समझा जाता।

**कल्याण कार्य के लिये सहायतानुदान**

†***१०४०. श्री संगण्णा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री २९ मई, १९५६ के तारांकित प्रश्न संख्या २६६२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कल्याण कार्य के लिये सहायतानुदानों अनुदान के लिये विभिन्न राज्यों से जो प्रस्ताव मांगे गये थे क्या वह तब से प्राप्त हो गये हैं; और

---

† मूल अंग्रेजी में ।

(ख) यदि हां, तो क्या उन्हें अनुमोदित किया गया है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) अधिकांश राज्यों से प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं ।

(ख) केवल कुछ राज्यों को छोड़ कर, जिनके प्रस्ताव अभी विचाराधीन है, पिछड़े हुए वर्गों के बालकों के कल्याण के लिये राज्य सरकारों द्वारा जो योजनायें प्रस्तुत की गयी थी उन्हें स्वीकृत किया जा चुका है ।

## भोपाल में वायरलेस ट्रांसमीटर

*१०४१. **डा० सत्यवादी** :
**पंडित चा० ना० मालवीय** :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री ३ मई, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १९२४ के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि भोपाल में जो एक पाकिस्तानी जासूस के घर से रेडियो ट्रांसमीटर प्राप्त होने पर उस पर मुकदमा चलाया गया था उसका क्या परिणाम निकला है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : मामले को अदालत में नहीं भेजा गया था, क्योंकि यह निश्चित तौर पर सिद्ध नहीं हो सका था कि वह रेडियो बाहर समाचार भेजने के काम में लाया जा सकता था ।

## पाकिस्तान-समर्थक प्रचार

†*१०४२. **श्री गिडवानी** :
**श्री डाभी** :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान काश्मीर सरकार द्वारा जारी की गयी विज्ञप्ति और काश्मीर के मुख्य मंत्री द्वारा दिल्ली में पत्रकारों के साथ की गई एक मुलाकात की ओर आकर्षित किया गया है जिसमें यह कहा गया है कि समय समय पर दिल्ली से जारी किये जाने वाली पुस्तिकाएं और वक्तव्यों का प्रयोग पाकिस्तानी समाचार पत्रों और रेडियो द्वारा किया जाता है और उनके सम्बोधित व्यक्तियों के पास पहुंचने से पूर्व ही पाकिस्तान के समाचार-पत्रों द्वारा प्रकाशित कर दिया जाता है तथा इस बात का सम्बन्ध भारत सरकार से है और इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही आवश्यक है या नहीं । इस बात का निर्णय करना भारत सरकार पर निर्भर करता है ?

(ख) क्या सरकार ने उक्त विज्ञप्ति और वक्तव्यों पर विचार कर लिया है; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) से (ग). जी हां । जम्मू और काश्मीर सरकार द्वारा जारी की गयी विज्ञप्ति तथा काश्मीर के प्रधान मंत्री की पत्रकारों के साथ मुलाकात के अतिरिक्त, सरकार के पास उन पुस्तिकाओं और वक्तव्यों के बारे में जानकारी है जो समय समय पर दिल्ली से कुछ व्यक्तियों द्वारा जारी किये जाते हैं । किन्तु माननीय सदस्य इस बात को जानते हैं कि हमारे देश के कानून के अन्तर्गत इस प्रकार का प्रचार करने के लिये भी काफी स्वतन्त्रता है, किन्तु भविष्य में आवश्यक किसी कार्यवाही के लिये मैं इस मामले को विचाराधीन रखूंगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

## चोरी छिपे लाया गया माल

†*१०४३. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फरवरी, १९५६ से अब तक, गोआ से भारत में कितने मूल्य का चोरी छिपे लाया जाने वाला निषिद्ध माल पकड़ा गया था; और

(ख) चोरी छिपे माल ले जाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**राजस्व और प्रतिरक्षा व्यय मंत्री (श्री अ० चं० गुह)** : (क) एक विवरण जिसमें जून १९५६ तक की जानकारी दी गई है, सभा-पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ३३**]

(ख) सीमा शुल्क के सूक्षम अधिकारियों द्वारा चोरी छिपे माल ले जाने वाले व्यक्तियों को सीमा शुल्क कानून के अन्तर्गत कुछ मामलों में उचित दण्ड दिया जा चुका है जिसमें चोरी छिपे ले जायी गयी वस्तुओं की जब्ती शामिल है। कुछ अन्य मामलों में सीमा-शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही शुरू की गई है, जिसके द्वारा अपराधियों पर वस्तुओं के मूल्य की तिगुनी राशि जुर्माने के बतौर ली जाने के अतिरिक्त वस्तुओं की जब्ती की जा सकती है। उपयुक्त मामलों में भयोत्पादक उपाय के रूप में अभियोग भी चलाया जाता है।

## इस्पात

†*१०४४. **पंडित द्वा० ना० तिवारी :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें यह दिखाया गया हो :

(क) १९५५-५६ में युद्ध सामग्री कारखानों में स्प्रिंग और मिश्र इस्पात का कुल कितना उत्पादन हुआ; और

(ख) सरकारी विभागों और गैर-सरकारी क्षेत्र में कितनी मात्रा का विक्रय किया गया ?

†**प्रतिरक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी)** : (क) लगभग ६,६०० टन स्प्रिंग स्टील और ६५० टन मिश्र इस्पात।

(ख)

| | सरकारी विभाग (प्रतिरक्षा सेवाओं समेत) | गैर-सरकारी क्षेत्र |
|---|---|---|
| | टन | टन |
| स्प्रिंग इस्पात (बिलैट्स) | लगभग ३६० टन | लगभग ६,२४० |
| मिश्र इस्पात (बिलैट्स) | लगभग ५८० टन | लगभग ६० |

## विदेशी बैंकों में जमा धन

*१०४५. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस समय विदेशी बैंकों में भारत सरकार और राज्य सरकारों का कितना धन जमा है ?

**वित्त उपमंत्री (श्री ब० र० भगत)** : राज्य सरकारों का विदेशी बैंकों में कोई रुपया जमा नहीं है। विदेश स्थित भारतीय मिशन अपना रुपया विदेशी बैंकों में रखते हैं किन्तु ठीक-ठीक रकम के बारे में हमारे पास अभी कोई सूचना नहीं है।

## सहायक विमान बल

†*१०४६. { **सरदार इकबाल सिंह :**
**सरदार अकरपुरी :**

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५६ में अब तक सहायक विमान बल स्कवैड्रन में भर्ती के लिये कुल कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं; और

---

†मूल अंग्रेजी में।

(ख) कुल कितने व्यक्ति चुने गये ?

†**प्रतिरक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी)** : (क) १,०८० ।

(ख) ६० ।

## बहुप्रयोजन परियोजनायें

†*१०४७. **श्री संगण्णा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री २९ मई, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २६५४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आदिम जाति और अनुसूचित जाति क्षेत्रों में बहुप्रयोजन परियोजनाओं सम्बन्धी योजनाओं को अन्तिम रूप दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य के लिये परियोजनाओं पर कितनी लागत आने का अनुमान है; और

(ग) उन्हें कब कार्यान्वित किया जायेगा ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी हां ।

(ख) अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ३४**]

(ग) राज्य सरकारों से विस्तृत प्रस्थापनाओं के प्राप्त होने और स्वीकृत किये जाने के तुरन्त पश्चात ही परियोजनाओं को कार्यान्वित किया जायेगा ।

## सांस्कृतिक शिष्टमंडल

†*१०४८. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :**
**श्री दी० चं० शर्मा :**
**श्री संगण्णा :**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रूस और सभी पूर्वी जन लोक तन्त्रात्मक गणराज्यों को भेजे जाने वाले भारतीय सांस्कृतिक शिष्टमंडलों के सदस्यों का चुनाव किन तरीकों से किया जाता है;

(ख) क्या उनके कला प्रदर्शन के खिलाफ दिल्ली के समाचार-पत्रों में प्रकाशित टिप्पणियां सरकार के ध्यान में लाई गई हैं; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिये कि ऐसे महत्वपूर्ण सद्भावनापूर्ण, और सांस्कृतिक शिष्टमंडलों में सबसे अधिक योग्य कलाकार ही भेजे जायें सरकार क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

†**शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आजाद)** : (क) साधारणत: शिष्टमंडल के सदस्यों को सरकार चुनती है ।

(ख) जी हां ।

(ग) बाद के शिष्टमंडलों के लिये चुनाव करते समय योग्य व्यक्तियों और संघठनों की राय और शिष्टमंडल में सम्मिलित किये गये कलाकारों के कला प्रदर्शन को ध्यान में रखा जाता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

## पुलिस की मोटार गाडियां

†*१०४९. **डा० सत्यवादी** : क्या गृह-कार्य मंत्री ३ मई, १९५६ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या १७४५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उसके पश्चात सरकार ने उन पुलिस पदाधिकारियों के अभ्यावेदनों पर जिनसे पैट्रोल के इस्तेमाल के लिये वसूली की जानी थी, अन्तिम आदेश दे दिये हैं; और

(ख) यदि हां, तो वसूलियों के बारे में अब क्या स्थिति है ?

†**गृहकार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) इस मामले पर सरकार अभी विचार कर रही है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

## हिन्दी का विकास

†६०४. **श्री रामकृष्ण** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५६-५७ में और द्वितीय पंचवर्षीय योजना अवधि में हिन्दी के विकास पर राज्यवार कितना खर्च किया जाने को है ?

†**शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आजाद)** : एक विवरण जिसमें हिन्दी के विकास के लिये १९५६-५७ और समस्त योजना अवधि के लिये उन विभिन्न अहिन्दी भाषी राज्य सरकारों की "अनुमोदित योजनाओं' की सूची में सम्मिलित रकमें, जो इस समय उपलब्ध है, दिखाई गई हैं, सभा-पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ३५**] केन्द्रीय सरकार ने अपनी ओर से समूची योजना अवधि के लिये १८७.०२ लाख रुपया दिया है, जिसमें से २८.०० लाख रुपये की व्यवस्था १९५६-५७ के आय व्यय में की गई है ।

## प्रादेशिक भाषायें

†६०५. **श्री रामकृष्ण** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५६-५७ और समस्त द्वितीय पंचवर्षीय योजना कालावधि में प्रादेशिक भाषाओं के विकास के लिये राज्यवार कुल कितनी धनराशि खर्च की जायेगी ?

†**शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आजाद)** : १९५६-५७ में हिन्दी को छोड़ कर अंग्रेजी भाषा के समेत प्रादेशिक भाषाओं के विकास पर भारत सरकार ने २ लाख रुपया खर्च करने की व्यवस्था की है । द्वितीय योजना अवधि में इस प्रयोजन के लिये २० लाख रुपया आवंटित किया गया है परन्तु इस समय कोई राज्यवार आवंटन करने का विचार नहीं है ।

## पब्लिक स्कूल

†६०६. **श्री रामकृष्ण** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५४-५५ और १९५५–५६ में पब्लिक स्कूलों को सरकार द्वार-स्कूलवार कितना अनुदान दिया गया ?

†**शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आजाद)** : एक विवरण अपेक्षित जानकारी देने वाला लोक-सभा पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ३६**]

---

†मूल अंग्रेजी में ।

## बिना लाइसेंस के शस्त्र

†६०७. **श्री भीखा भाई** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५-५६ में शस्त्रास्त्र अधिनियम के अधीन बिना लाइसेंस अथवा बिना उपयुक्त लाइसेंस की बन्दूके रखने के कितने मामले पंजीबद्ध किये गये; और

(ख) उक्त कालावधि में कितने मामलों में बन्दूकें राज्य द्वारा जब्त कर ली गईं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)**: एक विवरण जिसमें उन राज्यों के बारे में जिनसे अब तक उत्तर मिले हैं अपेक्षित जानकारी दी गई है, सभा-पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ३७**], अन्य राज्यों सम्बन्धी जानकारी प्राप्त होने पर लोक-सभा पटल पर रख दी जायेगी।

## इंडियन इकानामिक इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड

†६०८. **श्री रामा नन्द दास** :
**श्री बाल्मीकी** :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंडियन इकानामिक इंशोरेंस कम्पनी के अभिरक्षक ने विस्थापित व्यक्तियों के साथ खर्दालैंड के उक्त बीमा अभिरक्षक के कब्जे वाली जमीन पर बसाने के लिये एक 'विना नावा' करार किया था;

(ख) यदि हां, तो प्रश्नाधीन भूमि के लिये कितने विस्थापित व्यक्तियों का पंजीयन पूरा हो गया था; और

(ग) क्या सरकार शेष भूमि का पंजीयन वास्तविक विस्थापित व्यक्तियों द्वारा अपेक्षित राशि का भुगतान किये जाने पर शीघ्र करा देगी ?

†**राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री म० च० शाह)** : (क) और (ख). इंडियन इकानामिक इंशोरेंस कम्पनी मार्च १९५५ में एक योजना के अनुसार खर्दा में स्थित उस समस्त भूमि को जो कि १२९ प्लाटों में विभाजित थी, विस्थापित व्यक्तियों को बेचने के लिये तैयार हो गई थी। कम्पनी ने विस्थापित व्यक्तियों की ओर से एक संगठन से करार किया। भूमि के वास्तविक विक्रय का करार केवल १० मामलों में ही पूरा हो सका, क्योंकि शेष आवश्यक निधि प्राप्त करने में असमर्थ रहे।

(ग) इस मामले पर आग्रेतर विचार किया जा रहा है क्योंकि भाग लेने वाले व्यक्तियों में से ९८ द्वारा आवश्यक निधि का प्रबन्ध न किये जा सकने के कारण कम्पनी की मल योजना गड़बड़ा गई है।

## राजनैतिक पीडितों को सहायता

†६०९. **श्री दशरथ देब** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५५-५६ में त्रिपुरा के राजनैतिक पीड़ितों को कोई आर्थिक सहायता दी गई थी;

(ख) यदि हां, तो ऐसे मागलों की संख्या;

(ग) इस सहायता को प्राप्त करने के लिये उक्त कालावधि में त्रिपुरा से कितनी याचिकायें प्राप्त हुई हैं; और

(घ) अब तक कितनी याचिकायें अस्वीकृत कर दी गई हैं अथवा विचाराधीन हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) कोई नहीं ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

## त्रिपुरा में अनुसूचित जातियों के प्रार्थी

†६१०. **श्री दशरथ देव** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५ और १९५६ में अब तक त्रिपुरा की सरकारी सेवाओं के घोषित पदों के लिये अनुसूचित जातियों के कितने व्यक्तियों ने आवेदन पत्र भेजे ; और

(ख) अब तक कुल कितने व्यक्ति नियुक्त किये गये हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : १९५५ में अनुसूचित जाति के किसी भी व्यक्ति ने घोषित पदों के लिये आवेदन-पत्र नहीं भेजा और गत वर्ष कोई भी नियुक्त नहीं किया गया । १९५६ में अब तक अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों द्वारा किये गये आवेदन-पत्रों और की गई नियुक्तियों के बारे में जानकारी एकत्र की जा रही है और यथा समय लोक-सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

## खनिज पदार्थ

†६११. **श्री वें० प० नायर** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री सभा पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें १९५५-५६ में केरल में पाये गये खनिज पदार्थों के सम्बन्ध में यह ब्योरा हो :–

१. खनिज का नाम;

२. उपलब्ध अनुमानित मात्रा;

३. प्रत्येक वर्ष निकाली गई मात्रा; और

४. किस वर्ष यह अनुमान लगाया गया था ?

†**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : १९५५-५६ में खनिज पदार्थों में उत्पादन के आंकड़े उपलब्ध होने पर तुरन्त लोक-सभा पटल पर रख दिये जायेंगे ।

## लिग्नाईट

†६१३. **श्री वें० प० नायर** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लिग्नाईट की उपलब्धता के बारे में केरल की आज तक ज्ञात स्थिति क्या है;

(ख) क्या उन चट्टानों के बारे में जिनके सम्बन्ध में कहा जाता है कि उनमें लिग्नाईट है, कोई अनुसन्धान किया गया है और

(ग) यदि हां तो इस अनुसन्धान का ब्यौरा क्या है ?

†**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) से (ग). उपलब्ध जानकारी देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ३८**]

---

†मूल अंग्रेजी में ।

## ग्रेफाईट

†६१४. **श्री वें० प० नायर** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यदि केरल में ग्रेफाइट उपलब्ध है तो कितनी मात्रा में; और

(ख) अब प्रत्येक वर्ष कितना ग्रेफाइट निकाला जाता है ?

†**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) केरल में अभी ग्रेफाइट निक्षेपों का अनुमान नहीं लगाया गया है ।

(ख) १९१२ से पूर्व भारत में ग्रेफाइट का समस्त उत्पादन दक्षिण त्रावनकोर में ही होता था, जहां का औसतन उत्पादन कोई १३,००० टन प्रति वर्ष था । बहुत गहराई पर काम करने की कठिनाइयों, और अन्य कारणों से, इन खानों को मितव्ययितापूर्ण नहीं समझा गया था इसलिये १९१२ में उन्हें अन्ततः बन्द कर दिया गया । १९१२ के पश्चात से केरल क्षेत्रों से ग्रेफाइट के उत्पादन की कोई सूचना नहीं मिली है । परन्तु यह ज्ञात है कि युद्ध के वर्षों (१९४१-४५) में त्रिवेंद्रम के निकट एक बहुत छोटा सा निक्षेप पाया गया था जिससे कुछ एक टन उत्पादन होता है ।

## भूतत्वीय अनुसन्धान

†६१५. **श्री वें० प० नायर** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार के कितने भूतत्व वेत्ता अथवा भूतत्ववेत्ताओं की टीमें त्रावनकोर-कोचीन राज्य में इस समय कार्य कर रही है; और

(ख) उनके अनसन्धान के विषय क्या हैं ?

†**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) त्रावनकोर-कोचीन राज्य में १९५५-५६ के मौसम में एक भूतत्व वेत्ता ने कार्य किया था । इस समय वहां कोई कार्य नहीं कर रहा है ।

(ख) १९५५-५६ के कार्य के मौसम में भूतत्व वेत्ता उस क्षेत्र की नलकूपों के लिये उपयुक्तता के सम्बन्ध में नीचे के तल के पानी की समस्याओं का अध्ययन करते रहे ।

## आसाम तेल कम्पनी

†६१६. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय डिगबोई और नहरकटिया तेल क्षेत्रों से इस समय साफ किया हुआ और साफ न किया हुआ कुल कितना तेल निकलता है; और

(ख) आसाम तेल कम्पनी को कुल कितने क्षेत्र के लिये (१) पट्टा दिया गया है और कितने वर्षों से तथा (२) तेल की खोज करने का लाइसेंस दिया गया है ?

†**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) सूचना एकत्र की जा रही है और यथाशीघ्र सभा-पटल पर रख दी जायगी ।

(ख) अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ३९**]

---

†मूल अंग्रेजी में ।

## मैट्रिक के उपरांत की छात्रवृत्तियां

†६१७. **श्री नि० बि० चौधरी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार को अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों और अन्य पिछड़े हुए वर्गों के लिये मैट्रिक के उपरांत की छात्रवृत्तियों के लिये प्रार्थना पत्र भेजने के समय का विस्तार किये जाने की मांग करने वाले अभ्यावेदन मिले हैं; और

(ख) यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

†**शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आजाद)** : (क) जी, हां।

(ख) १५ अगस्त, १९५६ तक सब प्रार्थना पत्रों को स्वीकार करने का निर्णय किया गया है।

## राष्ट्रीय छात्र सेना

†६१८. **श्री राधा रमण** :
**पंडित द्वा० ना० तिवारी** :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री ९ अप्रैल, १९५६ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या ८०३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूसरी पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय छात्र सेना के अग्रेतर विस्तार की योजना को अन्तिम रूप दिया जा चुका है; और

(ख) यदि हां, तो इस के विस्तार का क्या ब्यौरा है ?

†**प्रतिरक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी)** : (क) जी, हां। योजना आयोग द्वारा अनुमोदित विस्तार योजना को राज्य सरकारों को भेज दिया गया है, उनसे व्यय का कुछ अंश देने को कहा गया है।

(ख) लगभग ३०,००० छात्रों को प्रति वर्ष बढ़ाने का प्रस्ताव है। इससे प्रत्येक कालिज को कम से कम एक एकक आवंटित करना संभव हो सकेगा। इसमें महिला विभाग में भी पर्याप्त वृद्धि करने की व्यवस्था है।

## राष्ट्रीय योजना प्रमाण-पत्र

†६१९. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ मार्च, १९५६ से कितने मूल्य के राष्ट्रीय योजना प्रमाण-पत्र बेचे गये हैं; और

(ख) अभिकर्त्ताओं और अभिकरण संगठनों के द्वारा कुल कितना धन जमा किया गया है ?

†**राजस्व और प्रतिरक्षा व्यय मंत्री (श्री अ० चं० गुह)** : (क) मार्च से जुलाई १९५६ की अवधि में लगभग ४.५ करोड़ रुपये।

(ख) अभिकर्त्ता राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र और राष्ट्रीय योजना प्रमाण-पत्र दोनों ही बेचते हैं। प्रत्येक के पृथक् पृथक् आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। डाकघरों में हुए सीधा विक्रय को छोड़ कर, मार्च से मई १९५६ के बीच अभिकर्त्ताओं द्वारा बेचे गये दोनों प्रकार के प्रमाण पत्रों का मूल्य कोई ३.७ करोड़ रुपये है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

**पवन-चक्कियां**

†६२०. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि भारत सरकार दूसरी पंचवर्षीय योजना में कांगड़ा जिला में पवन चक्कियां लगाने का विचार करती है ?

†**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : दूसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विभिन्न स्थानों पर पवन के वेग का सविस्तार सर्वेक्षण करने की प्रस्थापना की गई है। प्रयोगात्मक पवन-चक्कियां लगाने के स्थान सर्वेक्षण कार्य के पूर्ण हो जाने के पश्चात चुने जायेंगे।

**पेप्सू में महिला तथा बाल कल्याण योजनाये**

†६२१. **श्री रामकृष्ण** : क्या **शिक्षा** मंत्री पैप्सू में राज्य समाज कल्याण मंत्रणा बोर्ड द्वारा १९५६-५७ के लिये तैयार की गई महिला तथा बाल कल्याण योजना का ब्यौरा बताने की कृपा करेंगे?

†**शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आजाद)**: अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ४०**]

**गैर सरकारी समवायों में पूंजी लगाना**

†६२२. **श्री झूलन सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा आज तक गैर सरकारी समवायों के अंशों में कुल कितना धन लगाया गया है; और

(ख) उन विनियोगों से कुल कितना शुद्ध लाभ हुआ है ?

†**राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री म० च० शाह)** : सूचना एकत्र की जा रही है और उपलब्ध होते ही लोक-सभा पटल पर रख दी जायेगी।

**त्रावनकोर-कोचीन राज्य में तूफान**

†६२३. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार (केन्द्रीय और राज्य) ने, १३ जून, १९५६ के तूफान के कारण त्रावनकोर-कोचीन राज्य में चेरपू में हुए जीवन और सम्पत्ति के नाश के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : वहां कोई जन हानि नहीं हुई है। गरीब लोगों को जो बेकार हो गये हैं, मुफ्त चावल बांटा गया है, और जिनके घर नष्ट हो गये हैं उनको मुफ्त अनुदान दिये गये हैं। प्रधान मंत्री की राष्ट्रीय सहायता निधि से राज्य को २०,००० रुपये भी दिये गये हैं।

**सोने की खाने**

†६२४. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५६ में कितनी और कौन-कौन सी सोने की खानों का निरीक्षण किया गया है; और

---

†मूल अंग्रेजी में।

(ख) प्रतिवेदनों की रूप रेखा क्या है ?

†**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)**: (क) और (ख). अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ४१**]

## माध्यमिक शिक्षा

†६२५. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने १९५६-५७ के आयव्ययक में माध्यगिक शिक्षा के विस्तार के लिये राज्य सरकार को अनुदान देने का उपबंध किया है;

(ख) यदि हां, तो कितने धन की व्यवस्था की गई है; और

(ग) राज्यवार इन आंकड़ों का ब्यौरा क्या है ?

†**शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आजाद)** :

(क) जी, हां।

(ख) और (ग). चालू वर्ष के आयव्ययक में ३.४ करोड़ रुपये का उपबंध किया गया है, जिसका अधिकांश भाग माध्यमिक शिक्षा की योजनाओं के लिये राज्यों को अनुदान देने के लिये काम में लाया जायगा। अनुदानों के राज्यवार आंकड़े बताना संभव नहीं है, क्योंकि यह १९५६-५७ में राज्यों द्वारा वास्तव में कार्यान्वित की जाने वाली प्रस्थापनाओं पर निर्भर होगा।

## शिक्षा संबंधी संस्थाओं की अखिल भारतिय फेडरेशन

†६२६. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समाज शिक्षा के क्षेत्र में सरकार ने शिक्षा सम्बन्धी संस्थाओं का अखिल भारतीय फेडरेशन का किस प्रकार सहयोग प्राप्त किया है; और

(ख) सरकार द्वारा आयोजित विभिन्न गोष्ठियों और सम्मेलनों में इसका सहयोग कैसे प्राप्त किया गया था ?

†**शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आजाद)** : (क) समाज शिक्षा के क्षेत्र में किसी भी परियोजना के लिये शिक्षा सम्बन्धी संस्थाओं की अखिल भारतीय फेडरेशन का सहयोग प्राप्त नहीं किया गया है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

## दृश्य श्रव्य शिक्षा

†६२७. **श्री रामकृष्ण** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुसरी पंचवर्षीय योजना अवधि के लिये दृश्य-श्रव्य शिक्षा की योजना को अन्तिम रूप दिया जा चुका है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

†**शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आजाद)** : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ४२**]

---

†मूल अंग्रेजी में।

**नौसेना गवेषणा**

†६२८. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय नौसेना के लाभार्थ एक गवेषणा विभाग बनाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो १९५६-५७ में इस पर कितना व्यय होने का अनुमान है ।

†**प्रतिरक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी)** : (क) जी हाँ ।

(ख) ३६५,००० रुपये व्यय होने का अनुमान है ।

**प्रादेशिक सेना**

†६२९. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पैप्सू के कितने सरकारी कर्मचारी प्रादेशिक सेना में सम्मिलित हुए हैं ?

†**प्रतिरक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी)** : २७ ।

**पंजाब और पेप्सू में रक्षित स्मारक**

† ६३०. { **सरदार इकबाल सिंह** :
**सरदार अकरपुरी** :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पैप्सू में कितने रक्षित स्मारक हैं और वे किन-किन स्थानों पर हैं;

(ख) क्या पंजाब और पैप्सू में रक्षित स्मारकों की देखरेख के स्तर में सुधार करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आजाद)**: (क) प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारक तथा पुरातत्व सम्बन्धी स्थान तथा अवशेष (राष्ट्रीय महत्व की घोषणा) अधिनियम, १९२१, की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है ।

(ख) और (ग). पंजाब तथा पैप्सू राज्यों में स्थित राष्ट्रीय महत्व के रक्षित स्मारकों की ओर पहले से ही उसी प्रकार उचित ध्यान दिया जा रहा है जैसा कि शेष भारत में स्थित अन्य रक्षित स्मारकों की ओर दिया जाता है, और सुधार सम्बन्धी किसी सामान्य प्रस्थापना को आवश्यक नहीं समझा गया है और न ही ऐसा करना वांछनीय है, क्योंकि प्रत्येक स्मारक की अपनी आवश्यकताओं के अनुसार उसके बारे में पृथक्-पृथक् विचार करना होता है ।

**भटिंडा में पुरातत्व सम्बन्धी खुदाई**

†६३१. { **सरदार इकबाल सिंह** :
**सरदार अकरपुरी** :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईसा-पूर्व काल से सम्बन्धित महान ऐतिहासिक महत्व के पुराने अवशेष हाल ही में पैप्सू के भटिंडा नगर के किले वाले भाग में पाये गये हैं ;

(ख) क्या उस क्षेत्र में पुरातत्व विभाग द्वारा और खुदाई कराई जायेगी; और

(ग) जो वस्तुएं मिली हैं, उनका ब्यौरा क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आजाद)** : (क) जी नहीं ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

## मतदाताओं की सूचियां

†६३२. **सरदार इकबाल सिंह :**
**सरदार अकरपुरी :**

क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब के गांवों में रहने वाले अनुसूचित जातियों के हजारों व्यक्तियों के नाम मतदाताओं की सूची में सम्मिलित नहीं किये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में सरकार क्या कार्यावाही करने की प्रस्थापना करती है ?

†**विधि-कार्य मंत्री (श्री पाटस्कर)**: (क) और (ख). सूचना एकत्र की जा रही है और यथा-समय सभा पटल पर रख दी जायगी ।

## पंजाब और पेप्सू में बहुप्रयोजनीय स्कूल

† ६३३. **सरकार इकबाल सिंह :**
**सरदार अकरपुरी :**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५६-५७ में पंजाब और पैप्सू में किन-किन स्थानों पर बहुप्रयोजनीय स्कूल खोले जाने हैं;

(ख) इन स्कूलों में कौन-कौन से विशेष विषय पढ़ाये जाने हैं; और

(ग) केन्द्रीय सरकार के द्वारा पंजाब और पैप्सू को इस कार्य के लिये कितना सहाय्य अनुदान मंजूर किया गया है ?

†**शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आजाद)** : (क) पंजाब सरकार ने सूचित किया है कि अभी तक स्थान चुने नहीं गये हैं, जब कि पैप्सू सरकार १९५६-५७ में कोई बहुप्रयोजनीय स्कूल खोलने का विचार नहीं करती है ।

(ख) जहाँ तक पंजाब का सम्बन्ध है, चुने हुए सरकारी हाई स्कूलों में यह १८ विविध पाठ्यक्रम जारी किये जाने हैं:—

३ विज्ञान
३ प्रविधिक
३ वाणिज्य
३ कृषि
३ ललित कलायें
३ गृह विज्ञान

पैप्सू के बारे में प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

(ग) पंजाब सरकार के लिये केन्द्र ने अपने अंश के रूप में १४,०६,४८७ रुपये के अनुदान की मंजूरी दे दी है, इसमें से अभी केवल आधी राशि (७,०३,२४४ रुपये) ही दी गई है। पैप्सू से अभी तक कोई प्रस्थापनायें प्राप्त नहीं हुई हैं।

## संविहित निकायों का लेखा परिक्षण

† ६३४. **सरदार इकबाल सिंह :**
**सरदार अकरपुरी :**

क्या **वित्त** मंत्री २५ मई १९४६ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या २५०४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय कृषि गवेषणा परिषद्, और भारतीय वैज्ञानिक तथा औद्योगिक गवेषणा परिषद के लेखाओं का यहां लेखा परीक्षक द्वारा संविहित लेखा परीक्षण का उपबंध करने वाले प्रस्ताव के सम्बन्ध में स्थिति क्या है ?

†**राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री म० च० शाह)** : ऐसे उपक्रमों के संविहित लेखा परीक्षण के लिये एक व्यापक विधान बनाने का प्रश्न अभी विचाराधीन है। इस बीच भारतीय कृषि गवेषणा परिषद् और भारतीय वैज्ञानिक तथा औद्योगिक गवेषणा परिषद् के लेखाओं का लेखा परीक्षण 'अनुमति' के आधार पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा किया जा रहा है।

## बैंकों में अनध्यर्चित खाते

† ६३५. **सरदार इकबाल सिंह :**
**सरदार अकरपुरी :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि ३१ मार्च, १९५६ को भारत के विभिन्न बैंकों में कुल कितनी राशि के अनध्यर्चित खाते हैं ?

†**राजस्व और प्रतिरक्षा व्यय मंत्री (श्री अ० चं० गुह)** : बैंकिंग कम्पनी अधिनियम १९४९ की धारा २६ के अन्तर्गत प्रत्येक पत्री वर्ष के अन्त में सभी बैंक भारत के रिजर्व बैंक को उन तमाम खातों का एक विवरण प्रस्तुत करते हैं जिनमें दस वर्ष से कोई लेन-देन नहीं किया गया है। इसलिये यह बताना कि भारत के विभिन्न बैंकों में पड़े अनध्यर्चित खातों की कुल राशि ३१ मार्च १९५६ को कितनी थी संभव नहीं है। ३१ दिसम्बर, १९५६ को इस प्रकार के अनध्यर्चित खातों की कुल राशि १·८१ करोड़ रुपये थी।

## सरकारी अधिकारियों की भर्ती

†६३६. **श्री राधा रमण** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन अफसरों को जो नियमित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर भर्ती नहीं किये गये ह या जिनकी अह युद्ध सेवायें नहीं ह स्थायी रिक्त पदों पर नियुक्त करके उन उम्मीदवारों से वरिष्ट बनाया गया है जो कि नियमित प्रतियोगिता परीक्षाओं के आधार पर भर्ती किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसा किस आधार पर किया गया है तथा १९४५ से पहले की तथा १९४५ के बाद की रिक्तियां के सम्बन्ध में ऐसी कितनी घटनायें हुई हैं;

(ग) ऐसे कितने अधिकारियों को, जिन्हें १९४२–४५ में पूर्णतया अस्थायी आधार पर तथा स्थायी पदाली में खपा लेने की प्रतिभरति दिये बिना भर्ती किया गया था और जिन्होंने अर्ह युद्ध सेवायें की हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में।

१९४६-४७ से १९५१-५२ के बीच की अवधि में वर्षवार सेवयुक्त कर लिया गया है;

(घ) क्या मंत्रालय द्वारा जारी की गयी वरिष्ठता सूची में उनके आवण्टन के वर्ष बताये गये हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके लिये क्या कारण है, और यह कब बताये जायंगे ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) से (ङ). अपेक्षित जानकारी एकत्रित की जा रही है और लोक-सभा पटल पर रख दी जायेगी।

## भारतीय पुलिस सेवा की परीक्षाएं

†६३७. { **श्री दी० चं० शर्मा** :
**श्री वीरास्वामी** :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछली भारतीय पुलिस सेवा परीक्षा में अनुसूचित जातियों के कितने उम्मीदवारों ने भाग लिया था;

(ख) उनमें से कितनों ने अर्हता प्राप्त की; और

(ग) नियुक्त किये जाने वालों की संख्या क्या है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) ५०।

(ख) ५

(ग) पांच में से एक की नियुक्ति पहले ही भारतीय प्रशासनिक सेवा में हो गयी है। उनके अन्यथा उपयुक्त होने की दशा में, शेष चार उम्मीदवारों को भी योग्यता सूची में उनके स्थान का विचार न करते हुए भारतीय पुलिस सेवा में नियुक्त करने का विचार किया जा रहा है।

## जामा मस्जिद

†६३८. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५-५६ को समाप्त होने वाले तीन वर्षों में जामा मस्जिद की देख भाल पर कितनी धन राशि खर्च की गयी है; और

(ख) १९५६-५७ में कितनी धन राशि खर्च की जानी है ?

†**शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आजाद)** : (क) और (ख). दिल्ली की जामा मस्जिद की, जिसके बारे में ही शायद यह प्रश्न पूछा जा रहा है, देखभाल सरकार द्वारा नहीं की जाती है। परन्तु फिर भी विशेष रूप से मरम्मत कराने पर सरकार ने फरवरी और मार्च १९५६ में १७,००२ रुपये खर्च किये और चालू वित्तीय वर्ष में ३६,००० रुपये खर्च करने की प्रस्थापना है। इस खर्चे में सेवायुक्त कर्मचारियों के वेतन और भत्ते भी शामिल है।

## अनुसूचित जातियों की छात्रवृत्तियां

६३९. **श्री बादशाह गुप्त** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों को सरकार पिछले वर्ष की अपेक्षा १९५६-५७ में अधिक छात्रवृत्तियां देने वाली है ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

**शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आजाद)** : सरकार ने १९५६-५७ में, अनुसूचित जाति के समस्त योग्य छात्रों १ को छात्रवृत्ति देने का निश्चय किया है। छात्रवृत्तियों की संख्या समय पर अर्थात् १५ अगस्त १९५६ तक योग्य छात्रों से प्राप्त प्रार्थनापत्रों की संख्या पर निर्भर करती है।

## दिल्ली की मतदाता सूची

**६४०. श्री प० ला० बारूपाल** : क्या **विधि** मंत्री २१ अप्रैल, १९५६ के तारांकित प्रश्न संख्या १६२८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली की ईदगाह के सामने झण्डेवालान में रहने वाले लगभग चार हजार मजदूरों के नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं किये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो इनके नाम मतदाता सूची में पंजीबद्ध (रजिस्टर) कराने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

†**विधि-कार्य मंत्री (श्री पाटस्कर)**: (क) तथा (ख). सूचना एकत्र की जा रही है, और उचित समय में सभा पटल पर रख दी जायगी।

## बाढ़ सहायता

†**६४१. श्री नि० बि० चौधरी** : क्या **वित्त** मंत्री सभा पटल पर ऐसा विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें उन राज्यों के नाम दिये गये हों जिन्होंने १९५६-५७ के वित्तीय वर्ष में बाढ़, अकाल, सूखा तथा अभाव की अवस्था में सहायता कार्य के सम्बन्ध में उनके द्वारा किये जाने वाले व्यय के लिए केन्द्रीय सरकार से सामान्य केन्द्रीय सहायता की प्रार्थना की है। और अब तक उनको कितनी धन राशि अनुदान के रूप में दी गयी है ?

†**राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री म० च० शाह)**: औपचारिक ढंग से चालू वित्तीय वर्ष में पड़ने वाली और बाढ़ आदि के सम्बन्ध में किसी राज्य द्वारा किये गये व्यय के सम्बन्ध में विहित प्रक्रिया के अनुसार किसी भी राज्य ने केन्द्रीय सहायता के लिये कोई प्रार्थना नहीं की है।

## योग आश्रम

†**६४२.** { **बाबू राम नारायण सिंह** :
**ठाकुर युगल किशोर सिंह** :
**श्री अस्थाना** :

क्या **शिक्षा** मंत्री २९ मई, १९५६ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या २४७५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योग प्रसार समिति योग आश्रम (नयी दिल्ली) द्वारा प्रस्तुत योजना पर विचार कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

†**शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आजाद)** : (क) और (ख). सरकार को समिति से एक योजना तो प्राप्त हुई है, परन्तु उस पर उसने अभी तक विचार नहीं किया है, क्योंकि उक्त समिति को अपनी वर्तमान भूमि के कब्जे के बारे में निश्चय नहीं है, क्योंकि इसका पट्टा चालू वर्ष में समाप्त होने वाला है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

## त्रिपुरा में सेंध चोरियां

†६४३. **श्री बीरेन दत्त** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि त्रिपुरा में सेंध चोरियां के मामलों की संख्या बढ़ गई है; और

(ख) यदि हां, तो इन्हें रोकने के लिए सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार कर रही है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता ।

## केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग

†६४४. **श्री ई० ईयाचरण** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५–५६ में केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग के मद्रास सर्किल में कितने उम्मीदवारों को इन्सपैक्टरों और सुपरवाईजरों के पदों पर भर्ती किया गया;

(ख) अनुसूचित जातियों के लिए कितने स्थान सुरक्षित थे और उक्त अवधि में वास्तव म कुल कितने व्यक्ति भर्ती किये गये; और

(ग) इस सर्किल में अनुसूचित जातियों के लिए सुरक्षित सुपरवाईजरों के कितने स्थान रिक्त हैं और इस पूरे कोटे की भर्ती के लिए क्या प्रयत्न किये गये हैं ?

†**राजस्व और प्रतिरक्षा व्यय मंत्री (श्री अ०चं० गुह)** : (क) कोई नहीं ।

(ख) कोई नहीं ।

(ग) ३१–१२–५५ को दस थे । आशा की जाती है कि यह स्थान १९५६-५७ में की जाने वाली भर्ती से भरे जायंगे । कलक्टर केन्द्रीय आबकारी विभाग, मद्रास से कुछ अग्रेतर ब्योरों की प्रतीक्षा की जा रही है, और उनके प्राप्त होते ही उन्हें तुरन्त सभा पटल पर रख दिया जायेगा ।

## अल्प बचत योजना

६४५. **श्री खू० चं० सोधिया** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में अल्प बचत योजना संगठन का केन्द्रीय और राज्य स्तर पर किस सीमा तक विस्तार किया गया है;

(ख) इस समय केन्द्र तथा राज्यों में इस संगठन में कुल कितने वैतनिक कर्मचारी हैं;

(ग) कमीशन के आधार पर कार्य करने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं की संख्या कितनी है और कमीशन की प्रतिशत दर क्या है; और

(घ) १ अप्रैल, १९५६ से लेकर ३१ जुलाई, १९५६ तक की अवधि में बेचे गये विभिन्न रकमों के सर्टिफिकेटों से कुल कितनी राशि प्राप्त हुई है ?

**राजस्व और प्रतिरक्षा व्यय मंत्री (श्री अ० चं० गुह)** : (क) और (ख). राष्ट्रीय बचत संगठन एक केन्द्रीय संगठन है जिसका एक मुख्यालय है और राज्यों में प्रादेशिक कार्यालय हैं । वेतन पाने वाले अधिकारियों की कुल संख्या १०५८ है जिसमें से ६८ मुख्यालय में और ९९० प्रादेशिक कार्यालयों में काम कर रहे हैं । चालू वर्ष में स्वीकृत पदों की संख्या में १३१ की वृद्धि हुई है– ३ की मुख्यालय में और १२८ की प्रादेशिक कार्यालयों में ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

(ग)

| | |
|---|---|
| व्यक्ति | २२,१०७ |
| संस्थायें | ४४८ |
| कमीशन | १ १/४ प्रतिशत |

(घ) चालू वित्तीय वर्ष में जुलाई १९५६ के अन्त तक कुल जितनी रकम इकट्ठी हुई और जिसमें एजेन्टो और एजेन्ट संगठनो द्वारा इकट्ठी की गई । रकम शामिल है, उसका ब्योरा इस प्रकार है:–

(लाख रुपयों में)

| | |
|---|---|
| राष्ट्रीय बचत सर्टिफिकेट | ७,०७ |
| राष्ट्रीय आयोजना सर्टिफिकेट | ३,२९ |
| राजकोष बचत जमा सर्टिफिकेट | १,१७ |
| वार्षिकी सर्टिफिकेट | १२ |
| डाकखाना बचत बैंक | ११,८१ |
| जोड़ | २३,४६ |

## मध्य भारत में छावनियां

६४६. **श्री अमर सिंह डामर** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य भारत में कौन-कौन सी छावनियां हैं; और

(ख) किन-किन छावनियों की सीमाओं के भीतर किराया नियंत्रण अधिनियम लागू है ?

**प्रतिरक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी)** : (क) महू तथा मोरार (ग्वालियर) ।

(ख) कोई नहीं ।

## अफीम की खेती

६४७. **श्री अमर सिंह डामर** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५५-५६ में मध्य भारत में कितने एकड़ भूमि में अफीम की खेती की गयी थी; और

(ख) वर्ष १९५६-५७ में कुल कितने एकड़ भूमि में इसकी खेती होने का अनुमान है ?

**राजस्व और प्रतिरक्षा व्यय मंत्री (श्री अ० चं० गुह)** : (क) १९५५–५६ में मध्य भारत में १८,५३५ एकड़ भूमि में पोस्त की खेती की गयी थी ।

(ख) अभी यह निश्चित नहीं किया गया कि १९५६-५७ में मध्य भारत में कितने एकड़ भूमि में पोस्त की खेती होगी किन्तु १९५५-५६ की अपेक्षा १९५६-५७ में कम खेती होने की सम्भावना नहीं है ।

## मांडू का किला

६४८. **श्री अमर सिंह डामर** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य भारत के धार जिले में स्थित मांडू के किले के रख-रखाव और संरक्षण के लिये केन्द्रीय सरकार ने १९५६-५७ में कितना धन मंजूर किया है; और

(ख) मध्य भारत के ऐसे ऐतिहासिक स्मारकों की संख्या कितनी है जिनकी देख-रेख केन्द्रीय सरकार स्वयं करती है अथवा जिनकी देख-रेख के लिये वित्तीय सहायता देती है ?

**शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आजाद)** : (क) यह जानकारी इकट्ठी की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(ख) "प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारकों तथा पुरातत्व सम्बन्धी स्थानों और अवशेषों (राष्ट्रीय महत्व की घोषणा) कानून १९५१" जो मध्य भारत में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की सूची बताता है, की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है । उन स्मारकों को जो राष्ट्रीय महत्व के घोषित नहीं किये गये हैं कोई वित्तीय सहायता केन्द्रीय सरकार ने नहीं दी है ।

## सिहोर में कम्पन

†६४९. **पंडित च० ना० मालवीय :**
**श्री रघुनाथ सिंह :**

क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भोपाल सरकार ने भारत सरकार से भोपाल राज्य में स्थित सिहोर नगर में जुलाई, १९५६ में अनुभव किये गये भूकम्पनों के कारणों का परीक्षण करने के लिए एक विशेषज्ञ भेजने की प्रार्थना की है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत सरकार ने कोई विशेषज्ञ भेजा है; और

(ग) उसके परीक्षण का क्या परिणाम निकला है ?

†**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)**: (क) और (ख). हां ।

(ग) विशेषज्ञ की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है और प्राप्त होते ही उसे लोक-सभा पटल पर रख दिया जायेगा ।

## भारतीय प्रशासनिक सेवा आपात भर्ती

†६५०. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रशासनिक सेवा की आपात भर्ती योजना के अन्तर्गत सितम्बर, १९५६ में होने वाली परीक्षा को स्थगित कर देने की कोई प्रस्थापना है; और

(ख) यदि हां, तो इस परीक्षा के फिर कब होने की संभावना है ।

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) हां ।

(ख) दिसम्बर १९५६ में किसी समय ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

## जीवन बिमा निगम

†६५१. **श्री अनिरुद्ध सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है जीवन बीमा निगम के पूर्वी क्षेत्र के अन्तर्गत बिहार क्षेत्र के डिवीजनल कार्यालयों के कुछ समय तक कलकत्ता में ही रखे जाते हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री ( श्री म० च० शाह)** : (क) नहीं, श्रीमान्

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

## सशस्त्र बलों के कर्मचारियों को भत्ते

†६५२. **श्री अच्युतन** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय वायु बल के (१) परिवार सहित कनिष्ठ कमीशन प्राप्त अधिकारियों (२) लैफ्टीनैंटों (३) और कनिष्ठ कमीशन प्राप्त अधिकारियों के तुल्य असैनिक अधिकारियों को उनके बंगलौर से दिल्ली को स्थायी स्थानांतरण के कारण प्रासंगिक खर्चे के लिये क्या भत्ता दिया जाता है ?

†**प्रतिरक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी)** : (क) (१) रेल गाड़ियों के समय के अनुसार यात्रा काल के लिये दो रुपये प्रति समय की दर से ६ रुपये अथवा ८ रुपये प्रति दिन भोजन व्यय के रूप में दिये जाते हैं । उनके पदों के तुल्य पदों पर नियुक्त असैनिक अधिकारियों अथवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों को प्रासंगिक व्यय नहीं दिये जाते हैं क्योंकि उन की नौकरी के शर्त्तें तथा निबन्धन भिन्न है ।

(२) रुपये ३९५-१२-० चार आने प्रति मील की दर से ।

(३) उनको जो २०० रुपये से ऊपर और ७५० रुपये से कम वेतन पाते है..... २६३ रुपये १३ आने । ३२ पाई प्रति मील की दर से ।

(ख) उनको जो २०० रुपये से कम वेतन पाने हैं .....१३१ रुपये १५ आने । १६ पाई प्रति मील की दर से ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

# दैनिक संक्षेपिका

## [सोमवार, १३ अगस्त, १९५६]


प्रश्नों के मौखिक उत्तर . . . . ९०१–९२२

| तारांकित प्रश्न संख्या | विषय | पृष्ठ |
|---|---|---|
| ९९४ | भारतीय नौसेना . . . . | ९०१–०२ |
| ९९५ | शैशव शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रीय समिति . . | ९०२–०३ |
| ९९६ | पाकिस्तान में सेवा कर्मचारियों के प्रतिभूति निक्षेप . | ९०३–०४ |
| ९९७ | न्यूजीलैण्ड से सहायता . . . . | ९०४ |
| ९९८ | बुद्ध परिनिर्वाण जयंती . . . . | ९०५–०६ |
| ९९९ | हैडमास्टरों तथा निरीक्षक पदाधिकारियों की गोष्ठियां | ९०६–०७ |
| १००० | मंत्रियों को भत्ते | ९०७ |
| १००१ | भारत का राज्य बैंक | ९०७–०९ |
| १००२ | बाल-कल्याण निधि . . . | ९०९ |
| १००३ | विदेशी पत्रिकायें . . . | ९०९ |
| १००४ | समुद्र पार यात्रा . . . | ९०९–१० |
| १००६ | नये विश्वविद्यालय . . | ९११–१२ |
| १००७ | सामान्य निर्वाचन . . | ९१२–१३ |
| १००८ | मिस्र को सैनिक मिशन . . | ९१३–१४ |
| १०१० | कोलम्बो योजना | ९१४–१५ |
| १०११ | टेकनिकल जनशक्ति . . . | ९१५–१६ |
| १०१२ | बुनियादी शिक्षा आकलन समिति | ९१६ |
| १०१५ | त्रिपुरा में खाद्य स्थिति . . | ९१६–१७ |
| १०१६ | डाक और तार और अंचल विभाग | ९१७–१८ |
| १०१८ | जिप्सम . . . | ९१८–१९ |
| १०१९ | शारीरिक शिक्षा का केन्द्रीय मंत्रणा बोर्ड . . | ९२० |
| १०२१ | युद्ध सामग्री कारखाने . . . | ९२१ |
| १०२२ | सरकारी सेवा (अर्हतायें और भर्ती) समिति . . | ९२२ |
| १०२५ | नागा . . . | ९२२ |
| १०२६ | इंडिया आफिस लाइब्रेरी | ९२३ |

प्रश्नों के लिखित उत्तर . ९२३–४९

| तारांकित प्रश्न संख्या | | |
|---|---|---|
| १००५ | मनीपुर सरकार की गाड़ियां | ९२३ |
| १००९ | रिजर्व सैनिक | ९२४ |

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)


| तारांकित प्रश्न संख्या | विषय | पृष्ठ |
|---|---|---|
| १०१३ | प्रौद्योगिकीय प्रशिक्षण संस्था . . . | ९२४ |
| १०१४ | शिक्षा के लिये विदेशों में भेजे जाने वाले विद्यार्थी | ९२४ |
| १०१७ | उड़ीसा में खनिज सर्वेक्षण . | ९२५ |
| १०२० | शिक्षा तथा व्यावसायिक मार्ग दर्शन ब्यूरो | ९२५ |
| १०२३ | चोरी छिपे माल ले जाना | ९२५–२६ |
| १०२४ | त्रावनकोर-कोचीन में बिक्री कर . | ९२६ |
| १०२७ | छावनियों का पुनर्गठन | ९२६ |
| १०२८ | मूल्यों को बढ़ने से रोकना . . | ९२७ |
| १०२९ | जेट फाइटर . . | ९२७ |
| १०३१ | भारत के नक्शे . | ९२८ |
| १०३२ | बालोपयोगी पुस्तकें . . | ९२८ |
| १०३३ | युद्धोत्तर सेवा पुर्नानिमान निधि . | ९२८–२९ |
| १०३४ | पुस्तकालय विकास . . | ९२९ |
| १०३५ | अन्तर्राष्ट्रीय बैंक से ऋण | ९२९ |
| १०३६ | भारत का प्रामाणिक इतिहास | ९२९ |
| १०३७ | चिरांदी में खुदाई . | ९२९–३० |
| १०३८ | आदिम जातियों के छात्र . | ९३० |
| १०३९ | केन्द्रीय शारीरिक शिक्षा मंत्रणा . . | ९३० |
| १०४० | कल्याण कार्य के लिये सहायता बोर्ड अनुदान . | ९३०–३१ |
| १०४१ | भोपाल में वायरलैस ट्रांसमीटर | ९३१ |
| १०४२ | पाकिस्तान समर्थक प्रचार | ९३१ |
| १०४३ | चोरी छिपे लाया गया माल | ९३२ |
| १०४४ | इस्पात . . . | ९३२ |
| १०४५ | विदेशी बैंकों में जमा धन | ९३२ |
| १०४६ | सहायक विमान बल . | ९३२–३३ |
| १०४७ | बहु प्रयोजन परियोजनायें | ९३३ |
| १०४८ | सांस्कृतिक शिष्ट मंडल | ९३३ |
| १०४९ | पुलिस की मोटर गाड़ियां | ९३४ |
| **अतारांकित प्रश्न संख्या** | | |
| ६०४ | हिन्दी का विकास | ९३४ |
| ६०५ | प्रादेशिक भाषायें . | ९३४ |
| ६०६ | पब्लिक स्कूल . | ९३४ |
| ६०७ | बिना लाइसैंस के शस्त्र . . | ९३५ |

प्रश्नों के लिखित उत्तर--(क्रमशः)


| तारांकित प्रश्न संख्या | विषय | पृष्ठ |
|---|---|---|
| ६०८ | इंडियन इकानामिक इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड . | ६३५ |
| ६०९ | राजनैतिक पीड़ितों को सहायता . | ६३५–३६ |
| ६१० | त्रिपुरा में अनुसूचित जातियों के प्रार्थी . | ६३६ |
| ६११ | खनिज पदार्थ | ६३६ |
| ६१३ | लिगनाइट . . | ६३६ |
| ६१४ | ग्रेफाइट . | ६३७ |
| ६१५ | भूतत्वीय अनुसंधान | ६३७ |
| ६१६ | आसाम तेल कम्पनी . . | ६३७ |
| ६१७ | मैट्रिक के उपरान्त की छात्रवृत्तियां | ६३८ |
| ६१८ | राष्ट्रीय छात्र सेना . . | ६३८ |
| ६१९ | राष्ट्रीय योजना प्रमाणपत्र . | ६३८ |
| ६२० | पवन चक्कियां . . . | ६३९ |
| ६२१ | पैप्सू में महिला तथा बाल-कल्याण योजनायें . | ६३९ |
| ६२२ | गैर-सरकारी समवायों में पूंजी लगाना | ६३९ |
| ६२३ | त्रावनकोर-कोचीन राज्य में तूफान . . | ६३९ |
| ६२४ | सोने की खानें . .. . . | ६३९–४० |
| ६२५ | माध्यमिक शिक्षा . . . . | ६४० |
| ६२६ | शिक्षा सम्बन्धी संस्थाओं की अखिल भारतीय फेडरेशन | ६४० |
| ६२७ | दृश्य-श्रव्य शिक्षा | ६४० |
| ६२८ | नौसेना गवेषणा | ६४१ |
| ६२९ | प्रादेशिक सेना . . . | ६४१ |
| ६३० | पंजाब और पैप्सू में रक्षित स्मारक . . . | ६४१ |
| ६३१ | भटिंडा में पुरातत्व सम्बन्धी खुदाई . . | ६४१–४२ |
| ६३२ | मतदाताओं की सूचियां . . . . | ६४२ |
| ६३३ | पंजाब और पैप्सू में बहु प्रयोजनीय स्कूल . | ६४२–४३ |
| ६३४ | संविहित निकायों का लेखा-परीक्षण . . | ६४३ |
| ६३५ | बैंकों में अनर्ध्यचित खाते . . . | ६४३ |
| ६३६ | सरकारी अधिकारियों की भर्ती . . . | ६४३–४४ |
| ६३७ | भारतीय पुलिस सेवा की परीक्षायें . . . | ६४४ |
| ६३८ | जामा मस्जिद . . . . | ६४४ |
| ६३९ | अनुसूचित जातियों को छात्रवृत्तियां . . | ६४४–४५ |
| ६४० | दिल्ली की मतदाता-सूची | ६४५ |
| ६४१ | बाढ़ सहायता . . . | ६४५ |
| ६४२ | योग आश्रम . . . . | ६४५ |

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)


| तारांकित प्रश्न संख्या | विषय | पृष्ठ |
|---|---|---|
| ६४३ | त्रिपुरा में सेंध चोरियां . . . . | ६४६ |
| ६४४ | केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग . . . | ६४६ |
| ६४५ | अल्प बचत योजना . . . . . | ६४६–४७ |
| ६४६ | मध्य भारत में छावनियां . . . | ६४७ |
| **अतारांकित प्रश्न संख्या** | | |
| ६४७ | अफीम की खेती . . . . | ६४७–४८ |
| ६४८ | मांडू का किला . . . | ६४८ |
| ६४९ | सिहोर में भूकम्पन . . . | ६४८ |
| ६५० | भारतीय प्रशासनिक सेवा आपात भर्ती . . | ६४८ |
| ६५१ | जीवन बीमा निगम . . . . | ६४९ |
| ६५२ | सशस्त्र बलों के कर्मचारियों को भत्ते . . | ६४९ |

सोमवार, 13 अगस्त 1956

# लोक-सभा

# वाद-विवाद

(भाग २—प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

खंड ७, १९५६

(६ से २५ अगस्त, १९५६)

1st Lok Sabha

सत्यमेव जयते

तेरहवां सत्र १९५६

(खण्ड ७ में अंक १६ से अंक ३० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय

नई दिल्ली

231 L. S./57

# विषय-सूची

## [भाग २—वाद-विवाद दिनांक, ६ से २५ अगस्त, १९५६]


| अंक १६, सोमवार, ६ अगस्त, १९५६ | पृष्ठ |
|---|---|
| स्वेज नहर के मामले पर वक्तव्य के सम्बन्ध में . | ६९५–९६ |
| स्थगन प्रस्ताव—— | |
| त्रिपुरा में बाढ़े . | ६९६–९८ |
| सभा-पटल पर रखे गये पत्र . | ६९८–९९ |
| राज्य सभा से सन्देश . . . | ६९९ |
| उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) विधेयक . | ७०० |
| राज्य पुनर्गठन विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में | ७००–३९ |
| खंड २ से १५ . . . . . | ७००–०२ |
| खंड १६ से ४९ और अनुसूचि १ से ३ | ७०२–१९ |
| खंड ५० से ७० . . . | ७१९–३२ |
| खंड ७१ से ११४ और अनुसूची ४ से ६ | ७३२–३९ |
| दैनिक संक्षेपिका | ७४०–४१ |

| अंक १७, मंगलवार, ७ अगस्त, १९५६ | |
|---|---|
| प्राक्कलन समिति— | |
| कार्यवाही का सारांश (१९५५–५६) खंड ५, अंक ४ और ५ | ७४३ |
| बिहार तथा पश्चिमी बंगाल (राज्य क्षेत्रों का हस्तान्तरण) विधेयक | ७४३ |
| राष्ट्रीय राजपथ विधेयक . . . . . | ७४३ |
| राज्य पुनर्गठन विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में . . | ७४४–८६ |
| खंड २ से १५ . . . . | ७४४–६३ |
| खण्ड ७१ से ११४ और अनुसूची ४ से ६ . . | ७६३–६६ |
| खण्ड ११५ से १३१ . . . | ७६६–८६ |
| दैनिक संक्षेपिका . . | ७८७ |

| अंक १८, बुधवार, ८ अगस्त, १९५६ | |
|---|---|
| डा० ह० कु० मुकर्जी का निधन . | ७८९–९० |
| स्वेज नहर के प्रश्न के बारे में वक्तव्य . . . | ७९०–९५ |
| दैनिक संक्षेपिका . | ७९६ |

**अंक १९ गुरुवार, ९ अगस्त, १९५६** **पृष्ठ**

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . . ७९७–९८

राज्य सभा से सन्देश . . . . . ७९८

सभा का कार्य . . . . . ७९८

स्थगन प्रस्तावों के संबंध में . . . . . ७९९

राज्य पुनर्गठन विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में . . ७९९–८५२

खण्ड २ से १३१, अनुसूची १ से ६ और खण्ड १ . . . . ७९९–८५०

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . . . . ८५१

नदी बोंड विधेयक, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में— ८५२–६३

विचार करने का प्रस्ताव . . . . . ८५२

दैनिक संक्षेपिका . . ८६४–६५

**अंक २०, शुक्रवार, १० अगस्त, १९५६**

स्थगन प्रस्ताव—

अहमदाबाद की स्थिति . . ८६७–६८

कार्य-मंत्रणा समिति—

उनतालीसवां प्रतिवेदन . . ८६८

प्राक्कलन समिति—

कार्यवाही का सारांश (१९५५–५६) खण्ड ५ संख्या ६ . ८६८

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

नेकोवाल दुर्घटना के संबंध में पाकिस्तान द्वारा क्षतिपूर्ति . ८६८–६९

नदी बोर्ड विदेयक—

राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . ८६९–७४

राज्य पुनर्गठन विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में ८७४–९८

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . . . . ८९४

व्यवहार प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक (धारा ८७–ख का हटाया जाना) . ८९८

भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक (धारा ४९७ का संशोधन)—

विचार करने का प्रस्ताव . . . ८९८–९११

बेकारी सहायता विधेयक—

परिचालित करने का प्रस्ताव . . ९११

स्त्री तथा बाल संस्था अनुज्ञापन विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव . ९१८

पृष्ठ

मोटरों के पेट्रोल पर उत्पादन शुल्क के बारे में आधे घंटे की चर्चा ९१९–२४

बिहार तथा पश्चिम बंगाल (राज्य क्षेत्रों का हस्तान्तरण) विधेयक ९२४–२५

दैनिक संक्षेपिका . . ९२६–२७

**अंक २१, शनिवार, ११ अगस्त, १९५६**

राज्य-सभा से सन्देश . . . . . ९२९

सभा का कार्य . . . . . ९२९–३०

नदी बोर्ड विधेयक, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में— ९३०–४१

खण्ड २ से २९ और १ . . . . . ९३०–४०

पारित करने का प्रस्ताव . . . . . ९४०

बिहार तथा पश्चिम बंगाल (राज्य क्षेत्रों का हस्तांतरण) विधेयक—

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन . . . . ९४४

अन्तर्राज्यिक जल विवाद विधेयक, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में—

विचार करने का प्रस्ताव . . . ९४१–४४, ९४५–५४

खण्ड २ से १३ और १ . . . ९५३–५४

पारित करने का प्रस्ताव . . . ९५४

मोटर गाड़ी (संशोधन) विधेयक—

संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव . . ९५४–७४

दैनिक संक्षेपिका . . . ९७५

**अंक २२, सोमवार, १३ अगस्त, १९५६**

स्थगन प्रस्ताव—

पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में सूखा . . . ९७७

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . . . . ९७७–७८

राज्य सभा से सन्देश . . . . . ९७८

अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति आदेश (संशोधन)

विधेयक के बारे में याचिका . ९७८

आधीनस्थ विधान संबंधी समिति—

पांचवां प्रतिवेदन . . . ९७९

वाद-विवाद से अंश निकाले जाने के बारे में .

कार्य मंत्रणा समिति—

उन्तालीसवां प्रतिवेदन ९७९–८०

पृष्ठ

तोल और माप मानदण्ड विधेयक . . ९८०

राष्ट्रीय राज पथ विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव . . ९८०–१०२४

खण्ड २ से १०, अनुसूची और खण्ड १ . १०१५–२४

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . १०२४

विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) नियमों के बारे में प्रस्ताव . १०२४–३७

दैनिक संक्षेपिका १०३८–३९

**अंक २३, मंगलवार, १४ अगस्त, १९५६**

सभा-पटल पर रखे गये पत्र १०४१

अनुपूरक अनुदानों की मांगें, १९५६–५७ . १०४२

अतिरेक अनुदानों की मांगें, १९५१–५२ . . . १०४२

अनुपूरक अनुदानों की मांगें, १९५६–५७ (त्रावनकोर-कोचीन) १०४२

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति—

अट्ठावनवां प्रतिवेदन . १०४२

विद्युत (सम्भरण) संशोधन विधेयक—

प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव . १०४२–६८

बहु-एकक सहकारी संस्थाएं (संशोधन) विधेयक—

राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव १०७५–८०

खण्ड १ और २ . १०८०–८१

पारित करने का प्रस्ताव . १०८०

भारतीय खाल उपकर (संशोधन) विधेयक—

राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव १०८१–९०

खण्ड १ से ५ . १०९०

पारित करने का प्रस्ताव . . १०९०

भारतीय कपास उपकर (संशोधन) विधेयक—

राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . . १०९०–९२

अगरतला में बाढ़ पीड़ित विस्थापित व्यक्तियों के बारे में आधे घंटे की चर्चा . १०९३–९७

दैनिक संक्षेपिका . १०९८–९९

**अंक २४, गुरुवार, १६ अगस्त, १९५६**

श्री शिवदयाल उपाध्याय का निधन ११०१

सदस्य का बन्दीकरण ११०१

पृष्ठ

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ११०१–०२

नियम समिति—

पांचवां प्रतिवेदन . . . . ११०२

लोक-लेखा समिति—

अट्ठारहवां प्रतिवेदन . . . . . ११०२

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना बिहार तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश में फसलों पर सूखे का प्रभाव . . . . ११०३–०४

बिहार तथा पश्चिमी बंगाल (राज्य क्षेत्रों का हस्तांतरण) विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में . . . . . ११०४–५२

विचार करने का प्रस्ताव . ११०४

खण्ड २ से ४ और नया खण्ड ४ क ११४६–४८

दैनिक संक्षेपिका . . . . . ११५३

**अंक २५, शुक्रवार, १७ अगस्त, १९५६**

पटल पर रखे गये पत्र . . . ११५५

राज्य सभा से सन्देश . . . . . ११५५

भारतीय रेलवे अधिनियम तथा उसके अधीन नियमों के बारे में याचिका . ११५६

सभा का कार्य . . . . . ११५६,१२०६

बिहार तथा पश्चिम बंगाल (राज्य क्षेत्रों का हस्तांतरण) विधेयक . ११५६–८८

खण्ड ३ से ५१, अनुसूची तथा खण्ड १ . ११७७–८६

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . . ११८६

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति—

अठावनवां प्रतिवेदन . . . . ११८८

चलचित्रों के उत्पादन तथा प्रदर्शन के नियंत्रण और विनियमन के बारे में प्रस्ताव . ११८८–१२०५

राज्य नीति के निदेशक तत्वों की कार्यान्विति संबंधी समिति की नियुक्ति के बारे में संकल्प . . . . . १२०५

दैनिक संक्षेपिका . १२०७–०८

**अंक २६, सोमवार, २० अगस्त, १९५६**

स्थगन प्रस्ताव—

अहमदाबाद की स्थिति १२०९–१०

सभा-पटल पर रखे गये पत्र १२१०

| | पृष्ठ |
|---|---|
| राज्यसभा से सन्देश . . . | १२१० |
| समाचार-पत्र (मूल्य तथा पृष्ठ) विधेयक . | १२११ |
| सदस्यों का नन्दीकरण . | १२११ |
| सदस्य द्वारा पदत्याग . . | १२११ |
| भारतीय रुई उपकर (संशोधन) विधेयक— | |
| राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . . | १२११–१५ |
| खण्ड २ से ५ और १ . . . | १२१५ |
| पारित करने का प्रस्ताव . . . . . | १२१५ |
| भारतीय नारियल समिति (संशोधन) विधेयक— | |
| विचार करने का प्रस्ताव | १२१५–२४ |
| खण्ड २ से ४ और १ . . . | १२२३ |
| संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . | १२२३ |
| उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) विधेयक— | |
| विचार करने का प्रस्ताव . . | १२२४–३४ |
| खण्ड १ और २ . . . | १२३४ |
| पारित करने का प्रस्ताव . . . . . | १२३४ |
| जम्मू तथा काश्मीर (विधियों का विस्तार) विधेयक— | |
| विचार करने तथा पारित करने के प्रस्ताव . . . | १२३५ |
| औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक— | |
| राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . | १२३५–३९ |
| खण्ड १ से ३ . | १२३९ |
| पारित करने का प्रस्ताव . . . | १२३९ |
| अनुपूरक अनुदानों की मांगें, १९५६–५७ . | १२४०–५६ |
| सभा का कार्य . | १२३९ |
| दैनिक संक्षेपिका . | १२५७–५८ |


**अंक २७, बुधवार, २२ अगस्त, १९५६**


| | |
|---|---|
| नियम समिति— | |
| बैठक की कार्यवाही का सारांश . . . | १२५९ |
| सभा पटल पर रखा गया पत्र . . . . . | १२६० |
| गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति— | |
| उनसठवां प्रतिवेदन . . . . . | १२६० |

पृष्ठ

मोटर गाड़ी अधिनियम के बारे में याचिका . . . . १२६०

सदस्य का निरोध . . . . . १२५९
१२६०–६२

अतिरिक्त अनुदानों की मांगे, १९५१–५२ . . . . १२६२–७३

विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास ) नियम के बारे में प्रस्ताव .१२७३–१३०३

सरकारी भूगृहादि (निष्कासन) संशोधन विधेयक, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में . . . . . १३०३–१५

विचार करने का प्रस्ताव . . . . . १३०३

दैनिक संक्षेपिका . . . . . १३१६–१७

**अंक २८, गुरुवार, २३ अगस्त, १९५६**

सभा पटल पर रखा गया पत्र . . . . . १३१९

विनियोग (संख्या ३) विधेयक . . . . . १३१९

विनियोग (संख्या ४) विधेयक . . . . . १३२०

सरकारी भूगृहादि (निष्कासन) संशोधन विधेयक, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में—

विचार करने का प्रस्ताव . . . . . १३२०–६०

खण्ड २ से ६, और खण्ड १ . . . . . १३५७–६०

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . . . . १३६०

नागा पहाड़ियों की स्थिति के बारे में प्रस्ताव . . . . १३६०–७८

दैनिक संक्षेपिका . . . . . १३७९

**अंक २९, शुक्रवार, २४ अगस्त, १९५६**

सभा पटल पर रखा गया पत्र. . . . . १३८१

विनियोग (संख्या ३) विधेयक . . . . १३८१–८२

विनियोग (संख्या ४) विधेयक . . . . . १३८२

सभा का कार्य . . . . . १३८२–८३

सरकारी भूगृहादि (निष्कासन) संशोधन विधेयक . . . १३८३–९८

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . . . . १३८३

राज्य वित्त निगम (संशोधन) विधेयक . . .१३९८–१४०५

विचार करने का प्रस्ताव . . १३९८

पृष्ठ

भारतीय रेलवे (संशोधन) विधेयक—

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . . १४०५–१५

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

उनसठवां प्रतिवेदन . . . . . १४१५–१६

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी (अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना में सम्मिलित होने का विकल्प) विधेयक . . . . . १४१६

स्त्री तथा बाल संस्था अनुज्ञापन विधेयक— १४१६-२०,

विचार करने तथा प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव . . १४२७–२८

संविधान (छठी अनुसूची का संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव . . . . १४२०–२२

दण्ड विधि संशोधन विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव . . . . १४२२–३४

दैनिक संक्षेपिका . . १४३५–३६

**अंक ३०, शनिवार, २५ अगस्त, १९५६**

सभा का कार्य . . . . . १४३७–३८

राज्य सभा से सन्देश . . . . . १४३८

भारतीय चिकित्सा परिषद् विधेयक . . . . १४३८

कार्य मंत्रणा समिति—

चालीसवां प्रतिवेदन . . . . . १४३८

सदस्य द्वारा त्याग-पत्र . . . . . १४३९

स्त्रियों तथा लड़कियों के अनैतिकरण दमन विधेयक—

प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव . . . १४३९–४०

बाल विधेयक, राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में—

प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव . . . १४४०–४१

स्त्री तथा बाल संस्था अनुज्ञापन विधेयक . . . . १४४१

भारतीय रेलवे (संशोधन) विधेयक, राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में . १४४१–५३

खण्ड २ और १ . . . . . १४५२–५३

पारित करने का प्रस्ताव . . . . . १४५३

भारतीय प्रौद्योगिकीय संस्था (खड़गपुर) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव . . . . . १४५३–८१

खण्ड २ से ३१ और १ . . . . . १४७५–८०

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . . . . . १४८०

ेल और माप मापदण्ड विधेयक—
संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव . . . १४८१–८२
निक संक्षेपिका . . . . . . १४८३–८४

---

भा०स०मु०ना०—वि०३—२३१ लोक सभा/५६—२८–३–५८—१६०.

# लोक-सभा वाद-विवाद

(भाग २---प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

## लोक-सभा

सोमवार, १३ अगस्त, १९५६

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

[**अध्यक्ष महोदय** पिठासीन हुए]

## प्रश्नोत्तर

**(देखिये भाग १)**

**१२ ०२ म० प०**

## स्थगन-प्रस्ताव

### पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में सूखा

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री शि० ला० सक्सेना ने पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में गत पचास वर्षों के सबसे विकट सूखे के संबंध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। उस से करोड़ देहाती जनता में भुखमरी फैल गई है। मैं इस संबंध में सभा को सूचित करना चाहता हूं कि १० अगस्त, १९५६ को श्री विभूति मिश्र ने भी नियम २१६ के अन्तर्गत इस विषय के संबंध में एक सूचना दी थी। श्री शि० ला० सक्सेना के स्थगन के प्रस्ताव की सूचना मुझे आज १३ अगस्त को ही मिली है। मैं ने १० अगस्त को ही मंत्रालय से इस संबंध में माननीय मंत्री के वक्तव्य की कोई तिथि निर्धारित कर देने का सुझाव दे दिया था। माननीय मंत्री शीघ्र इस संबंध में एक वक्तव्य देंगे।

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : मैं शायद १६ अगस्त को वक्तव्य दूंगा। मैं जानकारी एकत्रित कर रहा हूं। मैंने १० ही को राज्य सरकारों के लिये दिया था, लेकिन इतवार और शनिवार होने के कारण उनके उत्तर प्राप्त नहीं हो सके हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : इसे देखते हुये इस स्थगन प्रस्ताव को अनुमति नहीं दी जाती।

## सभा-पटल पर रखे गये पत्र

### भारत की प्रशासकिय प्रणाली आदि के पुनर्नियोग के सम्बन्ध में एपिलबी का प्रतिवेदन

[ †**वैदेशिक कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां)** : मैं श्री जवाहरलाल नेहरू की ओर से, भारत की प्रशासकीय प्रणाली, के पुनर्नियोग के संबंध में डा० पाल एच० एपिलबी के प्रतिवेदन का जिसमें सरकार के औद्योगिक तथा वाणिज्यिक उपक्रमों के प्रशासन का विशेष रूप से निर्देश किया गया है, एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एस०-३११/५६**] ।

†मूल अंग्रेजी में।



1—212 L. S./56

**वर्ष १९५५-५६ के लिये, (१) भारी रासायनिकों (तेजाबों और उर्वरकों); (२) इन्टरनल कम्बश्चन वाले इंजिनों और शक्ति चलित पम्पों; (३) भारी विद्युत सामग्री उद्योग और (४) भारी रासायनिकों (क्षारों) की विकास-परिषदों के वार्षिक प्रतिवेदन**

†**उपभोग वस्तु, उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : मैं श्री म० म० शाह की ओर से, उद्योग विकास तथा (विनियमन) अधिनियम, १९५१ की धारा ७ की उपधारा (४) के अन्तर्गत, इन पत्रों में से प्रत्येक की एक एक लोक सभा पटल पर रखता हूं :—

(१) वर्ष १९५५–५६ के लिये भारी रासायनिकों (तेजाबों और मलादों) की विकास परिषद् का वार्षिक प्रतिवेदन [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एस.—३१२/५६**]।

(२) वर्ष १९५५–५६ के लिये इन्टरनल कम्बश्चन वाले इंजनों और शक्ति चलित पम्पों की विकास-परिषद् का वार्षिक प्रतिवेदन [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एस०–३१३।५६**]।

(३) वर्ष १९५५–५६ के लिये भारी विद्युत सामग्री उद्योग की विकास-परिषद् का वार्षिक प्रतिवेदन (**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एस०–३१४।५६**]।

(४) वर्ष १९५५–५६ के लिये, भारी रासायनिकों (क्षारों) की विकास-परिषद् का वार्षिक प्रतिवेदन [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एस०– ३१५।५६**]।

†**अध्यक्ष महोदय** : एपिलबी के प्रतिवेदन की प्रतियां सूचना-कार्यालय में उपलब्ध होंगी, जो भी माननीय सदस्य चाहें वहां से एक प्रति ले सकते हैं।

## राज्य-सभा से संदेश

†**सचिव** : मुझे सभा को यह सूचना देनी है कि लोक-सभा द्वारा २७ जुलाई, १९५६ को पारित दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, १९५६ को राज्य-सभा ने बिना किसी संशोधन के स्वीकार कर लिया है।

## अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति आदेश (संशोधन) विधेयक १९५६ के सम्बन्ध में याचिका

†**सचिव** : मुझे सदन को सूचना देनी है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति आदेश संशोधन विधेयक, १९५६ के संबंध में लोक-सभा पटल पर रखे गये विवरण के संबंध में एक याचिका प्राप्त हुई है।

**विवरण**

**अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति आदेश (संशोधन) विधेयक, १९५६ के संबन्ध में याचिका**

| हस्ताक्षर कर्त्ताओं की संख्या | जिला या नगर | राज्य | याचिका संख्या |
|---|---|---|---|
| ३ | (क) नागपुर<br>(ख) अकोला<br>(ग) वर्धा | मध्य प्रदेश | ६९ |

†मूल अंग्रेजी में।

# अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति

## पांचवां प्रतिवेदन

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : मैं अधीनस्थ विधान संबंधी समिति के पांचवें प्रतिवेदन को उपस्थापित करता हूं।

†**अध्यक्ष महोदय** : इस प्रतिवेदन की प्रतिक्षा प्रकाशन काउन्टर पर रख दी गई है। माननीय सदस्य वहां से ये प्रतियां ले सकते हैं।

---

## वाद-विवाद से अंश निकाले जाने के बारे में

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** (बसीरहाट) : आज जो बुलेटिन परिचालित किया गया है उसमें नियंत्रक महालेखापरीक्षक के संबंध में किये गये कुछ निर्देशों को, उनके अध्यावेदन पर, कार्यवाही से निकालदेने की सूचना दी गई है। क्या वास्तविक वाद-विवाद के बहुत अधिक समय बाद भी कोई इस प्रकार का अभ्यावेदन कर सकता है?

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं किसी भी समय टिप्पणियों को कार्यावाही के विवरण से निकाल सकता हूं। कोई भी व्यक्ति मेरा ध्यान ऐसी टिप्पणियों की ओर आकर्षित कर सकता है ; विशेष रूप से जब कि वे संविधान में उल्लिखित कुछ उच्च पदाधिकारियों के संबंध में हों। मुझे उनपर विचार करने में समय लग सकता है। यदी मैंने इस मामले में भी किया है। निकाले हुये भाग सूचना कार्यलय में देखे जा सकते हैं।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : मैं उन्हें देख चुकी हूं। मैं केवल यही जानना चाहती थी कि क्या यही आपका विनिर्णय है कि कोई भी ऐसी टिप्पणियों के निकाले जाने के लिये आँभ्यावेदन कर सकता है, चाहे वास्तविक कार्यवाही के समय आपने उस पर आपत्ति न भी की हो।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य नियमों को देखें। मैं सदा ही उस शक्ति का प्रयोग कर सकता हूं। यह तो एक स्वयं विवेक का प्रश्न है। यदि वह वाद-विवाद के बहुत अधिक समय बाद की बात हो तो मैं उसे न ही निकालूंगा। लेकिन हाल ही की बात होनेपर ही मैंने उन टिप्पणियों के निकाले जाने का आदेश दिया है। नियमों के अन्तर्गत मुझे इस संबंध में यथेष्ट शक्ति प्राप्त है।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** (कलकत्ता–उत्तर-पूर्व) : हमारे यहां कार्यवाही का विवरण वर्ष भर के बाद प्रकाशित होता हैं। यह एक प्रकार का पूर्व-दृष्टांत बनने जा रहा है, इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि क्या हम इस संबंध में समय की कोई सीमा निर्धारित करेंगे। बहुत ही असाधारण परिस्थितियों में इस प्रकार कार्यवाही में से कुछ निकालने का प्रश्न उठता है। इसलिये मैं चाहता हूं कि आप लोक-सभा की नियम समिति के परामर्श से हमें इसकी वास्तविक स्थिति बतायें।

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि आवश्यक होगा तो मैं नियम समिति से परामर्श करूंगा। हमारे नियम कामन्स सभा से भिन्न है। वहां तो निकालने के प्रश्न पर समूची कामन्स सभा को विचार करना पड़ता, है यहां वह शक्ति अध्यक्ष को दे दी गई है। इस मामले में तो नियंत्रक का महालेखापरिक्षक के संबंध में टिप्पणियां की गयी थीं, वहां एक महत्वपूर्ण अधिकारी है. इसलिये यह एक असाधारण मामला है। सामान्यतया मैं वाद-विवाद के अधिक समय बाद किसी टिप्पणी के कार्यवाही से निकाले जाने का आदेश नहीं दूंगा। अधिक से अधिक एक या दो दिनों में उसकी ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया जाना चाहिये। उसमें भी स्वयं विवेक से काम लिया जायेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में।

# कार्य मंत्रणा समिति

## उन्तालिसवां प्रतिवेदन

†**संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा कार्य-मंत्रणा समिति के उन्तालीसवें प्रतिवेदन से जो १० अगस्त, १९५६ को सभा के समक्ष रखा गया था सहमत है।"

इस प्रतिवेदन मे दी गई सूची के विधेयकों में से मोटर गाड़ी (संशोधन) विधेयक संयुक्त समिति को सौपा जा चुका है।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा कार्य-मंत्रणा समिति के जो उन्तालीसवें प्रतिवेदन मे १० अगस्त, १९५६ को सभा के समक्ष रखा गया था सहमत है।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

---

# तोल और माप मानदण्ड विधेयक*

†**उपयोग वस्तु उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : मैं प्रस्ताव करतां हूं कि दशामिक प्रणाली पर आधारित तोल और माप के मानदण्डों को चालू करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि दशामिक प्रणाली पर आधारित तोल और माप के मानदण्डों को चालू करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

†**श्री कानूनगो** : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

†**श्री उ० मु० त्रिवेदी** (चित्तौड़) : आप की कार्य-सूची में तो इस विधेयक को पारित करने का प्रस्ताव भी सम्मिलित है।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह गलत है। लगता है कि टाइपिस्ट ने गलत टाइप कर दिया है। माननीय मंत्री इसके लिये उत्तरदायी नहीं हैं। ऐसी गलती पहले कभी नहीं हुई है। मैं इसकी जांच करूंगा।

---

# राष्ट्रीय राजपथ विधेयक

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : मैं प्रस्ताव करता हूं : **

"कि कुछ राजपथों को राष्ट्रीय राजपथ घोषित करने और उससे संबंधित विषयों की व्यवस्था करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

अभी उस दिन मुझे मोटर गाड़ी अधिनियम को संशोधित करने वाले विधेयक को दोनों सदनों की एक संयुक्त समिति को सौपने का प्रस्ताव प्रस्तुत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, और उसे लोक-सभा ने स्वीकार कर लिया था। उस विधेयक में सड़क परिवहन के विकास की परिस्थितियां उत्पन्न करने का प्रयास किया गया था और इस वर्तमान विधेयक में परिवहन के लिये काम में लाई

---

*भारत के असाधारण गजट भाग २, विभाग २, दिनांक १३ अगस्त, १९५६ में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत।

†मूल अंग्रेजी में।

जाने वाली सड़कों का राष्ट्रीय राज मार्गों की एक प्रणाली के रूप में विकसित करने और उन्हें अच्छी दशा में रखने की व्यवस्था की गई है। मेरा अपना ख्याल है इन दोनों विधेयकों का यह क्रम एक बहुत अच्छा क्रम है और इससे देश का भला होने की आशा बंधती है।

भारत को सड़कों के विकास के इतिहास में यह राष्ट्रीय राजपथ विधेयक एक दूसरा बड़ा कदम है। मैं कह सकता हूं कि यह एक अनुपम अवसर है क्योंकि इसके द्वारा पहली बार केन्द्रीय सरकार ने राज्यों के कुछ राजपथों का प्रत्यक्ष रूप से संविहित दायित्व ग्रहण करने का प्रस्ताव किया है। मुझे आशा है कि लोक-सभा मुझे इस अवसर पर इस देश की सड़कों के विकास के इतिहास का एक संक्षिप्त पर्यालोकन करने की अनुमति देगी।

भारत में बहुत पहले से ही प्रशासनिक और युद्धोपयोगी प्रयोजनों के लिये सड़कों की अपरीहार्यता को स्विकार किया गया है। इस बात के भी प्रमाण मौजूद है कि वैदिक काल में भी राजपथों का महत्व अच्छी प्रकार से समझ लिया गया था। भारत के बाद के शासकों ने भी मुख्यतः दिनों के अपने सुदूरवर्ती साम्राज्यों पर शासन करने के लिये अनेक सड़कें बनवाई थीं।

गत शताब्दी में और रेलवे के चालू होने से पहले ब्रिटिश सैनिक इंजीनियरों के पर्यवेक्षण में मुख्यतः मुगल काल की पुरानी और अन्य सड़कों के अवशिष्टों पर अनेक मुख्य-मुख्य सड़के बनवाई गई थीं और उनकी देखभाल की गई थी। उन पर पुल बनवाये गये थे और उन्हें पक्का भी किया गया था। ये सड़के अधिक महत्वपूर्ण सैनिक और वानिज्यिक केन्द्रों को मिलाती थी। सेना द्वारा इनकी देखभाल पूरी तौर से संतोषप्रद रूप से नहीं की गई, इसीलिये सन् १९५५ में सड़कों और अन्य लोक निर्माण के कार्यों की देख भाल के लिये लोक निर्माण विभाग स्थापित किया गया था। उसका लगभग वही रूप आज भी बना हुआ है। इस विभाग द्वारा ग्रांड ट्रंक रोड जैसी कुछ बड़ी बड़ी सड़कें बनवाई गई थी लेकिन रेलों के चालू हो जाने के बाद उसका ध्यान मुख्य रूप से रेलवेज़ की सहायक सड़कों के निर्माण पर केन्द्रित हो गया और कुछ मामलों में तो मुख्य सड़कों की मरम्मत भी नहीं की गई।

धीरे-धीरे सड़कों को स्थानीय रुचि और महत्व का विषय ही माना जाने लगा। इस प्रक्रिया की अंतिम परिणति भारत सरकार अधिनियम, १९१९ में हुई, जिसमें सड़कें बिलकूल प्रान्तों के अधीन कर दी गई और केन्द्रीय सरकार, युद्धोपयोगी महत्व की कुछ सड़कों और उस समय के रजवाड़ों की बंबई, इंदोर, आगरा रोड जैसी कुछ मुख्य मुख्य सड़कों को छोड़कर, शेष सड़कों के विकास से संबंधित नहीं रह गई। उस समय शायद यह महसूस किया गया था कि नगरपालिकाओं, जिला और स्थानीय बोर्डों पर ही इस विषय का दायित्व रखना ठीक रहेगा और स्थानीय व्यक्ति यह सबसे अच्छी तरह से जान सकते है कि किन सड़कों की आवश्यकता है और सड़क विकास के लिये आवश्यक निधियां कैसे जुटाई जा सकती हैं। इस का परिणाम यह हुआ कि अन्तराजीय सड़कों या अविकसित क्षेत्रों के विकास के लिये अपेक्षित सड़कों की ओर कम ध्यान दिया गया।

प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति पर, भारत में मोटर परिवहन के आरंभ और विकास के साथ ही साथ ऐसी उन्नत सड़कों की मांग की जाने लगी जो शताब्दियों पुराने बैलगाड़ियों के यातायात और इस नये प्रकार के परिवहन का भार सम्भाल सके, क्योंकि उस समय की सड़कें ऐसे भारी यातायात के लिये अनुपयुक्त सिद्ध हुई थीं। इन मांगों की परिणति १९२६ में भारतीय विधान मंडल के दोनों सदनों द्वारा पारित एक संकल्प में हुई, जिसमें भारत के सड़क विकास के प्रश्न परीक्षा करने और उसके संबंध में एक प्रतिवेदन तैयार करने के लिये एक समिति की नियुक्ति की व्यवस्था की गई थी। इसी संकल्प के अनुसरण में भारत सरकार ने श्री एम० आर० जयकर के सभापतित्व में एक समिति नियुक्त की थी।

वह समिति इस निस्कर्ष पर पहूंची कि अन्य स्थानों की भांति भारत में भी सड़कों के विकास का कार्य स्थानीय सरकारों और स्थानीय निकायों की वित्तीय सामर्थ्य से परे होता जा रहा था और वह एक राष्ट्रीय हीत बनता जा रहा था, जो कुछ सीमा तक केन्द्रीय राजस्व पर ही भारती होना चाहिये था। इसी के अनुसार, समिति ने सिफ़ारिश की थी कि सड़क विकास के लिये केन्द्र द्वारा

[श्री अगलेशन]

मोटर स्पिरिट पर दो आना प्रति गैलन का एक अतिरिक्त शुल्क लगाया जाये और उससे होने वाली आय को एक अलग सड़क विकास निधि में जमा किया जाये। भारत सरकार ने इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया ; और १ मार्च, १९२९ को केन्द्री सड़क निधि की स्थापना हुई थी। १९३१ में दो आना प्रति गैलन के अतिरिक्त शुल्क को ढाई आना प्रति गैलन कर दिया गया। इस निधि की स्थापना भारत में सड़क विकास को बढ़ावा देने के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा किया गया प्रथम महत्वपूर्ण उपाय है।

दो विश्व युद्ध के बीच के काल में विशेष रुप से १९३० से १९३८ तक को अवधि मे आई आर्थिक महीने प्रस्तीय और स्थानीय राजस्वों द्वारा किये जाने वाले सड़क विकास के कार्य की गति को धीमा कर दिया। ऐसा भी एक समय आया था जब कि सड़क विकास के लिये वित्त का मुख्य स्रोत प्रायः सड़क निधि ही रह गया था। सड़कों की दशा इतनी बिगड़ गई थी कि कहीं कहीं तो सामान्य देख भाल के लिये भी सड़क निधि का प्रयोग करना पड़ा था।

तब केन्द्र और प्रांतों के बीच मुख्य मार्गों की प्रणाली के एक ढांचे का विकास करने के संबंध में चर्चा हुई ; और १९३३ के मध्य में भारत सरकार ने इंगलैंड की सरकार के सामने प्रस्ताव रखा की उस समय के विचाराधीन संविधान अधिनियम में स्पष्ट रुप से ऐसी एक व्यवस्था की जाये कि जिससे राष्ट्रीय मुख्य सड़कें कुछ सीमा तक फेडरल सरकार का दायित्व बन जायें। सामान्यतः प्रान्त इस प्रस्ताव के पक्ष में थे, क्यों कि मुख्यतः केन्द्र द्वारा ही वित्तीय सहायता दी जानीं थी। उस समय यह भी महसूस कर लिया गया था कि शायद आगे चलकर फेडरल विधान मंडल को आवश्यक रूप से एक फेडरल सड़क अधिनियम अधिनियमित करना ही पड़े। लेकिन, उस समय प्रांन्तीय स्वायत्तता पर जोर दिया जा रहा था, इसलिये भारत सरकार अधिनियम, १९३५ में मुख्य सड़कों के विकास में केन्द्र का हित निश्चित करने वाले कोई भी स्पष्ट उपबंध सम्मिलित नहीं किया गया था।

द्वितीय विश्व युद्ध में और विशेष रुप से जापान के आक्रमण के बाद, भारत की सड़क प्रणाली की कमियां और त्रुटियां बड़ी उभर कर सामने आईं। और उसके अनुभव ने इस दृष्टिकोण में काफी रुप भेद किया। उस समय सभी के क्षेत्रों में ही नहीं, बल्कि सारे भारत में ही सैनिक महत्व सड़कों का विकास करने का जोड़तोड़ प्रयास किया गया। इस कार्य को काफी हद तक प्रतिक्षा सेवा प्राक्कालनों में से दिये गये बड़े बड़े अनुदानों द्वारा संपन्न किया गया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान में ही इस बात का महत्व सबसे अधिक समझा गया कि आपात काल में मुख्य सड़कों की एक कार्य कुशल प्रणाली अपेक्षित होती है। उस समय यह भी अनुभव किया गया कि इन सड़कों को केवल तभी अच्छी दशा में रखा जा सकता है जब कि केन्द्र स्वयं उनके विकास और देख भाल का दायित्व संभाल ले।

इन्ही कारणों से भारत सरकार ने दिसम्बर, १९४३ में भारत में युद्धोत्तर सड़क विकास की समस्य पर विचार करने के लिये नागपुर में प्रान्तीय और राज्य मुख्य इंजीनियर का एक सम्मेलन आयोजित किया। सम्मेलन की मुख्य सिफारिशें यह थीं :

(१) सड़कों को चार श्रेणीयों में बांट दिया जाये अर्थात्, राष्ट्रीय राजपथ, प्रान्तीय अथवा राज्यिक राज पथ, जिसे कि सड़कें और ग्रामों की सड़कें—राष्ट्रीय राजपथ उन सड़कों को कहा जाना था जो देश के एक कोन से दूसरे कोने तक जायें और प्रमुख बन्दरगाहों विदेशी राजपथों और प्रान्तों और बड़े राज्यों की राजधानीयों को मिलायें और देश की सड़क व्यवस्था के लिये ढांचे के रुप में कार्य करें ; और

(२) राष्ट्रीय राजपथों के निर्माण, विकास और देखभाल पर जो खर्च हो उसका दायित्व केन्द्रीय सरकार अपने ऊपर ले और राजपथों का प्रयोग और नियंत्रण के संबंध में केन्द्र की राय सर्वापरि होनी चाहिये।

प्रान्तीय सरकारों से परामर्श करके और परिवहन मंत्रणा परिषद की बैठकों में विचार करनें के पश्चात, भारत सरकार ने १ अप्रैल, १९४७ से राष्ट्रीय राजपथ व्यवस्था में सम्मिलित किये जानें के लिये उपयुक्त समझी गई कुछ अस्थायी रूप से अनुमोदित सड़कों के विकास और देख रेख पर होने वाले खर्च का उत्तरदायित्व अपने उपर लेना स्वीकार किया। विधेयक की अनुसूची में सम्मिलित सभी राज पथों को, क्रम संख्या २, १०, ११, और ३७ में उल्लिखित राजपथों और क्रम संख्या ३६ में उल्लिखित राजपथ के कुछ भाग को छोड़ कर, भारत सरकार द्वारा १९४७ में अस्थायी रूप से अनुमोदित की गई मूल सूची में सम्मिलित कर लिया गया। जिन राज्य पथों को छोड़ा गया था उन्हें भी विभाजन और भूतपूर्वदेशी राज्य के भारत संघ में विलय के पश्चात् राष्ट्रीय राजपथ प्रणाली में सम्मिलित कर दिया गया।

जब अन्तर्कालीन राष्ट्रीय राजपथ योजना के सम्बन्ध में राजों के साथ विचार विमर्श किया जा रहा था, उस समय उन्हें बताया गया था कि भारत सरकार द्वारा जिस उत्तरदायित्व को स्वीकार करने का प्रस्ताव किया गया था उसमें राष्ट्रीय राजपथ प्रणाली से मिलाने वाली वे सड़कें सम्मिलित नहीं होंगी जो २०,००० या इससे अधिक जन संख्या वाले बड़े नगरों के बीच से हो कर जाती हैं। साधारणत: नगरी के बीच ही सड़को की देख रेख का उत्तरदायित्व संबंधित नगरपालिका पर होता है। २०,००० से कम जनसंख्या वाले उपनगरों के बारें में यह युक्तियुक्त समझा गया कि राष्ट्रीय राजपथ पर सिर्फ परिवहन की सुविधायों की व्यवस्था करने का उत्तरदायित्व केन्द्रीय सरकार संभाले। यही भी कहा गया कि बड़े नगरों में इन सड़कों का उत्तरदायित्व किस हद तक केन्द्रीय सरकार को संभालना चाहिये, इस बारे में उनके विचारानुसार राज्यों से अलग बात चीत की जाये।

राष्ट्रीय राजपथों के समूचे वित्तीय उत्तरदायित्व को संभालने का विनिश्चय भारत सरकार ने प्रान्तों द्वारा कुछ शर्तों के स्वीकार किये जाने की शर्त पर ही किया था। मुख्य शर्तें यह थी ;

(१) प्रान्त सड़को को राष्ट्रीय राजपथों के रुप में वर्गीकरण को और उन पर किये जानें वाले कार्य के संबंध में प्राथमिकता का निश्चय करने वाले के लिये सरकार के निर्णय को स्वीकार करेंगे;

(२) राष्ट्रीय राजपथों पर किये जाने वाले खर्च के प्राक्कलन प्रविधिक पूर्वानुमोदन और वित्तीय स्वीकृति के लिये केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत किये जायेंगे ;

(३) राष्ट्रीय राजपथों का प्रयोग करने वाले यातायात पर केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन के बिना कोई पथकर अथवा चुंगी नहीं लगाई जायेगी।

यह शर्तें सामान्यत: स्वीकार कर ली गई थीं और राष्ट्रीय राजपथ योजना उस समय के प्रान्तों में जो अब भाग 'क' में के राज्य हैं, १ अप्रैल, १९५७ से लागू हुई। जब भाग 'ख' में के राज्य स्थापित किये गये तो यह राष्ट्रीय राजपथ योजना उन राज्यों में लागू कर दी गई।

संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची १ की प्रविष्टि संख्या २३ के अन्तर्गत "वह राज पथ जिन्हें संसद् निर्मित विधि के द्वारा या अधीन राष्ट्र राज्यपथ किया गया है" संघ का विषय है। संसद् द्वारा विधान बनाये जाने तक भारत सरकार, संविधान के अनुच्छेद २८२ के अन्तर्गत, उन सड़कों के विकास और देख रेख का सारा खर्च करती रही जिन्हें राष्ट्रीय राजपथ प्राणाली में सम्मिलित किये जाने के लिये अस्थायी तौर पर अनुमोदित किया गया था।

वर्तमान विधेयक का उद्देश्य वर्तमान प्रथा को संविधान मान्यता देना और विधेयक की अनुसूची में उल्लिखित राजपथों को राष्ट्रीय राजपथ घोषित करना है। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, कि अनुसूची में केवल वही राजपथ सम्मिलित है जिनकी देख रेख और विकास अस्थायी राजपथों के रुप में केन्द्र के खर्च पर किया जा रहा है। क्योंकि द्वितीय पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत किसी नवीन राज पथ के लिये तिथि उपलब्ध होने की संभावना नहीं है, इस लिये हमें इस समय राष्ट्रीय राजपथ प्रणाली में कोई वृद्धि करने का विचार छोड़ देना पड़ा। विधेयक के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार को यह शक्ति प्रदान करनें की प्रस्थापना की गई है कि वह विधेयक में यथा उपबन्धित संसद् को प्रतिवेदन दिये जाने के पश्चात् सरकार की सूचना पत्र में प्रकाशित अधि सूचना के द्वारा किसी भी

[श्री अलगेशन]

नये राजपथ को राष्ट्रीय राजपथ प्रणाली में सम्मिलित कर सके। आशा है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना की समापति से कुछ समय पूर्व राष्ट्रीय राजपथ प्रणाली का विस्तार करने की संभावना पर विचार करना बोधनिय हो और यदि अधिक हालत सुधर गई तो तृतीय पंच वर्षीय योजना में आवश्यक निधि की व्यवस्था की जा सकती है।

अब मैं संक्षेप में विधेयक के अन्य पहलुओं के बारे में कहूंगा। इस विधेयक के द्वारा केन्द्रीय सरकार को उन राजपथों के उन भागों के अतिरिक्त, जो २०,००० या इस से अधिक जनसंख्या वाले बड़े नगरों में स्थित है, राष्ट्रीय राजपथों का विकास और देख रेख करने का प्रधिकार देना अपेक्षित है। इस प्रयोजन के लिये केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार को अथवा केन्द्रीय या राज्य सरकार के अधीन किसी पदाधिकारी अथवा प्रधिकारी को नियुक्त कर सकती है। विधेयक के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार को नौघाटों अथवा नदी पार करने के उन स्थानों से जहां पक्के पुल न हो या अस्थायी पुल हों और राष्ट्रीय राजपथों पर स्थित सुरंगों से यातायात को जो सेवा अथवा लाभ प्राप्त हो उसके लिये उपयुक्त फीस वसूल करने और राज्य सरकार को राज्य में इस अधिनियम के किसी उपबन्ध अथवा इसके अन्तर्गत बनाये या जारी किये जाने किसी नियम, अधिसूचना आदेश के परिपालन के लिये निर्देश देने का अधिकार भी प्राप्त होगा।

कभी कभी राष्ट्रीय राजपथ को इस प्रकार घुमा कर ले जाना पड़ता है जिस से कि स्थानीय हितों तथा आवश्यकताओं को भी पुरा किया जा सके। साधारणतः ऐसी हालतों में संबंधित राज्य सरकार को निर्माण व्यय का कुछ भाग देना अपेक्षित है, क्योंकि राष्ट्रीय राज पथों के विकास की योजना किसी क्षेत्र विशेष के स्थान पर समस्त देश की आवश्यकताओं पर आधारित होती है। इस लिये विधेयक में केन्द्रीय सरकार को किसी राजपथ पर होने वाले खर्च के संबंध में राज्य में अंशदान प्राप्त करने के लिये करार करने की शक्ति प्रदान करने का प्रयत्न किया गया है। इसी प्रकार केन्द्रीय सरकार को राज्य सरकार से और २०,००० अथवा इस से अधिक जन संख्या वाले नगरों के नगरपालिका से उस नगर के बीच से होकर जाने वाले राजपथ के किसी भाग के जो कि राष्ट्रीय राज पथ प्रणाली में कोई उपयुक्त संपर्क स्थापित करता हो। विकास और देख रेख और व्यय में अंशदान देने के बारे में करार करने की शक्ति प्राप्त होगी।

रेलवे तथा परिवहन के बाद सड़कों और सड़क परिवहन का ही अधिक महत्व है। कई बातो को देखे यह कहा जा सकता है कि सड़क रेल परिवहन से भी अधिक लाभदायक है क्योंकी यह आपके घर तक माल पहूंचा सकती है। पहले हम रेल सड़क-प्रतिस्पर्धा के बारे में सुना करते थे। अब वह बात पुरानी हो चुकी है। वर्तमान समय में रेलके सड़क और यातायात में अधिकाधिक समन्वय होने की आवश्यकता है, यदि हमें योजनाओं के लक्ष्य को यातायात की कमी के कारण नष्ट हो जाने देना अपेक्षित नहीं है। इन परिस्थितियों में यातायात के अबाध रुप से होने के लिये राष्ट्रीय राजपथ की एक विकसित प्रणाली के महत्व को बताने की आवश्यकता नहीं है आशा है कि लोक-सभा इस विधेयक का हार्दिक समर्थन करेगी।

**अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।**

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री ने अनुच्छेद २८२ का निर्देश किया। वह अनुच्छेद उन मामलों के संबंध में है जिन के बारे में संसद् अथवा राज्य मंडल विधि नहीं बना सकता है। राजपथों के बारे में संसद् विधि बना सकती है, नहीं तो विधि बनाये बिना इस पर धन कैसे खर्च किया जा सकता है। इस विधेयक से पूर्व भी केन्द्रीय राजपथों को राष्ट्रीय राजपथ समझते हुये ही उन पर खर्च करती रही है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी** (चित्तौड़) : गत मई वर्षों में यह प्रश्न उठता रहा है। गत आय-व्ययक सत्र में अनुपूरक भागों के प्रस्तुत किये जाने पर यह प्रश्न उठाया गया था। मंत्रालय व्यय करता जाता है और कोई न कोई बहाना बना देता है।

इस मामले में भी बिना विधि के अधिकार के धन व्यय किया गया है। इसके लिये लोक-सभा की अनुज्ञा प्राप्त की जानी चाहिये थी। अतः इस मामले की जांच की जानी चाहिये। न जाने क्यों महालेखापरिक्षक ने इस पर आपत्ति नहीं की है।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री ने किसी विशेष सन्दर्भ में अनुच्छेद २८२ का उल्लेख किया। उनका विचार है कि धन व्यय किया जा सकता है। परन्तु जिस विषयों के संबंध में संसद् विधान बना सकती है उन मामलों में बिना किसी विधि के प्राधिकार के कार्यपालिक धन व्यय नहीं कर सकती है अतः उस विधि द्वारा शक्ति प्रदान की जानी चाहिये। इस विषय की जांच की जानी चाहिये।

†**श्री अलगेशन** : जब तक संसद् उन राजपथों को राष्ट्रींय राजपथ घोषित न कर दे तब तक संसद उन पर व्यय नहीं कर सकती है। यद्यपि अस्थायी तौर पर हम उन्हें राष्ट्रीय राजपथ कहते है तथापि वे "राज्यिक राज पथ" हैं और राज्जिक राजपथों के विषय में संसद विधान नहीं बना सकती ह। उनका विकास करके "अस्थायी राष्ट्रीय राजपथ प्रणाली" बनाने के लिये उन्हें अनुदान दिये जाने है और केन्द्रीय सरकार ने इस अनुच्छेद के अन्तर्गत यही किया था। जब तक संसद एक विधान बना कर राज्यों के राजपथों को राष्ट्रींय राजपथ घोषित नहीं कर देती तब तक संविधान के इसी अनुच्छेद का आश्रय लेना पड़ेगा। अब तक यह राजपथ राज्यिक राजपथ थे और संसद् को इन के बारे में विधान बनाने का कोई अधिकार नहीं था। क्योंकि वे राज्यिक राजपथ हैं और केन्द्रीय सरकार उन्हें एक राजपथ प्रणाली में विकसित करना चाहती है इस लिये अनुदान दिये जा रहै हैं। इस उद्देश्य से कि इन राजपथों के विकास और देख रेख के बारे में केन्द्रीय सरकार अधिक प्रभावी रुप से कार्य कर सके यह आवश्यक है कि इन राजपथों को संघ सूची की प्रविष्टि संख्या २३ के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजपथ घोषित कर दिया जाये। मेरे विचार से उसकी यही व्याख्या है।

†**अध्यक्ष महोदय** : जब तक यह राष्ट्रीय राजपथ न बने तब तक इन पर खर्च नहीं किया जा सकता।

†**श्री अलगेशन** : क्यों कि ऐसा नहीं था इसी लिये तो अनुच्छेद २८२ का आश्रय लेना पड़ा। अभीतक यह राज पथ राज्यिक राजपथ के और संसद् राज्यिक राजपथों के बारे में विधान नहीं बना सकती है।

†**अध्यक्ष महोदय** : धन व्यय करने से पूर्व आपको यह राजपथ अपने अधीन लेने चाहिये थे।

†**श्री अलगेशन** : मेरे विचार से यह विधि पहले पारित की जानी चाहिये।

†**अध्यक्ष महोदय** : विधि पारित की जा सकती है। ऐसा किये बिना धन व्यय नहीं किया जाना चाहिये था। अनुच्छेद २८२ का आश्रय उसी हालत में लिया जा सकता है जब कि विधि बनाना असंभव हो।

† **श्री अलगेशन** : मैं अब भी यह कहता हूं कि राज्यिक राजपथों के बारे में संसद कोई विधि नहीं बना सकती है। हम राज्यिक राजपथों को राष्ट्रीय में बदलना चाहते हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : हम यह कहते हैं कि विधि पारित करने के पश्चात् व्यय कीजिये।

†**श्री अलगेशन** : हम यही तो कर रहे हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री राम चन्द्र रेड्डी** (नेल्लोर) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। मेरा विचार है कि इस प्रकार का विधेयक बहुत पहले पारित किया जाना चाहिये था।

राजपथों के विकास, देख रेख और नियंत्रण के बारे में यह देखा गया है कि उन पर जिस प्रकार का कठोर नियन्त्रण होना चाहिये था वैसा नही रहा है, परन्तु अब स्थिति में सुधार किया जा रहा है, यह बड़ी प्रसन्नता की बात है। मैं ने बहुत से स्थानों पर देखा है कि सड़कों पर कोलतार डालने में बड़ा विलंब होता है और कार्य करने के लिये विभाग के पास पर्याप्त धन भी नहीं होती और उन स्थानों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता जहां यातायात बहुत रहती है। कुछ मनचाही सड़को को अधिक महत्व दिया जाता है। रेलवे की बढ़ती हुई भीड़ को देखते हुये इन राजपथों की देख रेख और नियंत्रण की ओर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिये।

पहले यह राजपथ मुख्यत: बोर्ड के नियंत्रण के रहते थे और बाद में राजपथ विभाग इनकी देख भाल करता था परन्तु कुछ सड़कों की ओर अधिक ध्यान दिया जाता था और कुछ एक बिल्कुल उपेक्षित रहती थी। अब केन्द्रीय सरकार इन्हें अपने नियंत्रण में ले रही है और मुझे आशा है कि हालत काफी सुधर जायेगी और किसी को शिकायत का अवसर नहीं मिलेगा।

इन निर्माण कार्यो के निष्पादन में बड़ा भ्रष्टाचार होता है और बड़ा विलंब होता है। कई स्थानों पर इन राजपथों पर नगरपालिका क्षेत्रों के अंदर और बाहर अनाधिकृत रुप से कब्जा कर लिया जाता है। इसी कारण राजपथ को कभी कभी उस नगर के बाहर से मोड़ कर ले जाना पड़ता है। इस पर बहुत अधिक खर्च होता है। प्रत्येक नगर के बाहर से राजपथ को नहीं ले जाया जा सकता है बल्कि अनाधिकृत रुप से किये गये कब्जों को ही हटाना होगा और केन्द्रीय सरकार के लिये यह कोई कठिन कार्य नहीं है। राज्य सरकार और जिला बोर्डों पर यह काम नहीं छोड़ा जाना चाहिये। इस लिये यह आवश्यक है कि यह देखने के लिये कि राजपथों को कोई हानि नहीं पहुंचाई जाती है कुछ शक्तियां केन्द्रीय सरकार द्वारा ली जानी चाहिये।

इन राजपथों पर कहीं पुल नहीं है तो कहीं पुलियां कमजोर हैं, इस लिये यह सर्वेक्षण किया जाय कि कितनी पुलियां पांच टन से अधिक का भार सहार सकती हैं।

नगरपालिका क्षेत्रों में सड़कों के सुधार पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है, इसलिये यह और भी आवश्यक है कि नगरपालिका क्षेत्रों में स्थित इन राजपथों के सुधार के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा और अधिक धन दिया जाये। वहां यातायात अधिक होता है इस लिये सड़के जल्दी टूट जाती हैं। इसलिये यह आवश्यक है कि नगरपालिकाओं पर स्थानीय निकायों पर राजपथ विभाग से इन सड़कों को विशेष रुप से देख रेख करने को कहा जाये।

इन ३९ राजपथों की रुची में नेल्लौर से बंबई जाने वाला राजपथ सम्मिलित नहीं है। इस सड़क की लंबाई ९०० मील है। इस के कुछ भाग सीमेंट के बने है और कुछ पर कोलतार पड़ा हुआ है। यदि इन भागों को जोड़ दिया जाये और ठीक तरह से इस की मरम्मत कराई जाये तो यह भी एक राष्ट्रीय राजपथ बन जाये। सरकार से मेरा निवेदन है कि इसे भी सुची में सम्मिलित किया जाये।

सरकार को इन सड़कों की देख रेख करने के लिये और अधिक शक्तियां ग्रहण करनी चाहिये। राष्ट्रीय महत्व का होने के नाते इन राजपथों की उचित देख रेख की जानी चाहिये।

मैं सरकार का ध्यान इन राजपथों को अन्य सड़कों से मिलाने वाली छोटी सड़कों की ओर खींचना चाहता हूं। उनकी ठीक तरह से देख रेख नहीं की जाती है ; कारण यह है कि जो जिला बोर्ड इन की देख रेख करते हैं वह प्राय: दिवालिया हैं। उन को ओर भी सरकार को ध्यान देना चाहिये और उन को अच्छी अवस्था में रखा जाना चाहिये।

इन कारणों से मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में।

**श्री भक्त दर्शन** (जिला गढ़वाल-पूर्व व जिला मुरादाबाद-उत्तर पूर्व) : अभी श्री अलगेशन जी ने जो विधेयक इस सदन के सम्मुख प्रस्तुत किया है, उसका मैं हृदय से समर्थन करता हूं। इस में सब से बड़ी बात जो कही गई है वह यह है कि अब तक जितने भी विधेयक इस सदन के सम्मुख प्रस्तुत किये गये हैं, उनमें जम्मू और काश्मीर को खास तौर से छोड़ दिया जाता रहा है, परन्तु इस विधेयक को सारे भारतवर्ष पर एक साथ लागू किया जा रहा है। इस से यह साफ जाहिर है कि सरकार तथा परिवहन मंत्रालय इस बात के महत्व को स्वीकार करते हैं कि सड़कों के मामले में किसी एक प्रान्त और दूसरे प्रान्त के बीच कोई भेद नहीं होना चाहिये।

जहां तक हमारे राष्ट्रीय जन मार्गों का संबंध है ये हमारे राष्ट्र शरीर की रुधिर प्रवाहिनी नस-नाड़ियां हैं, हमारी रीढ़ की हड्डी है और यदि हम अपना आर्थिक विकास करना चाहतें हैं तथा अपनी पंचवर्षीय योजनाओं को सफल बनाना चाहते हैं तो यातायात के साधनों का विकास करना बहुत ही अनिवार्य और आवश्यक है। इस दृष्टिकोण से भी मैं इस विधेयक का खास तौर से स्वागत करता हूं।

अभी माननीय अलगेशन जी ने अपने प्रारंभिक वक्तव्य में नागपुर का प्लान जिक्र किया। जहा तक मुझे मालुम है इस समय हमारे देश के अंदर १३,८०० मील लंबे राष्ट्रीय जन मार्ग हैं। मैं समझता हूं कि इस बात में स्वयं उपमंत्री महोदय मुझ से सहमत होंगे कि इन राष्ट्रीय जन मार्गों की जितनी लंबाई होनी चाहिये, यह लंबाई उससे बहुत ही कम है। मैं आशा करता हूं कि इतनी लंबाई से उन्हें स्वयं भी संतोष नहीं होगा। जहां तक मुझे मालूम है नागपुर प्लान में यह लक्ष्य निर्धारित किया गया था कि हमारे देश में कोई भी गांव किसी भी बड़ी सड़क से पांच मील की दूरी पर नहीं रहना चाहिये। मैं जानना चाहूंगा कि इस लक्ष्य की पूर्ती पहली पंच वर्षीय योजना के दौरान में कहां तक की गई है तथा द्वितीय पंच वर्षीय योजना की समाप्ति तक आया उस लक्ष्य की पूर्ति को पायेगी या नहीं। अभी माननीय मंत्री जी ने कहा है कि बहुत सड़कों को राष्ट्रीय जन-मार्ग की सूची में सम्मिलित करने की मांग की जा रही है परन्तु वह वैसा नहीं कर पा रहे हैं। इसका कारण उन्हों ने यह बताया है, कि द्वितीय पंच वर्षीय योजना में प्लानिंग कमिशन (योजना आयोग) ने अधिक रुपया इस काम के लिये नहीं दिया है। इन सड़कों को सूची में फिलहाल इस कारण नई सड़कों को सम्मिलित न करने की असमर्थता उन्होंने प्रकट की है। मैं समझता हूं यह स्थिति बड़ी असंतोषजनक है। मुझे पता नहीं हमारे परिवहन मंत्रालय ने इस बारे में योजना आयोग के सामने अपने कैस को कितनी मज़बूती के साथ रखा है। बहरहाल जो स्थिति है उससे मैं इन्कार नहीं कर सकता।

अब मैं एक-दो बातों की ओर इस सदन का तथा मंत्री महोदय का ध्यान खींचना चाहता हूं। अभी यह बताया गया है कि जो राष्ट्रीय जन-मार्ग है उनकी थोड़ी सी परिभाषा करने की कोशिश की गई है कि जो दो प्रान्तों को या राजधानियों को मिलाने वाली सड़कें हैं, उनको ही राष्ट्रीय जन-मार्ग की सूची में लिया जाये। परन्तु मै समझता हूं कि वे सड़कें जो कि हमारे देश के केन्द्र को दूसरों देशों की सीमाओं के साथ मिलाने वाली हैं उन सड़कों को खास तौर से इस सूची में तथा इस परिभाषा में सम्मिलित किया जाना चाहिये। जहां तक बाकी सड़कों का ताल्लुक है, मैं समझता हूं उनका प्रबंध प्रान्तीय सरकारें, ग्राम पंचायतें, व ग्राम सभायें कर सकती है और आज कल तो ग्राम पंचायतें उनका निर्माण भी कर रही है। तो मैं चाहता हूं कि जहां तक उन सड़कों का ताल्लुक जो कि सीमान्त प्रदेशों में जाने वाली हैं उन के ऊपर केन्द्रीय सरकार का खास तौर से ध्यान रहना चाहिये और उनका प्रबंध केन्द्रीय सरकार के हाथ में होना चाहिये।

इस संबंध में मैं इस सदन का ध्यान तिब्बत की सीमाओं की ओर जो भारत से मिली हुई है, दिलाना चाहता हूं। इस विधेयक के साथ जो शैड्यूल (अनुसूची) दिया गया है, उसमें ३९ सड़कों की सूची दी गई है। इन में से केवल दो ही सड़कें ऐसी हैं जो तिब्बत की सीमाओं तक हम को ले जाती हैं। जो पहली सड़क हैं, वह सीरियल नं० १४ पर है जोकि हिन्दुस्तान तिब्बत रोड के नाम से पुकारी जाती है। यह अम्बाला से शुरु होंकर रामपुर, चीनी होती हुई शिपकी-ला दर्रे तक जाती है। इस सड़क के बारे में शायद लक्ष्य यह है कि पाँच दस सालों में इसको अच्छी सड़क बनाया जायेगा।

[श्री भक्त दर्शन]

दूसरी सड़क सीरियल नंबल २४ पर है जो कि सिलिगुड़ी से आगे कालिमपौंग होते हुये सिक्किम तक जाती है और आगे भारत और तिब्बत की सीमा तक पहुंचती है। इस प्रकार १५०० मील लंबी सीमा जो कि चीन के साथ लगती है. उसमें केवल दो सड़कों का भार ही आप आपने ऊपर ले रहे है इस स्थिति को मैं संतोषजनक नहीं मानता हूं। मैं प्रार्थना करता हूं कि जब भी कोई अनुकुल अवसर आये, आप दूसरी सड़कों को भी राष्ट्रीय जन मार्ग घोषित करके उन्हें भी अपने हाथ में ले लें। मैं एक दो सड़कों के नाम भी आपको बतलाना चाहता हूं कि जिन को बहुत जल्दी राष्ट्रीय जनपथ घोषित करने की आवश्यकता है। पहले तो काश्मीर में श्रीनगर से लेह (लद्दाख) जाने का मार्ग अभी तक राष्ट्रीय जन-मार्ग घोषित नहीं किया गया है। इसी तरह कांगड़ा कुलु घाटी का मार्ग मैं इस सूची में नहीं देखता हूं। एक संशोधन की सूचना मैने भी दी है जिस के द्वारा मैंने यह चाहा है कि दिल्ली से हरिद्वार ऋषिकेश, बद्रीनाथ इत्यादि होती हुई जो सड़क हिन्दूस्तान और तिब्बत के माना दर्रा तक जाती है उसे केन्द्रीय सरकार को अपने हाथ में ले लेना चाहिये। इसी प्रकार दिल्ली से पीलीभीत, पिथौड़गढ़ धारचुला होते हुये कैलास-मानसरोवर तक जो सड़क जाती है, उसको भी केन्द्रीय सरकार को अपने हाथ में ले लेना चाहिये। यह हमारा सौभाग्य है कि माननीय मंत्री जी जब स्वयं वहां (बद्रीनाथ) पहूंचे थे तो उन्होने यात्रा करने वालों की कठिनाइयों को तथा जिन परिस्थितियों में से उनको जाना पड़ता है, उनका स्वयं, अध्ययन किया था और उन्होंने इस चीज़ की आवश्यकता को अनुभव किया था। यह सड़क केवल भारत तथा तिब्बत को मिलाने वाली ही सड़क नहीं है बल्कि बद्रीनाथ एक बहुत भारी तीर्थ स्थान है जहा पर हर वर्ष हज़ारों ही भारतीय और खास तौर से हिन्दु जाते हैं। वह एक एक प्राकृतिक सौन्दर्य का स्थान भी है। इस वास्ते वहां जाने के लिये लोगों को सुविधा होनी चाहिये और इस सड़क की ठीक से देख भाल की जानी चाहिये। शायद माननीय मंत्रीजी को याद होगा कि आज से २०–३० वष पहले ऋषिकेश से एक रेलवे लाईन गंगा की घाटी में बनाने की योजना बनाई गई थी और अब भी वहां पर जो खम्बे लगाये गये थे उनपर "R K. R" करणप्रयाग रेलवे लाइन शब्द लिखे हुये है यानी ऋषिकेश। हमें आशा तो यह थी कि भारत के स्वाधीन हो जाने के बाद इसको जल्दी पूरा कर दिया जायेगा परन्तु अब ऐसा मालुम पड़ता है कि उस रेलवे लाइन को बनाने का विचार त्याग दिया गया है। तो ऐसी हालत में वहाँ की जनता क्या सरकार से यह आशा न करे कि वहां पर जो सड़क है उसको तो कम से कम ठीक हालत में रखा जाय और केन्द्रीय सरकार उसे अपने हाथ में ले। मैं केन्द्रीय सरकार का हृदय से आभारी हूं कि उसने पिछले दो तीन सालों में उत्तर प्रदेश सरकार को विषेश सहायता इस काम के लिये दी है। इसको मैं मानता हूं। लेकिन मैं चाहता हूं कि इसके निर्माण का भार और उसकी देखभाल का उत्तरदायित्व राज्य सरकार के ऊपर रहने के बजाये केन्द्रीय सरकार के ऊपर रहे। यदि ऐसा न हुआ तो उसकी ठीक तरह से देखभाल नहीं हो सकेगी। इस वास्ते मैं आशा करता हूं कि सरकार इस ओर ध्यान देगी और जैसे कि हिन्दी की कहावत है कि कबहुं तो दीन दयाल की झनक पड़ेगी कान में अर्थात कभी न कभी तो हमारे माननीय मंत्री जी के हृदय में उदारता का संचार होगा और सड़क का नंबर भी आयेगा ऐसी मैं आशा करता हूं।

अब जहां तक इस विधेयक का संबंध है उसकी दो तीन धाराओं के विषय में मैं अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं। आपने उसमें म्युनिसिपैलिटियों (नगरपालिकाओं) का ज़िक्र किया है और साथ ही साथ कहा है कि २०,००० से अधिक आबादी हो तो उसको म्यूनिसिपल एरिया की डेफिनिशन (परिभाषा) के अन्तर्गत लाया जा सकेगा। इसके बारे में आपने कहा है कि उस एरिया में पड़ने वाली सड़क की ज़िम्मेवारी केन्द्र अपने हाथ में नहीं लेगा बल्कि वहां की म्यूनिसिपैलिटि या राज्य सरकार ही उसे वहन करेगी। इस संबंध में मैं दो एक बातें कहना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि एक ओर तो आपने इसमें २०,००० की आबादी को रखा है और इसके साथ ही टाउन एरिया कमेटी और टाउन कमेटी (नगर क्षेत्र समिति अथवा नगर समिति) शब्द भी रख दिये हैं। जहां तक मैंन अध्ययन किया है और जहां तक मेरी जानकारी है, उसके आधार पर मैं यह कह सकता हूं कि टाउन एरिया कमिटी शायद ५,००० से अधिक आबादी वाले इलाके के लिये नहीं होती है। (अन्तर्बाधा) और कम से कम यू० पी० में तो २,००० की अब आबादी के लिये टाउन एरिया कमिटि

होती है, दो हज़ार से पांच या सात हज़ार की आबादी के लिये नोटिफाइड एरिया कमिटी (अधिसूचित क्षेत्र समिति) होती है और सात हजार या दस हजार से ऊपर की आबादी के लिये म्यूनिसिपल कमिटी होती है। इस वास्ते मेरी नज़र में यह पापुलेशन (जन संख्या) का जो जिक्र किया गया है तथा टाउन एरिया कमिटी और टाउन कमिटी का ज़िक्र किया गया है यह अनावश्यक है। एक ओर तो आप २०,००० की आबादी रखना चाहते हैं और दूसरी ओर टाउन कमिटी और टाउन एरिया कमिटी रखना चाहते है, यह कुछ ठीक मालम नहीं पड़ता है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुये मैंने एक संशोधन की सूचना दी है।

दूसरी बात यह है कि यह जो २०,००० जनसंख्या की बात रखी गई है यह क्यों रखी गई है. यह मेरी समझ में नहीं आता है। क्या इसे किसी ज़िद् के कारण रखा गया है या इस लिये रखा गया है कि यदि वहां की आबादी २०,००० से अधिक है इस वास्ते उसकी जिम्मेदारी केन्द्रीय सरकार न ले।

मेरा अनुभव बतलाता तो यही बतलाता है कि हमारी इन इंस्टीट्यूशंस की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वे इस भार को सहन कर सकें। जब हमारी सरकार करोड़ों रुपया खर्च करने जा रही है और बड़ी बड़ी ज़िम्मेदारियां अपने ऊपर ले रही है तो मेरा सुझाव है कि म्यूनिसिपल एरियाज़ के अंदर जो एक एक और दो दो मील के टुकड़े पड़े हैं उनकी ज़िम्मेदारी भी उसे अपने ऊपर ही ले लेनी चाहिये। यदि इसका भार म्यूनिसिपैलटियों के ऊपर ही छोड़ना है तो केन्द्रीय सरकार को उनसे करारनामे या एग्रीमेंट करने पड़ेंगे और कई दूसरी चीजें करनी पड़ेंगी। इस लिये मेरा सुझाव है कि इस धारा को ही हटा दिया जाय।

दूसरी बात जों मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि इसमें एक धारा के जरिये यह व्यवस्था की जा रही है कि जहां पर पुल इत्यादि पड़ेंगे वहां पर चुंगी ली जा सकेगी या फीस ली जा सकेगी। मैं निवेदन करता हूं कि यह राष्ट्रीय सरकार के लिये कोई शोभा की बात नहीं है। आज भी हमारी जो गांव सभायें इत्यादि है वे भी चुंगी वगैरह वसूल कर रही हैं। यह कितनी विचित्र बात है कि कहीं पर भी दो कदम जाइयें, तो एक नई म्यूनिसिपल कमेटी शुरू होती है और वहां उस का अपना कर्मचारी खड़ा रहता है जो कि चुंगी वसूल करता है। शायद मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि इस तरह की फीस से—इस प्रकार चुंगी वसूल करने से—उन को कितने लाख अथवा करोड़ रुपये की प्राप्ति हो जायेगी।

मैं आप को एक उदाहरण देता हूं। यदि हम दिल्ली से मुरादाबाद के रास्ते लखनऊ वाले राष्ट्रीय जनमार्ग पर जायें, तो गढ़ मुक्तेश्वर के स्थान पर गंगा को पार करना पड़ता है। बरसात के दिनों में वहां पर मोटर को रेल के द्वारा उस पार ले जाने पड़ता है। बाकी दिनों वहां नावों का पुल बना रहता है। वहां पर भी इसी प्रकार चुंगी वसूल की जाती है। मुझे पता नहीं है कि वहां से कितना रूपया मिल जाता है। अगर वहां पर वह चुंगी वसूल न की जाती, तो मेरा विश्वास है कि वहां पुल कभी का बन चुका होता। अब केन्द्रीय सरकार सोचती है कि चुंगी वसूल हो ही रही है, हर साल ठेकेदार नावों का पुल बना देता है और जनता का काम भी किसी न किसी प्रकार चल ही रहा है। अब तो वह पुल बनने वाला है और उसका काम शुरू हो गया है। फिर भी तथ्य यह है कि केवल उस चुंगी की वसूली के कारण अब तक वह पुल बनाने में विलंब और ढील की गई है। अभी हाल ही में हमारे प्रतिरक्षा संगठन मंत्री, श्री त्यागी जी, बिजनौर गए उन को भी अपनी कार रेल से ले जानी पड़ी और कई घंटे तक वहां इन्तज़ार करना पड़ा। मेरा सुझाव यह है कि चुंगी की इस व्यवस्था पर फिर से विचार किया जाय। मेरा ख्याल है कि यह केन्द्रीय सरकार की शान के खिलाफ़ है कि कहीं पर एक पुल आ गया और उस ने वहां पर चुंगी वसूल कर ली।

अब मै जिस बात का उल्लेख करना चाहता हूं; यदि वह बहुत महत्वपूर्ण नहीं है; लेकिन एक दृष्टि से वह कम महत्व भी नहीं है। कुछ धाराओं में यह व्यवस्था की जा रही है कि यदि किसी राष्ट्रीय जनमार्ग के किनार पेड़ होंगे, तो सड़क के साथ ही उन पर भी केन्द्रीय सरकार का अधिकार होगा। यह बहुत अच्छा विचार है। मेरा ख्याल है कि हमारे परिवहन मंत्रालय को इस बात की कोशिश

[श्री भक्त दर्शन]

करनी चाहिये कि जहां तक संभव हो, उस के अधिकार क्षेत्र में आने वाली सड़कों के दोनों ओर छाया दार और फलदार पेड़ लगाये जायें, ताकि बन-महोत्सव का हमारा आन्दोलन सफल हो सके और उन सड़कों पर यात्रा करने वाले लोगों को छाया भी मिले और खाना भी मिले।

एक और बात का उल्लेख कर के मैं समाप्त करता हूं। कुछ वर्ष पहले मैं ने देखा था कि राष्ट्रीय जनमार्गों के किनारे पर मील के चिन्हे और दिशाओं और स्थानों की ओर संकेत करने वाले "दायीं और मुड़िये", "बाई ओर मुड़िये" इत्यादि के चिन्ह हिन्दी भाषा में होते थे। मैं ने सुना है कि अब अनिवार्य आदेश दिया गया है कि भविष्य में वे चिन्ह अंगरेजी में हो। मैं अंगरेजी का विरोधी नहीं हूं। संविधान के अनुसार हम ने उस को पंद्रह वर्ष तक अपने देश में रखने का निर्णय किया है, इस लिये उसे हम को एक सम्मानित अतिथि की भाती रखना चाहिये। लेकिन उस का मतलब यह नहीं है कि उस को स्थान देने के लिये हिन्दी को निष्कासित कर दिया जाय। मेरा सुझाव है कि राष्ट्रीय जनमार्ग पर इस प्रकार के जितने भी चिन्ह हों, वे अंगरेज़ी और हिन्दी दोनों भाषाओं में हों। दक्षिण भारत में भी चिन्ह दोनों भाषाओं में हों। उन को पढ़ कर धीरे धीरे लोग उन शब्दों को सीख जायेंगे और वे उनकी भाषा का अंग बन जायेंगे और इस प्रकार सारे देश में हिन्दी का प्रचार हो जायेगा।

मैं सदन का अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं। अतः इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का हार्दिक स्वागत और समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि मेरे सुझावों पर माननीय मंत्री विचार करने की कृपा करेंगे।

†**अध्यक्ष महोदय :** चौदह सदस्यों ने बोलने के लिये नाम दिये हैं और इस विधेयक के लिये चार घंटे निश्चित किये गये हैं। क्या श्री भक्त दर्शन अपने संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं ?

†**श्री भक्त दर्शन :** माननीय मंत्री के उत्तर के बाद मैं इस का निश्चय करुंगा।

†**अध्यक्ष महोदय :** खंडवार विचार के लिये आधा घंटा जो शेष समय चर्चा के लिये नियत किया जाता है प्रत्येक सदस्य को १० मिनट मिलेंगे।

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी :** यह विधेयक देश के लिये अत्यन्त आवश्यक है, इसलिये सभी ने इस का स्वागत किया है। परन्तु मैं अनुभव करता हूं कि जितना कुछ किया जाना चाहिये उतना नहीं किया जा रहा है। अब केवल १३,८०० मील लंबी सड़कों को राष्ट्रीय राजपथ घोषित किया गया है। हमें कम से कम रेलवे की लंबाई के बराबर, अर्थात ४०,००० मील, लंबी सड़कों को राष्ट्रीय राजपथ घोषित करना चाहिये था। इस विधेयक में समर्थकारी उपबंध किया गया है कि सरकार अन्य राजपथों को भी राष्ट्रीय राजपथ घोषित कर सकती है, इसलिये सरकार को ऐसा करने में कोई हिचकचाहट नहीं होनी चाहिये।

मैं श्री भक्त दर्शन से इस बात में सहमत हूं कि समस्त राजपथ की मरम्मत और देख रेख केन्द्रीय सरकार द्वारा की जानी चाहिये, चाहे उस का कुछ कुछ भाग किसी नगरपालिका के क्षेत्र से होकर ही क्यों न गुजरता हो, क्योंकि नगरपालिकायें अधिक धनवान नहीं होती हैं, और वे इनकी अच्छी तरह देख भाल नहीं कर सकती है, केन्द्रीय सरकार जब इतने लंबे राजपथों की देख भाल कर सकती है. तब थोड़े से क्षेत्र को क्यों छोड़ दिया जाये। इसलिये खंड २(१) में से यह बात निकाल दी जाये।

खंड ४ के संबंध में मैं माननीय मंत्री का ध्यान आकर्षित करता हूं कि सड़क के दोनों ओर कोई सीमा नियत कर दी जानी चाहिये, १८, २० या ४० फुट, जहां से सड़क के लिये मिट्टी आदि खोदी जाये। बिना सीमा का निर्धारित किये इस उपबंध में इस बात का उल्लेख करना उचित नहीं इससे बड़ी कठिनाइयां और झगड़ें उत्पन्न होने की संभावना है। अतः इस उपबन्ध को इस तरह अस्पष्ट नहीं छोड़ देना चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में।

मैं इस कारण अधिक सड़कों के राष्ट्रीय राजपथ घोषित किये जाने के लिये कह रहा हूं क्योंकि राज्यों ने अभी तक अपना संकीर्ण दृष्टिकोण नहीं छोड़ा है और संभव है कि ट्रकों ठेला आदि के द्वारा यात्रा करने वालों को कुछ कठिनाई का सामना करना पड़े। उदाहरण के लिये झालावाड़ रोड स्टेशन पर यात्रियों को बड़ी कठिनाई होती है, क्योंकि लूप लाइन मध्य भारत राज्य के क्षेत्र में है मैन लाइन राजस्थान के क्षेत्र में है, इसलिये मध्य भारत से आने वाले ट्रकों आदि को राजस्थान सरकार रेलवे लाइन की चौकी पर रोक लेती है और लोगों को अपने सिर पर अपना माल उठाना पड़ता है क्योंकि किसी यात्री बस को राजस्थान में जाने की अनुमति नहीं है। छः साल से यही अवस्था है,यद्यपि रेलवे स्टेशन उस स्थान से केवल एक फरलांग की दूरी पर है। यदि इस टुकड़े को राजपथ घोषित कर दिया जाये तो लोगों की असुविधायें दूर हो सकती है।

अजमेर से महू तक एक सड़क है। महू, नीमच और नसीराबाद बड़े प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण स्थान हैं। यदि अजमेर और नीमच के बीच के राजपथ को राष्ट्रीय राजपथ घोषित कर दिया जाये तो सड़क की अच्छी मरम्मत और देख भाल हो सकती है तथा बंबई की दूरी लगभग १४० मील कम हो सकती है। छोटे छोटे अनेक राज्यों में से होकर गुजरने के कारण इस सड़क की अवस्था बहुत खराब हो गई है। इसे राष्ट्रीय राजपथ बनाये जाने की अत्यन्त आवश्यकता है सरकार को इस काम को अपने हाथ में लेना चाहिये।

सरकार को राजपथों को संख्या बढ़ाने की ओर भी ध्यान देना चाहिये। जिन नगरपालिकाओं की जन संख्या एक लाख या अधिक है वहां से होकर गुजरने वाले राजपथों की देख रेख वहां की नगरपालिकाओं को करनी चाहिये और इतनी जन संख्या के कम वाली नगरपालिकाओं के क्षेत्राधिकार से होकर गुजरने वाले राजपथों की देख भाल केन्द्रीय सरकार को करनी चाहिये।

†**श्री शि० ला० सक्सेना** (गोरखपुर जिला—उत्तर): मुझे प्रसन्नता है कि राष्ट्रीय राजपथों के बारे में कदम उठाया जा रहा है। परन्तु कुछ बातें इसमें से छूट गई है।

ग्राण्ड ट्रंक रोड बहुत पुरानी और महत्वपूर्ण सड़क है। इस समूची सड़क की मरम्मत और देख भाल केन्द्रीय सरकार को अपने हाथ में लेनी चाहिये, और राज्यों के पास इसका कोई भाग नहीं छोड़ा जाना चाहिये।

नेपाल के स्वतंत्र होने के पश्चात् वहां की सीमा के साथ साथ सीमा पर स्थित विभिन्न स्थान को जोड़ने वाला एक राष्ट्रीय राजपथ होना चाहिये, जिस की देख भाल केन्द्रीय सरकार के साथ में हो। इस राष्ट्रीय राजपथ के बन जाने से सीमा पर होने वाली डकैतियों आदि को रोका जा सकेंगा। अब इधर के लोग नेपाल में डाके मारके इधर भाग आते है और नेपाल के लोग भारत मे डाके मारकर नेपाल में भाग जाते हैं। कोई सड़क न होने के कारण उनको पकड़ा नहीं जा सकता है। नेपाल की सरकार पर डकैतियों की भीषण समस्या हैं अतः वहां राष्ट्रीय राजपथ की आवश्यकता है। गोरखपुर से नौतन वा तक जो सड़क हैं उसे राष्ट्रीय राजपथ घोषित किया जा सकता हैं। इस पर यातायात भी खूब है। और यह एक महत्वपूर्ण सड़क है। नेपाल की सीमा के महत्व को समझते हुये सरकार को चाहिये कि यदि कोई ऐसी सड़क है तो केन्द्रीय सरकार उस की देख भाल करे यदि नहीं है तो उस का निर्माण करे।

इस क्षेत्र में मूल्यवान जंगल है और भूमि उपजाऊ हैं। राजपथ के बन जाने से इन प्राकृतिक संसाधनों का भी लाभ उठाया जा सकता है।

†**श्री आनन्द चन्द** (बिलासपुर): प्रायः सभी देशों में राष्ट्रीय राजपथ होते है, परन्तु विदेशों के राष्ट्रीय राजपथों की अवस्था बहुत अच्छी होती है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री आनन्द चन्द]

रेलवे क्रासिंगों के बारे में विशेष उपबंध है। मैं इस के संबंध में यह निवेदन करूंगा कि जिन राष्ट्रीय राजपथों के मार्ग में रेलवे क्रासिंग हों, वहां या तो पुल होने चाहिये या रेलवे क्रासिंग की संख्या कम की जानी चाहियें। अम्बाला छावनी में रेलवे क्रासिंग के फाटक के बन्द रहने के कारण यातायात को आधे और कभी कभी पौन घंटे तक रुकना पड़ता है। इस असुविधा को दूर करने के लिये मंत्री महोदय को ध्यान देना चाहिये।

दूसरी बात में उपकरों और पथकरों के बारे में यह कहना चाहता हूं कि राष्ट्रीय राजपथों पर पुलों का सुरंग आदि के लिये कोई उपकर या पथकर लेना केंद्रीय सरकार को शोभा नहीं देता है?

भारत की पूर्वी और पश्चिमी सीमाओं की ओर राष्ट्रीय राजपथों की दृष्टि से विशेष ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है। बंगाल को अवशिष्ट भारत से मिलाने वाला राजपथ ठीक है, परन्तु पश्चिमी सीमा पर शिमला से पठानकोट तक एक नये राष्ट्रीय राजपथ के बनाये जाने की अत्यन्त आवश्यकता है। कांगड़ा घाटी इस राजपथ के बीच आ जायेगी। पश्चिमी क्षेत्र मैदानी इलाका है और पाकिस्तान की सीमा बिलकुल पास है। आज के युग में इतनी यात्रा बहुत थोड़े समय की होती है, इसलिये प्रतिरक्षा के दृष्टिकोण से एक वैकल्पिक राजपथ शिमला और पठानकोट के बीच होना चाहिये।

†**अध्यक्ष महोदय** : यहां केवल अधिक महत्वपूर्ण राजपथों का उल्लेख किया जाना चाहिये और शेष के बारे में सुझाव माननीय मंत्री के पास भेजे जा सकते हैं।

†**श्री आनन्द चन्द** : हमें अपनें राजपथों पर तेज चलने वाले और धीरे चलने वाले दोनों प्रकार के यातायात के लिये व्यवस्था करनी चाहिये। इस पर धन अवश्य व्यय होगा, सड़कों को चौड़ा करना पड़ेगा, परन्तु अधिक महत्वपूर्ण राजपथों पर ऐसी व्यवस्था करके परीक्षण किया जाना चाहिये, ताकि तेज चलने वाले यातायात को धीरे चलने वाले यातायात के कारण असुविधा न हो।

मैं श्री त्रिवेदी के इस सुझाव से सहमत हूं कि छोटी नगरपालिकाओं पर राष्ट्रीय राजपथों की देखभाल का भार न डाला जाये। मैं यह भी चाहता हूं कि राष्ट्रीय राजपथ नगरों से बाहर होकर जाने चाहिये और उसे नगरों से मिलाने वाली छोटी सड़कें होनी चाहिये। इन राष्ट्रीय राजपथों का बड़े नगरों के अन्दर से गुजरना आवश्यक नहीं है। ऐसा करने से नगरपालिकाओं को कोई अंश-दान करने की जरूरत नहीं होगी। नगरपालिकाओं के पास पहले ही धन कम होता है और उनके कार्य अनेक होते हैं। उनपर अधिक भार डालना उचित नहीं।

**श्री त्रि० ना० सिंह** (जिला बनारस-पूर्व) : इस विधेयक के सिद्धांतों के बारे में सभी सहमत है। मैं राष्ट्रीय राजपथों के इंजीनियरिंग पहलू के बारे में यह निवेदन करूंगा कि उन्हें इस प्रकार बनाया जाये ताकि ग्रामीण क्षेत्रों की प्राकृतिक नालियों और नालों के बहाव में कोई बाधा उत्पन्न न हो अन्यथा इनके गलत निर्माण से ग्रामीण क्षेत्रों के लिये अनेक कठिनाइयां पैदा होने की संभावना है। पानी भर जाने की समस्या तो बहुत मामूली है।

हम पेट्रोल का, सड़क और राज्य सरकारों को इनकी देखभाल के लिये आर्थिक सहायता देकर राजपथ योजना को चलाते हैं। अब इस पद्धति से विनियमित किये जाने की आवश्यकता है। जब रेलवे या नहरों का उपयोग वाणिज्यिक रूप से होता है, तो सड़कों के वाणिज्यिक पहलू पर भी ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है। लोगों को सड़कों का लाभ होता है तो उन्हें उनके उपयोग के लिये कुछ देना चाहिये।

मुख्यतः राजपथ की देखभाल और मरम्मत के लिये जो चालू कर जमा होता है, उसे राजपथों के निर्माण की योजनाओं में लगाने में कोई हर्ज नहीं है।, परन्तु इसके लिये भी उचित सिद्धांत और नियम बनाये जाने की आवश्यकता है। नई सड़क बनाना एक प्रकार का पूंजी व्यय है। चालू सड़कों

†मूल अंग्रेजी में।

की देखभाल तो उपकर आदि से की जा सकती है पर पूंजी व्यय के लिये तो हम अपने संसाधनों को मिलाना ही पड़ेगा। माननीय मंत्री को सोचना चाहिये कि वह किस प्रकार नवीन सड़कों के निर्माण में जनता का सहयोग प्राप्त कर सकते हैं और किस प्रकार आय के साधन बढ़ाये जा सकते हैं। इसके वाणिज्यिक पहलू पर माननीय मंत्री को विचार करना चाहिये।

बकिंघम नहर आज प्रायः बंद पड़ी है। इसका कारण यह है कि वहां पर अनेक स्थानों पर पथकर लगाये गये थे। पथकर यातायात के मार्ग में बाधक सिद्ध होते हैं। इसलिये हमें पथकर प्रणाली को समाप्त करके इसके स्थान पर और कोई उपाय सोचना चाहिये, जिसके द्वारा अधिक संसाधन जुटाये जा सकें और विभिन्न योजनायें कार्यान्वित की जायें। पथकर की प्रणाली का वैज्ञानिकन करने के लिये कोई मार्ग ढूंढा जाना चाहिये।

†**श्री न० मा० लिंगम** (कोयम्बटूर) : कुछ देर पहले माननीय सदस्य ने कहा था कि इसे एक अर्ध वाणिज्यिक प्रस्थापना बनाया जाये, और अब वह कहते हैं कि यह पथकर और आरोपण भी न लिये जायें। उनकी यह दोनों बातें कैसे मेल खाती हैं ?

†**श्री त्रि० ना० सिंह** : मैं चाहता हूं कि पर्याप्त आय हो, परन्तु वह विभिन्न स्थानों पर पथ कर लगाकर न की जाये। इस संबंध में कोई सर्वमान्य योजना केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों और स्थानीय निकायो द्वारा परस्पर बातचीत करके बनाई जा सकती है। स्थान स्थान पर पथ कर लगाना ठीक नहीं है। मैं किसी स्थानीय निकाय या नगर पालिका को कुछ सहस्र रुपयों की आय से वंचित नहीं करना चाहता हूं। मैंने केवल यही कहा है कि हमें वह राज्य सरकार से या किन्हीं अन्य आरोपणों (लेवी) से आर्थिक सहायता के रूप में प्राप्त कर सकती है।

चौथी बात डिज़ल तेल से प्राप्त हो रहे उपकर के संबंध में है। मुझे ज्ञात हुआ है कि डिज़ल तेल उपकर से हो रही आय सामान्य राजस्व में जा रही है। मेरी समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों किया जाता है। जब पैट्रोल उपकर से होने वाली आय एक विशेष निधि में जाती है तो फिर डिज़ल तेल उपकर निधि के संबंध में भी ऐसा क्यों नहीं किया जाता है ? आगे चल कर डिज़ल तेल का और भी अधिक प्रयोग किया जाने लगेगा, साथ ही यह सस्ता भी है। इस की यातायात व्यवस्था को प्रोत्साहन क्यों न दिया जाय ?

मैंने अभी बताया कि हम राष्ट्रीय राजपथों को किस प्रकार स्व-वित्तदायी बना सकते हैं। मैं परिवहन मंत्रालय से अनुरोध करूंगा कि वह सरकार या सदन के समक्ष इस संबंध में प्रस्थापनायें प्रस्तुत करें कि डिज़ल तेल उपकर से होने वाली आय को सड़क विकास कार्य के लिये पृथक् रक्षित कर दिया जाये और उसे सामान्य राजस्व में न मिलाया जाये।

†**श्री अच्युतन** (क्रेंगनूर) : मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। वास्तव में तो इसे बहुत समय पहले ही पास किया जाना चाहिये था क्योंकि संघ सूची में यह लिखा हुआ है कि संसद देश की किन्हीं सड़कों को राष्ट्रीय राजपथ घोषित कर सकती है। केन्द्रीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजपथ को मिलाने वाली कई बड़ी सड़कें बनायी जा रही हैं, परन्तु खेद है कि बहुत सी ऐसी सड़कों को छोड़ दिया गया है जिनका निर्माण बहुत जरूरी है। उदाहरणार्थ पश्चिमी घाट की सड़क जो कि मालाबार आदि क्षेत्र से होती हुई बम्बई और कन्या कुमारी को मिलाती है, बहुत जरूरी है, उसका वाणिज्यिक, आर्थिक और यातायात संबंधी महत्व किसीसे छिपा हुआ नहीं है। अतः इसकी ओर ध्यान देना अत्यावश्यक है। इसी प्रकार से यह संख्यां ८ के अन्तर्गत आने वाले राजपथ को मद संख्या ३६ के राष्ट्रीय राजपथ से मिलाने वाली भी कोई पक्की सड़क होनी चाहिये। भुतपूर्व कोचीन सरकार ने एक छोटी सी सड़क बनाने का प्रयत्न किया था परन्तु धन की कमी के कारण वह कोई संतोषजनक सड़क न बना सकी। वह कच्ची सड़क है। इसलिये सरकार से निवेदन है कि वह उस सड़क को सुधारने के बारे में कोई उचित कार्यवाही करे ताकि उद्योग, वाणिज्य और यातायात में उन्नति की जा सके।

---

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री अच्युतन]

सड़कों के अतिरिक्त कई महत्वपूर्ण पुलों की रचना की ओर भी सरकार को पूरा पूरा ध्यान देना चाहिये। विशेषकर आल्वे पुल और अरूर पुल की ओर तो हमें शीघ्रातिशीघ्र ध्यान देना चाहिये।

विधेयक में बतायी गई इस बात से मैं सहमत नहीं हूं कि अगर किसी नगरपालिका के अधीन २५,००० की जनसंख्या है तो उसके क्षेत्र से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजपथों के संधारण का उत्तरदायित्व उस पर होगा। केवल जनसंख्या के आधार को ही मान लेना उचित नहीं है, उस नगरपालिका की वित्तीय क्षमता को भी ध्यान में रखना चाहिये। ऐसी कई नगरपालिकायें हैं जिनके अधीन इससे भी अधिक जनसंख्या है परन्तु उस के पास इतना भी धन नहीं कि वे छोटी छोटी सड़कों का भी संधारण कर सकें। इसलिये मैं चाहता हूं कि इस बात पर अच्छी प्रकार से विचार किया जाये और इस संबंध में कोई और प्रबन्ध किया जाये।

फिर विधेयक में यह नहीं बताया गया है कि इन राजपथों के राष्ट्रीय राजपथ घोषित हो जाने के बाद अधिकारों को कैसे बांटा जायेगा, यह भी नहीं बताया गया है कि केन्द्रीय सड़क निधि को कैसे बांटा जायेगा।

अन्त में मैं पश्चिमी घाट की सड़क के निर्माण पर एक बार फिर बल देता हुआ यह निवेदन करता हूं कि सरकार उसकी ओर पूरा पूरा ध्यान दे, और यदि हो सके तो द्वितीय पाठन के समय इस बारे में एक संशोधन प्रस्तुत करे।

**श्री सिंहासन सिंह** (जिला गोरखपुर–दक्षिण) : इस विधेयक का भवन के चारों तरफ से स्वागत हुआ है और मैं भी इसका स्वागत करता हूं। संयोग से इस समय पर सब मंत्री महोदय बैठे हुए हैं। मैं उनका ध्यान इस विधेयक के संबंध में चन्द बातों की ओर दिलाना चाहता हूं।

इस बिल (विधेयक) के क्लाज़ (खंड) ४ के सबक्लाज़ (उपखंड) २ के अनुसार हाईवे (राजमार्ग) के इर्द-गिर्द की जमीन, चाहे वह डिमार्केटेड (सीमा रेखांकित) हो या न हो, हाईवे में आ जावेगी। दफा (धारा) ४ के सबक्लाज़ १ में लिखा हुआ है :

"उसके आस पास की सारी भूमि चाहे उसमें सीमा रेखा लगाई हो अथवा न।"

मुझे सन्देह है कि यह झगड़े की जड़ हो सकती है। आप जो भी हाईवे बनावें उसकी जमीन निश्चित होनी चाहिये। अभी अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने एक ग़ज़ट नोटिफिकेशन (गजट अधिसूचना) निकाला है जिसमें कहा गया है कि जो प्रान्तीय हाईवे गोरखपुर से बडहलगंज होती हुई और गाजीपुर से होती हुई बनारस को जाती है, उसके मध्य से दो सौ गज की जमीन दोनों तरफ गवर्नमेंट के कंट्रोल (अधीन) में आ जायेगी। इससे लोगों में बड़ा कुहराम मच गया है क्योंकि न कोई इस जमीन पर मकान बना सकता है और न झोंपड़ा बना सकता है जब तक कि सरकार की अनुमति न ले ले और यह अनुमति देना कलक्टर (समाहर्त्ता) के अधिकार में है। हमारे देश में लोगों की घनी आबादी होने के कारण जमीन का बड़ा कष्ट है और सरकार को इस तरह से ४०० गज जमीन दोनों तरफ लेना लोगों को पसन्द नहीं आ सकता। हमारे यहां सड़कों की चौड़ाई आम तौर पर ४० फुट या ६० फुट होती है। इसके दोनों तरफ कुछ जमीन डिमार्केट कर दी जाये ताकि लोगों को अन्दाजा हो जाये। इसलिये मैं सरकार को सुझाव देना चाहता हूं कि हाईवे की जमीन डिमार्केट होनी चाहिये।

आप जितनी हाईवेज़ लेंगे उसके दोनों तरफ जो दरख्त लगे हुए हैं वे भी आपके हो जायेंगे। उनके लिये कोई मुआवज़ा देने का प्रावीजन इस बिल में नहीं है। अभी तक डिस्ट्रिक्ट बोर्डस् (जिला बोर्डों) ने जो सड़कें बनवाई हैं उनके दोनों किनारे या तो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड (जिला बोर्ड) ने खुद दरख्त लगवाये हैं या लोगों से पेड़ लगावाये हैं इस शर्त पर कि उनके जो फल फूल हों उनका वे इस्तैमाल कर सकते हैं और सूख जाने पर पेड़ काट ले सकते हैं, हरा पेड़ नहीं काट सकते। लेकिन अब ये दरख्त आपके हो जायेंगे और न डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को, न मालिकों को और न प्रान्तीय सरकार को उनका मुआवज़ा मिलेगा। मेरा सुझाव है कि आप इस बिल में दरख्तों के मुवावज़े का प्रावीज़न भी रखें। जो सम्पत्ति आप लें उसका मुआवजा दें।

इसके बाद मैं आपका ध्यान दफा ७ की तरफ दिलाना चाहता हूं। अभी तक जिन हाईवेज़ पर फैरीज का टक्स लगता था उसको आपने माफ कर दिया है। लेकिन इस धारा के अनुसार आप फिर से वह टैक्स लगा सकते हैं। आपने लोगों को यह टैक्स माफ करके एक सुविधा दी है। अगर आप इस सुविधा को वापिस लेंगे तो लोगों में असंतोष पैदा होगा, और जो वह आपको इस टैक्स के माफ करने के लिये आशीर्वाद देते थे वह यह टैक्स फिर से लगाने के कराण श्राप में बदल जायेगा। इसलिये मेरा सुझाव है कि जहां कहीं इन हाईवेज़ पर अभी तक फैरीज़ टैक्स लगता है उसको चाहे आप माफ न करें लेकिन जहां आप माफ कर चुके है वहां पर फिर से न लगायें नहीं तो बड़ी गड़बड़ी होगी।

इस संबंध में मैं एक बात और कहना चाहता हूं। गोरखपुर में दो हाईवेज़ हैं जिन पर कि आपकी मेहरबानी से पुल बनने जा रहे हैं, एक बड़हलगंज में और एक राप्ती पर। बडहलगंज के पुल की ओर मंत्री महोदय का ध्यान खास तौर से आकर्षित करना चाहता हूं क्योंकि वे रेलवे मंत्री भी हैं। बड़हलगंज से बहराइच तक रेलवे बनाने का उन्होंने अपनी बजट स्पीच में आश्वासन दिया था। इस साल उसका सर्वेक्षण भी हो जायेगा। मेरा सुझाव है कि यह जो सड़क का बड़हलगंज का पुल बन रहा है उसको ऐसा बनाया जाये कि इस पर रेल भी जा सके और सवारियां भी जा सकें, यानी इसको एक रोड कम रेलवे ब्रिज बनाया जाये। ऐसा करने से आगे रेलवे का पुल बनाने का खर्चा भी नहीं होगा और यह काम एक साथ हो जायेगा। चूंकि दोनों काम एक ही मंत्री महोदय के अधीन हैं इसलिये मैं ने उनका ध्यान इस ओर आकर्षित कर दिया है।

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जिन दो तीन बातों की ओर मैंने मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित किया है उन पर गौर किया जायेगा।

इसमें कहा गया है कि नेशनल हाईवेज़ (राजपथ) का जो हिस्सा बीस हजार से अधिक जनसंख्या वाली म्युनिसिपैलिटीज़ में होकर गुजरेगा उसको आप छोड़ देंगे और उसको म्युनिसिपलिटीज़ मेनटेन करेगी। मैं समझता हूं ऐसा करने से बहुत दिक्कत होगी। सरकार को चाहिये कि वह सारी सड़क को मेनटेन करे। अगर आप म्युनिसिपैलिटीज़ (नगरपालिकाएं) पर सड़कों का मेनटिनेन्स (संधारण) छोड़ देंगे तो नतोजा यह होगा कि उनकी लिमिट के बाहर तो आपकी सड़कें अच्छी हालत में रहेंगी और उनके अन्दर जो हिस्सा होगा वह खराब हालत में रहेगां क्योंकि २० हजार से अधिक जनसंख्या वालीं बहुत सी म्युनिसिपैलिटीज़ आपकी सड़क को मेनटेन नहीं कर सकेंगी। मसलन बस्ती की म्युनिसिपैलिटीज़ बीस हजार से ऊपर की है। उसके अन्दर आपकी सीमेंटेड रोड तीन चार मील बनी हुई है। अगर आपने उस हिस्से के मेनटिनेंस को म्युनिसिपैलिटी पर छोड़ दिया तो वह उसको मेनटेन नहीं कर सकेगी और आपकी बनी बनायी रोड खराब हो जायेगी। इसलिये मेरा सुझाव है कि नेशनल हाईवेज़ को पूरी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट ही मेनटेन करे।

इसके बाद मैं आपका ध्यान एक और बात की ओर खींचना चाहता हूं। आपकी जो सीमेंट की सड़कें बनी हुई हैं इन पर राष्ट्र का बहुत धन व्यय हुआ है। मैं चाहता हूं कि आप सीमेंट और तारकोल दोनों तरफ की सड़कों का मुकाबला कर के देखें कि किस पर ज्यादा खर्च आता है। आजकल जो आपकी सीमेंट की सड़कें बन रही हैं वह जल्दी खराब हो जाती हैं। हमारे यहां गोरखपुर में और बस्ती में आपकी जो सन् १९२६ की सीमेंट की हाईवेज़ बनी हुई हैं वे अभी तक अच्छी हालत में हैं। लेकिन जो अब आपकी नयी सड़कें ीमेंट की बन रहीं हैं वे दो साल में ही खराब हो जाती हैं उन पर सीमेंट बिछने लगता है। आजकल हालत यह है कि बाजार में सीमेंट की कमी है। गवर्नमेंट की बड़ी बड़ी योजनाओं में सीमेंट का बहुत खर्चा हो रहा है। इधर लोगों को अपने मकान बनानें के लिये भी सीमेंट की आवश्यकता है। हम देखते हैं कि गवर्नमेंट के परमिट के बिना लोग ब्लैक मार्केट से सीमेंट ले ले कर अपने मकान बना रहे हैं। यह सीमेंट कहां से आता है। इसका पता हम नहीं लगा पा रहे हैं। मेरा सुझाव है कि आप सीमेंट के स्थान पर तारकोल की सड़कें बनवायें उनकी लाइन भी करीब २ सीमेंट की सड़क के बराबर ही होती है और उन पर खर्चा कम आता है। ऐसा करने से तारकोल की बिक्री भी बढ़ जायेगी। इस प्रकार जो बचत होगी उसको आप दूसरे निर्माण

[श्री सिंहासन सिंह]

कार्यों पर लगा सकेंगे और जो सीमेंट इस तरह से बचेगा उसको दूसरी निर्माण योजनाओं के काम में लाया जा सकता है और जनता को भी सीमेंट मिल सकेगा और उनको चोर बाजार से १२ और १३ रुपया बोरी नहीं खरीदनी पड़ेगी। मेरा सुझाव है कि सड़क बनाने में आप सीमेंट के बजाय तारकोल का प्रोग्राम ज्यादा रखें। इससे देश में कुछ ईमानदारी भी ज्यादा बढ़ेगी क्योंकि लोग चोर बाजार से खरीदना बन्द कर देंगे।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि सरकार अधिक से अधिक हाईवेज़ को अपने हाथ में लेगी ताकि जनता को सुविधा हो।

हमारे भाई श्री टी० एन० सिंह ने कहा कि सरकार को यह सड़कें कमर्शियल लाइन (वाणिज्यिक आधार) पर चलानी चाहिये। मैं इसको ठीक नहीं समझता। मैं चाहता हूं कि कम से कम रोड्स तो फ्री होनी चाहिये। अगर हम रोड्स को भी कमर्शियल लाइन्स पर फैलायेंगे और जो फैरी का टैक्स आपने माफ कर दिया है उसको फिर से लगा देंगे तो लोगों में असंतोष फैलेगा। हमारे यहां अभी एजूकेशन फ्री (शिक्षा मुफ्त) नहीं है, मैडीसिन (औषधि) भी पूरी तरह फ्री नहीं है। कम से कम रोड्स तो फ्री होनी चाहिये। आप मोटर टैक्स लेते हैं वह भी तो रोड्स के लिये ही है। इसके अलावा आप कुछ सेस (उपकर) भी लेते हैं। वह भी सड़कों के लिये ही है। अगर आप सड़कों को कमर्शियल लाईंस पर चलायेंगे तो लोगों के मन में यह भावना पैदा हो जायेगी कि सड़कों पर भी आप टैक्स लेते हैं। आपकी रेलवे कमर्शियल लाइन्ज (वाणिज्यिक) है, शिपिंग (नौवहन) कार्शियललाइडड़ है। और अगर आप सड़कों को भी कमर्शियलाइडड़ कर देंगे तो फिर कोई ऐसी सर्विस (सेवा) नहीं रह जायेगी जो कि फ्री कही जा सके। हम राष्ट्र का बहुत सा धन लेते हैं, कहीं पर तो हम चलने के लिये सुगम रास्ते, नदी पार करने की सुविधा और अन्य सुविधायें दें। यह तो कम से कम फ्री हो। इससे हमारी जन सरकार की क्षमता बढ़ेगी और लोगों में उसके प्रति आदर बढ़ेगा। इसलिये यहां पर कमर्शियल भावना नही होनी चाहिये।

इतना ही कह कर मैं इस बिल का स्वागत करता हूं।

**श्रीमती कमलेन्दुमति शाह** (जिला गढ़वाल पश्चिम व जिला टिहरी गढ़वाल व जिला बिजनौर उत्तर) : मैं इस बिल का स्वागत करती हूं क्योंकि मुझे आशा होती है कि हमारी तरफ भी एक बहुत बड़ा राजमार्ग बनने जा रहा है।

मेरा निवेदन यह है कि यदि राजमार्ग बनाते समय किसी की भमि उस मार्ग के अन्तर्गत आ जाय तो सरकार उस व्यक्ति को सम्भवत: भूमि के रूप में ही मुआवज़ा दे, अन्यथा द्रव्य के रूप में उचित मुआवज़ा दे। मैं पहाड़ी स्थानों से आती हूं इसलिये वहां की स्थिति को जानती हूं। वहां के गांवों का मुझे पता है। अक्सर यह होता है कि सड़क बनाते समय अगर किसी की भूमि उसके अन्तर्गत आ जाती है तो उसका मुआवज़ा नहीं मिलता, और मिलता भी है तो जल्दी नहीं मिलता। किसी किसी को तो चार बरस हो गये हैं लेकिन मुआवज़ा अभी भी नहीं मिला है। इस वास्ते यदि राजमार्ग या बड़ी सड़क बनाते समय किसी की जमीन वहां पर आ जाय तो उसको मुआवजा मिलना बहुत जरूरी है नहीं तो वे लोग बिना भूमि के रह जाते हैं और अन्न उपजा नहीं पाते हैं।

जो राजमार्ग अभी तक बन चुके हैं, उनके अतिरिक्त अन्य राजमार्गों का बनना रूक सा गया है। बहुत आवश्यक है कि कुछ स्थानों पर ऐसे मार्गों का और निर्माण हो। उस में से एक मार्ग का नाम मैं भी बतलाना चाहती हूं जिसको कि इस सरकार को अपने हाथ मे लेना चाहिये। वह मार्ग है मेरठ से मुजफ्फर नगर, रुड़की, हरद्वार, ऋषिकेष, टिहरी,धरासू, उत्तर काशी से होता हुआ निलंग पास तक। यह राजमार्ग बनना बहुत आवश्यक है। मैं आप के ध्यान में यह भी लाना चाहती हूं कि उत्तर काशी तक मोटर सड़क बन गई है। लगभग २५ मील का टुकड़ा बाकी है जिसका मोटर सड़क बना देने पर राजमार्ग हो जायेगा और निलंग पास तक पहुंचेगा। मैं बहुत जोरदार शब्दों में

---

†मूल अंग्रेजी में।

कहना चाहती हूं कि यह सड़क बनना बहुत जरूरी है। अगर सरकार नक्शे पर देखेगी तो पायेगी कि दोनों ओर दूरदूर पर राजमार्ग हैं। यही एक गैप पड़ा हुआ है जहां पर राजमार्ग नहीं है। अगर यहां पर राजमार्ग बन जाता है तो दोयें बायें दोनों ओर के राजमार्ग का बड़ा खाली भाग भी भर जायेगा।

इसके पश्चात् मेरा निवेदन यह है कि सन् १९५७ से तो केन्द्रीय सरकार सब राजमार्गों का राष्ट्रीयकरण कर, उनका भार अपने हाथ में लेने जा ही रही है, अतः आवश्यक स्थानों में अभी से राजमार्गों का निर्माण होने लगे तो अच्छा है क्योंकि आगे चल कर सरकार को उनको अपने हाथ में लेने में आसानी होगी।

सरकार शायद यह कहेगी कि पहाड़ी स्थानों में सीमेंट आदि का पहुंचना बड़ा मुश्किल है, फिर आजकल देश में सीमेंट और लोहे की कमी भी है। इसके लिये सरकार को मेरा सुझाव है कि २५, ३० वर्ष पहले जब सीमेंट का कोई नाम भी नहीं जानता था, उस समय सीमेंट के स्थान पर पत्थर से, जो कि हमारे यहां बहुतायत से पाया जाता है, चूना बनाया जाता था। चूना और पत्थर मिल कर जो मकान १५० वर्ष पहले बने थे वह अभी भी काफी मजबूत हैं और उनमें एक बूंद भी पानी नहीं टपकता है। इसलिये मेरा निवेदन है कि पहाड़ी स्थानों में जहां पर पत्थर इतना अधिक है, वहां उस को काम में लाया जाय। उसका चूना बना कर सड़कों पर बिछा दिया जाय तो सड़क बड़ी पक्की बनेगी और दूर से सीमेंट पहुंचाने की अड़चन भी नहीं रहेगी और बड़े सस्ते में आसानी से सड़क बन जायेगी। इसलिये चूना व बजरी को मिला कर पहाँड़ के नेशनल हांईवेज़ बनाने चाहिये।

[**पंडित ठाकुर दास भार्गव** पीठासीन हुए]

यह तो एक जानी हुई बात है कि यातायात बढ़ाना मार्मिक अर्थात् स्ट्रैटेजिक प्वाइन्ट आफ व्यू (दृष्टिकोण) से भी तथा और बातों को देखते हुए बहुत अधिक जरूरी है। बिना सड़कों के बने हुए और यातायात बढ़े हुए कोई भी पहाड़ी स्थानों पर सरलता से नहीं जा सकता है। आप मेरे टिहरी गढ़वाल को ही ले लीजिये। वहां का हाल ऐसा है कि हमारे मंत्री जी वहां के भीतरी भाग में स्वप्न में भी नहीं जा सकते, और दूसरे लोग भी वहां जाने में कठिनाई अनुभव करते हैं। मेरे जैसे ही लोग वहां पहुंच सकते हैं किसी प्रकार से। इसलिये मंत्री महोदय से मेरा जोरदार शब्दों में निवेदन है कि टिहरी गढ़वाल से होती हुई जिस नैशनल हाईवे का नाम मैंने अभी बताया है उसको जरूर बनवाया जाये।

†**श्री मो० दि० जोशी** (रत्नागिरी–दक्षिण) : सभापति महोदय, मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। परन्तु विधेयक से मुझे निराशा भी हुई है। अनुसूची में बताये गये राजपथ संख्या ४ तथा ५ का संबंध बंबई से है। हमें जो मानचित्र दिया गया है यदि माननीय मंत्री उसे देखें तो इसमें पश्चिमी तट के साथ किसी राजपथ का प्रस्ताव नहीं किया गया है। यह एक दुःख की बात है। भारत के पूर्वी तट पर जो बहुत चौड़ा राजपथ है परन्तु पश्चिमी तट पर कुछ भी नहीं है। बम्बई से गोआ जाने वाली प्रान्तीय सड़क लगभग ७५ वर्ष पहले बनाई गई थी। यह सड़क बैलगाड़ियों के लिये है और टेढ़ी मेढ़ी ह। जब तक इस क्षेत्र में अच्छे राजपथों की व्यवस्था नहीं की जाती तब तक यह क्षेत्र पिछड़ा रहेगा। मैं अपने जिले के लिये नहीं कह रहा हूं बल्कि कोलाबा, रत्नगिरि, कारवार आदि से जिलों में शुरू होकर मंगलोर, उत्तर कन्नारा तथा दक्षिण कन्नारा तक किसी प्रकार का कोई राजपथ नहीं है। मूल योजना में जिसमें प्रस्तावित राजपथ दिये गये थे, उसमें पश्चिमी तट के साथ साथ एक राष्ट्रीय राजपथ की भी प्रस्थापना थी। परन्तु किसी न किसी कारण उसे हटा दिया गया था। मेरे विचार से १९४२ में पश्चिमी तट के साथ पुल बनाये गये थे। वहां पर रेल व्यवस्था न होने के कारण ब्रिटिश सरकार ने सैनिक दृष्टिकोण से इन्हें बनाया था। परन्तु जन साधारण की आवश्यकता की चिन्ता न तब की गई थी न ही इस विधेयक में की गई है। इसलिये मेरा यह सुझाव है कि अनुसूची पर फिर से विचार किया जाना चाहिये और एक राजपथ संख्या ४-क बनाया जाना चाहिये। यह राजपथ थाना के दक्षिण से पानवेल से शुरू होकर कोलाबा जिले में महाड़ तक और फिर राजापुर

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री मो० दि० जोशी]

से होकर रत्नगिरि जिले में से होता हुआ फोन्डा आदि स्थानों को मिला कर सावन्तवाड़ी और इससे आगे बेलगाम तक बनाया जाये। बेलगाम से इसे चेलापुर और कारवार से और फिर आग मंगलौर तक बढ़ाया जा सकता है। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि इस सुझाव को अनुसूची में स्थान दें।

विधेयक के खंड ४ के उपखंड (१) में कहा गया है कि "राजपथों" में "उससे अनुबद्ध सभी भूमि चाहे वह सीमांकित की गई हो या न की गई हो" शामिल है। मेरे माननीय मित्र श्री सिंहासन सिंह ने बताया था कि यह सीमांकन कभी कभी दोनों दिशाओं में २०० गज तक फैला होता है। मेरे अपने जिले में यह १०० फुट या २०० फुट की चौड़ाई में फैला हुआ है। अब इन में से अधिकतर भूमि में धान की खेती होती है, वह खेती योग्य भूमि होती है और लोगों को अत्यधिक कठिनाई होती है। पश्चिमी तट में तो कोई भी राजपथ नहीं है। यदि वहां पर भूमि को सीमांकित किया जाये तो साधारण किसान को अपनी परिस्थिति का ज्ञान होता है और उसे मालूम होता है कि उसकी भूमि कहां तक ली जायेगी। परन्तु यदि इसे सीमांकित नहीं किया जाये तो फिर अभिप्राय: क्या ह ? राजपथ का विस्तार कहां तक होगा ? यदि इसे १०० या ६० फीट तक सीमांकित नहीं किया गया तो फिर मनुष्य सोचता है कि अभिप्राय क्या है। मैं कोई संशोधन प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं परन्तू विधेयक में एक ऐसा वाक्य होना चाहिये कि "उससे अनुबद्ध १०० फीट तक सभी भूमि चाहे वह सीमांकित हो या न हो।" यह आवश्यक है और इस पर विचार किया जाना चाहिये।

मैं इस सुझाव का समर्थन करता हूं कि राजपथों को यथासम्भव नगरपालिकाओं के क्षेत्राधिकार से बाहर रखा जाय ; कारण यह कि उक्त नगरपालिकाएं उन्हें बनाए रखने में असमर्थ होती हैं। ऐसा करते हुए भी पश्चिमी घाट के महत्वपूर्ण नगरों को परस्पर मिलाया जाना चाहिये, चाहे नगर से ये राजपथ ८ या १० मील परे हों। बम्बई–सावन्तवादी–बेलगाम सड़क काफी चौड़ी नहीं है तथा वर्षा ऋतु में उस पर कई बार दुर्घटनायें हुई हैं। अतएव देश के उस भाग में, जहां से मेरा संबंध है, एक राजपथ की आवश्यकता है।

†**श्री ले० जो० सिंह** (आन्तरिक मनीपुर) : अभी तक राजपथों के बनाये रखने का उत्तरदायित्व राज सरकारों पर था, परन्तु अब इनके वित्तीय उत्तरदायित्व को केन्द्रीय सरकार ने अपने पर ले लिया है। भारत तथा बर्मा के सीमान्त तक एक महत्वपूर्ण राजपथ जाता है तथा कमारगांव, इम्फाल और पलाल को मिलाता है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण राजपथ है। ोनापुर से कोहिमा तक सड़क की हालत बहुत राब है। वहां कोई मरम्मत नहीं होती। नागा विद्रोह के बाद मज़दूर नहीं मिल रहे हैं। कोहिमा और माओं के बीच भी सड़क बहुत बुरी हालत में है यह उचित ही है कि केन्द्रीय सरकार ने इस सड़क के उत्तरदायित्व को संभाल लिया है।

इन सड़कों के बनाये रखने के लिये उपकरों को लगाने के सम्बन्ध में मैं कुछ कहना चाहता हूं। सीमान्त क्षेत्रों में सड़कें बहुत लम्बी हैं तथा इनके बनाये रखने में बहुत खर्च आता है। मनीपुर राज्य का मामला लीजिये। परिवहन और संचरण का एकमात्र साधन ये सड़कें हैं। जब वहां रेल आदि हैं ही नहीं तो किसी प्रकार के उपकर कर या शुल्क के आरोपण का कोई औचित्य नहीं है। ये केन्द्रीय कर बन्द कर दिये गये क्योंकि उस क्षेत्र में सड़को के अतिरिक्त और कोई भी सुविधा नहीं दी गयी थी मनीपुर की भी वैसी ही स्थति है, वहां भी सड़कों के अतिरिक्त परिवहन सम्बन्धी और कोई भी सुविधा नहीं दी गयी है, इसलिये उस पर भी इस प्रकार से कर नहीं लगाये जाने चाहिये।

मुझे श्री गलगेशन का एक पत्र मिला है जिसमें भारत बर्मा सीमान्त तक जाने वाली सड़क कां उल्लेख करते हुये उन्होंनें बतलायां है कि इस ओर की सड़कें बनांये रखनें के लिये भारत पूरा पूरा ध्यान रखती है, परन्तु उस ओर की सड़क का बर्मा सरकार कोई ध्यान नहीं रख रही। इसलिये मेरा निवेदन है कि अब बर्मा सरकार को यह कहा जाये कि वह उस ओर की सड़क का पूरा

†मूल अंग्रेजी में।

पूरा ध्यान रखे। अतः बर्मा सरकार से व्यवस्थित ढंग से फिर से बातचीत शुरू की जाये ताकि उस अन्तर्राष्ट्रीय राजपथ को पूरा करके उसकी देखभाल की जाये।

अग्रतला से शिलांग जाने वाली सड़क को इस अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया है, मैं चाहता हूं कि उसे अनुसूची में सम्मिलित कर लिया जाये। इसी प्रकार से मनीपुर जाने वाली सड़क को भी उस सूची में सम्मिलित कर लिया जाये। मैं समझता हूं कि ऐसा करने में हमें किसी कठिनाई का सामना न करना पड़ेगा क्योंकि धारा (२) की उपधारा (२) के अधीन हम वैसा कर सकते हैं।

अतः मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। परन्तु यह अवश्य कहूंगा कि राजपथों के संधारण के बाद का जो उत्तरदायित्व नगरपालिकाओं को दिया गया है, वह अनुचित है, अतः उन्हें इस भार से मुक्त कर दिया जाना चाहिये।

†**श्री न० मा० लिंगम्:** मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं क्यों कि यह राष्ट्रीय पुनर्निर्माण की दृष्टि से एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विधेयक है। जैसा कि मंत्री महोदय ने समझाया है कि इस विधेयक की मुख्य मुख्य बातें ये हैं : कुछ राजपथों को राष्ट्रीय राजपथ घोषित करना, राष्ट्रीय राजपथों के विकास तथा संधारण का उत्तरदायित्व, संधारण आदि का भार राज्य सरकारों और अधीनस्थ अधिकारियों को सौंपना, राजपथों पर खर्च करने के लिये कर लगाने तथा राज्य सरकारों से करार ये सभी बातें वस्तुतः इस समय हो रही हैं ; इस विधान द्वारा केवल उन्हें विनियमत किया जा रहा है।

परन्तु मेरा प्रश्न यह है कि सरकार इन राष्ट्रीय राजपथों का विकास और संभारण कैसे करेगी ? यदि तो सरकार ने वैसा ही काम चलाना है जैसा कि चल रहा है तब तो उसकी कई त्रुटियों को दूर करना होगा।

सर्व प्रथम बात यह है कि सारे देश में राष्ट्रीय राजपथ एक समान नहीं हैं। बहुत से राष्ट्रीय राजपथ तो इतने घटिया हैं कि वे संधारण राज्यों के राजपथों से भी निकम्मे हैं, उनमें इतनी खराबियां हैं कि हम उन्हें राष्ट्रीय राजपथ कह ही नहीं सकते। मैं चाहता हूं कि सरकार उनकी देखभाल करने के लिये और उनका निरीक्षण करने के लिये कोई विभाग बनाये जो कि सुधार सम्बन्धी सुझाव दिया करे

इन राजपथों की बहुत उपेक्षा की जा रही है, उनके संधारण के लिये कोई ठीक प्रबंध नहीं है। उसके कारण चाहे कुछ भी हो, परन्तु यह बात निश्चित है कि इनकी ओर पूरा ध्यान नहीं दिया गया है।

जहां तक राष्ट्रीय राजपथों के विकास का सम्बन्ध है, वह विकास बातों पर निर्भर करता है। प्रथम यह है कि देश में गांव गांव और शहर शहर को मिलाने वाली सड़कों का एक जाल सा बिछा दिया जाये, और दूसरी बात यह है कि राष्ट्रीय राजपथों पर अधिक से अधिक यातायात संभारित किया जाये। बिना यातायात के राष्ट्रीय राजपथों का कोई लाभ नहीं।

राष्ट्रीय राजपथों के विकास के लिये इस प्रकार के यातायात के लिये हमें किसी ठोस परिवहन नीति बनाने की आवश्यकता है, और वह नीति तभी सफल होगी जबकि मोटर उद्योग विकसित होगा। अतः देश में राष्ट्रीय राजपथों को पर्याप्त सीमा तक विकसित करने के लिये हमें दो विशेष बातों की ओर ध्यान देना है, और वे हैं वर्तमान छोटी और बड़ी सड़कों का एक जाल बिछा देना तथा मोटर उद्योग को अच्छी प्रकार से विकासित करना।

मोटर उद्योग के संबंध में, मोटर गाड़ी कराधान जांच समिति ने यह कहा है कि इस उद्योग पर करों का बहुत ज्यादा भार है, और यह सिफारिश की है कि मोटर गाड़ियों के लिये कर कम किया जाये और सारे देश के लिये एक समान कर लगाये जायें। जब तक वैसा नहीं किया जायेगा, मोटर उद्योग का विकास न होगा। इसलिये मंत्री महोदय से मैं पूछना चाहता हूं कि मोटर गाड़ियों के कर कम करने के लिये और उन्हें नियमित करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री न० मा० लिंगम्]

सड़कों के संबंध में मेरा यही निवेदन है कि राष्ट्रीय राजपथों के विकास के साथ ही साथ हमें ग्राम सड़कों, जिला सड़कों तथा राज्य के राजपथों के विकास की ओर भी पूरा ध्यान दिया जाये । अर्थात् राष्ट्रीय राजपथों को छोटी सड़कों के विकास के अनुपात से ही विकसि किया जाये । दोनों में एक अनुपात रहना चाहिये ।

कई सदस्यों ने यह सुझाव दिया है कि राष्ट्रीय राजपथों को अर्थ वाणिज्यिक रूप से चलाया जाये परन्तु मोटर गाड़ी कराधान जांच समिति के प्रतिवेदन से ज्ञात होता है कि मोटर गाड़ियों पर कर प्रतिवर्ष बढ़ता जा रहा है, और इस समय भी उन राष्ट्रीय राजपथों पर आने वाला सारा खर्च केन्द्रीय सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है । अतः राष्ट्रीय राजपथों को वाणिज्यिक रूप से चलाना कठिन है ।

परन्तु मैं इस बात पर अवश्य जोर दूंगा , कि राष्ट्रीय राजपथों पर खर्च किया गया धन बाद में लाभकारी सिद्ध होगा । कहने का तात्पर्य यह है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हम राष्ट्रीय राजपथों पर जितना खर्च करें, बाद में उनका उतना ही लाभ हो ।

राष्ट्रीय राजपथों को विकसित करते समय हमें उन राजपथों में आने वाले पुलों आदि के विकास की ओर पहले ध्यान देना चाहिये । हमें उन्हीं सड़कों और पुलों को अधिमान देना चाहिये जो आवश्यक और अधिक महत्वपूर्ण मार्ग हैं । हमे विभिन्न राजपथों के सम्बन्ध में यातायात का सर्वेक्षण करके और निर्माण को क्रमशः आरम्भ करना चाहिये जिससे उनका अधिकतम लाभ हो सके ।

हमारे देश के राजपथों तथा अमरीका जैसे उन्नत देशों के राजपथों में बड़ा भारी अन्तर है । वहां के राजपथों के आसपास बड़े बड़े सुन्दर बाग और विश्राम स्थल हैं, परन्तु हमारे यहां वैसा कुछ भी नहीं । मैं चाहता हूं कि हमें भी अपने राजपथों को विकासित करने के लिये कोई अच्छा सा प्रबन्ध करना चाहिये, और यदि हो सके तो इस काम के लिये कोई निकाय या विभाग स्थापित किया जाये ।

नागपुर योजना में यह सुझाव दिया गया था कि इस कार्य के लिये एक सड़क बोर्ड की स्थापना की जाये । परन्तु खेद है कि अभी तक वैसा नहीं किया गया है । इन दिनों परिवहन का काम इतना बढ़ गया है कि इसके लिये एक अलग मंत्रालय होना चाहिये, नहीं तो एक सड़क बोर्ड की स्थापना तो अवश्य की जानी चाहिये जिसमें प्रतिरक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधि भी हों । यह बोर्ड सारे देश की सड़कों के निर्माण तथा विकास का पूरा पूरा ध्यान रखेगा ।

इसके अतिरिक्त यह देखा गया है कि रेलवे क्रासिंग के पास वाली सड़कों को कच्चा ही छोड़ दिया गया है । बाकी सारी सड़क पक्की होने पर भी उतना भाग कच्चा छोड़ दिया जाता है । इसलिये मेरा निवेदन है कि रेलवे विभाग तथा परिवहन विभाग में समन्वय किया जाये ।

†**श्री बीरेन दत्त** (त्रिपुरा पश्चिम) : मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं । परन्तु मैं आपका ध्यान रेलवे मंत्री द्वारा रेलवे आय-व्ययक चर्चा के समय दिये गये उस उत्तर की ओर दिलाना चाहता हूं जिसमें उन्होंने कहा था कि त्रिपुरा को किसी रेल द्वारा तो आसाम से मिलाया नहीं जा सकता, परन्तु एक राजपथ के द्वारा अवश्य मिला दिया जायेगा । परन्तु अब इस सूची में उसे सम्मिलित नहीं किया गया है । मैं चाहता हूं कि इस आसाम-अगरतला सड़क को अवश्य तैयार किया जाये ।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में त्रिपुरा को न कोई रेलवे लाइन दी गयी है और न ही किसी सड़क की कोई व्यवस्था की गयी है । शिलांग और करीम गजं को मिलाने वाली एक पक्की सड़क की बड़ी भारी आवश्यकता है, परन्तु उस सड़को को कभी पूरा नहीं किया गया, उसका संधारण नहीं किया जा रहा है । मैं पूछना चाहता हूं कि आसाम अगरतला सड़क को भी राजपथमें सम्मिलित क्यों नहीं किया गया है । मैं चाहता हूं कि इस सड़क को भी सूची में अवश्य सम्मिलित किया जाये ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

मनीपुर के सदस्यों ने स्पष्ट कहा है कि मनीपुर तथा त्रिपुरा की इन सभी सड़कों की ओर पूरा पूरा ध्यान दिया जाये, उन्हें राजपथों की सूची में सम्मिलित किया जाये। इनका उत्तर दायित्व केन्द्रीय सरकार स्वयं ले ले, और उसे त्रिपुरा सरकार पर न छोड़ दे। त्रिपुरा सरकार यह काम करने में असमर्थ है।

इस समय त्रिपुरा राज्य केवल आसाम अग्रतला सड़क से ही मिला हुआ है, और यही छोटी छोटी सड़कों को आपस में मिलाती है। अतः इसे लोक कार्य विभाग पर नहीं छोड़ा जा सकता। मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय इस बात पर अच्छी प्रकार से विचार करें और इस सड़क को राजपथों की सूची में सम्मिलित करें।

**श्री हेमराज** (कांगड़ा) : यह बिल जो कुछ सड़कों को सेंट्रल गवर्नमेंट (केन्द्रीय सरकार) ने अपने अधिकार में लेने के बारे में प्रस्तुत किया है, एक बहुत ही अच्छा बिल है। लेकिन इसमें मैं यह देखता हूं कि रिसपैंसिबिलिटी (उत्तरदायित्व) को जगह-जगह राज्य सरकारों पर भी छोड़ा जा रहा है और जिस तरह से राज्य सरकारें कार्य करती हैं, वह आपसे छिपा हुआ नहीं है। मैं चाहता हूँ कि इन राजमार्गों की पूरी पूरी जिम्मवारी सैंट्रल गवर्नमेंट को अपने ऊपर ले लेनी चाहिये थी। यह एक मामूली सी बात है। आपने कहा है कि जो सड़कें म्यूनिसिपलैं कमिटीज़ (नगरपालिकायें) के एरिया (क्षेत्र) में आ रही हैं उनका प्रबन्ध बजाय इसके कि आप अपने हाथ में रखें, आप उन पर डालने की कोशिश कर रहे हैं और जो म्यूनिसिपल कमेटीज़ की हालत है उससे सब वाकिफ ही हैं। आप देखिये तो आप को पता चलेगा कि जालंधर से जो राजमार्ग पठानकोट जाता है उसमें कई जगह पर म्यूनिसिपल कमिटीज़ आती हैं। उड़मुड़टांडा की म्यूनिसिपल कमेटी आती है, दसूया की कमिटी आती है, मुकेरियां की कमिटी आती है और इस तरह से और भी कई आती हैं। इन सब कमिटीज़ की जैसी माली हालत है वह आप सब को मालूम है। आप इन सड़कों को ठीक ठाक रखने की तवक्को (आशा) अगर उनसे करते हैं तो यह आपकी भूल है। न वे और न ही राज्य सरकारें इनको अच्छी हालत में रख सकेंगी। मैं आपको यह भी बतला दूं कि पंजाब गवर्नमेंट के ऊपर बोर्डर एरियाज़ (सीमा क्षेत्र) में अमन कायम रखने के लिये तथा बोर्डर की हिफाजत करने के लिये काफी बड़ी जिम्मेवारी है और उस पर वह काफी रुपया खर्च कर रही है। इसी तरह से दूसरी राज्य सरकारों को कितना ही रुपया दूसरे कामों में खर्च करना पड़ता ह। उन सबके लिये यह एक मुश्किल काम होगा जिसको कि वे कर नहीं पायेंगी। इस वास्ते मैं चाहता हूं कि म्यूनिसिपल एरियाज़ (नगरपालिका क्षेत्र) में जो सड़कें पड़ती हैं उनकी देखभाल का जिम्मा भी केन्द्रीय सरकार को ही ले लेना चाहिये।

इसके साथ ही साथ मैं यह भी अर्ज़ करना चाहता हूं कि हमारे जितने भी नेशनल हाईवेज़ (राष्ट्रीय राजपथ) हैं वे बहुत पुराने हैं। उनके इंदराजात पटवारियों के कागजात माल में हैं। आपने जो क्लाज़ (खंड) रखी है जिसमें आपने कहा है कि तमाम नैशनल हाईवेज़ युनियन (राष्ट्रीय राजपथ संघ) में वैस्ट (अधिकार में) करेंगे उसमें आपने एक ऐसी क्लाज़ रखी है जिसको कोई भी कानून इज़ाज़त नहीं दे सकता है। अगर कोई जमीन या घर लेता है तो उसके लिये लैंड एक्वीज़िशन (भूमि अर्जन अधिनियम) एक्ट है और उसके अन्तर्गत प्रोसीडिंग्ज़ (कार्यवाही) करनी पड़ती है। अगर आप किसी का मकान लेते हैं या जमीन लेते हैं तो उसके लिये आपको एक्वीज़ीशन प्रोसीडिंग्ज़ करनी होती है। लेकिन आपने इस बिल में (विधेयक) कुछ ऐसी चीज नहीं रखी है। इस बिल के अधीन जितनी भी जमीन आपको चाहिये होगी उसमें ज्यादातर ज़मीन आपको देहाती क्षेत्रों से ही लेनी होगी। वहां के लोग अनपढ़ हैं और कानून से वाकिफ नहीं हैं। अब अगर आप ऐसे ही उनकी जमीन पर कब्जा कर लेंगे तो उनको नोटिस (सूचना) वगैरह देने के बाद मुकदमेबाजी में पड़ना पड़ेगा। इस वास्ते यह सही नहीं है कि आप उनको मुकदमेबाज़ी करने के लिये मज़बूर करें। आपने कहा है कि :

४ (१) आस पास की सारी भूमि में सीमा रेखाएं खींची गईं अथवा नहीं।

यह क्लाज़ जो है यह बहुत ही वाईड (विस्तृत) है और मैं चाहता हूं कि इसको आप यहां से हटा दें।

[श्री हेमराज]

मेरे से पहले जिन वक्ताओं ने अपने भाषण दिये हैं तथा डिप्टी मिनिस्टर साहब ने भी अपने भाषण में नागपुर प्लान का जिक्र किया है। उस प्लान में यह बात कही गई है कि भारतवर्ष का जो डिवेलेपमेंट (विकास) हो वह विल्लेज लेवेल (ग्रामीण आधार) पर भी, स्टेट लेवेल (राज्य आधार) पर भी तथा सैंट्रल लेवेल (केन्द्रीय आधार) भी होना चाहिये और मुकम्मिल डिवेलेपमेंट होना चाहिये। आज आप नैशनल हाईवेज़ (राष्ट्रीय राजपथ) के लिये काफी रुपया खर्च करने जा रहे हैं। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि नैशनल हाईवेज़ के साथ मिलने वाली सड़को की तरफ आपका कोई ध्यान नहीं जाता है। आपको चाहिये कि आप उस तरफ भी तवज्जह दें। इसके साथ ही साथ एक बात की तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं और वह यह है कि अगर कोई विल्लेज़ रोड (गांव की सड़क) है और वह नैशनल हाईवे के साथ आकर मिलती है और रास्ते में रेलवे लाइन पड़ जाती है तो वहां पर आपको लेवेल क्रासिंग देना पड़ता है। अब रेलवे के जो रूल हैं उनके मुताबिक उस लेवेल क्रासिंग (रेल फाटक) को देने के लिये वहां की जो लोकल बाडी है, जैसे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड है, या म्यूनिसिपल कमिटी है या पंचायत है, उसको खर्च करना पड़ता है। अब जो यह बोर्ड पंचायत है, उसके पास इतने फंड्स (निधि) नहीं होते हैं कि वह खर्च कर सके। अब जब आप डिवेलेपमेंट कर रहे हैं तो मैं समझता हूं उसके लेवेल क्रासिंग देने की जिम्मेवारी भी आप को अपने ऊपर ले लेनी चाहिये। आप लेवेल क्रासिंग इसलिये भी नहीं देते कि १० साल से ऊपर हो जाते हैं। तो यह १० साल की जो लिमिट रखी गई है इसके कोई माने नहीं रह जाते हैं जबकि डिवेलेपमेंट आप आज करवा रहे हैं। इस वास्ते मैं चाहता हूं कि उसकी जिम्मेवारी भी आपके ही ऊपर होनी चाहिये न कि वहां के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड या वहां की पंचायत के ऊपर। इस वास्ते मेरी प्रार्थना है कि इस ओर आप खास तौर से ध्यान दें। जब आपने इस सिद्धांत को मान लिया है कि कोई देहात सड़क से हाईवे से पांच मील की दूरी पर नहीं होनी चाहिये तो मैं यह भी चाहता हूं कि जहां पर किसी विल्लेज रोड को राज मार्ग से मिलाने की योजना बनाई जाये और रास्ते में अगर रेलवे लाइन आ जाए तो उसके लिये लेवेल क्रासिंग की व्यवस्था करने का प्रबन्ध आप की ही तरफ से होना चाहिये।

एक सुझाव मैं आपके सम्मुख और रखना चाहता हूं। जिस तरह से आपने सैंट्रल रोड फंड (केन्द्रीय सड़क निधि) कायम किया है इसी प्रकार से राज्य सरकारों को भी फंड कायम करने चाहिये। आज ऐसे फंड कायम करने की कोई व्यवस्था नहीं है। आज जो हालत हम विल्लेज रोड्स की तथा दूसरी सड़कों की देखते हैं, उसे देखकर तो हमें निराशा ही होती है। बहुत ही निकम्मी हालत में ये सड़कें हैं। न इनकी मेनटेनेंस (संधारण) की तरफ कोई ध्यान दिया जाता है और न ही कोई मरम्मत आदि ही की जाती है। इस काम के लिये उनके पास पैसा भी नहीं होता है। इस वास्ते मेरा सुझाव है कि जिस तरह से आपने सैंट्रल रोड फंड कायम किया हुआ है इसी प्रकार के फंड्स राज्य सरकारों को भी कायम करने चाहिये और इस चीज को ध्यान में रखते हुए आपको कोई नीति निर्धारित करनी चाहिये। इस बिल में आपने एक अच्छी बात रख दी है, जिसका कि मैं स्वागत करता हूं और वह है क्लाज़ २(३), जिसके जरिये आप किसी भी समय नोटिफिकेशन (अधिसूचना) कर के किसी भी और सड़क को राजमार्ग करार दे सकते हैं। इस संबंध में मैं एक सुझाव देना चाहता हूं। पंजाब एक बोर्डर स्टेट (सीमा राज्य) है। अगर आप नक्शे को देखें, तो आपको मालूम होगा कि अमृतसर और पठानकोट से दो मार्ग चल रहे हैं--मार्ग नम्बर १ और १ ए। पठानकोट पाकिस्तान की सरहद से पच्चीस तीस मील के फासले पर है और मुकेरियां रोड पाकिस्तान की सरहद से तीस पैंतीस मील के फासले पर हाईवे नम्बर १ ए पर है। यह सब इलाका मैदानी है। मैं आपके सामने एक थर्ड लाइन आफ़ डिफेन्स (प्रतिरक्षा का तृतीय मार्ग) के बारे में तज़वीज़ पेश करना चाहता हूं। जालंधर टाउन हाईवे (राजपथ) नम्बर १ पर है। जालंधर से एक सड़क होशियारपुर, से डेरा गोपीपुर और फिर कांगड़ा चली जाती है। वह जालंधर की छावनी को धर्मशाला की छावनी से मिलाती है। वह सड़क कांगड़ा से शाहपुर जाती है और शाहपुर से हिमाचल प्रदेश वालों नें एक सड़क बनाई हुई है, जो कि दुनेरा जाती है और दुनेरा से ऊधमपुर तक जाती है। यह एक ऐसी सड़क है, जो कि थर्ड लाइन आफ डिफेंस बन सकती है। राजमार्ग के बनाने में जो उसूल सामने आते हैं,

वे सब उस पर लागू होते हैं । मेरा सुझाव है कि आप उस को भी राजमार्ग की लिस्ट पर रख दीजिये ताकि किसी इमरजेंसी के वक्त हम उसको इस्तेमाल कर सकें । हम देख ही रहे हैं कि पाकिस्तान कोई न कोई फितूर खड़ा करता रहता है, उसको रोकने के लिये यह सड़क बहुत मुफीद साबित हो सकती है ।

इन शब्दों के साथ, सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं ।

**श्री बंसीलाल** (जयपुर) : इस बिल के बारे में मेरे काफी साथी सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किये हैं । मैं भी इस बिल का स्वागत करते हुए कुछ बातों की ओर मंत्रालय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ।

शिड्यूल (अनुसूची) में राष्ट्रीय मार्गों का जो विवरण दिया गया है, उसमें एक त्रुटि रह गई है और उसकी ओर मैं विशेषकर मंत्रालय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । जयपुर सिटी नैशनल हाई वे (नगर राष्ट्रीय राजपथ) नम्बर ९ में आता है, जो कि दिल्ली को बम्बई और अहमदाबाद से मिलाता है । मुझे यह बताने की आवश्यकता नहीं कि बाहर के लोग—टूरिस्ट्स (पर्यटक) देश के जिन मुख्य मुख्य दर्शनीय स्थानों को देखने जाते हैं, उनमें आगरा और जयपुर भी सम्मिलित हैं बाहर से आने वाले कोई भी टूरिस्ट्स ऐसे नहीं होते है, जो कि इन शहरों को देखने के लिये नहीं जाते हैं । जयपुर से आगरा तक की सड़क एक बहुत पुरानी सड़क है और मैं समझता हूं कि वह देश की प्राचीनतम सड़कों में से है । जो टूरिस्ट्स जयपुर जाते हैं, उन को आगरा जाने के लिये उस सड़क पर से होकर जाना पड़ता है । लेकिन उस सड़क की हालत जैसी होनी चाहिये, वैसी नहीं है । इस लिये मेरा सुझाव यह है कि जो सड़क जयपुर से आगरा तक जाती है, उसका नाम ९ए रख कर या किसी भी तरह उसको राष्ट्रीय मार्ग में सम्मिलित कर लिया जाय । वह कोई बहुत बड़ा टुकड़ा नहीं है—कोई १५०—१७५ मील का टुकड़ा है, लेकिन टूरिस्ट्स के पायंट आफ व्यू (पर्यटकों के दृष्टिकोण से) उस सड़क का बहुत महत्व है । यह देखने में आया है कि जब मोटरिस्ट्स (मोटार चलाने वाले) जयपुर से आगरा की तरफ जाते हैं, तो उनको बड़ी निराशा होती है । विशेषकर रास्ते में जगह जगह नदियां पड़ती हैं और उन ऊपर पुल बने हुए नहीं हैं और सड़क भी कई स्थान पर टूटी फूटी है । अगर बाहर से आने वाले लोग हमारी सड़कों के बारे में अच्छी राय बना कर न जायें, तो यह उचित नहीं है । मेरा कहना यह है कि राजमार्ग बनाने के उद्देश्यों में—उसूलों में—टूरिस्ट्स ट्रैफिक (पर्यटक यातायात) का भी महत्वपूर्ण स्थान होना चाहिये । माननीय सदस्यों ने अपने यहां की सड़कों को राजमार्ग में सम्मिलित करने का अनुरोध इसलिये किया है, ताकि उन सड़कों की अवस्था अच्छी हो और जनता को उन पर यात्रा करने में सुविधा हो ।

दूसरी बात मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि अगर हम थोड़े अरसे के लिये—विशेष परिस्थितियों को छोड़ कर—नए राष्ट्रीय राजमार्ग न बना कर वर्तमान राजमार्गों की स्थिति सुधारने की ओर ध्यान दें, तो ज्यादा अच्छा होगा । उदाहरण के तौर पर मैं बताना चाहता हूं कि यह ठीक है कि मार्ग नम्बर ९, जो कि दिल्ली से जयपुर जाता है, की कुछ तरक्की की गई है, लेकिन अब भी बरसात में मार्ग में आने वाली नदियों को पार करने में दो तीन घंटे ठहरना पड़ता है । एक आध जगह पुल बने हुए हैं, लेकिन फिर भी कठिनाई बनी हुई है । मैं इस सदन को बताना चाहता हूं कि पिछली बरसात में उस सड़क के बीच में दो फरलांग के टुकड़े को तीन महीने तक कोई मोटर नहीं पार कर सकी । नतीजा यह हुवा कि मोटर को खींचकर निकालना पड़ता था । तीन महीने बराबर यह अमल चलता रहा । अगर हम थोड़े दिनों के लिये राजमार्गों की संख्या न बढ़ाकर मौजूदा राजमार्ग की स्थिति को सुधारें और उनपर यात्रा करने में लोगों को अधिक से अधिक सुविधायें देने का प्रयत्न करें तो ज्यादा अच्छा होगा ।

मैं मंत्रालय का ध्यान एक और बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, जिसको सुनकर आप को आश्चर्य होगा । जयपुर राजस्थान की राजधानी है, लेकिन जयपुर शहर तक जाने के लिये केवल एक रेलवे क्रासिंग (रेलवे फाटक) आती है और ज्यों ही कोई मोटर जयपुर तक पहुंचती है, उसको घंटा आध घंटा वहां रुकना पड़ता है । मैं समझता हूं कि इसके बारे में कुछ दिन पहले भी चर्चा चली थी कि वहां पर कोई न कोई इन्तजाम होगा, लेकिन मुझे खेद से कहना पड़ता है कि अभी तक कोई इन्तजाम नहीं हुआ है । आप स्वयं कल्पना कीजिये कि किसी भी राजधानी के बाहर रेलवे लाइन

[श्री बंसीलाल]

जाती हो और वहां पर हाईवे का क्रासिंग हो, जहां लोगों को बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़े, तो क्या यह शोभनीय है। कठिनाई यह है कि कोई भी रास्ता अजमेर की तरफ से इस हाईवे की तरफ जाने के लिये नहीं है। मेरा सुझाव है कि वर्तमान राजमार्गों का सरवे होना चाहिये और उनमें जो महत्वपूर्ण आवश्यकताएं हैं, उनकी तुरन्त पूर्ति की जानी चाहिये। इस तरीके से मौजूदा राजमार्गों में काफी तरक्की हो सकती है।

राजपथों को सुधारने के सम्बन्ध में चन्द सुझाव मैं देना चाहता हूं। सड़कों पर जो लोग बोझ ले कर जाते हैं, उनके लिये कहीं कोई स्टैंड्ज़ (अड्डे) नहीं बने हुए हैं। मेरा सुझाव यह है कि दो तीन मील के फासले पर स्टैंड होना चाहिये, जहां पर बोझ लेकर यात्रा करने वाले विश्राम कर सकें और अपना बोझ ज़मीन पर रखने के बजाय उस स्टैंड पर रख सकें।

पीने के पानी का इंतजाम भी पांच पांच, सात सात मील के फासले पर होना चाहिये।

यह प्रश्न उठ सकता है कि इस पर काफी रुपया व्यय होगा, लेकिन मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि इस संबंध में श्रमदान—वालन्टेरी लेबर— का उपयोग किया जाय और पंचायतों इत्यादि का सहयोग प्राप्त किया जाय। गांवों के लोगों में पानी के प्याऊ लगाने की भावना है, लेकिन दिक्कत यह है कि इजाज़त मिलने में और प्याऊ लगाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर मेरे सुझाव पर अमल किया जाय तो वालन्टेरी लेबर से हर पांच, सात मील के फासले पर प्याऊ लगाने का प्रबन्ध हो सकता है। गांव के लोग भी इसमें सहायता देने के लिये तैयार हैं।

सड़कों पर बस ठहरने की जगह—बस स्टैंड—और यात्रियों के ठहरने की जगह अर्थात् शैड्ज इत्यादि का भी कोई प्रबन्ध नहीं है। हर जगह तो ऐसे शैड नहीं बन सकते मगर यदि ऐसे शैड १५ या २० मील के फासले पर बनाये जायें तो उनको बनाने में गांव वालों का काफी सहयोग मिल सकता है। ऐसा करने में हमारे सामने आर्थिक कठिनाइयां आ सकती हैं लेकिन उनको दूर करने में हम गांव वालों से, पंचायत कमेटियों से और डिस्ट्रिक्ट बोर्डस (जिला बोर्ड) से सहयोग ले सकते हैं।

दूसरा सुझाव मेरा यह है कि अभी तक माइल स्टोन्स (मील स्तम्भों) पर जगहों के नाम अंग्रेजी में ही लिखे हैं उनको मिटा कर हिन्दी में लिखा जाना चाहिये। जिन जगहों में लोग हिन्दी नहीं जानते वहां तो यह ठीक है कि जगहों के नाम अंग्रेजी में भी लिखे रहें लेकिन जो हिन्दी एरिया है वहां पर अंग्रेजी में नाम लिखने से किसी को लाभ नहीं हो सकता। लेकिन जब तक यह काम योजनापूर्वक नहीं होगा तब तक पूरा नहीं हो सकता और यह मामला बरसों पड़ा रह सकता है। इसलिये इस काम को योजना के अन्दर लेना चाहिये।

अभी मेरे एक मित्र ने यह सुझाव दिया कि राजमार्ग को शहरों के बाहर से होकर ले जाना चाहिये अन्दर होकर नहीं। मैं इस सुझाव का विरोध करता हूं। राजमार्ग नम्बर ९ जयपुर शहर में से होकर निकलता है। इससे जो यात्री इस मार्ग से जाते हैं उनको यह शहर देखने का अवसर अनायास प्राप्त हो जाता है। इसलिये यह सुझाव कि राजमार्गों को शहरों से बाहर होकर ले जाया जाये गलत है।

यह बात सही है कि म्युनिसिपैलिटीज़ की ऐसी आर्थिक हालत नहीं है कि वे इन सड़कों को अच्छी हालत में रख सकें। इसके लिये गवर्नमेंट को उन्हें सबसिडी (अर्थ सहायता) देनी चाहिये ताकि इन सड़कों को अच्छी हालत में रख सकें और उनकी उन्नति कर सकें।

मैं यह मानता हूं कि हमारे राज्य मार्गों में काफी सुधार की आवश्यकता है क्योंकि इन पर अधिकांश लोग चलते हैं। जिस प्रकार हमारे रेलवे मार्ग और हवाई मार्ग की उन्नति हुई है उसी प्रकार अभी हमारी सड़कों की उन्नति नहीं हुई है। इस कारण यात्रियों को अभी वैसी ही असुविधायें होती हैं जैसी कि पहले होती थीं। इनकी उन्नति होनी चाहिये। इसके लिये मेरा सुझाव है कि चन्द राज्य मार्गों को छोड़ कर जो कि सैनिक दृष्टि से महत्व रखते हैं, बाकी राज्य मार्गों को कंसालीडेट (एकत्रित) किया जाये और उनके सुधार के लिये लोगों की सुख सुविधा का ध्यान रख कर योजना बनायी जाये।

†**सभापति महोदय** : मैं ३–१५ म० प० माननीय मंत्री से उत्तर देने के लिये कहना चाहता था, परन्तु क्योंकि बहुत से सदस्य बोलने के लिये उत्सुक हैं अतः समय आध घंटा बढ़ा दिया जाता है।

**श्री र० द० मिश्र** (जिला बुलन्द शहर) : मैं इस बिल का स्वागत करता हूं क्योंकि भारतवर्ष में हाईवेज़ का बनाना बहुत जरूरी है। इनसे हमारे देश की उन्नति होगी। लेकिन साथ ही साथ जो यह बिल ड्राफ्ट (प्रारूप) किया गया है उसके मुताल्लिक मैं दो एक बात अर्ज करना चाहता हूं।

सबसे पहली बात तो यह है कि इस बिल में यह कहा गया है कि ये नेशनल हाईवेज़ (राष्ट्रीय राजपथ) सेन्ट्रल गवर्नमेंट (केन्द्रीय सरकार) में वेस्ट करेंगी। यह चीज हमारे कांस्टीट्यूशन (संविधान) के आर्टिकल (अनुच्छेद) २९४ के खिलाफ जाती है जिसमें लिखा हुआ है :

"इस संविधान के प्रारम्भ से लेकर :—

(क) जो सम्पत्ति और आस्तियां भारत डोमीनियन की सरकार के प्रयोजनों के लिये सम्राट में ऐसे प्रारम्भ से पहले निहित थी तथा जो सम्पत्ति और आस्तियां प्रत्येक राज्य पाल प्रांत की सरकार के प्रयोजनों के लिये सम्राट में ऐसे प्रारम्भ से ठीक पहले निहित थीं, वे सब क्रमशः संघ और तत्स्थानी राज्य में निहित होंगी ....."

तो यह जितनी रोड्स है इनकी प्रापर्टी (सम्पत्ति) वेस्ट (विहित) करती है स्टेट्स में। इसलिए कांस्टीट्यूशन (संविधान) के खिलाफ हम इस तरह की शर्त इस बिल में नही ला सकते। इस तरह से यह डिक्लेअर करना कि वेटिंग का राईट यूनियन को होता है, हम कांस्टीट्यूशन के खिलाफ जाते हैं। आप हिन्दुस्तान की किसी रोड को एंट्री २३ के मुताबिक हाईवे डिक्लेअर कर सकते है, उसके मेंटिनेंस (संधारण) के लिये खर्च कर सकते है, उसके लिये रूल्स बना सकते हैं लेकिन आपको यह राईट नही है कि आप यह शर्त रखें कि वह यूनियन में वेस्ट करेगी। यह तो में नें कानूनी बात अर्ज कर दी।

दूसरी बात मुझे यह अर्ज करनी है कि इस बिल के क्लाज २ में यह लिखा है :—

अनुसूची में उल्लिखित प्रत्येक राजपथ सिवाय उन मार्गों के जो नगरपालिका क्षेत्रमें हैं राष्ट्रीय राजपथ घोषित किये जाते हैं। इसका मतलब यह है कि इस बिल में जो सड़कें दी गयी हैं वे सब हाईवेज होंगे सिवा उस हिस्से के जो कि किसी चुंगी की हद में होगा। जब आपने क्लाज २ में यह डिक्लेअर कर दिया कि वह नेशनल हाईवेज़ नहीं है तो फिर आगे आप चल कर दफा ८ में आप यह कानून बना सकते हैं :

"परन्तु इस अधिनियम में कुछ होते हुए भी केन्द्रीय सरकार किसी राज्य की सरकार अथवा ऐसे प्राधिकारी के साथ जिसे नगरपालिका क्षेत्र का नियंत्रण अथवा प्रबंध सौपा हो, राजपथ के संधारण और विन्यास के लिये करार कर सकती है .....।"

जिसके मुताल्लिक आप क्लाज २ में कह चुके कि वह नेशनल हाईवे नहीं है फिर आगे चल कर उसको डेवेलप करने के बारे में आप कैसे एग्रीमेंट (करार) कर सकते हैं। ऐसा करने से पहले आप उसे नेशनल हाईवे (राष्ट्रीय राजपथ) डिक्लेअर (घोषित) तो कीजिये। जब आप उसको नेशनल हाईवे डिक्लेअर कर देंगे तभी आप उसको रेग्युलेट कर सकेंगे और उसके लिये रुपया खर्च कर सकेंगे। जब तक आप उसे नेशनल हाईवे डिक्लेअर नहीं करते तब तक आप पार्लियामेंट की हैसियत से उस पर एक कौड़ी खर्च नहीं कर सकते क्योंकि वह लिस्ट १ में नहीं आती। वैसे आप स्टेट गवर्नमेंट को रुपया दें और म्युनिसिपैलिटीज़ को रुपया दें,लेकिन नेशनल हाईवे की डेफीनेशन से निकालने के बाद आपका कोई राइट बाकी नहीं रह जाता, इस कानून के जरिये मे कि आप किसी के साथ भी उसके बारे में एग्रीमेंट करें या इस पर कोई रुपया खर्च करें। आप इस चीज को दफा २ में से निकाल दें, फिर आप रेग्यूलेट (विनियमित) कर सकते हैं, एग्रीमेंट कर सकते हैं, रुपया दे सकते हैं। आप इस क्लाज़ को अमेंड (संशोधन) कर लीजिये। यह ड्राफ्टिंग की गलती है। मैं यह चीज आपकी मारफत और मिनिस्टर साहब की मारफत अफसरान के लिये कह रहा हूं। जब

---

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री र० द० मिश्र]

वह किसी बिल को ड्राफ्ट करें तो उनको देखना चाहिये कि यह कांस्टीट्यूशन के खिलाफ तो नहीं जाता इसकी एक दफा दूसरी दफा के खिलाफ तो नहीं जाती। अक्सर ऐसी गलतियां रह जाती हैं और मेम्बरों को उनकी तरफ तवज्जह दिलानी पड़ती है। अफसरान को बिल ड्राफ्ट करते समय इन बातों का ख्याल रखना चाहिये।

तीसरी बात मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि जो हाईवे शेरशाह के वक्त से हाईवे चली आ रही थी और जो कलकत्ते से पेशावर तक जाती है, उस ग्रांड ट्रंक रोड को उस बिल में नेशनल हाईवे करार नहीं दिया गया है। यह दिल्ली से इलाहाबाद के लिये छोटे से छोटा रास्ता है। आपने नेशनल हाईवे दिया है उस सड़क को जो कि मुरादाबाद होकर जाता है और जिस पर अभी पुल बनने बाकी हैं। मुझे इसके बारे में कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन मेरा एतराज यह है कि आपने इस ग्रांड ट्रंक रोड को क्यों हाईवे में शामिल नहीं किया। जो सड़क दिल्ली से बम्बई को आगरा होकर जाती है और जो बरेली होकर जाती है ये दोनों सड़कें चक्कर से हो कर जाती हैं। ग्रांड ट्रंक रोड छोटे से छोटा रास्ता है जो कि गाजियाबाद, अलीगढ़, फर्रुखाबाद होते हुए सीधा इलाहाबाद को जाता है। इसको आपने नेशनल हाईवे नहीं माना है। यह सड़क मुगलिया जमाने से और अंग्रेजों के जमाने से नेशनल हाईवे चली आ रही है। लड़ाई के जमाने में सबसे ज्यादा ट्रेफिक इस सड़क पर से गुजरा है। सन् ३४ में यह सड़क सीमेंट की बनायी गयी जो कि दिल्ली से गाजियाबाद हो कर जाती है। जितनी फौजें और एम्यूनीशन यहां से इम्फाल को गया वह इसी सड़क पर होकर गया। अब जब वह सड़क टूट फूट गई तो आप उसको नेशनल हाईवे नहीं बनाते क्योंकि आप सोचते हैं कि इस पर बहुत सीमेंट लगाना होगा। अभी जब हमारे प्रधान मंत्री नरौरा गये थे तो जगह जगह इस सड़क पर गड्ढेभरे गये थे। आज कल इस सड़क की हालत खराब है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि इस सड़क को क्यों नेशनल हाई वे करार नहीं दिया जाता। इस पर अलीगढ़ का कल्चर सेंटर है, जहां पर यूनिवर्सिटी भी है। आगे चल कर इस सड़क पर कानपुर है जो कि बहुत बड़ा कामर्शियल सेंटर है। यह सड़क दिल्ली और कानपुर को जोड़ती है। कानपुर से दिल्ली के लिये सारा ट्रेफिक इसी सड़क पर से हो कर पास होता है क्योंकि यह सबसे छोटा रास्ता है। बड़े रास्ते से कौन ज्यादा पेट्रोल जला कर जाना चाहेगा। इसी सड़क पर फतेहगढ़ की छावनी है। अगर आपको वहां से दिल्ली फौज बुलानी हो तो आप इस सड़क से ही सबसे जल्दी बुला सकते हैं। यह सड़क फौजी लिहाज से और कमर्शियल लिहाज से महत्वपूर्ण है लेकिन फिर भी इसे नेशनल हाईवेज में नहीं ले रहे हैं।

मैं यह अर्ज करूंगा कि मिनिस्ट्री इस बात पर गौर करे। मैंने तो अमेंडमेंट भी दिया है, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि मिनिस्टर साहब उसे मंजूर भी करेंगे या नहीं, या मुझे उसे मूव करने का मौका भी मिलेगा या नहीं, क्योंकि मैं आज ही आया हूं और आज ही उनका टेबिल किया है। लेकिन अगर वह न भी मंजूर करें तो मुझे कोई ऐतराज नहीं। हमारा काम होना चाहिये। अगर आपका अपील (निवेदन) करे तो आप कबूल कर सकते हैं। मैं अर्ज करूंगा कि इस सड़क को नोटिफाई (अधिसूचित) कर दिया जाय क्योंकि यह बहुत इम्पार्टेंट (महत्वपूर्ण) सड़क है और नेशनल हाईवे होनी चाहिये। मैं और कोई बात इसके मुताल्लिक नहीं कहना चाहता।

चौथी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि अब दुनियां बदल रही है। हवाई जहाज चलनें लगे, अब तो इन सड़कों का हवाई जहाज से भी ताल्लुक रखना पड़ेगा। इसके लिये आपको सोचना पड़ेगा। इसके लिये जर्मनी वगैरह के अन्दर जो कुछ किया गया है उसको देखना होगा। आप जानते हैं कि जब हवाई जहाज उड़ता है तो कभी कभी उसका तेल खत्म हो जाता है, मशीन खराब हो जाती है, रास्ते में उतरनें के लिये मजबूर हो जाता है और ऐक्सिडेंट्स भी हो जातें हैं। हाईवेज जितनें हैं उनके सहारे पर आसमान में हवाई जहाज उड़ा करते हैं। इसलिये इन सड़कों पर बीस मील के फासले पर, पंद्रह मील के फासले पर, रनवेज बनाये जायें। और वहां पर एक फर्लांग के एरिया में कोई दरख्त न लगाया जाये, उस को बिल्कुल साफ रखा जाये ताकि हवाई जहाज चलानें वाले पाईलटों को यह मालूम रहे कि इन इन सड़कों पर उतरनें की जगह हैं और बजाये किसी नदी पर या घाटी में उतरने के बजाय वे इन सड़कों पर उतरें। इन सड़कों की सीमेंट की लेअर को जरा मोटा

करना पड़ेगा जिसमें कि वह हवाई जहाजों से उतरने से खराब न हो सकें। आज जिस तरह से आपका रेल रोड कोआर्डिनेशन है उसी प्रकार रोड एअर का भी कोआर्डिनेशन होना चाहिये।

यह दो तीन बातें आप की सेवा में निवेदन करने के बाद मैं एक चीज और कहना चाहता हूं आपने इस बिल में लिखा है कि जिस म्यूनिसिपैलिटी की आबादी २०,००० हो उस का इस बिल के लिये म्यूनिसिपल एरिया माना जाय। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि छोटी आबोदी की कोई म्युनिसिपैलिटी किसी हाईव को मेनटेन नहीं कर सकती है। अगर आपकी मंशा यह है कि म्युनिसीपैलटियाँ ही हाईवेज़ को मेनटेन करें तो ऐसा वही म्यूनिसिपैलिटीज़ कर सकती है जिन की माली हालत बहुत अच्छी हो। इस लिये मेरा अमेंडमेंट है कि जिस म्यूनिसिपैलिटी की आमदनी कम से कम एक लाख की हो उसी को जिम्मेदारी दी जाय कि वह अपनी हद के अन्दर हाईवे को मेनटेन करे और उसका फायदा उठा सके। आप बजाय आबादी के आमदनी बेसिस को मंजूर कर लें और इसी बेसिस पर म्यूनिसिपल एरियाज से कंट्रैक्ट करें कि इतने हिस्से की जिम्मेदारी तुम्हारी रहेगी और तुम को यह हाईवे मेनटेन करना पड़ेगा।

यही मेरा कहना है। मैं जानता हूं कि हाईवेज़ की बहुत जरूरत है, लेकिन जो बातें मैंने कही हैं उनकी तरफ मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे मिनिस्टर साहब गौर फरमायेंगे वैसे मैं इस बिल का स्वागत करता हूं।

**श्री रघुनाथ सिंह** (जिला बनारस--मध्य) : मैं इस बिल का स्वागत करता हूं। साथ ही साथ जैसा अभी कहा गया है, म भी इससे सहमत हूं कि इस बिल की ड्रैफ्टिंग (प्रारूप) साहित्य की दृष्टि से बहुत उच्च श्रेणी की नहीं है। आप आखिरी पेज पर पायेंगे कि एक पैरा एक सेन्टेन्स (वाक्य) का ह ८ लाइन का एक परा है, ९ लाइन का दूसरा पैरा है। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि जब कभी किसी बिल का ड्रैफ्टिंग किया जाय तो साहित्य का भी ध्यान अवश्य रखना चाहिये।

दूसरी बात जो मुझे यह कहनी है कि जहां तक राजपथों का सम्बन्ध है, दो दृष्टियों से राजपथ बनाये जाने चाहिये। एक तो आर्थिक दृष्टि से और दूसरे सुरक्षा की दृष्टि से। अंग्रेजों ने जो राजपथ यहां बनाये थे वे अधिकतर सुरक्षा की दृष्टि से बनाये थे। आप देखेंगे कि फर्स्ट प्लैन के पहले करीब २ लाख ४४ हजार मील की सड़कें थीं, प्लैन के समय में ३०,००० मील सड़कें और बनी। इस प्रकार से चलते चलत अब हमारे यहां २ लाख ७४ हजार मील के करीब सड़कें हैं। आप को सुनकर आश्चर्य होगा कि जो हाईवेज़ इस बिल में दिये हुए हैं वह ३ लाख ५३ हजार मील की सड़क में सिर्फ १३ हजार ८ सौ मील हैं। जहां साढ़े तीन लाख मील सड़कों का निर्माण हुआ वहां नैशनल हाईवेज़ कुल १३ हजार ८ सौ मील है। इस बिल से यह भी जाहिर होता है कि ९०० मील की मिसिंग लिक्स (असम्बद्ध) है। अगर मिसिंग लिंक्स को मिला लिया जाय तो यह संख्या १४ हजार ७ सौ मील से अधिक नहीं होगी। इसलिये मेरा कहना यह है कि जैसा कि मेरे लायक दोस्तों ने कहा है नेशनल हायवेज की संख्या अधिक करनी चाहिये। सुरक्षा की दृष्टि से भी उन की संख्या अधिक होनी चाहिये।

आप देखेंगे कि पहली योजना के पहले इस संबंध में ६ करोड़ रुपये खर्च किये गये और फस्ट प्लैन में २७ करोड़ रुपये इस के वास्ते रख्ये गये। सेकन्ड प्लैन जो आपनें बनाई हैं उस में सिर्फ ५५ करोड़ रुपये नैशनल हायवेज के लिये रखे गये है। इस साल में जो बजट आपने पेश किया है उसमें ४ करोड़ ६५ लाख रुपया आपने मेन्टेनैस के लिये रखा है ६ करोड़ रुपये में से अगर यह रक्कम निकाल दी जाये तो साढ़ेचार करोड रुपया आपने नैशनल हाईवेज के विकास के लिये रक्खे है मेरा यह कहना है कि आगर आप को नेशनल हाईवेज बनाना है तो आप को सुरक्षा की तरफ भी ध्यान देना होगा। इस बिल को देखने से मालूम होता है कि कुल ३९ हाईवेज हैं। इन ३९ हाईवेज में से जो हैवेज सीमांत को स्पर्श करते हैं उन की संख्या सिर्फ ७ ह और जो पार्शल सीमांत से कुछ दूर पर हैं उनकी संख्या कुल ३ है। तो ३९ में से केवल २० हाईवेज ऐसे है जिनको सुरक्षा की दृष्टि से बनाया गया माना जा सकता है, जिनका उपयोग आप हिन्दुस्तान पर आक्रमण के समय कर सकते है।

[श्री रघुनाथ सिंह]

मैं आप से यह निवेदन करना चाहता हूं कि सुरक्षा की दृष्टि से आप पूर्व राजस्थान को लीजिये। जैसे मेरे लायक दोस्त नें कहा वहां से सिर्फ एक मार्ग जाता है। अगर राजस्थान के बार्डर पर या कच्छ के बार्डर बर आपको फौज़ बुलानी है तो आप इस नक्शे को देखकर बतलाइये कि फौज़ को कैसे बुलायेंगे ? इस वास्ते मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन दो दृष्टियों से हाईवेज के विकास के ऊपर ध्यान दिया जाना चाहिये। और सुरक्षा की दृष्टि सरकार के सामनें पहले होनी चाहिये। जो भी रुपया आप हाईवेज पर खर्च करें वह सीमांत का ख्याल करके खर्च किया जाना चाहिये। मैं सरकार का ध्यान इस ओर अधिक आकर्षित करना चाहता हूं कि सीमांत के ऊपर जितनी रोड्स हैं,चाहें वे स्टेट की रोड्स हों या म्यूनिसिपैलिटिज़ की हों, उन को हाईवेज़ में शामिल कर लेना चाहिये। मैं आपको यह भी बताता हूं कि जैसे कि जी० टी० रोड है, इसको चन्द्रगुप्त मौर्य नें पहले पहल बनवाना शुरू किया था और शेर शाह सूरी नें इसको कम्पलीट किया था और यातायात आरम्भ किया था। लेकिन जैसा कि मेरे माननीय दोस्त नें कहा कि कानपुर से लेकर गाज़ियाबाद तक की जो सड़क जो प्राचीन जी० टी० रोड थी, इसको अगरा की तरफ डाईवर्ट कर दिया, यानी पागलखानें की तरफ जो मूगल रोड थी वह दिल्ली, आगरा इलाहाबाद जाती थी लेकिन आज इस सड़क को आपनें डाईवर्ट कर दिया है और इसको इलाहाबाद में न मिला करके कानपुर में मिला दिया है। मुगलों ने इस सड़क को इसलिये बनवाया था कि फौजें जब मार्च करती थीं तो यमुना के किनारे किनारे होकर जाती थीं और उनको पानी मिल सकता था। मेरा निवेदन यह है कि मुगल रोड को कानपुर के साथ जायन न करके अगर आप इसको इलाहाबाद के साथ मिला दें तो यह सामरिक दृष्टि से अच्छा होगा।

हमारी सीमा जो है वह नेपाल, ईस्ट पाकिस्तान तथा वैस्ट पाकिस्तान के साथ मिलती है। नेपाल में गोरखपुर से लेकर नौतनवा और लुम्बिनी तक यह सड़क है। कितना ही रुपया हम इन सड़को का जाल बिछानें के लियें खर्च कर रहे है। जब ऐसी बात है तो फिर लुम्बिनी तक हमारा राजपथ क्यों न हो यह मेरी समझ में नहीं आता है। लुम्बिनी नौतनवा से केवल चार मील के फासले पर है। गोरखपुर तक राजपथ है। अगर आप लुम्बिनी तक राजपथ बना दें तो बहुत ही अच्छा होगा। इस काम के लिये आप को बौद्ध जयन्ती के सिलसिले में जो समारोह हो रहे हैं, उसमें से भी कुछ आमदनी हो जायेगी।

अब मैं दो तीन और सड़कों को राजपथ घोषित करनें के बारे में सुझाव देना चाहता हूं। एक तो नानपारा से नेपालगंज तक की सड़क है, दूसरी पूर्णियां से जोगबनी और तीसरी समस्तीपुर से जैनगर तक की सड़क है। इन तीन सड़कों को यदि आप राजपथ घोषित कर दें तो नेपाल की सीमा पूरी हो जाती है। इसी प्रकार से नेपाल की सीमा पर कमसे कम एक सीधी सड़क होनी चाहिये कि जो कि कम से कम ५०० मील कमी होगी। अगर यह सड़क जो कि बिहार और उत्तर प्रदेश की उत्तरी सीमा पर बन जाये तो कभी भी आपत्तिकाल में यह सड़क हमारे लिये लाभदायक सिद्ध हो सकती है।

एक सुझाव मैं और देना चाहता हूं। आप मुरादाबाद से अम्बला तक के रास्ते को देखिये। इस वक्त लखनऊ से हमारा राजपथ शुरू होता है और मुरादाबाद आ कर स्टाप हो जाता है। फिर वहां से दिल्ली चला जाता है। मैं शाहनवाज खां साहब से कहूंगा कि अगर आप मुरादाबाद, सहारनपुर और अम्बाला को एक साथ जोड़दें तो आप का फार्म भी उसमें आ जायेगा और साथ ही साथ यह एक बड़ा ही सुन्दर राजपथ आपके पास हो जायेगा। इस वास्ते मैं यह कहना चाहता कि जब राजपथ बनानें की बात आये तो इसे आप सैनिक दृष्टि से देखें और इसी को दृष्टि में रख कर बनायें। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि इस मैप में जो यह रोड दी हुई है (१ए) इसको आपको सीमा तक ले जाना चाहिये। आप जानते ही हैं कि पाकिस्तान हर रोज़ हमें धमकियां देता है और सैनिक तैयारियां भी कर रहा है और हमें इस चीज को नहीं भूलना चाहिये और इसको भी दृष्टि में रख कर राजपथ कायम करने चाहियें। मैं यह इसलिये नहीं कह रहा हूं कि हमें किसी पर आक्रमण करना है बल्कि इसलिये कह रहा हूं कि हमें अपनीं रक्षा करनी है।

†**श्री मात्तन** : (तिरुवल्ला) : श्रीमान, इस विधेयक के लिये मैं माननीय मंत्री को मोटर गाड़ी (संशोधन) विधेयक के तुरन्त बाद प्रस्तुत करनें के लिये बधाई देता हूं। इस विधेयक के संभाव्य इतन विशाल हैं कि इस विधेयक के द्वारा हमारी दरिद्र अर्थ व्यवस्था के विकास के लिये सब से बड़े आर्थिक तत्व का समाधान हो जाता है। मेरा, अपना विचार है कि हमनें स्थल परिवहन का बहुत ही कम विकास किया है। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि स्थल परिवहन का विकास किया जाना चाहिये।

यदि यह समझा जाये कि इस विधेयक को अधिक विस्तृत बनानें के लिये केन्द्रीय सरकार के लिये पर्याप्त अधिकार नहीं है तो मेरे विचार मे उन्हें और अधिक अधिकार लेनें चाहिये। यह सच है कि हमारा एक स्थानीय संविधान है। इस संसद् का यह उद्देश्य होना चाहिये कि संविधान को आज की अपेक्षा अधिक एकरूपी बनाया जाये तभी हम अर्थ व्यवस्था का उचित रूप से विकास कर सकेंगें।

यदि परिवहन की कठिनाइयों के कारण हम अपनी द्वितिय पंचवर्षीय योजना को भली प्रकार लागू न कर सकें तो इस योजना का लाभ क्या होगा? मेरा यह विश्वास है कि यदि राष्ट्रीय राजपथों को ठीक प्रकार से बनाये रखा जाये और धीरे धीरे उनका विस्तार किया जाये तो सामान तथा यात्रियों को लानें ले जानें के लिये रेलवे की क्षमता में जो कमी है वह स्थल परिवहन द्वारा पूरी हो सकेगी इसलिये हमें स्थल परिवहन को प्रोत्साहन करना चाहिये। और इसका विकास करना चाहिय।

हम राष्ट्रीय राजपथों पर जो रुपया खर्च करेंगे वह शुभ कार्य पर खर्च की गयी रकम होगी क्योंकि उससे हमारी अर्थव्यवस्था के विकास में सहायता होगी।

एक और कठिनाई बड़े तथा छोटे पुलों की कमी है। हमारी सड़कों पर आज जो मोटर गाड़ियां या डीजल से चलने वाली मोटरें चलती हैं वे पांच वर्ष पहले चलने वाली मोटरों से अधिक भारी हैं। इसलिये जब तक बड़े तथा छोटे पुलों को मज़बूत नहीं किया जाता और नये सिरे से नहीं बनाया जाता, हम स्थल परिवहन का लाभ नहीं उठा सकेगें।

हम प्रथम पंचवर्षीय योजना पूरी कर चुकें हैं और द्वितीय पंचवर्षीय योजना प्रारम्भ कर रहे हैं। यदि परिवहन की समस्या अभी भी समस्या ही बनी रही तो यह हमारी भावी योजनाओं के मार्ग में एक बड़ी रूकावट होगी। परन्तु हम स्थल परिवहन के विकास द्वारा राजपथों से समस्या का समाधान कर सकते हैं।

†**श्री बंसल** : (झज्जर—रेवाड़ी) : इस विधेयक को पुर:स्थापित करनें पर मैं रेलवे तथा परिवहन मंत्री को बधाई देता हूं।

मैं माननीय मंत्री का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करता हूं कि गढ़मुक्तेश्वर के निकट राजपथ संख्या २४ पर कोई भी पुल नहीं है। वर्षा ऋतु में और विशेषरूप से गंगा में बाढ़ आनें पर कार या ट्रक को रेलवे डिब्बे में लाद कर दूसरी ओर पंहुचाना पड़ता है। सामान्यत: भी लोगों को अपनी गाड़ियां नौका द्वारा दूसरी ओर ले जानी पड़ती है? इसलिये मेरा सुझाव है कि गढ़मुक्तेश्वर मे सड़क का एक पूल बनाया जाना चाहिये।

†**श्री अलगेशन** : हम इस पर पहले ही कार्य प्रारम्भ कर चुके हैं।

†**श्री बंसल** : धन्यवाद।

मेरा दूसरा सुझाव यह है कि जितनी भी सीमान्त सड़कें सम्बद्ध हों बनाई जानी चाहिये। यह सड़कें समदिश न हो कर कांटे की आकार की होनी चाहिये। मेरा यह सु ाव है कि मोरादाबाद से अल्मोड़ा और चम्पावत जानें वाली सड़क को राष्ट्रीय राजपथ में परिवर्तित किया जाये।

---

†मल अंग्रेजी में।

[श्री बंसल]

जहां तक राजपूताना का सम्बन्ध है वहां अजमर जान वाली सड़क को छोड़कर और कोई राष्ट्रीय राजपथ नहीं है। इसलिये मेरा यह सुझाव है कि दिल्ली को रिवाड़ी या झज्जर के द्वारा बिकानेर से मिलाया जाना चाहिये। यह एक महत्वपूर्ण राजपथ होगा और जितनी जल्दी यह काम शुरू किया जाये उतना ही अच्छा होगा।

विभिन्न राष्ट्रीय राजपथों द्वारा यात्रा करते समय हम देखते हैं कि कुछ पर तो दोनों ओर पेड़ होते हैं और कुछ पर पेड़ बिल्कुल नहीं होते हैं। मैं यह जानना चाहूंगा कि सड़क के दोनों ओर पेड़ लगानें का उत्तरदायित्व किस पर होता है। पेड़ों से न केवल सड़कें ठंडी रहती हैं बल्कि उनकी अवधि में भी वृद्धि होती है।

मैं श्री रघुनाथ सिंह और एक अन्य माननीय सदस्य के इस सुझाव का समर्थन करता हूं कि दिल्ली से कानपुर जाने वाली सड़क को अवश्य ही राष्ट्रीय राजपथ का रूप देना चाहिये। इस सड़क पर अत्यधिक यातायात रहता है इसलिये इस सम्बन्ध में शीघ्र ही कार्यवाही की जानी चाहिये।

मेरे विचार से परिवहन मंत्री ने स्वयं इस बात को स्वीकार किया है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि में रेलवे द्वारा समस्त यातायात का बोझ न उठाया जा सकेगा। उनकी अपनी गणना के अनुसार भी लगभग २० से ३० प्रतिशत को परिवहन के अन्य साधनों से ले जाना होगा। इसलिये जितनी जल्दी हम अपनी सड़कों को मज़बूत बनायेंगे और उनका विस्तार करेंगे उतना ही राष्ट्र के लिये अच्छा होगा।

**डा० सुरेश चन्द्र** (औरंगाबाद) : मेरे पूर्ववक्ता माननीय सदस्यों ने इस बिल का महत्व पहले ही बता दिया है। यह एक तथ्य है कि हर एक देश ने, जिस ने तरक्की की है, अपनी सड़कों को बहुत अच्छा बनाया है और उनकी बहुत डेवलपमेंट (विकास) की है। माल के यातायात के लिये भी स्ट्रैटेजिक पांयट आफ व्यू (सामरिक दृष्टिकोण से) हर एक देश ने अपनी सड़कों को डेवेलप किया है और उनको बेहतर बनाया है। इसलिये इस बिल का बहुत महत्व है। मुझे याद है कि जब हिटलर ने जर्मनी में पदार्पण किया था, उसने सबसे पहला काम यह किया था कि देश के एक कोने से दूसरे कोने तक अच्छी सड़कों का जाल बिछा दिया था। यह अलग बात है कि बाद में उसको उनकी बजह से नुकसान भी हुआ। जब अमरीकन आर्मी के टैंक्स वहां आये, तो वे बहुत जल्दी और बहुत आसानी से देश के अन्दर तक पहुंच गये।

इस सम्बन्ध में मैं एक बात यह कहना चाहता हूं कि चालीसगांव से एक सड़क औरंगाबाद और ऐलोरा तक जाती है। वह एक पहाड़ में से गुजर कर आती है। उस पर काफी ट्रैफिक (यातायात) आता जाता है और वह दो घंटे का रास्ता है। मैं समझता हूं कि अगर यह रोड नैशनल हाईवेज़ (राष्ट्रीय राजपथ) में शामिल कर ली जाये, तो एलोरा को जानें वाले टूरिस्टट्रैफिक (पर्यटक यातायात) को बहुत सहायता मिलेगी। मेरा सुझाव है कि चालीसगांव से हटनूर, उटरम घाट, एलोरा और औरंगाबाद तक जाने वाली चालीस मील के रास्ते को चौड़ा कर दिया जाये। इससे गांव के लोगों को भी बैलगाड़ियों में सामान लाने व ले जानें में आसानी हो जायेगी।

इन शब्दों के साथ मैं मंत्री महोदय से दरख्वास्त करता हूं कि इस सड़क को भी नैशनल हाईवेज़ में शामिल कर लिया जाये।

†**श्री ब० द० पांडे** (जिला अलमोड़ा—उत्तरपूर्व) : सभापति महोदय, मेरी केवल एक शिकायत है कि सड़क संख्या २४ से आरम्भ हो कर बरेली, पीलीभीत, तानकपुर, पिथौरागढ़, धारचूला होकर तिब्बत में गारबियांग और तरलकोट तक जानें वाली सड़क का किसी पूर्व वक्ता ने जिक्र नहीं किया है। यह एक सीमान्त सड़क है और मानसरोवर व कैलाश को जाती है। लगभग एक करोड़ रूपये के मूल्य को व्यापार वस्तुएं तथा तीर्थयात्री इसी महत्वपूर्ण सड़क से जाते

†मूल अंग्रेजी में।

हैं। इस पर सैना का पहरा है तथा सम्भव है कि झगड़े की स्थिति में सरकार को कभी इसका प्रयोग करना पड़े। यह सड़क इस योजना में तो दिखायी नहीं देती, अतः आशा करता हूं कि यह अगली पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित कर ली जायेगी तथा इसे राष्ट्रीय राजपथ बना दिया जायेगा।

†**श्री अलगेशन :** इस विधेयक को जो अत्यधिक समर्थन दिया है उसके लिये मैं अत्यधिक आभारी हूं। इस विधेयक को विभिन्न स्थितियों से हो कर आगे बढ़ाने के लिये मेरे माननीय मित्र श्री मात्तन् ने जो आशीर्वाद दिया है, उससे मैं विशेष रूप से प्रसन्न हूं। जैसा कि मेरे माननीय मित्र श्री लिंगम् ने कहा है, राष्ट्रीय राजपथों की एक योजनाबद्ध व्यवस्था करने का वास्तविक कार्य बहुत पहले आरम्भ हो चुका है। इस समय हम यह चाहते हैं कि जो कुछ हो रहा है उसके लिये सभा स्वीकृति दे दे और कार्यों की वर्तमान स्थिति को संविधि द्वारा मान्यता दे दे। जो सड़कें आजकल "अस्थायी राष्ट्रीय राजपथ" मानें जाते हैं उन्हें चुनने तथा उनका विकास करने का विनिश्चय तो प्रथम पंचवर्षीय योजना के आरम्भ होने से भी पहले कर लिया गया था। परन्तु १९४७ और १९५१ के बीच इस सड़क व्यवस्था में बहुत थोड़ी प्रगति हुई।

प्रथम पंचवर्षीय योजना में हमने राष्ट्रीय राजपथ व्यवस्था का विकास करने में वस्तुतः एक बड़ा कदम उठाया है। इस आदर्श की प्राप्ति में परिवहन मंत्रालय के समक्ष क्या कठिनाईयां थीं? बहुत सी सड़कें परस्पर मिली हुई नहीं हैं। यद्यपि मानचित्र में आपको रेखा दिखाई देगी, परन्तु वास्तव में वे सड़कें विद्यमान नही हैं। अतः मंत्रालय का प्रथम उद्देश्य इन सड़कों को बनाना था। कृष्णा, गोदावरी, गंगा, महानदी, चम्वल आदि जैसी बड़ी बड़ी नदियों पर पुल बनाने की समस्या थी। इसके अतिरिक्त सभा का ध्यान सड़कों के तल में सुधार करने की आवश्यकता की ओर दिलाया गया। प्रथम योजना काल में यह काम काफी हो गये थे। उक्त काल में हमनें ७२ बड़े पुलों का निर्माण आरम्भ किया। उनमें से ३० बड़े पुल बन चुके हैं। तथा शेष पुलों पर काम हो रहा है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में अन्य ७२ पुलों का निर्माण आरंभ किया जायेगा। हमारा विचार पांच वर्ष में ६० बड़े पुल बनाने का है। कुछ काम शेष रहेगा वह तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में किया जायेगा। द्वितीय योजना काल की समाप्ति तक एक तो ब्रह्मपुत्र पर और दूसरा गंगा पर पुल का काम आरम्भ न होगा। जहां तक ब्रह्मपुत्र पर पुल का सम्बन्ध है, हम इस बात की जांच पड़ताल कर रहे हैं कि हम उस पर पुल बना सकते हैं या उसके नीचे सुरंग बना सकते हैं। गगां पर पुल कहां बनाया जाये, इस बात पर उस समय विनिश्चय किया जायेगा जबकि फरका बांध पर विचार तथा विनिश्चय होगा। इसके अतिरिक्त, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि द्वितीय योजना काल में हम नागपुर योजना में निर्धारित लक्ष्यों को प्रायः प्राप्त कर चुके होंगे। राज्य सड़कों, कड़े और मुलायम धरातल वाली सड़कों, आदि के बारे में जो कुछ भी निर्धारित किया गया है, वह हम द्वितीय योजना के अन्त तक पूरा कर लेगें। द्वितीय योजना काल के अन्त में कोई भी गांव समीपतम जिला सड़क से पांच मील से अधिक दूर न होगा। यह कहा गया है कि राष्ट्रीय राजपथों की लम्बाई केवल लगभग १३,००० मील है और यह बहुत कम है। मैं इस बात से सहमत हूं। मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्य उन्हें दिये गये मान चित्र का अवलोकन करें। मानचित्र में मोटी लाल रेखायें दी गई हैं जो देश में राष्ट्रीय राजपथों को बताती हैं। मैं चाहता हूं कि इस मानचित्र में ऐसी और लाल रेखायें हों, तथा बहुत ही सौभाग्य का दिन होगा जब हम यह करेंगे।

मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्य उन वित्तीय बांटो की जांच करें जो राष्ट्रीय राजपथों के लिये किये गये हैं। यदि मुझे नागपुर योजना के राष्ट्रीय राजपथों सम्बन्धी लक्ष्यों की प्राप्ति करनी है तो मेरे पास कम से कम २०० करोड़ रुपये होनें चाहिये। परन्तु प्रथम योजना से पहले मुझे केवल ६ करोड़ रुपये दिये गये थे और प्रथम योजना काल में पुंजी व्यय २७ करोड़ से कुछ अधिक हुआ। द्वितीय योजना के लिये केवल ५५ करोड़ रुपये नियत किये गये हैं। यह बात महसूस की जायेगी कि अन्य सड़कों को राष्ट्रीय राजपथ न बनाने का एक मात्र कारण अपेक्षित वित्त का अभाव है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री अलगेशन]

हमनें बनिहाल सुरंग के निर्माण का महत्वपूर्ण कार्य आरंभ कर दिया है। यह एक अनोखा कार्य है औरपूरी होने पर यह संसार में एक सबसे लम्बी सुरंग होगी । इस में प्रत्येक एक ओर के यातायात के लिये दो टयूब होंगे तथा इसमें प्रकाश व जंगलों की व्यवस्था होगी । ऐसी सुरंगें हमारे देश में नहीं हैं। आशा है कि पहिली टयूब नवम्बर या दिसम्बर के अन्त तक पूरी हो जायेंगी तथा दूसरी ट्यूब भी १९५८ के अन्त तक या उसके आस पास पूरी हो जायेगी। इस सुरंग के पूरे होनें पर जम्मू तथा काश्मीर में उरई के पास हमारे सीमान्त तक हमारी एक सर्वऋतुकालीन सड़क तैयार हो जायेगी । हमारी सीमान्त सड़कों और युद्धावश्यक सड़कों का बार बार निर्देश किया गया था । यह बात कहनें में कोई लाभ नहीं है कि ये सड़कें , जिनके लिये आवश्यक नहीं कि वे हमारी सीमाओं के समानान्तर ही हों , सारे युद्धावश्यक स्थानों तक जाये । इस सुरंग के बनने से सीमान्त तक एक सर्वऋतुकालीन सड़क हो जायेगी । यद्यपि हमनें अन्य सीमान्त सड़कों सम्बन्धी प्रत्यक्ष उत्तरदायित्व नहीं लिया है, किन्तु हमने विभिन्न राज्य सरकारों को बहुत ही उदार अनुदान दिये हैं तथा सीमान्त सड़कों का निर्माण हो रहा है ।

अब, मै राष्ट्रीय राजपथों के उन भागों के बारे में कुछ कहना चाहता हूं जो नगरपालिकाओं की सीमाओं में पड़ते हैं । यह कहा गया था कि नगरपालिकायें इन्हें ठीक अवस्था में न रख सकेगीं अतः वे भी राष्ट्रीय राजपथों में सम्मिलित होनी चाहिये । मुझे निश्चित रूप से ज्ञात नहीं है कि इनकी लम्बाई कितने मील है परन्तू मुझे बताया गया है कि यह ६०० मील से अधिक हैं । हम इस बात पर भी चुप नहीं बैठे हुए हैं । हमनें विभिन्न राज्यों को लिखा है और उन्हें सूचित किया है कि हम नगरपालिकाओं की सीमांओं में हो कर जाने वाली सड़कों को इस शर्त पर अपने हाथ में लेने को तैयार हैं कि उनकी चौड़ाई उचित रखी जाये और उनके समानान्तर "सर्विस रोड" आदि भी बनायी जायें । इन शर्तों पर सारी राज सरकारों की सहमति प्राप्त होते ही , हम उनके सम्बन्ध में भी कुछ कार्यवाही कर सकेगें । हमें बहुत सी राज्य सरकारों की सहमति प्राप्त हो चुकी है अन्य सरकारों के उत्तरों की हम प्रतीक्षा कर रहे हैं ।

मेरे माननीय मित्र श्री त्रि० ना० सिंह नें इस देश में डिजिल आयल के विक्रय से प्राप्त होने वाले उपकर के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही थी । उन्होंने कहा था कि अधिकाधिक मोटरगाड़ियां डिज़िल-चालित बनायी जा रही हैं और पेट्रोल का प्रयोग भी उतना ही घट रहा है । आजकल हमें पेट्रोल ढ़ाई आने से मिलते हैं । डिज़िल आयल पर लगायी गयी शुल्क से हमें कुछ नहीं मिलता है । अतः हम इस प्रश्न पर वित्त मंत्रालय से बातचीत कर रहे हैं कि हमें डिज़िल आयल के विक्रय से हमारा उचित अंश मिलना चाहिये । मुझे आशा है कि प्रश्न के इस पहलू को सभा का जो समर्थन प्राप्त हुआ है , उस पर वह मंत्रालय भी यथोचित ढंग से विचार करेगा ।

विधेयक के एक खंड के बारे में एक बात कही गई थी । हम राजपथों से होने वाले यातायात पर शुल्क लगाना चाहते हैं । मुझे संदेह है कि खंड के भाव को बहुत से माननीय सदस्यों ने गलत समझा है । हम कोई ऐसा उपकर नहीं चाहते जों वास्तव में हमारे राष्ट्रीय राजपथों पर होने वाले यातायात में बाधक हो । हमने जिला बोर्डों तथा अन्य स्थानीय प्रधिकारों को मना कर दिया है कि वे हमारे राष्ट्रीय राजपथों पर कोई पथकर न लगायें । परन्तु नगरपालिकाओं के क्षेत्रों में लगाये जाने वाली चुंगी तथा सीमाकर का श्री त्रि० ना० सिंह ने उल्लेख किया था । कराधान जांच आयोग ने इस प्रश्न की जांच की है और हमनें जोर दिया था कि हमारे राष्ट्रीय राजपथों पर होने वाले स्वतंत्र यातायात में बाधक बननें वाली चुंगी और सीमाशुल्क समाप्त कर दी जायें । परन्तु दुर्भाग्यवश, कराधान जांच आयोग हमारी बात न मान सका । मेरा ख्याल है कि उनकी परिगणना के अनुसार इस साधन से विभिन्न नगरपालिकाओं आदि को लगभग ११ करोड़ रुपये की आय होती है तथा वे यह सिफारिश करने का साहस न कर सके कि नगरपालिकायें अपनी आय के इस साधन से हाथ धो लें । हमनें यह प्रश्न परिवहन मंत्रणा परिषद में उठाया है और हम प्रयत्न कर रहे हैं कि इस कराधान को यथासम्भव कम कर दिया जाये । परन्तु यह कहा गया है कि जहां छोटी नौका रखनी पड़ती है वहां शुल्क लगाना पड़ता है और जहां नदी पर पुल नहीं हैं वहां नदी पार करने के लिये एक छोटी नौका सेवा चलानी पड़ती है । जो शुल्क लगाने का

विचार है उसका उद्देश्य उस छोटी नौका को ठीक रखने के व्यय को पूरा करना है। यह इसी कारण यहां रखी गयी है फिर हमें कुछ स्थानों पर स्थायी पुल बनानें पड़ते हैं और उन्हें ठीक रखना पड़ता है। इस कार्य के व्यय को इन शुल्कों द्वारा पूरा करना होता है। पुलों के बन जाने पर ये सारे शुल्क समाप्त हो जायेंगे तथा फिर सड़क यातायात मे कोई बाधा न होगी ।

परन्तु बनिहाल सुरंग के मामले में, हमें बड़े पुंजी व्यय के अतिरिक्त जिसकी पूर्ति हम इस शुल्क से नहीं करना चाहते सुरंग में प्रकाश व वायूके उचित आवागमनके लिये जंगलों की व्यवस्था पर बहुत धन व्यय करना पड़ता है। स्वभाविक है कि सुरंग का प्रयोग करने वाले यातायातको सुरंग को ठीक रखने के व्यय के प्रति कुछ भुगतान करना पड़ता है। ऐसे मामलों के लिये ही यह उपबन्ध रखा गया है तथा इसका उद्देश्य इस शुल्क को आय का एक साधन बनाने का नहीं है।

उपमार्ग बनाने की आवश्यकता का उल्लेख किया गया था। जैसा कि कुछ माननीय सदस्यों ने कहा था कि हम नहीं चाहते कि हमारे राष्ट्रीय राजपथ प्रत्येक नगरपालिका के नगर से हो कर न जाये, क्योंकि ऐसा न होने से स्वतंत्र गति से होने वाले यातायात में होन वाली बाधाओं के कारण बहुत विलम्ब होता है। हम उन्हें नगरपालिका के नगरों से कुछ दूर रखना चाहेंग। इस दृष्टि से हम उपमार्ग बना रहे हैं और अगली योजना में भी लगभग दो से तीन करोड़ रुपये तक इन उपमार्गों के निर्माण के लिये रखे गये हैं ताकि यातायात अधिक तेजी से हो सके।

जहां हमारी रेलवे और सड़क आदि एक दूसरे को काटते हैं वहां पुल बनाने की व्यवस्था के बारे में एक बात कही गई थी। यह बात सभा में बार बार उठायी गई है तथा जहां तक राष्ट्रीय राजपथों का सम्बन्ध है, हमारा उद्देश्य उन स्थानों पर ऊपरी या नीचे पुल बनानें का है जहां रेलवे और सड़क एक दूसरे को काटते हैं ताकि राष्ट्रीय राजपथ से होने वाला यातायात अबाधित रूप से होता रहे।

विभन्न सड़कों के प्रश्न पर यहां विचार विमर्श हुआ था तथा यह स्वाभाविक ही है कि माननीय सदस्यों को उन सड़कों में विशेष रुचि थी जो उनके क्षेत्रों से हो कर जाती हैं।

मैं केवल इतना कह सकता हूं कि मुझे उस प्रार्थना से पूरी सहानुभूति है।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुये]

मेरे मित्र श्री भक्त दर्शन, स्वाभावत: इस बात के बहुत इच्छुक हैं कि श्री नगर-उरी सड़क की भांति बद्रीनाथ जाने वाली सड़क को भी जो कि एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है, तत्काल एक राष्ट्रीय राजपथ घोषित किया जाना चाहिये। यद्यपि हम तत्काल यह कार्यवाही नहीं कर सकते हैं तथापि हमने इस सड़क में सुधार के लिये काफी कुछ किया है और सड़क के श्रीनगर से कृतिनगर, पिपलकोठी से जोशीमठ खंडों के निर्माण के लिये उत्तर प्रदेश सरकार को लगभग ३४ लाख रुपये अनुदान रूप में दिये जा चुके हैं।

†**श्री त्रि० ना० सिंह** : कुल ३४ लाख रुपये ?

†**श्री अलगेशन** : कुल खर्च का यह तो तिहाई भाग है। उत्तर प्रदेश सरकार को केवल एक तिहाई खर्च उठाना होगा। मैं और भी रकम दे देता परन्तु अन्य परिसीमायें भी हैं। हमने अलकनन्दा आदि पर पुलों के निर्माण के लिये भी अनुदान दिये हैं। हम जो अनुदान दे रहे हैं उसकी सहायता से जब वह सभी कार्य पूरे हो जायेगें, जिनकी योजना उत्तर प्रदेश सरकार नें बनायी है, तो हम जोशीमठ तक सड़क को ले जायेंगे और बद्रीनाथ तक केवल २० मिल का मार्ग शेष रह जायेगा। अब बद्रीनाथ पहुंचनें के लिये लोगों को चार दिन पैदल चलना पड़ता है। उन्हें पिपिलकोटी नामक स्थान पर रुकना पड़ता है और फिर पैदल यात्रा करनी होती है। जब ये कार्य पूरे हो जायेगें, जोशीमठ तक सड़क बन जायेगी, जहां पर विश्वास किया जाता है कि शंकराचार्य नें अपना सुप्रसिद्ध टिप्पण लिखा था, और तब वहां से बद्रीनाथ तक केवल २० मील का मार्ग शेष रह जायेगा जिसे दो दिन के भीतर पुरा किया जा सकता है। इसलिये मैं अपने मित्र से अनुरोध

---

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री अलगेशन]

करूंगा कि वह उस समय तक धैर्य रखें जब तक कि अच्छे दिन नहीं आते और हम इसे एक राष्ट्रीय राजपथ घोषित कर सकेंगे। मुझे बताया गया है कि यह देश का बहुत दुर्गम भाग है। मैंने इसे स्वंय देखा है। इस सारे भाग में चट्टानें हैं और चट्टानों आदि को बारूद से काफी उड़ानें की आवश्यकता होगी परन्तु उत्तर प्रदेश सरकार से सर्वेक्षण तथा उत्तर प्रदेश सरकार से जांच प्रतिवेदन प्राप्त होते ही हम कुछ न कुछ न कर सकेगें।

श्री अच्युतन तथा मेरे मित्र श्री मो० दि० जोशीने पश्चिमी तट सड़क के प्रश्न की चर्चा की थी। उन्होंने पूर्वी तट की पश्चिमी तट से तुलना की थी और वह इस बात से असन्तुष्ट थे कि पश्चिम में न तो कोई रेलवे है और न ही कोई राष्ट्रीय राजपथ है। मेरे लिये एक सुखद परिवर्तन था क्योंकि हम सदैव दक्षिण और उत्तर की तुलना करते हैं और दक्षिण से आनें वाले लोगों को इस सम्बन्ध में काफी शिकायत है कि उनके क्षेत्र की अवहेलना की जाती है। इसलिये एक बार पूर्व तथा पश्चिम के बीच तुलना की जाये। परन्तु इस सड़क के सम्बन्ध में भी हमने प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि में आधे आधे के आधार पर इस सड़क को एक करोड़ रुपये की सहायता देने के लिये एक उपबन्ध किया था परन्तु मुझे खेद है कि मद्रास तथा बम्बई सरकारों ने, जिन्हें अन्य आधा खर्च उठाना था, इस सड़क के कार्य को पूरा करने में अधिक दिलचस्पी नहीं दिखायी और इसलिये इस खर्च का बहुत ही कम भाग वास्तव में खर्च हुआ था। शेष राशि खर्च नहीं हो सकी थी।

†**श्री मो० दि० जोशी** : इसी लिये हम राष्ट्रीय राजपथ की मांग पर अधिक जोर दे रहें हैं।

†**श्री अलगेशन** : परन्तु मैं अपने माननीय मित्र को बता देना चाहता हूं कि १९५५-५६ वर्ष से अर्थात पिछले वर्ष से, हमने इस सड़क के सुधार का, सभी पुलों के निर्माण का और इसके साथ ही जैसा कि मेरे मित्र ने कहा था कि बम्बई में पानवेल से सावन्तवाड़ी तक, फिर कुमता तक, और फिर वहां से मंगलोर आदि सीधे त्रावनकोर कोचीन सीमा तक एक ऐसी सड़क की व्यवस्था करने का समस्त उत्तरदायित्व अपने उपर लिया है जिसपर से एक गाड़ी आ जा सके।

†**श्री मो० दि० जोशी** : धन्यवाद।

†**श्री अलगेशन** : इस प्रकार इस समस्त सड़क में शत प्रति शत केन्द्रीय सहायता द्वारा सुधार करने का कार्यक्रम बनाया गया है। और मुझे आशा है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में और प्रगति होगी। वास्तव में यह खेद की बात है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में अधिक प्रगति नहीं हुई थी परन्तु मुझे आशा है कि द्वितीय योजना प्रारम्भ होते ही इस सड़क के सम्बन्ध में अधिक प्रगति की जायेगी।

श्री अच्युतनने अरूर तथा अलवाई पुल की चर्चा की थी अरूर पुल के निर्माण के सम्बन्ध में मंजूरी दी जा चुकी है और कार्य का ठेका दिया जा चुका है। यह कार्य कोचीन पत्तन प्राधिकारियों के द्वारा पूरा किया जा रहा है। पेरियार पुल के निर्माण के सम्बन्ध में स्वीकृति दी जा चुकी है और यह कार्य त्रावनकोर कोचीन के राज्य लोक निर्माण विभाग को सौंपा गया है। वे वैभागिक रूप से नींव डालनें का कार्य कर रहे हैं। इसलिये माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा है मेरे विचार में त्रावनकोर कोचीन राज्य का लोक निर्माणै विभाग उस पर विचार करेगा और जितनी जल्दी सम्भव हो इस कार्य को पूरा करेगा।

मेरे मित्र श्री सिंहासन सिंह ने सारयू पुल की चर्चा की है मैं कह नहीं सकता कि उन्होंने "सरयू" शब्द को "सरजू" में क्यों बदल दिया है। उन्होंने एक सड़क एवं रेल पुल के निर्माण की चर्चा की है। पुल के निर्माण के सम्बन्ध में परिक्षात्मक कार्यों की स्वीकृति दी जा चुकी है। वास्तविक पुल के स्थान का अभी निर्णय करना है। इस मामले में रेलवे से परामर्श किया गया था और वे इस बात पर विचार कर रही है कि क्या वे भी इस पुल के निर्माण में सम्मिलित हो सकते हैं ताकि हम एक सड़क एक रेल पुल बना सकें। जब रेलवे द्वारा इस प्रश्न की जांच कर ली जायेगी और वे इस पुल के निर्माण में सम्मिलित होना स्वीकार कर लेगें तब "सरयू" नदी पर सड़क एवं रेल पूल तैयार हो जायेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री बंसल** : यह कहां पर है ?

†**श्री अलगेशन** : गोरखपुर के निकट श्री सिंहासन सिंह ने इसकी मांग की है । इसलिये आप आसानी से कल्पना कर सकते हैं कि यह गोरखपुर के ही आस पास कहीं होना चाहिये ।

इस के बाद ग्रांड ट्रंक सड़क के सम्बन्ध में काफी कुछ कहा गया है । कई सदस्यों ने , जिनमें श्री शि० ला० सक्सेना, श्री मिश्र और सम्भवत: श्री बंसल और श्री रघुनाथ सिंह भी थे, इसके लिए अनुरोध किया है । उस प्रश्न के सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं । धन की सीमित उपलब्धि के कारण यह निर्णय किया गया था कि दिल्ली और कानपुर के बीच केवल दो न्यूनाधिक समदिश राष्ट्रीय राजपथ हों, एक यमुना के दक्षिण में और दूसरा नदी के उत्तर में । उत्तर में दो सड़कें हैं एक पुरानी ग्रांड ट्रंक सड़क और दूसरी मुरादाबाद, बरेली तथा लखनउ में से गुजरती हुई सड़क । पिछली सड़क को अधिमान दिया गया था क्योंकि इससे एक अविकसित क्षेत्र के विकास के लिये मार्ग खुलता था और क्योंकि दूसरी सड़क, अर्थात ग्रान्ड ट्रंक सड़क, नदी के दक्षिणी मार्ग के अत्यन्त समीप है और एक रेलवे लाईन के भी बहुत निकट है ।

यही कारण है कि ग्रांड ट्रंक रोड जो कि मुगलों के समय युद्ध की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण थी, राष्ट्रीय राजपथों में सम्मिलित नहीं की गई ।

इसी प्रकार एक खंड के "चाहे सीमांकन किया गया हो अथवा नहीं" इन शब्दों पर आपत्ति की गई है । इस विषय में श्री उ० मु० त्रिवेदी नें कहा है कि इससे सड़क के दोनों ओर की जमीन घिरी रहनें से लोगों को परेशानी होगी । किन्तु सदस्यों को ज्ञात है कि राष्ट्रीय राजपथ दोनों ओर कोई बाढ़ तो लगाते नहीं हैं । हमारा अभिप्राय केवल उसी भूमि से है जो राजपथ के हेतु विभिन्न लोक निर्माण विभागों के अभिलेखों में दर्ज हो। मैं नहीं समझता कि इस के कारण लोगों को कोई परेशानी होगी ।

अब मैं अगरतला , आसाम सड़क के बारे में कुछ शब्द कहना चाहता हूं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में त्रिपुरा के सड़कों के विकास के लिये ३ करोड़ ४ लाख रुपये की रकम अनुमोदित की गई थी । इस उपबन्ध के अनुसार ४ करोड़ २४ लाख रुपये की लागत का काम वहां किया जायेगा जिसमें वह काम भी शामिल है जो प्रथम योजना का अवशेष है । वहां ७८ मील की नई सड़कें बनायी जायेगीं । वर्तमान सड़कों में १६७ मील तक डामर की सड़कें बनायी जायेंगी । आसाम, अगरतला सड़क में ११२ मील तक उसके ऊपर तारकोल बिछाया जायेगा और ८० मील लम्बी गांवों की सड़कें बनायी जायेंगी। इसके अतिरिक्त, द्वितीय योजना में कुल ११८० फीट पुलों का काम भी किया जायेगा । इन बातों से यह स्पष्ट है कि त्रिपुरा की ओर हमने काफी ध्यान दिया है। हमने लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई है और यदि हम आवश्यक समझेंगे तो उसे और बढ़ायेंगे । जब ये सब काम पूरे हो जायेंगे तो त्रिपुरा में सड़कों का एक जाल सा बिछ जायेगा ।

मैंने पहले ही यह बात बता दी है कि अधिक सड़कों को हम इस समय राष्ट्रीय राजपथों के कार्यक्रम में शामिल नहीं कर सकते हैं । इस बीच में हम उन सड़कों की अच्छी देखरेख कर रहे हैं जो बाद में राष्ट्रीय राजपथों में सम्मिलित की जायेगीं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि कुछ राजपथों को राष्ट्रीयराजमार्ग घोषित करने तथा उससे सम्बन्धित विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जायेगा ।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

**खण्ड२– (कुछ राजपथों का राष्ट्रीय राजपथ घोषित किया जाना)**

†**श्री श्रीनारायण दास** (दरभंगा मध्य): खंड २ के अधीन यह उपबन्ध किया जा रहा है कि सरकार अधिसूचना जारी कर के किसी राजपथ को राष्ट्रीय राजपथ घोषित कर सकती ह किन्तु

---

†मूल अंग्रजी में ।

[श्रीनारायण दास]

मुझे इस पर आपत्ति है, क्योंकि संविधान के अनुसार किसी सड़क को राष्ट्रीय राजपथ घोषित करने का अधिकार संसद को ह । अतः म सुझाव देता हूं कि जब कभी ऐसा करना हो तो सरकार पहले ऐसा संकल्प सभा में प्रस्तुत करे और उसके पारित होनें के बाद ही राष्ट्रीय राजपथ घोषित किया जाये।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** (गुड़गांव ) : किसी राजपथ को राष्ट्रीय राजपथ घोषित करना संसद् के अधिकार में है । अतः यह बात ठीक नहीं है कि यह अधिकार सरकार अपने हाथ में ले ले । पुरातत्त्वीय स्मारकों के विषय में संसद् को अधिकार था किन्तु, एक संशोधन द्वारा हमनें यह अधिकार सरकार को दे दिया था किन्तु इस मामले में हम चाहते हैं कि राजपथों के बारे में अधिकार संसद् के पास रहें ।

†**अध्यक्ष महोदय** : तब तो हर एक सड़क के लिये संसद में विधेयक प्रस्तुत करना पड़ेगा ।

†**श्री अलगेशन** : माननीय सदस्यों को इस प्रश्न पर व्यवाहारिक दष्टि से विचार करना चाहिये इस उपबन्ध के अधीन सरकार को राष्ट्रीय राजपथों की संख्या को घटाने बढ़ाने का अधिकार दिया जा रहा है ।

हम राजपथों में बहुत परिवर्तन नहीं करेंगे । यदि मैं पूर्ववक्ता की बात मान लूं तो मुझे एक फर्लांग की सड़क के लिये सभा में विधेयक प्रस्तुत करना पड़ेगा । इस बात को ध्यान में रख कर यह उपबन्ध करना उचित समझा गया है कि अधिसूचनांओं के द्वारा ही राज मार्गों में उचित परिवर्तन किया जाये । ऐसा कोई पहली बार नहीं किया जा रहा है। मेरे मित्र ने शिक्षा मंत्रालय के पुरातत्त्वीय विभाग का उल्लेख किया है किन्तु वह मंत्रालय भी वैसा ही उपबन्ध करनें की सोच रहा है । अतः मैं समझता हूं कि हमें किसी लम्बी प्रक्रिया के उपबन्ध की जरूरत नहीं है और जिस रूप मे यह खंड है उसी रूप में इसको रखना ठीक होगा ।

†**श्री रामचन्द्र रेड्डी** : माननीय मंत्री द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण के बारे में मैं कुछ और स्पष्टीकरण चाहता हूं ।

खंड २ के उपखंड (३) में यह कहा गया है :

"केन्द्रीय सरकार ऐसा ही अधिसूचना द्वारा किसी राजपथ को अनुसूचि से हटा सकती है"

क्या इसका अर्थ यह है कि किसी राजपथ को, अर्थात लगभग १०० मील लम्बे राजपथ को, अनुसूचि से हटा दिया जायेगा अथवा उसके किसी भाग को ?

†**श्री अलगेशन** : मेरा ख्याल है कि मैंने अभी इस बात का उत्तर दे दिया है ।

†**श्री श्रीनारायण दास** : अनुसूचि से किसी राजपथ को हटाने का प्रश्न अत्यन्त महत्वपूर्ण है और इसके लिये सभा की सम्मति भी आवश्यक है ।

†**श्री अलगेशन** : खंड १० के अनुसार , संसद के पास पर्याप्त शक्तियां हैं । उसमें यह कह गया है कि उन में वे उन रूपभेद किये जा सकेगें जो संसद् उस सत्र में करे जिसमें कि वह सभा-पटल पर रखा जाता है अथवा उसके बाद के सत्र में ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है कि :

"कि खंड २ विधेयक का अंग बने "

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

**खंड २ विधेयक में जोड दिया गया ।**

†**अध्यक्ष महोदय** : खंड ३ के बारे में संशोधन संख्या १, २, १०, ११, १२ और १३ है ।

†**श्री अलगेशन** : वे संशोधनों को प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**अध्यक्ष महोदय :** ये संशोधन प्रस्तुत नहीं हुए ।

**प्रश्न यह है :**

"कि खंड ३ विधेयक का अंग बने ।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

**खण्ड ३ विधायक में जोड दिया गया ।**

**खण्ड ४, ५, और ६ विधेयक में जोड दिये गये ।**

**खण्ड ७–(सेवाओ इत्यादि के लिये फीस)**

**संशोधन किया गया ।**

पृष्ठ २, पंक्ति ३२ में —

"or services" ("अथवा सेवाओं") के स्थान पर "for services" ["सेवाओं के लिये"] शब्द रखे जायें ।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुवा ।** [श्री अलगेशन]

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

**"कि खंड ७ संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने"**

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

**खण्ड ७, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया ।**

**खण्ड ८ विधयक में जोड़ दिया गया ।**

†**अध्यक्ष महोदय :** अब हम खण्ड ९ को लेते है । श्री भक्त दर्शन संशोधन सख्या ३ को प्रस्तुत नहीं कर रहे है ।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ९ और १०, विधेयक के अंग बने ।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

**खण्ड ९ और १० विधेयक में जोड दिये गये ।**

**अनुसूचि**

†**श्री श्री नारायण दास :** अनुसचि के बारे में हमने कुछ संशोधनों कि सूचना दी है । यदी आप अनुमति दें तो मैं उन्हें प्रस्तुत करता हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय :** पहले मुझे सरकार द्वारा प्रस्तुत संशोधनों को, अर्थात ६ और ७ को निबटा लेने दीजिए ।

†**श्री अलगेशन :** मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि पृष्ठ ४ से ६ में

शब्द "Serial No." ["क्रमांक"] के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाए :

| "Serial No. | National Highway No. |
|---|---|
| 1 | 1 |
| 2 | 1A |
| 3 | 2 |

†मूल अंग्रेजी में ।

[श्री अलगेशन]

| "Serial No. | National Highway No. |
|---|---|
| 4 | 3 |
| 5 | 4 |
| 6 | 5 |
| 7 | 6 |
| 8 | 7 |
| 9 | 8 |
| 10 | 8A |
| 11 | 8B |
| 12 | 9 |
| 13 | 10 |
| 14 | 22 |
| 15 | 24 |
| 16 | 25 |
| 17 | 26 |
| 18 | 27 |
| 19 | 28 |
| 20 | 28A |
| 21 | 29 |
| 22 | 30 |
| 23 | 31 |
| 24 | 31A |
| 25 | 33 |
| 26 | 34 |
| 27 | 35 |
| 28 | 37 |
| 29 | 38 |
| 30 | 39 |
| 31 | 40 |
| 32 | 42 |
| 33 | 43 |
| 34 | 45 |
| 35 | 46 |
| 36 | 47 |
| 37 | 47A |
| 38 | 49 |
| 39 | 50" |

| "क्रमांक" | राष्ट्रीय राज पथ संख्या |
|---|---|
| १ | १ |
| २ | १क |
| ३ | २ |

| क्रमांक | राष्ट्रीय राजपथ संस्था |
|---|---|
| ४ | ३ |
| ५ | ४ |
| ६ | ५ |
| ७ | ६ |
| ८ | ७ |
| ९ | ८ |
| १० | ८क |
| ११ | ८ख |
| १२ | ९ |
| १३ | १० |
| १४ | २२ |
| १५ | २४ |
| १६ | २५ |
| १७ | २६ |
| १८ | २७ |
| १९ | २८ |
| २० | २८क |
| २१ | २९ |
| २२ | ३० |
| २३ | ३१ |
| २४ | ३१क |
| २५ | ३३ |
| २६ | ३४ |
| २७ | ३५ |
| २८ | ३७ |
| २९ | ३८ |
| ३० | ३९ |
| ३१ | ४० |
| ३२ | ४२ |
| ३३ | ४३ |
| ३४ | ४५ |
| ३५ | ४६ |
| ३६ | ४७ |
| ३७ | ४७क |
| ३८ | ४९ |
| ३९ | ५०" |

[श्री अलगेशन]

अस्थाई राष्ट्रीय राजपथों को संख्याएं दी गई है । आप यह दखेंगे कि उनमें कुछ अंक नहीं हैं । ये अंक भारत का विभाजन होने से पहले दिये गये थे और जो अंक इनमें नहीं ह, वे उन सड़कों के हैं जो कि अब पाकिस्तान में है । सभी निर्माण कार्य आदि की मंजूरी इन अंको के आधार पर दी गई है और इन्हे इस आधार पर ही क्रियान्वित किया जा रहा है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** १क क्या है ? यहां १क या २क या २८क नहीं है ।

†**श्री अलगेशन :** १क को क्रमांक २–जालधंर, माधोपुर, जम्मू , बनिहाल, श्रीनगर, बारामूला और उरी को जोड़नें वाले राजपथ के साथ पढ़ा जाना होगा ।

†**श्री र० द० मिश्र :** जब ये सड़कें हमारे देश में नहीं हैं तो पुरानें अंको को दोहराने के बजाय नये अंक क्यों नहीं दियें जाते ?

†**श्री अलगेशन :** खेद की बात है कि जब इस संशोधन की पृष्ठभूमि को मैं स्पष्ट कर रहा था तब माननीय सदस्य ने उसे सुना नहीं ।

ये अंक वहां एक अर्से से मौजूद हैं और सभी कार्यों के लेखे राष्ट्रीय राजपथों के अंक के आधार पर तैयार किये जाते हैं ।

"राष्ट्रीय राजपथ संख्या" इस स्तम्भ म दी गई राष्ट्रीय राजपथ संख्या के आधार पर ये सब बातें होती रही हैं । जो संख्या नहीं है उनका निर्देश उन सड़कों से है जो अब पाकिस्तान में हैं । यह संख्यायें पहले १९४७ में दी गई थीं । उनका सम्बन्ध विभाजन-पूर्व समस्त भारत से था । किन्तु अब जो संख्यायें नहीं हैं उनका निर्देश उन सड़कों से है जो अब एक अन्य देश में चली गई हैं । इसलिये अन्य संख्यायें दी गई हैं क्रमांक विधेयक के हेतु दिये गये हैं और जैसा कि अब देखा जा रहा है राष्ट्रीय राजपथ संख्यायें भी दी गई हैं ताकि किसी प्रकार का भ्रम न हो । यह बात नहीं है कि केवल सड़क शाखा में ही अभिलेख इस प्रकार रखा जाता है किन्तु वित्त मंत्रालय, महालेखापाल और अन्य विभाग पुरानी संख्याओं के आधार पर ही कार्य कर रहे हैं । इसलिये यदि लेखे आदि में हमें कोई भ्रम उत्पन्न नहीं करना है , तो पुरानी संख्याओं को कायम रखना अत्यन्त आवश्यक है । इसी प्रयोजन के लिये यह संशोधन प्रस्तुत किया गया है ।

†**श्री र० द०मिश्र :** राष्ट्रीय राजपथ संख्याओं के स्थान पर क्रमांक रखे जा रहे हैं । इसके बजाय वह यह प्रस्तुत कर सकते हैं कि राजपथ की पुरानी संख्यायें इस प्रकार होगीं तथा नई संख्यायें इस प्रकार होगीं । यदि ऐसा किया जाये तो लेखा विभाग को भी आपत्ति नहीं होगी ।

†**अध्यक्ष महोदय :** मुझे खेद है कि माननीय सदस्य गलती कर रहे हैं । क्रमांक और तत्स्थानी राष्ट्रीय राजपथ संख्यायें दी गई हैं । क्रमांक को हटाया नहीं गया है । क्रमांक के साथ ही राष्ट्रीय राजपथ संख्या भी दी गई है । इसलिये यदि क्रमांक का प्रतिस्थापन किया जाये तो हम एक ऐसी बात को कायम रखेगें जिसमें कुछ त्रुटि है । यद्यपि कुछ सड़कें पाकिस्तान में गई हैं तथापि लेखे पुरानी संख्याओं के आधार पर रखे जाते हैं । यह केवल लेखे की सुविधा को देखते हुए किया गया है ।

प्रश्न यह है :

पृष्ठ ४ से ६—

शब्द "Serial No."[क्रमांक] के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाये :

---

†मूल अंग्रेजी में ।

| "Serial No. | National Highway No. |
|---|---|
| 1 | 1 |
| 2 | 1A |
| 3 | 2 |
| 4 | 3 |
| 5 | 4 |
| 6 | 5 |
| 7 | 6 |
| 8 | 7 |
| 9 | 8 |
| 10 | 8A |
| 11 | 8B |
| 12 | 9 |
| 13 | 10 |
| 14 | 22 |
| 15 | 24 |
| 16 | 25 |
| 17 | 26 |
| 18 | 27 |
| 19 | 28 |
| 20 | 28A |
| 21 | 29 |
| 22 | 30 |
| 23 | 31 |
| 24 | 31A |
| 25 | 33 |
| 26 | 34 |
| 27 | 35 |
| 28 | 37 |
| 29 | 38 |
| 30 | 39 |
| 31 | 40 |
| 32 | 42 |
| 33 | 43 |
| 34 | 45 |
| 35 | 46 |
| 36 | 47 |
| 37 | 47A |
| 38 | 49 |
| 39 | 50". |

[अध्यक्ष महोदय]

"[

| क्रमांक | राष्ट्रीय राजपथ संख्या |
|---|---|
| १ | १ |
| २ | १क |
| ३ | २ |
| ४ | ३ |
| ५ | ४ |
| ६ | ५ |
| ७ | ६ |
| ८ | ७ |
| ९ | ८ |
| १० | ८क |
| ११ | ८ख |
| १२ | ९ |
| १३ | १० |
| १४ | २२ |
| १५ | २४ |
| १६ | २५ |
| १७ | २६ |
| १८ | २७ |
| १९ | २८ |
| २० | २८क |
| २१ | २९ |
| २२ | ३० |
| २३ | ३१ |
| २४ | ३१क |
| २५ | ३३ |
| २६ | ३४ |
| २७ | ३५ |
| २८ | ३७ |
| २९ | ३८ |
| ३० | ३९ |
| ३१ | ४० |
| ३२ | ४२ |
| ३३ | ४३ |
| ३४ | ४५ |
| ३५ | ४६ |

| | |
|---|---|
| ३६ | ४७ |
| ३७ | ४७क |
| ३८ | ४९ |
| ३९ | ५०" |

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

†**श्री अलगेशन :** मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि पृष्ठ ५, मद २८–

शब्द [Jorahat] ["जोरहाट"] के स्थान पर शब्द [Jorabat] ["जोराबत"] रखा जाये ।

यह भी मुद्रण की एक गलती है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** मद २८ में "जोरहाट" लिखा गया है ।

†**श्री उ० मु० त्रिवेदी :** यह सही है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** इसका संबंध गोलपारा के निकट प्रारम्भ होने वाले राजपथ से है । जो क्रमांक २३ में उल्लिखित राजपथ के साथ प्रारम्भ होता है और जो गोहाटी, जोरहाट, कमरगांव माकुम और सैखोआ घाट को जोड़ता है । संशोधन में कहा गया है कि शब्द "जोरहाट" के स्थान पर शब्द "जोराबत" रखिये । जो माननीय सदस्य उस क्षेत्र के हैं वह कृपा करके बतायें कि यह सही है अथवा नहीं ।

†**श्री क० कु० बसु :** जोरहाट एक प्रसिद्ध स्थान है, किन्तु जोराबत नाम का कोई अन्य स्थान है या नहीं यह मुझे ज्ञात नहीं है ।

†**श्री ले० जो० सिंह :** "जोरहाट" सही है ।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव :** कहीं "जोरहाट" लिखा गया है और कहीं कहीं "जोराबत" भी लिखा गया है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** जहां "जोरहाट" का उल्लेख किया गया है वहां माननीय सदस्य कृपया मद संख्या २८ को देखें । उसमें कहा गया है "गोलपारा के निकट , क्रमांक २३ में उल्लिखित राजपथ के साथ, प्रारम्भ होने वाला और गोहाटी को जोड़ने वाला राजपथ" ।

†**श्री ले० जो० सिंह :** अर्थात् जोरहाट जो इन दोनों क्षेत्रों को जोड़ता है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय मंत्री क्या कहना चाहते हैं ?

†**श्री अलगेशन :** श्रीमान्, मुझे अपने संशोधन पर आग्रह करने का परामर्श दिया गया है ।

†**डा० रामा राव** (काकीनाडा) : उस क्षेत्र के दो सदस्य कहते हैं कि जोरहाट सही है ।

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) :** जोराबत और जोरहाट यह दोनों स्थान उसी राजपथ पर हैं । माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत संशोधन का उद्देश्य शब्द "जोरहाट" के स्थान पर शब्द "जोराबत" रखना है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** क्या माननीय सदस्य को ज्ञात है कि जोराबत नामक कोई गांव नहीं है ?

†**श्री ले० जो० सिंह :** यह राजपथ गौहाटी से प्रारम्भ होकर जोरहाट जाता है । जोरबत के बारे में मैं निश्चित रूप से नहीं जानता ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**श्री लाल बहादुर शास्त्रीः** राष्ट्रीय राजपथ पर अन्य स्थानों का हमें ज्ञान नहीं है। किन्तु मुझे ज्ञात हुआ है कि जोरहाट और जोरबत नाम के दो स्थान हैं और दोनों एक ही राष्ट्रीय राजपथ पर स्थित हैं। जोरबत कमरगांव से पहले आता है और जोरहाट कमरगांव के बाद आता है। फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि हमारी जानकारी सही है। इसलिये हम संशोधन पर आग्रह देते हैं।

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

पृष्ठ ५, मद २८—

शब्द Jorahat ["जोरहाट"] के स्थान पर शब्द Jorabat ["जोराबत"] रखा जाये।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि अनुसूची, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

**खंड १, अधिनियम सूत्र और नाम विधेयक में जोड दिये गये।**

†**श्री अलगेशन :** मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में पारित किया जाये।"

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाये।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

## विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) नियम

†**अध्यक्ष महोदय :** अब सभा विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) नियम, १९५५ में संशोधन करने वाले प्रस्तावों पर चर्चा करेगी, जिनके लिये ३ घंटे का समय दिया गया है।

क्या पंडित ठाकुर दास भार्गव अपने प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहे हैं ?

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** (गुड़गांव) : इस सभा द्वारा पारित किये गये नियम के स्थान पर माननीय मंत्री एक अन्य नियम रखना चाहते हैं और उनसे मेरा अनुरोध है कि वह ऐसा करने के कारण बतायें।

†**विधि-कार्य मंत्री (श्री पाटस्कर)** : मैं यह देखता हूं कि यह नियम एक संयुक्त हिन्दू परिवार सम्बन्धी कुछ गणनाओं से संबंध रखता है। प्रस्तुत संशोधनों के बारे में जिस माननीय सदस्य को आपत्ति है उनके विचार हमें ज्ञात हो जायें तो मै संबंधित मंत्री को परामर्श दे सकूंगा कि क्या किया जाये और इसमें संशोधन किया जाये या नहीं।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव :** मैं कारण जानना चाहता हूं और यदि संबंधित मंत्री सभा को संतुष्ट कर सकें तो हम आपत्ति नहीं करेंगे।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय पुनर्वास मंत्री।

†**श्री क० कु० बसू** (डायमंड हार्बर) : नियम पहले से लागू हैं, उन्हें कार्यान्वित क्यों नहीं करते ?

---

†मूल अंग्रजी में।

**पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : जनाब सदर, पिछले साल सितम्बर के महीने में जो हमारे कंपेंसेशन (प्रतिकर) के रूल्स हैं वह इस हाउस में पास हुए थे। उसके मुताबिक बहुत से कंसेशन दिये गये थे। एक कंसेशन (रियायत) जो दिया गया था वह हिन्दू खानदान मुश्तर्का के मुताल्लिक भी था।

†**डा० रामा राव** (काकिनाडा) : हम यह जानना चाहते है कि माननीय मंत्री किन कारणों से इस नियम को बदलना चाहते हैं।

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : मैं इस संबंध में बताने वाला हूं।

**श्री वी० जी० देशपांडे** (गुना) : वह मुश्तर्का नहीं समझते हैं। आप हिन्दी बोलिये।

**अध्यक्ष महोदय:** माननीय सदस्य चाहते हैं कि मंत्री हिन्दी में बोलें।

†**श्री मेहर चन्द खन्ना:** मैं हिन्दी में बोलने की कोशिश करूंगा।

तो उस वक्त यह फैसला हुआ था कि अगर हो सके तो जो ज्वाइंट हिन्दू फैमिलीज़ (संयुक्त हिन्दू परिवार) हैं उनको कुछ न कुछ कंसेशन (रियायत) दे दिया जाय। क्लेम जो हमने मंगवाये थे वह प्रापर्टी के लिये थे और उस प्रापर्टी के लिये एक स्केल मुकर्रर होना था उसके मुताबिक क्लेम मिलने थे। सन् १९५४ में जो इंटेरिम कंसेशन स्कीम (अन्तरिम क्षेतिपूर्ति योजना) चलाई गई थी उसके नीचे यह नहीं था कि अगर पाकिस्तान में एक बाप हैं, दो बेटे हैं, तीन भाई हैं तो उनको कुछ ज्यादा मिलेगा। उनका जो क्लेम था उस क्लेम के मुताबिक इंटेरिम कंपेंसेशन स्कीम के नीचे ५०,००० रु० तक की सीलिंग (अन्तिम सीमा) थी और ८,००० रु० तक नकद था। यह कहीं भी नहीं था कि अगर उसके दो या तीन बेटे हैं, या एक या दो भाई हैं तो उनको रुपया मिलेगा। हमारे सामने यह सवाल आया कि यह किसी हद तक अन्याय है और खास कर उन लोगों के लिये जो कि बड़ी से बड़ी जायदाद छोड़ कर आये हैं। इस तरह से उनको बहुत कम मिलेगा क्योंकि इंटेरियम कंपेंसेशन स्कीम में सिर्फ ५०,००० रु० की लिमिट थी। मैंने सोचा कि कुछ न कुछ रियायत करनी चाहिये और उस रियायत के लिये हमने रूल १९ बनाया, जिस रूल में यह साफ तौर पर वाज़ेह किया गया है:

"१९(२) संयुक्त परिवार में

(क) दावे का विभाजन करने वाले दो या तीन लोग हों, ऐसे परिवार को दी जाने वाली क्षतिपूर्ति की गणना प्रमाणित दावे के बराबर किस्तों में बांट कर प्रत्येक अंश पर की जायेंगी।

(बी) के नीचे फोर और मोर मेम्बर्स हैं। लेकिन आगे एक फैसला किया गया है वह यह है कि कौन एक्स्क्लूड (अपवर्जित) होगा।

"परन्तु खंड (क) में निर्दिष्ट मामले में किसी भी सदस्य में और खंड (ख) में निर्दिष्ट मामले में न्यूनतम चार सदस्यों में निम्न बातें नहीं होनी चाहियें :

(१) १८ वर्ष से कम आयु

(२) अन्य सदस्य की क्रमागत सन्तति अथवा अन्य पारिवारिक सदस्य सहित जीवित सदस्य की क्रमागत सन्तति।

तो हमने यह दो चीजें की थीं। एक तो यह कि जो नाबालिग है यानी १८ बरस से कम है दूसरा जो लीनियल डिसेंडेंट (क्रमागत सन्तति) है। अगर बाप जिन्दा है और उसका एक बेटा है या दो हैं तो हमारे मुताबिक उसको कुछ फालतू नहीं मिल सकता था। लेकिन अगर एक बाप मर चुका है और उसके दो बेटे हैं तो हमने फैसला किया कि उनको दो शेयर देंगे और अगर चार से ज्यादा हैं तो उनको तीन शेयर देंगे। तो जो बड़े बड़े खानदान वहां से आए हैं और १८ लाख के नीचे हैं या १८ लाख तक जिनके क्लेम हैं उनके बारे में हमने यह फैसला किया कि बजाय ५०,००० रुपये के दो

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री मेहर चंद खन्ना]

लाख तक दे दिया जाय। मेरे भाई अचिंत रामजी इस के खिलाफ थे। उनका कहना था कि यह हमें सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसाइटी (समाज की समाजवादी व्यवस्था) की तरफ नहीं ले जाता है और उन्होंने कहा था कि किसी को तो आप दो लाख दें और किसी को बहुत ही कम। लेकिन हमने यह फैसला किया कि अगर दो भाई हैं और उनकी जायदाद ३६ लाख रुपये की है तो हम बजाय ५०,००० की लिमिट के हम उनको बजाय दो लाख की लिमिट के चार लाख देंगे और दोनों भाइयों को हम दो दो लाख दे देंगे। फिर हम आगे चले। अगर चार भाई हैं और ५४ लाख से ज्यादा की जायदाद है, हमारे पास बहुत से आदमी ऐसे हैं जिनका क्लेम ५०-५० लाख और एक एक करोड़ है या इससे भी ज्यादा हैं, तो हमने यह फैसला किया कि उनके तीन हिस्से बना देंगे और उनको छः लाख तक दे देंगे। यह हमारा ही फैसला नहीं था बल्कि इस हाउस का फैसला था। बल्कि यह भी हुआ था कि चूंकि हम तीन हिस्से कर रहे थे तो यह कहा गया कि कैश लिमिट जो ८,००० की है वह भी दो हिस्सों पर १६,००० और तीन हिस्सों पर २४,००० की हो जाए। अब जब हमने उस पर अमल दरामद करना शुरू किया तो वे भाई जो कि मेरे साथ सहमत थे उहोंने कुछ एतराज उठाया। उन्होंने कहा कि यह करो कि जो भाई हैं उनके केस में अगर पहले भाई के दो बेटे हैं तो उनके दो हिस्से कर दो और दूसरा भाई अगर जिन्दा है और आगे उसके तीन बेटे हैं तो उनको फिर एक और तीन मिला कर चार करके उनके तीन हिस्से कर दो और एक, दो या तीन हैं तो उनके दो हिस्से कर दो। मैंने कहा कि रूल में यह साफ वाज़या है कि जो लीनियली डिसेंडेंट है और माइनर (अवयस्क) है हम उसको कंसीडर नहीं कर सकते। इसी के आधार पर मैंने इंस्ट्रकशंस (अनुदेश) भी इशू कर दीं। मैंने ला मिनिस्टरी (विधि मंत्रालय) से भी सलाह ली और फाईनेंस मिनिस्टरी (वित्त मंत्रालय) के साथ भी बात की और दोंनों ने ही मुझे कहा कि जो तुम्हारे रूल हैं उनमें किसी किस्म की लीगल एम्बीगुअटी (विधि संबंधी संदिग्धता) नहीं है। मुझे बताया गया कि जो तुम्हारी इंटेशन (इच्छा) है वह बिलकुल साफ है। लेकिन हमने चाहा कि इसको वजाहत के साथ आपके सामने रख दिया जाए। तो मैं हाउस को यह कहना चाहता हूं कि जो आपका फैसला है वही अब भी कायम है और हम उसको बदल नहीं रहे हैं। हम तो यही चाहते हैं कि उस फैसले को साफ अलफाज में रख दिया जाए। एक कदम हम और आगे बढ़ें। वह कदम यह है कि मान लीजिये कि तीन भाइयों में से एक भाई मर चुका है और दो भाई जिन्दा हैं। जो भाई मर चुका है मुमकिन है उसके नाबालिग बच्चे हों और बेवा भी हो। अब हमारे सामने सवाल आया कि तुम उसके लिये क्या करोगे। तो मैंने जो एमेंडमेंट (संशोधन) पेश की है उसमें यह चीज भी रख दी है कि वह जो तीसरा भाई मर चुका है चाहे उसकी बेवा है चाहे उसके नाबालिग बच्चे हैं उस फैमिली को भी हम एक यूनिट मानेंगे और क्षतिपूर्ति की गणना करने के प्रयोजन से हम उसको एक या दो तीन या चार यूनिट जैसे भी बनेंगे वह बनायेंगे। तो यह जो एमेंडमेंट है वह एक क्लेरिफिकेशन है और इस मुद्दे के साथ मैं इसे आपके सामने रखता हूं। तो इसका मतलब यह हुआ कि एक तो हम आगे कदम बढ़ाना चाहते हैं और दूसरे जो यह कहा जाता है कि तुम्हारी गलती है, उसको मैं साफ करना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि गलती कोई नहीं है। जो लीगल पोज़ीशन (विधि संबंधी स्थिति) है वह बिलकुल साफ है और हम उसको साफ अलफाज में ला रहे हैं। मैंने कोई नई चीज नहीं की है। पहले भी लीनियल डिसेंडेंट (क्रमागत संतति) एक्सक्ल्यूडिड (अपवर्जित) है और १८ बरस के नीचे जो है वह भी एक्सक्ल्यूडिड है। अब भी कोई ऐसी चीज नहीं की जा रही है जिससे कि पता लगे कि उनको हम शामिल कर रहे हैं।

शुरू में एक बात की थी और वह यह कि हमने यह फैसला किया था कि एक फैमिली जो १४ या १५ अगस्त १९४७ को पाकिस्तान में थी और मुमकिन है उस वक्त उसके १०, ११ या १२ बरस तक के बच्चे हों और अब उसे हिन्दुस्तान में आये हुए सात आठ बरस हो चुके हैं तो क्या कम्पलैक्शन या केरेकटर उस फेमिली का लें, १४-१५ अगस्त १९४७ को लें या किसी और तारीख में। तो वहां भी हम ने एडवांसमेंट (प्रगति) की है और एक खास तारीख २६ या २७ सितम्बर मुकर्रर की है। मेरे एक दोस्त नें एक एमेंडमेंट दी है और कहा है कि कोई खास तारीख मुकर्रर न करो। अगर कोई तारीख मुकर्रर न हो तो इसका मतलब यह होगा कि लोग १८ बरस के ज्यादा की उम्र के होते जायेंग

और जैसे जैसे वे बढ़तें जायेंगे वैसे वैसे हिस्से भी बढ़तें जायेंगे। तो साहब इस चीज को तो नहीं माना जा सकता और हमें कहीं न कहीं तो डेफिनेट (निश्चित) होना ही है। जब मैं उनकी तकरीर सुनूंगा तो मैं जवाब भी दूंगा और यह जाहिर करूंगा कि हमने इस कंम्पेसेशन स्कीम में कितने कहां कहां कंसेशन दिये हैं और हमने क्या क्या एडवांसमेंट (प्रगति) की है। पंडित ठाकुर दास भार्गव जी ने एमेंडमेंट (संशोधन) तो दे दी है लेकिन उसका क्या असर होगा, यह जान लेना भी जरूरी है। फर्ज कीजिये कि आपकी एमेंडमेंट मान ली जाती है और हाउस को अख्तियार है कि वह उसे मान ले। जब क्लेम वेरिफाई (सत्यापित) किए गए उसमें तो जो क्लेम देने वाला था वह कर्ता हो चाहे फैमिली कोलेटरल (सापर्श्विक) थी, क्लेम दे दिये। उस क्लेम में न तो बच्चों की उम्र का कोई जिक्र है और न ही बच्चों के नाम दिये हुये हैं। अगर आज उनकी यह एमेंडमेंट मान ली जाये कि जो लीनियल डिसेंडेंट हैं पहले बाप के दो बेटे है, उनके दो हिस्से करने पड़ेंगे, फिर कोई बड़े दीवान साहब हों, मेरी तरह से बड़े धनाढ्य, बड़े पैसे छोड़ कर आये हों, उसके आगे जो बेटे हैं उनके हिस्से बनाने पड़ेंगे और इसी तरह से और काम करना पड़ेगा। तो चार पांच लाख क्लेम मेरे पास है और हर क्लेम को मुझे नए सिरे से खोलना पड़ेगा और हर एक क्लेम को देखना पड़ेगा कि फलां साहब के कितने बच्चे हैं और फलां साहब के कितने हैं। जिस कंपेंसेशन स्कीम को आज हम चला रहे हैं उसमें हम कुछ आगे बढ़े हैं और कुछ काम हुआ है। अब अगर यह मान लिया जाये तो तमाम स्कीम बन्द हो जायेगी और हम को नये सिरे से देखना पड़ेगा। इस भाई के कितने बेटे हैं, उनकी जब पाकिस्तान से आए थे तो क्या उम्र थी और जब क्लेम दिया तो क्या उम्र थी और आज क्या उम्र है और एक एक फैमिली के कितने मेम्बर हैं और हर एक का हमें हिसाब देखना पड़ेगा। इस सब का नतीजा यह होगा कि जो भी स्कीम है वह वहीं की वहीं पड़ी रह जायेगी। तो यह नहीं हो सकता है। इसका कारण यह भी है कि हमने कंपेंसेशन स्कीम को कोरिलेट (सम्बद्ध) किया है प्रापर्टी के साथ एसेट्स (आस्तियों) के साथ। हमारे पास इस वक्त कोई पांच लाख के करीब क्लेमेंट हैं और हमारे पास कोई १८५ करोड़ रुपये की जायदाद है। हमने कंसेशन आफटर कंसेशन भी इस स्कीम में दिये हैं। पहला कंसेशन एक स्टेज पर दिया, दूसरी दूसरा स्टेज पर और तीसरा तीसरी स्टेज पर। तो अगर हम तमाम फाइनेंशल इम्प्लीकेशंस (वित्तीय तात्पर्य) को देखें तो मेरा ख्याल है कि यह कंपेंसेशन पूल और ज्यादा बरडंस को सह नहीं सकेगा और मुमकिन ह कि कभी न कभी किसी के सामने मुझे हाथ फैलाने पड़ें और किसी की सहायता मांगनी पड़े। लेकिन अगर आप यह चीज करते हैं कि दो लाख का क्लेम अगर किसी का हुआ और उसको ४०,००० रुपये मिलने हैं लेकिन आप इस प्रोसेस से जिसके एक दो भाई हैं, पहले भाई के तीन बेटे हैं, बढ़ाकर बजाय ४०,००० से आप ६०,००० या ७०,००० दिलाना चाहते हैं तो मैं यह कह सकता हूं कि इस स्कीम में उनको यह नहीं मिल सकता है। नतीजा यह होगा कि आपको कंपेंसेशन स्कीम को सस्पेंड करना पड़ेगा और तमाम स्केल को रिवाइज करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि जिस स्केल के मुताबिक आपने यह चीज की है, उस की फाइनन्शियल इम्पलीकेशन्ज़ क्या हैं। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि हमारा मोटिव (अभिप्राय) साफ है, सिन्सीयर (सद्भावपूर्ण) है, स्ट्रेटफार्वर्ड (सीधा) और आनेस्ट (सत्यनिष्ठ) है। हम कोई ऐसी बात नहीं कर रहे हैं, जो कि गलत हो। हम वही कर रहे हैं जो कि हाउस ने पहले मंजूर किया है। लेकिन अगर पंडित ठाकुर दास भार्गव के अमेंडमेंट को, जिसका जिक्र श्री डी० सी० शर्मा ने भी किया है, मंजूर किया जाता है तो, कम से कम मौजूदा हालात में बहुत सी फाइनेन्शियल और एडमिनिस्ट्रेटिव (प्रशासनिक) डिफीकल्टीज़ (कठिनाइयां) आने का अन्देशा है। बाकी हाउस की मर्जी है। जब वक्त आयेगा, तो मैं देखूंगा और फिर एडवाइस (परामर्श) करूंगा। इस वक्त पोजीशन यह है कि दो करोड़ रुपये हर महीने लोगों को बतौर कंम्पेसेशन मिल रहा है। हमारा टारगेट उस रकम को तीन करोड़ रुपये तक ले जाने का है यानी कम से कम मेरा मुद्दा यह है कि दस लाख रुपये रोज़ाना अरबन (नागरिक) कम्पैसेशन (प्रतिकर) रेफ्यूज़ीज़ (शरणार्थियों) को मिले और अनकरीब ही मैं उसको पूरा करूंगा। इस अमेंडमेंट को मंज़ूर करने का नतीजा यह होगा कि यह सब काम रुक जायगा। मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि यह हमारा मुद्दा था। ऐसी कोई बात नहीं है कि हमने रेफ्यूज़ीज़ को जो कुछ दिया है, उस को हम वापिस लेना चाहते हैं।

[श्री मेहर चंद खन्ना]

यहां पर मैं यह अर्ज कर दूं कि मैं रेफ्यूज़ीज़ के दर्द को ज्यादा जानता हूं। मुझे मालूम है कि इससे क्या फायदा होना है और क्या नुकसान होना है। यह बात अलाहिदा है कि जब इन्सान मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठ जाता है, तो उसको कई बातें सुननी पड़ती हैं, लेकिन अगर कोई गैर रिफ्यूजी, जिसको यह मालूम नहीं कि शरणार्थी की तकलीफ क्या होती हैं, किन हालात में वह यहां आया और किन हालात में उसने आयाम गुजारे हैं, यह कहे कि मेरी निस्बत उसको शरणार्थी से ज्यादा हमदर्दी है, तो मैं यह बात किसी भी हालत में मानने के लिये तैयार नहीं हूं। यह बात अलाहिदा है कि इन्सान किसी ख्याल से एक बात कहे, दूसरी कहे, तीसरी कहे—यह तो होता ही रहता है और यह तो होना है। हर एक मेम्बर का हक है जम्हूरियत में कि वह अपना नुक्ता-ए-नज़र यहां पर रखे—फिर वह इस तरफ बैठा हो या उस तरफ। मुझे उस पर कोई एतराज नहीं हैं, लेकिन मैं यह कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता और नहीं करने के लिये तैयार हूं कि किसी भाई को शरणार्थी के साथ मुझसे ज्यादा हमदर्दी है।

†**श्री डी० चं० शर्मा** (होशियारपुर) : आप के पास करने की ताकत है और हमारे पास सिर्फ बोलने की ताकत है, इसलिये हम बोलते हैं।

**श्री मेहर चन्द खन्ना :** अगर साहिबे सदर मुझे दो तीन मिनिट और दें, तो मैं पोज़ीशन साफ कर दूं कि हमारे पास कितनी ताकत है और हमने क्या किया है।

पहले यहां इन्टैरिम कम्पेन्सेशन स्कीम (अन्तरिम प्रतिकर योजना) रायज थी और मैं ने २७ जून, १९५५ को फाइनल कम्पेन्सेशन स्कीम एनाउन्स (घोषणा) की। उस स्कीम में हमने क्या किया? पहली बात तो हमने यह की कि जो भाई अगस्त १९५२ के बाद हिन्दुस्तान में आए थे और अन्डर दी एक्ट (अधिनियम अधीन) कोई कम्पेन्सेशन का क्लेम फाइल नहीं कर सकते थे, हमने उनको क्लेम फाइल करने की इजाजत दी और कहा कि हम उनको रीहैबिलिटेशन ग्रान्ट (पुनर्वास अनुदान) देंगे।

दूसरी बात हमने यह की कि जो बहुत से भाई बहिन हिन्दुस्तान में थे, जिनमे कुछ अनपढ़ थे, बेवायें थीं, और यतीम बच्चे वगैरह थे, और इस लिये वक्त पर अपने क्लेम फ़ाइल नहीं कर सके थे, उनको कानूनन कंपेन्सेशन हासिल करने का कोई हक नहीं था। हमने अपनी फाइनल कम्पेन्सेशन स्कीम (अन्तिम प्रतिकर योजना) में इजाजत दी कि अगर उनके पास वैलिड प्रूफ (मान्य प्रमाण) हो, तो वह कम्पेन्सेशन क्लेम (प्रतिकर दावा) फाइल कर सकते हैं। हमारे श्री अचित राम और कुछ दूसरे भाईयों को बड़ा डर था कि लोग डाकुमेंटरी प्रूफ नहीं दे सकेंगे और बड़ा जुल्म हो जायेगा। मैं आनरेबल मेम्बर की इत्तिला के लिये अर्ज करना चाहता हूं कि चालीस हजार लोगों ने रीहैबिलिटेशन ग्रान्ट के लिये दरख्वास्तें दीं हैं। पहला नम्बर साढ़े चार लाख था और चालीस हजार आदमियों ने एप्लीकेशन्ज़ दीं।

†**श्री गिडवानी** (थाना) : कितने आवेदन पत्र रद्द किये गये हैं?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना :** रद्द करने का समय अभी नहीं आया। चालीस हजार आवेदन पत्र मिले हैं और उन पर विचार किया जा रहा है। उनके गुणावगुणों पर विचार किया जायेगा और यदि हमें पता लगा कि उनका वैध प्रमाण है तो उन्हें स्वीकार किया जायगा। परन्तु मेरे मित्र को यह अनुभव करना चाहिये कि इन पचास लाख विस्थापित व्यक्तियों में से जो पश्चिमी पाकिस्तान से आये हैं, यदि उन्हें १० लाख परिवारों में विभाजित कर दिया जाये तो लगभग ५ लाख ने ग्रामीण योजना के अधीन आवेदन पत्र दिये हैं। और ५ लाख से अधिक लोगों ने नागरिक योजना के अधीन आवेदन पत्र दिये हैं। लगभग १० लाख आवेदन पत्र ग्रामीण और नागरिक योजनाओं के अधीन क्षतिपूर्ति के लिये मिले हैं। मैं डा० गिडवानी को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि किसी व्यक्ति को नहीं छोड़ा गया और कारण यह है कि व्यवहार्यतः प्रत्येक व्यक्ति जो पाकिस्तान से आया है उसके पास या तो नागरिक सम्पत्ति थी या ग्रामीण सम्पत्ति थी।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री गिडवानी :** ऐसे लोग कितने हैं जिन्होंने दावे नहीं दिये ? दावे न देने वाले इस संख्या के ४० अथवा ५० प्रतिशत हैं ।

†**श्री मेहर चन्द खन्ना :** तीसरी बात मैंने यह की कि जो स्माल लैंड एलाटी थे, चाहे उन्होंने लैंड अलाटमेंट एक्सेप्ट नहीं की थी और चाहे उनकी लैंड कैंसल हो गई थी, हमने उनको इजाजत दी कि वे रीहैबिलिटेशन ग्रान्ट के लिये एप्लाई कर सकते हैं । हमने फैसला किया था कि रूरल हाउसेज़ की प्राइस ५० परसेंट होगी लेकिन हमने कहा कि हम उसको १०० परसेंट करेंगे, फुल रेट पर एक्सेप्ट करेंगे । हम और आगे बढ़े । पहले वैल्यू आफ स्टैंडर्ड एकड़ ३५० रुपया थी ।

†**श्री वि० घ० देशपांडे :** क्या ये सब नियमों के अनुसार है ।

†**श्री मेहर चन्द खन्ना :** जी हां वे प्रासंगिक हैं । योजना पर आक्षेप किया गया है और मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्य स्मृति को ताज़ा करें ।

†**अध्यक्ष महोदय :** आक्षेप और महत्वपूर्ण प्रश्न के संबंध में था कि इस नियम की आवश्यकता कम थी । इसी बात को लेना चाहिये ।

**श्री मेहर चन्द खन्ना :** मैं अर्ज कर रहा था कि स्टेंडर्ड एकड़ की कीमत ३५० रुपये थी । हमने उसको ४५० रुपया कर दिया । नान-क्लेमेन्ट्स को जायदाद खरीदने का कोई हक नहीं था । हमने उनको हक दिया कि वे क्लेमेंट्स की तरह इन्स्टालमेंट बेसिस पर जायदाद खरीद सकते हैं ।

फिर सितम्बर, १९५५ में आपके सामने डिस्कशन के लिये रूल्ज आये और वह सैकंड स्टेज है । हमने एलाटमेंट (वंटन) की लिमिट (सीमा) को पांच हजार से बढ़ाकर दस हजार कर दिया । दुकानों को हमने लिमिट आफ एलाटेबिलिटी (वंटन) में शामिल किया जब कि पहले वे शामिल नहीं थीं । उसकी लिमिट भी दस हजार कर दी ।

पहले कैश कैटेगरीज (नकद संबंधी श्रेणियां) सिर्फ दो चार पांच जुमरों पर लिमिटेड थीं– चाहे वह मेनटेनेन्स एलाउन्स (साधारण भत्ता) लेने वाले थे और चाहे होम्स (आश्रमों) और इन्फर्मरीज़ (अपाहज) में रहने वाले थे । हमने इन लोगों को कैश दिया– जो औरतें बाद-अज़ां विडो (विधवा) हुईं, कैन्सर के मरीज़, जिन भाइयों की उम्र ६५ साल से ज्यादा है, वे स्टुडेंट्स (छात्र) जिन के अपने नाम पर क्लेम हैं और वे लोग, जो कि पागल हैं । हमने यह सितम्बर, १९५५ में किया । इस स्कीम के दौरान में भी हम आगे बढ़ते रहे। हमारे पास न कोई रिकार्ड था और न कोई फाइल थी। यह मिनिस्ट्री ही आरजी है । हमारे सामने जो नया केस आया, हमने उसके बारे में फैसला किया । हमारे सामने जब डिज़र्विन्ग केस (प्रतिकार योग्य मामले) आए तो हमने और कंसेशन्ज़ दीं । हमने यह फैसला किया कि जिन मां बाप के बच्चे फोरन कंट्रीज (विदेश) में तालीम हासिल कर रहे हैं, उनको स्पेशल कैटेगरी (विशेष श्रेणी) दी जाय । हमने यह भी फैसला किया कि जिनके बच्चे किसी टैक्नालोजिकल इन्स्टीच्यूट (प्रौद्योगिक संस्था) मेडिकल कालेज, नैशनल डिफेन्स एकैडिमी (राष्ट्रीय प्रतिरक्षा अकादमी) पूना में पढ़ते हैं उनको भी प्रायर्टी (प्राथमिकता) दी जाय । और सबसे बड़ी बात हमने यह की कि राजस्थान और अलवर में खासकर और दुसरी स्टेट्स में अमूमन उन भाइयों को, जिनको कि पंजाब की तरह एलाटमेंट नहीं हुआ था, चाहे वह क्वासी परमानेंट (अर्द्ध स्थायी आधार) पर हो या परमानेंट बेसिस (स्थायी आधार) पर हो, यह रियायत दी है कि वे आपना रुपया चार बरस के बजाय १५ बरस में अदा करें । ऐसे लोगों का नम्बर ६०,००० के करीब है । हमने उनको यह भी इजाजत दी कि अगर उनके कोई पहले क्लेम थे जो कि रिजेक्ट (रद) हो चुके हैं, उनको भी हम कंसीडर करेंगे और उनके लिये भी उनको क्रेडिट देंगे । हमने उनको फूड लोन्स के लिये रुपया दिया हुआ था जो कि करीब ३५ लाख था । हमने फैसला किया है कि हम उन गरीब भाइयों को यह भी माफ कर देंगे । तो मैं यह बतला रहा था कि हमसे जितना भी हो सका है हमने आगे बढ़ने की कोशिश की हैं । लेकिन आज हालत यह है कि मुझसे कहा जाता है कि साहब कंपेंसेशन नहीं मिल रहा है, लोगों को तकलीफ हो रही है, उनकी हालत बहुत बुरी है । आज हमारी

---

†मूल अंग्रेजी में ।

[श्री मेहर चंद खन्ना]

हालत यह है कि आपके रूल पास हुए कोई दस या ११ महीने होते हैं । हमने इस वक्त तक यानी ३१ जुलाई, सन् १९५६ तक एक लाख १७ हजार आदमियों को कंपेसेशन दिया है और वह रकम करीब ३५ करोड़ रुपये की है । लेकिन आप यह सुनकर हैरान होंगे कि कहा जाता है कि आप जुल्म करते हैं, लोगों से बकाया काटते हैं, उनको मकान बेचते हैं, और किसी भाई को कैश नहीं देते । लेकिन मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि इस ३५ करोड़ में से २० या २२ करोड़ रुपया नकद है और बकाया जो है वह एडजस्टमेंट है और पांच या ६ करोड़ की बेची हुई जायदाद है । इसके अलावा हमने २०,९०० बहिन भाइयों को जमीन एलाट की है । यह जमीन पंजाब और पेप्सू की नहीं है । पंजाब और पेप्सू में तो हमने २,२०,००० बहिन भाइयों को जमीन एलाट की है जो कि तकरीबन १६ या १७ लाख स्टेंडर्ड एकड़ है और जिस की कीमत साढ़े चार सौ फी स्टेंडर्ड एकड़ के हिसाब से ७० या ७२ करोड़ बनती है । यह स्कीम १५ अगस्त को शुरू हुई थी और अभी दूसरा १५ अगस्त नहीं आया है । इस अर्से में हमने २,२०,००० लोगों को परमानेंट एलाटमेंट दिये हैं, जो कि १६ या १७ लाख स्टेंडर्ड एकड़ जमीन होती है और जिसकी कीमत ७० या ७२ करोड़ बनती है, एक लाख १७ हजार आदमियों को कंपेन्सेशन दिया है और २०,९०० लोगों को जमीन दी है । इस वक्त तक हमने १०५ से ११० करोड़ के करीब कम्पेन्सेशन अदा किया है । यह अलग बात है कि किसी के दिल में कुछ वाकयात हों, कुछ जजबात हों, कुछ आयन्दा की तकलीफात हों, उनसे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है । हर भाई को अख्तियार है कि वह जो चीज चाहे करे । आखिर मैं भी रिहैबिलिटेशन चाहता हूं । और भाई भी चाह सकते हैं । इसमें मैं क्या इन्कार कर सकता हूं । लेकिन यह मैं अर्ज करना चाहता हूं कि यह इस मिनिस्ट्री और इस गवर्नमेंट का रिकार्ड है कि इस गवर्नमेंट ने रिहैबिलिटेशन और रिलीफ के लिए सौ नहीं, दो सौ नहीं बल्कि तीन सौ करोड़ के करीब दिया है । मेरी मिनिस्ट्री का बजत आज ३३ करोड़ रुपया है जो करीब ५० या ५२ करोड़ के कम्पेनसेशन के बजट के अलावा है । गवर्नमेंट ने रिफ्यूजीज के साथ जो वायदे किये थे उनसे वह मुनहरफ होने वाली नहीं है । अगर कोई चांद को हाथ से छिपाना चाहे तो वह नहीं छिप सकता, इसी तरह से अगर कोई इस मिनिस्ट्री पर कोई दाग लगाना चाहे तो वह नहीं लगा सकता ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अब हम विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) नियम १९५५ में रूपभेद के संबंध में प्रस्तावों को लेंगे । प्रस्तावक अपने प्रस्ताव प्रस्तुत करें ।

†**पंडित ठाकूर दास भार्गव** ने विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) नियम १९५५ के नियम १९ के उपनियम (२) और नियम १९ के उपनियम (३) खंड (क) (२) और उपनियम (३) के खंड (ख) के संबंध में संशोधन प्रस्ताव संख्या (१), (२) और (३) प्रस्तुत करते हुए कहा कि खंड (क) (१) और खंड (ख) को हटा दिया जाये और उपनियम (२) में १६ सितम्बर १९५५ का लोप किया जाये :—

†**श्री दि० चं० शर्मा** (होशियारपुर) : ने संशोधन प्रस्ताव के प्रस्तुत करते हुए कहा कि नियम १९ के उपनियम (३) में खंड (ख) के पश्चात निम्न लिखित जोड़ा जाये :—

"(ख ख) जो व्यक्ति प्रासंगिक तिथि को मृत सदस्य की मां थी वह भी संयुक्त परिवार में सम्मिलित की जायेगी ।"

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** ने संशोधन प्रस्ताव संख्या ५, ६ और ७ प्रस्तुत करते हुए कहा कि जहां मृत का कोई पुत्र न हो वहां विधवा को परिवार की सदस्या समझना चाहिये । और विधवा को संभारी सम्पत्ति का विभाजन करने की अधिकारिणी समझना चाहिये । यह भी कहा कि जहां मृत ने १८ वर्ष से कम आये के पुत्र छोड़े हों उन्हें सबको इकट्ठे एक सदस्य समझा जाये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या बंगाल के सदस्यों को भी कुछ कहना है ?

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** (बसीरहाट) : हम केवल सुनें और सीखेंगे ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

**पंडित ठाकुर दास भार्गव :** जनाब स्पीकर साहब, मिनिस्टर साहब ने इस तरह की बातें करके एक तरह से यह कोशिश की है कि इस सारे मामले पर smoke screen यानी पर्दा डाल दिया जाये। उन्होंने इस तरह से शुरू किया है कि मेरे डिपार्टमेंट (विभाग) ने यह किया और गवर्नमेंट (सरकार) ने यह किया और वह दुनिया को दिखलाना चाहते हैं कि हमने इतना काम कर दिया है और जो कि हमारा अमेंडमेंट गलत है फिर भी हमको वोट दे दो क्योंकि हमने बहुत कुछ किया है। यह एपरोच (प्रयत्न) दुरुस्त नहीं है। इस तरह की बातें करके उन्होंने एक कंटेंशस (विवादास्पद) मामला हाउस के सामने रख दिया है जो कि इस वक्त आपके सामने जेर बहस नहीं है। यहां पर जेर बहस तो रूल्स हैं। लेकिन मेरे लायक दोस्त ने ऐसी बातें कह दी हैं कि अगर मुझे ६ घंटे का वक्त दिया जाय तो मैं इस डिपार्टमेंट की कलई खोल कर रख दूं। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि इस डिपार्टमेंट के बराबर इल्लीगल (अवैध) कोई दूसरा डिपार्टमेंट नहीं है। इस डिपार्टमेंट ने रिफ्यूजीज़ को फायदा पहुंचाने के बजाय ऐसी चीजें की हैं कि जिनसे हमको शर्म आती है और रिफ्यूजीज संतुष्ट नहीं हैं। यह कहना कि हमने सारे वायदे पूरे किये हैं गलत बात है। अगर मुझे वक्त दिया जाय तो मैं इन सारी बातों का जवाब दे सकता हूं।

लेकिन पेश्तर इसके कि मैं असली मसले पर आऊं मैं आपकी तवज्जह दो तीन बातों की तरफ दिलाना चाहता हूं। मेरे लायक दोस्त का कंटेंशन (विचार) यह है कि जो रूल हमने पास किया था हम उसको चेंज नहीं करना चाहते। असल में रूल १९ को जिसको हमने पास किया था उसको अपरूट करने की कोशिश की गयी है। यह कहना कि जो रूल अब हैं और जो पहले थे उनमें कोई फर्क नहीं है, उनका मतलब एक ही है, झूठ को सच बतलाना यह ऐसी गलत बात है जैसे कि दिन को रात कहना। मुझे अफसोस है कि मुझे ऐसे सख्त अलफाज इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं। मैं इस बात को मानता हूं कि श्री खन्ना के दिल में रिफ्यूजीज़ के लिये दर्द है। मैंने इस बात से कभी इन्कार नहीं किया। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि दफा १९ को न वह पहले समझे थे, न अब समझे हैं और न कभी समझेंगे। जो इतनी साफ चीज़ है उसके लिये वह कहते हैं कि जो रूल्स में पहले थी वही चीज अब भी है। ऐसा कहना तो किसी सच्ची बात को झुठलाने के बराबर है। और ऐसा कहना और करना किसी तरह वाजिब नहीं है।

जनाब वाला, मैं इस चीज पर भी आऊंगा और मैं यह क्लेम करूंगा कि यहां पर हमारे ला मिनिस्टर (विधि मंत्री) साहब बैठे हुए हैं और जनाब वाला इस हाउस के अन्दर सबसे बड़े कानूनदां हैं। मैं जनाब की खिदमत में अपील करूंगा कि आप उस सेक्शन को पढ़लें जो कि पहले पास किया था और उसको भी पढ़लें जो कि आज मिनिस्टर साहब रख रहे हैं। मैं आप के फैसले पर और लीगल अफेअर्स मिनिस्टर (विधि कार्य मंत्री) के फैसले पर इक्तफा करूंगा। मैं हर्गिज़ नहीं कहूंगा कि जो फैसला आपने किया है उसे मैं गलत समझता हूं।

इसके बाद मैं जनाब की इजाजत से उन चन्द बातों का जवाब दूंगा जो हमारे मिनिस्टर साहब ने कहीं। वह यह कहते हैं कि गवर्नमेंट नें बहुत काम किया है। किसको इन्कार है ? मैं उन लोगों में से हूं जो हमेशा कहते रहे हैं कि जो कुछ हमारी गवर्नमेंट ने रिफ्यूजीज़ के वास्ते किया वह दुनियां की किसी गवर्नमेंट ने नहीं किया। और यह क्लेम बिलकुल दुरुस्त है। लेकिन यह कहना कि जिस तरह से मिनेस्ट्री ने काम किया है, वह दुरुस्त था, यह मानने के लिये मैं तैयार नहीं हूं। इस मिनिस्ट्री ने जो कनून पास कराये न वह सब दुरुस्त थे और न उस पर अमल करने में मिनिस्ट्री ने ठीक काम किया। मैं यह बातें आज अर्ज नहीं कर रहा हूं, १२ सितम्बर ५५ को मैंने यह बात मिनिस्टर साहब की खिदमत में अर्ज की थी। मैंने बहुत सी बातें उस वक्त बतलाई थीं, लेकिन एक का भी जवाब हमारे खन्ना साहब ने नहीं दिया था। मेरे पास वक्त नहीं कि मैं सारी बातों का यहां दुहराऊं कि किस तरह मिनिस्ट्री ने अपने बनाये हुए कानून को भी तोड़ा। मैंने उस वक्त कहा था कि श्री जैन ने इस मामले में सिर्फ चोरी की, लेकिन खन्ना साहब तो हमारे ऊपर डाका मारते हैं। मैं खुले अल्फाज में कहूंगा कि जो कुछ मैंने उस वक्त कहा था कि वह बिलकुल दुरुस्त है, मैं नहीं चाहता था कि मैं इस डिपार्टमेंट . . .

†**अध्यक्ष महोदय** : संभवत: ये शब्द असंसदीय हैं।

**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : वे सर्वथा संसदीय हैं। प्रसंग के अनुसार वे संसदीय हैं। ये वैध शब्दावलियां हैं। मैं यह कहने का साहस कर रहा हूं कि जहां तक संयुक्त हिन्दू परिवार में पुत्र और पौत्रों के अधिकारों का संबंध है इस सभा में आज उन पर डाका डाला जा रहा है। मैं आपके समक्ष यह प्रमाणित कर सकता हूं कि यह ऐसा ही है।

खन्ना साहब ने बहुत जोर से कहा कि उन्होंने ७२ करोड़ की जायदाद पंजाब वालों को दे दी, हमने इतने आदमियों को घरों में बसा दिया, हमने पांच हजार वाली जायदाद की दस हजार की जायदाद नियत कर दी। मैं कहना चाहता हूं कि आपने ५,००० से ५,००१ नहीं किया, जब पब्लिक ने खूब झगड़ा किया, और यहां आकर हाउस में हाय हाय मची तब आपने दस हजार की रकम बढ़ाई थी शाप्स की। आप ने कभी भी अपनी खुशी से ग्रेस के साथ कोई चीज नहीं की। जब धड़ाधड़ एजिटेशन हुए, लोगों ने सत्याग्रह करना शुरू कर दिया, जब लालटेन व मशाल लेकर मिनिस्टर साहब को रोशनी दिखाने लोग उनके घर गये तब आपने तरमीम कर दी। लेकिन मैं फिर भी आप को मुबारकबाद देता हूं कि आपने तरमीम तो कीं। जिस कदर आप ने खिदमत की रिफ्यूजीज़ की उसे मैं कम करके दिखाना नहीं चाहता। मैं आपका भी मशकूर हूं और आपके डिपार्टमेंट का भी मशकूर हूं, लेकिन आपका यह क्लेम करना कि आप ने इस तरह से सेवा की है जिस की आप शेखी बघारते हैं इस क्लेम को मैं मानने के लिये तैयार नहीं हूं।

अभी आपने जिक्र किया कि चन्द आदमियों को आपने जमीनें दी हैं। इससे उनके साथ कोई खास रियायत नहीं हुई है। जरा मुलाहजा फरमाइये क्या रियायत की गई। अन्तरिम योजना के पृष्ठ १ पर जो अजित प्रसाद ने जिक्र किया है कि एक लाख लोगों ने जमीन नहीं ली जो उन को एलाट हुई। ऐसे लोग आये थे जिन्हें चार एकड़ या उससे कम जमीन एलाट की गई। लेकिन चूंकि चार एकड़ बहुत कम जमीन होती है बहुत से आदमियों ने ली नहीं। एलाट तो कर दी गई, लेकिन लोगों ने कब्जा भी नहीं किया। न बहुत सों को एलाटमेंट (बंटन) का पता लगा। बहुतों ने दरख्वास्तें दीं कि ऐलाटमेंट कैंसल (रद) कर दिया जाय क्योंकि चार एकड़ के ऐलाटमेंट का मतलब यह था कि अगर किसी का मकान दस हजार से कम का था तो आपके बनाये हुए कानून के मुताबिक उस को मुआवजे की दरख्वास्त देने का हक नहीं था। नतीजा यह हुआ कि जिस को चार एकड़ ऐलाट हुई वह दस हजार की कीमत या कम कीमत वाले मकान के मुआवजे से महरूम हो गया और चार एकड़ तो मिली ही नहीं। हमने हजारों कोशिशें कीं चार एकड़ वालों को जिनको कुछ नहीं मिला उनके ऊपर आप मेहरबानी करें, उनकी फैहरिस्त निकलवाइये, उन के मकानों के क्लेम तो मुकर्रर कीजिये, लेकिन किसी एक के मकान का क्लेम नहीं किया गया। ऐसा प्रतीत है कि उन्होंने अपनी रंज पर से रोटी के टुकड़े फैंक दिये हों। यह एक रूल पेश कर दिया कि जिसके पास दो एकड़ से कम जमीन एलाट हुई हो और उसको जमीन नहीं मिली, उसका हम थोड़ा सा मुआवजा दे देंगें। मैं पूछना चाहता हूं कि जिस आदमी को चार एकड़ जमीन नहीं मिली, या तीन एकड़ नहीं मिली उन के साथ क्या इन्साफ किया गया है, क्या उसूल है कि दो से कम एकड़ वाले को तो कुछ मुआवजा दें लेकिन तीन या चार एकड़ वाले को नहीं देंगे? ऐसी मिसालें मेरे पास मौजूद हैं जिनमें एक एकड़ के दस हिस्से एलाट होने से चाहे उनको वे भी न मिलें तो भी १०,००० के मकान का मुआवजा नहीं दिया गया। ऐसे आदमी को २५ रु० मुआवजा मिलेगा। ४ रुपया एकड़ के हिसाब से दो दिन तो दरख्वास्तें देने के लिये खर्च करें और दो तीन दिन रुपया लेने की कोशिश में गुजारें। २५ रु० लेने के लिये वह ५० रु० खर्च करें। यह आपने गरीब रिफ्यूजियों को मुआवजा देने का रूल बनाया है। डिार्टमेंट ने एक प्रति ६५०० क्लेम जमीन का एलाटमेंट के बिना रिफ्यूजीज़ को बुलाये खारिज कर दिया। जमीन एलाट कर दी गई, क्लेम खारिज कर दिये हैं, जमीन एलाट हो गई हैं, लेकिन सिर्फ कागजों पर एलाट हुई। एक क्लेम में मैंने देखा जिस पर लिखा हुआ था 'अर्बन' इस तरह से ४०० क्लेम उनकी अदम मौजूदगी में खारिज कर दिये गये। इस क्लेम के बारे में तो उसी तरह से हुआ है जैसे कि कहते हैं कि गैंडिया फेर दिया गया। क्लेम के बारे में इस तरह की चीजें हुई हैं। इस तरह की प्रथा रही

†मूल अंग्रेजी में।

कि अगर एक आदमी के पास दस मकान हों एक लाख से ज्यादा के लेकिन उनमें कोई एक १०,००० से ज्यादा मालियत का न हो तो सारा क्लेम खारिज। और मैं इसी तरह की बीसों बातें बता सकता हूं कि किस तरह की अंधेरगर्दी की गई है।

†**अध्यक्ष महोदय** : मेरा यह सुझाव है कि माननीय सदस्य सबसे पहले अपने संशोधन निबटा दें।

†**पंडित ठाकुर दास** भार्गव : मैं आपके सुझाव से सहमत हूं। माननीय मंत्री ने यहां आकर जिस प्रकार हमारे सामने भाषण दिया है वह इस सभा के लिये शोभनीय नहीं है। उन्होंने कहा है कि शरणार्थियों के प्रति सहानुभूति का उन्हें ही एकाधिकार है और विशेषकर वे ही लोग अधिक बोलते हैं जो शरणार्थी नहीं हैं।

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : मैंने ऐसा कभी नहीं कहा।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : उन्होंने जो कुछ कहा है उसका आशय यह है कि संशोधन रखने वाले सदस्यों की बातें गंभीरता से सुनने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे इस पर घोर आपत्ति है। मैं शरणार्थी नहीं हूं किन्तु मैं उनकी भलाई के लिये यथासंभव प्रयत्न कर रहा हूं।

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : यह कहना कि हम विस्थापित व्यक्तियों की कठिनाइयों नहीं समझते, बिलकुल गलत है। स्वयं एक विस्थापित व्यक्ति होने के नाते मैं यह आरोप स्वीकार नहीं कर सकता। मैंने यही कहा था और अब भी वही कहता हूं।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : नियम १९ इस प्रकार है कि अविभक्त हिन्दू परिवार द्वारा पश्चिम पाकिस्तान में छोड़ी गयी संपत्ति के दावे के संबंध में, यदि उस संयुक्त परिवार में दो या तीन सदस्य विभाजन की मांग करने के अधिकारी हों तो उस परिवार को दिया जाने वाला प्रतिकर प्रमाणित दावे को दो बराबर हिस्सों में बांटकर और अलग अलग प्रत्येक अंश के प्रतिकर का हिसाब लगाकर तय किया जायगा। यदि उस परिवार में चार या अधिक सदस्य विभाजन की मांग करने के अधिकारी हों, तो प्रतिकर प्रमाणित दावे को तीन बराबर हिस्सों में बांटकर और अलग अलग प्रत्येक अंश के प्रतिकर का हिसाब लगाकर तय किया जायगा। इस दृष्टिकोण से आप इस विषय पर विचार करें। नियमों के पृष्ठ ४५ में कम दिये हुए हैं। यदि किसी व्यक्ति का प्रमाणित दावा ४,००० रुपये का हो तो उसे कुल २,१६४ रुपये मिलेंगे किन्तु यदि यह दावा २,००० रुपये का हो तो उसे १,३३३ रुपये मिलेंगे। यदि ४,००० रुपये का प्रमाणित दावा २ भागों में विभाजित किया जाये तो उसे २,१६४ रुपये के बजाय २,६६६ रुपये मिलेंगे जो १,३३३ रुपये से दुगना होगा। यदि यह मान लिया जाय कि उसका दावा ८,००० रुपये का है तो उसके लिये ३,५१६ रुपये मिलेंगे। यदि यह दावा ४,००० रुपये के प्रत्येक दो हिस्सों में विभाजित किया जाता है तो उसे २,१६४ रुपये का दूना अर्थात् ४,३२८ रुपये मिलेंगे जो बहुत अधिक है। इसी प्रकार १८,००० रुपये का दावा ६,००० रुपये के तीन हिस्सों में बांटा जाये और तब प्रतिकर निर्धारित किया जाये तो वह बहुत बड़ी रकम होगी। आपको यह दिखायी पड़ेगा कि ज्यों ज्यों दावे की रकम बढ़ती है त्यों त्यों प्रतिशतता घटती जाती है। यदि दावा दो या तीन हिस्सों में बांटा जाता है तो उसे बहुत अधिक मिलेगा। कुछ परिस्थितियों में अविभक्त हिन्दू परिवार को इस नियम से लाभ हो सकता है यदि उसका दावा दो या तीन हिस्सों में विभाजित किया जाता है।

यह नियम किन परिस्थितियों में बना है इसका थोड़ा सा उल्लेख मैं यहां करूंगा। जब प्रतिकर अधिनियम, १९५४ इस सभा के समक्ष था तब सभा नें एक प्रवर समिति नियुक्त की जहां यह प्रश्न पैदा हुआ कि संयुक्त परिवार व्यक्ति की अपेक्षा अधिक बड़ा होता है और इसलिये हम संयुक्त हिन्दू परिवार व्यक्ति की तुलना में एक प्रकार की रियायत दें, जैसा कि आयकर के मामले में भिन्न भिन्न नियम हैं। उस समय श्री अजित प्रसाद ने कहा कि उस प्रश्न पर विशेष आग्रह करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि बाद में उस विषय के संबंध में निश्चय करने के लिये वह एक समिति नियुक्त करेंगे।

†मूल अंग्रेजी में।

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

जब श्रीमती सुचेता कृपलानी ने इस प्रस्ताव की सूचना दी कि अविभक्त हिन्दू परिवार के प्रत्येक सदस्य को अलग अलग समझा जाय जैसा कि सम्पदा शुल्क अधिनियम या हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम में है तब श्री अजित प्रसाद ने कहा कि वह इस संशोधन को स्वीकार नहीं करेंगे किन्तु आयकर के लिये वित्त अधिनियम की तरह संयुक्त हिन्दू परिवार के लिये एक प्रकार की सहायता देने का प्रयत्न करेंगे। मैंने उस समय कहा था कि मुझे उससे संतोष नहीं है क्योंकि आप आयकर में लोगों से रुपया लेते हैं किन्तु यहां आपको प्रतिकर देना है और इसलिये संयुक्त हिन्दू परिवार को आयकर अधिनियम में दिये जाने वाले लाभ की अपेक्षा अधिक लाभ दिया जाना चाहिये। वह संशोधन स्वीकार नहीं किया गया था और माननीय श्री खन्ना ने एक समिति नियुक्त की थी। अधिनियम की एक विशेष धारा के अनुसार एक मंत्रणा बोर्ड नियुक्त करना था और उस बोर्ड के परामर्श से पुनर्वास विभाग नीति निर्धारित करता।

जहां तक संयुक्त परिवार का संबंध है यह कहना बिलकुल निरर्थक है कि हम रियायत देना चाहते हैं। उनके दावे न्याय के विशय पर आधारित हैं। आयकर के संबंध में पिछले सौ वर्षों से संयुक्त हिन्दू परिवार के साथ उचित व्यवहार नहीं किया गया है।

माननीय मंत्री ने जो भी कुछ किया हो, उन्होंने हमारे साथ बड़ा अन्याय किया है। हम सभी ने उसके विरुद्ध आवाज उठायी और तब आंशिक रूप में न्याय किया गया। हमने उसे स्वीकार किया और हम अब भी उसका समर्थन करते हैं और हम अधिक नहीं मांग रहे हैं। बोर्ड की नियुक्ति के बाद उसके सुझाव पर ही नियम १९ बनाया गया था। अब हमारे मित्र का कहना है कि सारा काम बंद कर दिया जायगा और इस के बाद कोई प्रतिकर नहीं दिया जायगा और यदि लड़कों तथा पोतों को भी अलग अलग सदस्य के तौर पर माना जाता है तो एक गतिवरोध पैदा हो जायगा। जब हमने नियम बनाया था तब भी ये सब बातें कही गयी थीं। इन आपत्तियों के बावजूद बोर्ड ने सिफारिश की कि ऐसा नियम बनाया जाये और मंत्रालय ने तथा सभा ने वह नियम स्वीकार कर लिया।

†**अध्यक्ष महोदय** : पुराने और नये नियम में क्या अन्तर है? अब उससे क्या प्रभाव पड़ता है? यही विचार का मुख्य विषय है।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : कृपया नियम १९ देखिये।

†**अध्यक्ष महोदय** : पहले कुछ व्यक्तियों को अपवर्जित नहीं किया गया था। अब संशोधित नियम को मैं जहां तक समझ पाया हूं अपवर्जित व्यक्तियों को परिवार का सदस्य नहीं समझा जायगा। पंडित भार्गव ने तीन मामलों का उदाहरण दिया है जहां वर्तमान नियम और पहले के नियम में अन्तर होगा। ज्यों ज्यों प्रतिकर की रकम बढ़ती है, प्रतिशतता कम होती जाती है। यदि दोनों में कोई अन्तर न हो तो इस संशोधन की क्या आवश्यकता है? पंडित भार्गव यह बतायें कि क्या अन्तर है? यदि संशोधन केवल भाषा बदलने के लिये हो तो सभा का समय व्यर्थ नष्ट क्यों किया जाय। यदि न्यायालय ने सरकार के आशय के विपरीत कोई व्यवस्था की हो और व्यवस्था में सरकार को कठिनाई मालूम होती हो और उस कारण परिवर्तन जरूरी हो गया हो तब बात अलग है। अन्यथा दोनों में कोई खास अन्तर नहीं है।

†**श्री पाटस्कर** : मैंने वर्तमान नियम और उसके संशोधित रूप का अंतर समझने का प्रयत्न किया है। उपनियम (२) उसी प्रकार रखा गया है। अब उसमें यह जोड़ने की प्रस्थापना है कि "उपनियम (२) में किसी बात के होते हुए भी, जहां संयुक्त हिन्दू परिवार के एक मृत सदस्य के ऐसे लड़के हों जो १८ वर्ष की आयु के हों, वे लड़के प्रतिकर के प्रयोजन के लिये, परिवार के एक सदस्य के रूप में समझे जायेंगे।"

इसका परिणाम यह होगा कि यदि एक संयुक्त हिन्दू परिवार के दो भाइयों में से एक मर गया हो और उसके सभी लड़के १८ वर्ष से कम आयु के हों तो उन सभी लड़कों को प्रतिकर के प्रयोजन के लिये एक सदस्य समझा जायगा। यदि तीन लड़के भी हों तो उन्हे केवल एक ही हिस्सा मिलेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव :** केवल नाबालिग लड़के। जहां तक बालिग लड़कों का संबंध है उन्हें बिलकुल ही वर्जित कर दिया गया है।

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रकाशित नियम में नियम १९ का परन्तुक (२) दिया हुआ है। नियम १८ दोनों में है। नये नियम में कुछ व्यक्तियों को वर्जित किया गया है। पुराने नियम में वर्ग (२) इस प्रकार है "जो अन्य दूसरे सदस्य की क्रमागत संतान हो या उस संयुक्त परिवार के, किसी अन्य जीवित सदस्य की, दूसरे सदस्य के साथ, क्रमागत संतान हो, जिसे विभाजन का दावा करने का अधिकार न हो।"

अब नये संशोधन नियम में, "जो विभाजन का दावा करने को अधिकारी न हो" को बदलकर "जो विभाजन का दावा करने के अधिकारी हो" कर दिया गया है। यही संशोधन है। इस प्रकार यदि एक संयुक्त परिवार में एक बयस्क लड़का हो तथा पिता और पुत्र दोनों ही जीवित हों तो दोनों को एक ही सदस्य समझा जायगा। पुराने और नये में यही विशिष्ट अन्तर है। अब भाषा बदल दी गयी है। नये नियम में कहा गया है "निम्न व्यक्ति वर्जित किये जायेंगे ....." । यदि नये नियम में कोई ठोस परिवर्तन नहीं है तो पुराना नियम ही कायम क्यों नहीं रखा जाता ?

†**पंडित ठाकूर दास भार्गव :** इस नियम १९ के अधीन संयुक्त परिवार के कुछ व्यक्तियों को विभाजन का दावा करने का अधिकार प्राप्त है। कुछ अन्य सदस्य ऐसे हैं जो विभाजन के दावे के अधिकारी नहीं हैं। इस नियम में यह भेद स्पष्ट किया गया है। मुख्य बात यह है कि वह पुत्र को वर्जित करना चाहते हैं, चाहे वह बालिग हो या नाबालिग हो। पुराने और नये निमय में मुख्य अंतर यह है कि वे पुत्र और पोते का अधिकार छीन लेना चाहते हैं और यदि पिता जीवित ो तो पुत्र को, चाहे वह बालिग हो या नाबालिग हो, पूर्णतः वर्जित करना चाहते हैं।

†**श्री मेहर चन्द खन्ना :** बिना संशोधन के वर्तमान नियम के अनुसार जब पिता और पुत्र दोनों ही जीवित हों तो वे दो हिस्सों के अधिकारी होते हैं।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव :** यदि पुत्र १८ वर्ष से अधिक आयु का हो तो अवश्य ही वे दो हिस्सों के अधिकारी हैं। मेरा भी यही कहना है और इस नियम का और दूसरा कोई अर्थ नहीं हो सकता। मेरे मित्र दूसरे परन्तुक की गलत व्याख्या करना चाहते हैं।

†**श्री पाटस्कर :** मैं माननीय सदस्य से कुछ स्पष्टीकरण चाहता हूं जिससे कि मैं ठीक ठीक बात समझ सकूं। पुराने नियम के अनुसार, यदि संयुक्त परिवार में कोई नाबालिग हो तो उसे वर्जित किया जायगा।

†**अध्यक्ष महोदय :** उसे सदस्य के तौर पर नहीं समझा जायगा।

†**श्री पाटस्कर :** उसके बाद वर्ग २ है

"(२) जो अन्य सदस्य की क्रमागत संतति हो .....

उसका अर्थ है कि यदि तीन भाई हों और एक भाई को एक लड़का हो तो उस परिवार में वह लड़का क्रमागत संतान होगा। अतः हम उसे सम्मिलित नहीं करते। यदि यह मान लिया जाय कि तीन भाई हैं और किसी एक भाई का एक लड़का है तो हिन्दू विधि के अनुसार चार सदस्य हैं किन्तु इस शब्दावली का यह अर्थ होता हैं कि चूंकि चौथा सदस्य दूसरे सदस्य का क्रमागत संतान है, इसलिये उसे नहीं गिना जायगा। अब वर्ग (२) इस प्रकार है :

(२) जो अन्य दूसरे सदस्य की क्रमागत संतान हो या उस सयुक्त परिवार के किसी अन्य जीवित सदस्य की, दूसरे सदस्य के साथ, क्रमागत संतान हो जिसे विभाजन का दावा करने का अधिकार न हो।"

---

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री पाटस्कर]

इसका अर्थ यह है कि इन तीन भाइयों में से एक को एक के बजाय दो लड़के हों तो दोनों ही दूसरे सदस्य की क्रमागत संतान हैं । अथवा उनमें से एक दूसरे के साथ, दूसरे सदस्य की क्रमागत संतान है । ये शब्द बहुत अच्छे नहीं हैं । फिर भी इनका अभिप्राय यह है कि वे दोनों ही छोड़ दिये जायेंगे । मेरे विचार में खंड (१) और खंड (२) का यही अर्थ है । यह उपबन्ध यथावत् है और जो कुछ नया दिया गया है वह उस से भिन्न है । क्या खंड (१) और (२) के खंडों के अर्थ में कोई अंतर है ? क्या माननीय सदस्य यही समझना चाहते हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय :** खंड (२) के अंत में कहा गया है कि "संयुक्त परिवार का अन्य जीवित सदस्य जो विभाजन की मांग करने का अधिकारी नहीं है ।" इसके स्थान पर यह किया जा रहा है कि वह विभाजन का अधिकारी होगा ।

†**श्री पाटस्कर :** यह उपबन्ध उसी प्रकार रहेगा ।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव :** इस उपबन्ध का भी इतिहास है जिसे मैं संक्षेप में बताना चाहता हूं । १९४९ में जब मैंने एक संशोधन रखा था तो उपबन्ध यह था कि वह विभाजन में अपने अंश का अधिकारी है और मैंने अपने संशोधन में कहा था कि जिस लड़के की अवस्था १८ वर्ष या उसके ऊपर है उसे विभाजन का अंश दिया जाये ।

उसके बाद १९५४ में श्री चि० द्वा० देशमुख के संशोधन के अनुसार यह उपबन्ध किया गया था कि वह विभाजन की मांग करने का अधिकारी नहीं है । इसके बात एक व्यक्ति केन्द्रीय राजस्व बोर्ड के पास गया और उनसे कहा कि उसके एक पत्नी और एक नाबालिग लड़का है और उसे यह सुविधा मिलनी चाहिये । और बोर्ड को उसकी प्रार्थना स्वीकार करनी पड़ी ।

इस प्रकार हम देखते हैं कि इस उपबन्ध में अनेक कठिनाइयां हैं । अविभक्त हिन्दू परिवार में ऐसे अनेक व्यक्ति हैं जो विभाजन की मांग करने के अधिकारी नहीं हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय :** यदि "जो विभाजन की मांग करने का अधिकारी नहीं है" शब्द रखे जायें तो क्या उसमें पिछले हिस्से पर भी प्रभाव पड़ता है ?

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव :** जी हां । उसमें "क्रमागत संतति" और "एक दूसरे सदस्य के साथ" दोनों आ जाते हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय :** यदि किसी संयुक्त परिवार में केवल भाई ही भाई हों, तो क्या होगा ? यदि एक भाई बालिग हो और एक नाबालिग तो क्या उस परिवार में केवल एक सदस्य समझा जायेगा ?

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव :** अभी तक तो यही नियम है । प्रत्येक परिवार में दो प्रकार के सदस्य हैं, एक तो वे जो विभाजन की मांग करने के अधिकारी हैं और दूसरे वे जो अधिकारी नहीं हैं । जो विभाजन की मांग करने के अधिकारी नहीं हैं, उन्हें तो पिता के जीवित रहते हुए भी विभाजन की राशि नहीं दी जायेगी । किन्तु मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि जो पुत्र और पौत्र १८ वर्ष के हों उन्हें भी विभाजन की मांग करने का अधिकारी समझना चाहिये, चाहे उन के पिता अथवा पितामह जीवित हों या न हों । मैं ऐसे किसी परिवार की व्यवस्था नहीं देखना चाहता जिसमें किसी ऐसे पुत्र को विभाजन की मांग करने का अधिकार न दिया जाये जो १८ वर्ष का हो ।

मेरे पास दो तीन दिन पहले एक मुकदमा आया है जिसमें एक पिता के पांच व्यस्क पुत्र हैं । पिछले नियम के अनुसार उसे अपनी सम्पत्ति में १२,००० रुपये मिल रहे थे और अब उसे केवल ९,००० रुपये मिलेंगे ।

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य अपना भाषण कल जारी रख सकते हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**श्री पाटस्कर** : उपखंड (१) और (२) के बारे में, मैंने भी अनुभव किया है कि उसमें कुछ परिवर्तन होना चाहिये ताकि ये कठिनाइयां दूर की जा सकें।

हम इस पर कल चर्चा करेंगे।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : कार्य मंत्रणा समति ने तो यह काम आज के लिये निश्चित किया है।

†**अध्यक्ष महोदय** : कार्य मंत्रणा समिति केवल समय निर्धारित करती है, प्राथमिकता का नहीं।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : इस विषय पर जब कभी चर्चा होगी तब मैं इसके बारे में कुछ और कहूंगा।

†**अध्यक्ष महोदय** : अच्छा अब सभा स्थगित की जाती है। इस विषय पर बाद में विचार किया जायेगा। तिथि के बारे में घोषणा की जायेगी।

**इसके पश्चात् लोक-सभा मंगलवार, १४ अगस्त, १९५६ के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।**

---

†मूल अंग्रजी में।

# दैनिक संक्षेपिका

## [सोमवार, १३ अगस्त, १९५६]

पृष्ठ

**स्थगन प्रस्ताव** ९७७

अध्यक्ष महोदय ने पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में सूखा से उत्पन्न कथित हानि के बारे में श्री शि० ला० सक्सेना द्वारा स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने की अनुमति नहीं दी, क्योंकि खाद्य तथा कृषि मंत्री ने (अविलम्बीय लोक महत्व के विषय की ओर) ध्यान दिलाने वाली पूर्व सूचना के उत्तर में शीघ्र ही इस संबंध में एक वक्तव्य देने का वायदा किया।

**सभा-पटल पर रखे गये पत्र** ९७७—७८

निम्न लिखित पत्र सभा-पटल पर रख गये :

(१) डा० पाल ह० एप्पलबी द्वारा भारत की प्रशासनिक पद्धति और विशेष रूप से सरकार के औद्योगिक तथा वाणिज्यिक उपक्रमों के प्रशासन के पुनर्विलोकन संबंधी प्रतिवेदन की एक प्रति।

(२) उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम १९५१ की धारा ७ की उपधारा (४) के अन्तर्गत निम्न लिखित पत्रों की एक-एक प्रति :

(१) भारी रसायन (तेजाब तथा उर्वरक) की विकास परिषद् का १९५५–५६ का वार्षिक प्रतिवेदन

(२) इंटरनल कम्बस्चन एंजिन और शक्ति चालित पम्पों की विकास परिषद् का १९५५–५६ का प्रतिवेदन

(३) भारी विद्युत सामग्री उद्योग की विकास परिषद् का १९५५–५६ का वार्षिक प्रतिवेदन

(४) भारी रसायन (अल्कलीस) विकास परिषद् का १९५५–५६ का वार्षिक प्रतिवेदन

**राज्य सभा से संदेश** ९७८

सचिव ने बताया कि राज्य-सभा ने १० अगस्त, १९५६ को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा २७ जुलाई, १९५६ को पारित किये गये दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक को बिना किसी संशोधन के स्वीकार कर लिया है।

**याचिका की प्राप्ति** ९७८

सचिव ने बताया कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति आदेश (संशोधन) विधेयक, १९५६ जो ६ अप्रैल, १९५६ को पुरःस्थापित किया गया था, के संबंध में तीन याचियों द्वारा हस्तान्तरित एक याचिका प्राप्त हुई है।

**अधीनस्थ विधान संबंधी समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित** ९७९

पांचवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया।

[दैनिक संक्षेपिका] पृष्ठ

**कार्य-मन्त्रणा समिति का प्रतिवेदन स्वीकृत** ९७९–८०

उन्तालीसवां प्रतिवेदन स्वीकृत हुआ।

**विधेयक पुरःस्थापित** ९८०

तोल और माप मानदण्ड विधेयक पुरःस्थापित किया गया।

**विधेयक पारित** ९८०–१०२४

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) ने राष्ट्रीय राजपथ विधेयक पर विचार करने के संबंध में प्रस्ताव प्रस्तुत किया। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और खंडवार विचार के पश्चात् विधेयक संशोधित रूप में पारित किया गया।

**विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) नियमों के रूपभेद के बारे में प्रस्ताव** १०२४–३७

अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० ११६१ दिनांक ३० अप्रैल, १९५६ द्वारा और आगे संशोधित विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) नियमों में रूपभेद करने वाले प्रस्तावों पर चर्चा आरम्भ हुई। प्रस्तावों पर चर्चा समाप्त नहीं हुई।

**मंगलवार, १४ अगस्त, १९५६ के लिये कार्यावलि**

विद्युत् (सम्भरण) संशोधन विधेयक का प्रवर समिति को सौंपा जाना तथा राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में, बहु-एकक सहकारी संस्थाएं (संशोधन) विधेयक, तथा राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में, भारतीय लाख उपकर (संशोधन) विधेयक, पर विचार और पारण।

---